खण्ड-217, अंक-3
बुधवार, 23 भाद्रपद, शक संवत् 1882
(14 सितम्बर, 1960 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 217 में 8 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९६०

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय–सूची

विषय	पृष्ठ–संख्या
उपस्थित सदस्य	१६७–१७०
प्रश्नोत्तर	१७१–१९३
उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, १९६० को (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	१९४
लखनऊ बिजली कम्पनी द्वारा उपभोक्ताओं को कम मात्रा में बिजली देने के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य की मांग ..	१९४
लालपुर, जिला इटावा में छोटे दरोगा द्वारा गोली चलाए जाने से उत्पन्न परिस्थिति के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य	१९४–१९६
भावी कार्य-क्रम के सम्बन्ध में सूचना	१९६–१९७
२७ जुलाई, १९६० के तारांकित प्रश्न ३०-३१ के अनुपूरक प्रश्न के उत्तर का शोधन	१९७
उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् विधेयक, १९६० (विचारोपरान्त पारित)	१९८–३६८
तृतीय पंचवर्षीय योजना पर चर्चा के सम्बन्ध में सूचना	३६९
लखनऊ के ठाकुरगंज मुहाल के महिला रक्षागृह से तीन महिलाओं के भागने आदि से सम्बन्धित ८ सितम्बर, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या १३ में उठाये गये प्रश्न के विषय पर नियम ५० के अन्तर्गत विवाद ..	३६९–३७५
नत्थियां	३७६–३८०

उत्तर प्रदेश विधान परिषद

LIBRARY

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार, १४ सितम्बर, १९६०

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर, की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य—३३६

अजीज इमाम, श्री
अतीकुल रहमान, श्री
अनन्तराम वर्मा, श्री
अब्दुल रऊफ़ लारी, श्री
अब्दुल लतीफ़ नोमानी, श्री
अब्दुस्समी, श्री
अभयराम यादव, श्री
अमरनाथ, श्री
अमोलादेवी, श्रीमती
अयोध्याप्रसाद आर्य, श्री
अवधेशकुमार सिनहा, डाक्टर
अवधेशचन्द्रसिंह, श्री
अवधेशप्रतापसिंह, श्री
अहमद बख्श, श्री
आत्माराम पांडेय, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
इस्तफ़ा हुसैन, श्री
उग्रसेन, श्री
उदयशंकर, श्री
उमाशंकर शुक्ल, श्री
उल्फतसिंह, श्री
ऊदल, श्री
एस० अहमद हसन, श्री
ओंकारनाथ, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमरुद्दीन, श्री
कमलकुमारी गोईंदी, कुमारी
कमलेशचन्द्र, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण अग्रवाल, श्री
किशनसिंह, श्री
केशभानराय, श्री
केशव पांडेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशकुमारसिंह, श्री
कैलाशप्रकाश, श्री
कैलाशवती, श्रीमती
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खजानसिंह चौधरी, श्री
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाप्रसाद, श्री (गोंडा)
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री (एटा)
गज्जूराम, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गनेशचन्द्र काछी, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गयूर अली खां, श्री
ग़रीबदास, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुरुप्रसादसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री

गोपीकृष्ण आजाद, श्री
गोविन्दसह य, श्री
गोविन्दसिंह विष्ट, श्री
गौरीराम गुप्त, श्री
गौरीशंकर राय, श्री
घनश्याम डिमरी, श्री
घासीराम ज टव, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रबली शास्त्री ब्रह्मचारी, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास मिश्र, श्री
चन्द्रिकाप्रसाद, श्री
चरणसिंह, श्री
चित्तरसिंह निरंजन, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
छत्तरसिंह, श्री
छेदीलाल, श्री
छटेल ल पालीवाल, श्री
जंगबहादुर वर्मा, श्री
जगदीशनारायणदत्तसिंह, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगदी शशरण अग्रवाल, श्री
जगन्नाथप्रसाद, श्री
जगन्नाथ लहरी, श्री
जगपतिसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जमुनासिंह, श्री (बदायूं)
जयगोपाल, डाक्टर
जयदेवसिंह आर्य, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जागेश्वर, श्री
जुगलकिशोर, आचार्य
जोखई, श्री
ज्वालाप्रसाद कुरील, श्री
झारखंडेराय, श्री
टीकाराम पुजारी, श्री
डूंगरसिंह, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तारादेवी, डाक्टर
तिरमलसिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजासिंह, श्री
त्रिलोकसिंह, श्री
दत्त, श्री एस० जी०
दशरथप्रसाद, श्री
दातातराम चौधरी, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपङ्कर, आचार्य
दीपनारायणमणि त्रिपाठी, श्री
दुर्योधन, श्री
देवनारायण भारतीय, श्री
देवराम, श्री
द्वारकाप्रसाद मित्तल, श्री (मुजफ्फरनगर)
द्वारिकाप्रसाद, श्री (फर्रुखाबाद)
द्वारिकाप्रसाद पांडेय, श्री (गोरखपुर)
धनीराम, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मसिंह, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नन्दराम, श्री
नरदेवसिंह दतियानवी, श्री
नरेन्द्रसिंह भंडारी, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वरप्रसाद, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास पासी, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
पद्माकरलाल श्रीवास्तव, श्री
पब्बरराम, श्री
परमानन्द सिनहा, श्री
परमेश्वरदीन वर्मा, श्री
पहलवानसिंह चौधरी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतापबहादुरसिंह, श्री
प्रतापसिंह, श्री
प्रभावती मिश्र, श्रीमती
प्रभुदयाल, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
बंशीधर शुक्ल, श्री
बलदेवसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बसन्तलाल, श्री
बादामसिंह, श्री
बाबूराम, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री

बालकराम, श्री
बालेश्वरप्रसादसिंह, श्री
बिन्दुमती दास, श्रीमती
बिशम्बरसिंह, श्री
बुद्धीसिंह, श्री
बृजबासीलाल, श्री
बृजरानी मिश्र, श्रीमती
बेचनराम, श्री
बेनी बाई, श्रीमती
बैजूराम, श्री
ब्रजनारायण तिवारी, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री
भगवतीसिंह विशारद, श्री
भगौतीप्रसाद वर्मा, श्री
भजनलाल, श्री
भीखालाल, श्री
भीमसेन, श्री
भूपकिशोर, श्री
मंगलाप्रसाद, श्री
मंजूरुलनबी, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदन पांडेय, श्री
मदनमोहन, श्री
मन्नालाल, श्री
मलखानसिंह, श्री
महमूद अली खां, कुंवर (मेरठ)
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महादेवप्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महीलाल, श्री
महेन्द्रारिदमनसिंह, राजा
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
मिहरबानसिंह, श्री
मुकुटविहारीलाल अग्रवाल, श्री
मुक्तिनाथराय, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुरलीधर, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुल्लाप्रसाद 'हंस', श्री
मुहम्मद सुलेमान अधमी, श्री
मूलचन्द, श्री
मोतीलाल अवस्थी, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह मेहता, श्री
यमुनाप्रसाद शुक्ल, श्री
यमुनासिंह, श्री (गाजीपुर)
यशोदादेवी, श्रीमती
रऊफ जाफरी, श्री
रघुनाथसहाय यादव, श्री
रघुरनतेजबहादुरसिंह, श्री
रघुवीरसिंह, श्री (एटा)
रघुवीरसिंह, श्री (मेरठ)
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकांतसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राघवराम पांडेय श्री
राघवेन्द्रप्रतापसिंह, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजदेव उपाध्याय, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजबिहारीसिंह, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रकुमारी, श्रीमती
राजेन्द्रदत्त, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
रामअभिलाख, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार वैद्य, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामकृष्ण सारस्वत, श्री
रामचन्द्र उनियाल, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदीन, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामबली, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतीदेवी, श्रीमती
रामलक्षण तिवारी, श्री
रामलखन, श्री (वाराणसी)
रामलखन मिश्र, श्री
रामलखनसिंह, श्री (जौनपुर)
रामलाल, श्री
रामशरण यादव, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री

रामसमझावन, श्री
रामसिंह चौहान बैंड, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूपयादव, श्री
रामहेत सिंह, श्री
रामायणराय, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
रुकनुद्दीन खां, श्री
रूपसिंह, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मणसिंह, श्री
लक्ष्मीनारायण, श्री
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लखमीसिंह, श्री
लायकसिंह चौधरी, श्री
लालबहादुर, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री
लुत्फ़ अली खां, श्री
लोकनाथसिंह, श्री
बजरंगविहारीलाल रावत, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वासुदेव दीक्षित, श्री
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विद्यावती वाजपेयी, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विशालसिंह, श्री
विश्रामराय, श्री
विश्वेश्वरानन्द, स्वामी,
वीरसेन, श्री
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुन्तलादेवी, श्रीमती
शब्बीर हसन, श्री
शमसुल इस्लाम, श्री
शिवगोपाल तिवारी, श्री
शिवप्रसाद नागर, श्री (खीरी)
शिवमूर्ति, श्री
शिवराजबलीसिंह, श्री
शिवराजबहादुर, श्री
शिवराजसिंह यादव, श्री
शिवराम, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिवशंकरसिंह, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शीतलाप्रसाद, श्री
शोभनाथ, श्री
श्यामसुन्दर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्रद्धादेवी शास्त्री, कुमारी
श्रीकृष्ण गोयल, श्री
श्रीकृष्णदत्त पालीवाल, श्री
श्रीनाथ, श्री (आजमगढ़)
श्रीनाथ भार्गव, श्री (मथुरा)
श्रीनिवास, श्री
श्रीपालसिंह, कुंवर
संग्रामसिंह, श्री
सईद अहमद अन्सारी, श्री
सजीवनलाल, श्री
सत्यवतीदेवी रावल, श्रीमती
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सरस्वतीदेवी शुक्ल, श्रीमती
सियादुलारी, श्रीमती
सीताराम शुक्ल, श्री
सुक्खनलाल, श्री
सुखरानीदेवी, श्रीमती
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दरलाल, श्री
सुरथबहादुरशाह, श्री
सुरेन्द्रसिंह, राजकुमार
सुरेशप्रकाशसिंह, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सूरतचन्द रमोला, श्री
सूबेदार पांडेय, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीदुल्ला खां, श्री
हरदयालसिंह, श्री
हरदयालसिंह पिपल, श्री
हरदेवसिंह, श्री
हरिदत्त काण्डपाल, श्री
हरिश्चन्द्रसिंह, श्री
हरीशचन्द्र अष्ठाना, श्री
हरिसिंह, श्री
हलीमुद्दीन (राहत मौलाई), श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री
होरीलाल यादव, श्री

नोट—सार्वजनिक निर्माण उप-मंत्री, श्री महावीरसिंह, भी उपस्थित थे।

प्रश्नोत्तर

बुधवार, १४ सितम्बर, १९६०

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

दिल्ली में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश मण्डल परिषद् की बैठक

१—श्री गौरीशंकर राय** (जिला बलिया) तथा **श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी** (जिला झांसी)—मुख्य मंत्री बतायेंगे कि क्या पिछली २७ और २८ अगस्त को दिल्ली में उत्तर प्रदेश-मध्य प्रदेश मण्डल परिषद् की कोई बैठक हुई है जिसमें दोनों राज्यों के मुख्य मंत्रियों ने भी भाग लिया था ?

मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)—बैठक सिर्फ २८ अगस्त को हुई थी।

२—श्री गौरीशंकर राय तथा श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी**—क्या यह सत्य है कि उक्त बैठक में रिहंद बांध के लिये मध्य प्रदेश से ली गई जमीन का मुआवजा, मध्य प्रदेश को सिंचाई तथा बिजली की सुविधा देना, चम्बल आदि नदियों पर नौका परिवहन के संयुक्त घोट नियन्त्रण आदि विषयों पर कुछ निर्णय हुये हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—इन सभी विषयों पर विचार हुआ।

३—श्री गौरीशंकर राय तथा श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी**—क्या मुख्य मंत्री कृपया संक्षेप में उक्त परिषद् के निर्णयों को बतायेंगे ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—अभी अन्तिम निर्णय की अवस्था शायद ही किसी विषय में पहुंची है।

श्री गौरीशंकर राय—जिन विषयों की चर्चा इस प्रश्न में है उसके अतिरिक्त किन-किन विषयों की चर्चा वहां हुई ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर देना चाहता हूं कि जोनल कौंसिल का एक नियम है कि :

"Proceedings of a meeting shall be secret unless directed otherwise by the Chairman."

इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बता सकता।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)—क्या मंत्री जी बता सकेंगे कि अन्तिम निर्णय करने के लिये इस मीटिंग में कोई तिथि नियत हुई है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—इस प्रश्न में जहां तक दो तीन विषयों का जिक्र है, वह तो मैं थोड़े में कुछ कह सकता हूं, क्योंकि प्रोसीडिंग्स सीक्रेट रहते हुये भी मैं इतना उसमें हर्ज नहीं समझता। एक जो इसमें सवाल है रिहन्द बांध से बिजली देने का मध्य प्रदेश को, उसमें यह फैसला हुआ है कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनोंके मिनिस्टर मिल कर इस सवाल को तय कर लें। २८ अगस्त की बात है, फिर दोनों को मौका ही नहीं मिला।

जहां तक उत्तर प्रदेश को रिहन्द से सिंचाई के प्रबन्ध करने का सवाल है, ऐसा खयाल होता है कि रिहन्द नदी उल्टी नहीं बहेगी, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश को पानी जायगा ही नहीं, इसलिये जब सिंचाई का सवाल होगा तो बिहार में पैदा होगा।

एक सवाल है इसमें नौका परिवहन का, उसमें अन्तिम निर्णय नहीं हो सकता, क्योंकि कई ऐसे घाट हैं जिनका प्रबन्ध जिला परिषद् करती है। जब तक उनसे राय न ले ली जाय तब तक कोई निर्णय नहीं हो सकता।

श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी—क्या सरकार ने मध्य प्रदेश सरकार को बिजली देने का वादा किया था जिसको पूरा करने का निश्चय इस मीटिंग में किया गया है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—यह बड़ा विवादास्पद प्रश्न है। मध्य प्रदेश सरकार से कोई बात नहीं हुई। जब रीवां राज्य था, उस वक्त बात-चीत हुई थी। क्या बात-चीत हुई, इसके सम्बन्ध में मत-भेद है।

श्री रामायणराय (जिला देवरिया)—माननीय मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उक्त विषय पर अन्तिम निर्णय लेने के लिये निकट भविष्य में दोनों राज्यों के विभागीय मंत्रियों और मुख्य मंत्रियों का कोई सम्मेलन होने वाला है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—मैंने तो अभी तक इस पर विचार नहीं किया है। मध्य-प्रदेश के मुख्य मंत्री के लिये मैं नहीं कह सकता हूं।

श्री मदन पांडेय (जिला गोरखपुर)—रिहन्द डूब-क्षेत्र में आने वाले विस्थापितों के लिये मुआवजे के बारे में मध्य प्रदेश से वार्ता में कितनी प्रगति हुई है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—वह तो बहुत काफी पुरानी बात हो चुकी है। बहुत कुछ मुआवजा दिया जा चुका है। शायद ही कुछ लोगों का बाकी होगा।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)—नौका-परिवहन और घाटों का जिला बोर्डों से सम्बन्ध है, तो सरकार ने सम्बन्धित जिला परिषदों से राय ले ली है ताकि अगली मीटिंग में उनकी राय रखी जा सके ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—अभी २८ अगस्त की बात है। शायद जोनल कौन्सिल की अगली बैठक की जरूरत भी नहीं होगी।

श्री रामकृष्ण सारस्वत (जिला फर्रुखाबाद)—जो मतभेद बतलाया, उसमें उत्तर प्रदेश का क्या मत था ?

श्री अध्यक्ष—उन्होंने पहले ही कहा कि बहुत सी बातें गोपनीय हैं।

कानपुर मेडिकल कालेज के प्रिंसिपल

****४—श्री रामचन्द्र विकल** (जिला बुलन्दशहर) **तथा डाक्टर अवधेश कुमार सिनहा** (जिला सीतापुर)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि कानपुर मेडिकल कालेज के वर्तमान प्रिन्सिपल को कितनी बार कितनी-कितनी अवधि का extension प्रदान किया गया है और क्यों ?

स्वास्थ्य उपमंत्री (श्री बलदेवसिंह आर्य)—कानपुर मेडिकल कालेज के वर्तमान प्रिन्सिपल को कोई extension नहीं दिया गया।

श्री रामचन्द्र विकल—वर्तमान प्रिन्सिपल साहब की नियुक्ति कब हुई थी ?

न्याय मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)—५ जनवरी, सन् १९५७ को रिएम्पलायमेंट हुआ था।

श्री रामायणराय—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उक्त नियुक्ति स्थायी है या अस्थायी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—रिएम्पलायमेंट स्थायी नहीं हो सकता है।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—क्या मंत्री जी का ध्यान इस ओर गया है कि यह मेडिकल कालेज एशिया का नहीं तो भारत का सबसे बड़ा मेडिकल कालेज है और उसकी सम्पूर्णरूप से और सुचारु रूप से स्थापना के लिये उसके प्रिन्सिपल का वहां रहना जरूरी है जब तक कि वह कार्य पूरा न हो जाय ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—सोचता तो मैं भी ऐसा ही हूं बशर्ते कि पब्लिक सर्विस कमीशन उसे मंजूर करे ।

श्री चन्द्रजीत यादव—क्या कानपुर मेडिकल कालेज के प्रिन्सिपल के रिएम्पलामेंट के बारे में सरकार ने एक आधार यह भी रखा था कि चूंकि उन्हीं के जमाने में यह कालेज बना है इसलिये उनका वहां कुछ दिन और रहना अनिवार्य है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—अभी वह कालेज बन रहा है, उन्होंने शुरुआत की है । अगर पुराने कारीगर के हाथ में रहे तो आसानी से और अच्छा मुकम्मल हो सकता है ।

श्री देवनारायण भारतीय (जिला शाहजहांपुर)—रिएम्प्लायमेंट से पहले ये प्रिंसिपल साहेब किस पोस्ट पर थे और कब उससे रिटायर हुये या अलहदा किये गये ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—सरोजिनी नायडू मेडिकल कालेज, आगरा के प्रिंसिपल थे । वहां से रिटायर हुये ।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—उनके काम पर सरकार ने गौर किया है कि वह कैसा है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—काम बहुत सुन्दर और सन्तोषजनक है ।

श्री श्रीकृष्ण गोयल (जिला बदायूं)—कानपुर मेडिकल कालेज के सुचारु-रूप से चलने में क्या वहां के मौजूदा प्रिंसिपल का ही हाथ है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—हेड का ही ज्यादातर हाथ होता है ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—क्या यह सही है कि दिल्ली से अखिल भारतीय शिष्ट मंडल के या कुछ और लोग उनके काम का मूल्यांकन करने के लिये आये थे और उन्होंने कहा है कि उनका काम बहुत अच्छा है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—अभी हाल में इवैल्यूएशन कमेटी का डेपुटेशन मुझसे भी मिला था । उन्होंने बड़ी तारीफ की है ।

बेंच मैजिस्ट्रेट, मुरादाबाद की नियुक्ति

****५—**श्री हलीमुद्दीन 'राहत मौलाई' (जिला मुरादाबाद)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि मुरादाबाद बेंच मैजिस्ट्रेट का जो जगह हाल में हो में खाली थी उस पर किसी व्यक्ति का तकर्रुर हो गया है,? यदि हां, तो वह व्यक्ति कौन है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—श्री गनपति शर्मा को नियुक्त किया गया है ।

****६—**श्री हलीमुद्दीन 'राहत मौलाई'—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट मुरादाबाद ने इस जगह के लिये किन-किन और कितने लोगों की सिफारिश की थी ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की रिपोर्ट गोपनीय होने के कारण यह नहीं बताया जा सकता है किन-किन और कितने लोगों की सिफारिश की थी ।

श्री हलीमुद्दीन 'राहत मौलाई'—क्या मंत्री महोदय बताने की मेहरबानी करेंगे कि कौन-सी पब्लिक इम्पार्टेंस की चीजें हैं जिनको वह बतलाना मुनासिब नहीं समझते हैं?

श्री हुकुमसिंह विसेन—वे हमेशा गोपनीय रहनी चाहिये।

श्री हलीमुद्दीन 'राहत मौलाई'—इस तकर्रुरी के सिलसिले में किस शर्त को पेशे नजर रखा गया था?

श्री हुकुमसिंह विसेन—वह अच्छे स्टेटस के हैं और शहर में उनकी रेपुटेशन अच्छी है।

श्री जगदीशप्रसाद (जिला मुरादाबाद)—क्या यह सही है कि जिला मुरादाबाद की आनरेरी मैजिस्ट्रेट रिकमेंड करने वाली समिति ने भी इसी नाम को भेजा था?

श्री हुकुमसिंह विसेन—जी हां।

श्री गोविंदसिंह बिष्ट (जिला अलमोड़ा)—उनकी लीगल योग्यता मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे?

श्री हुकुमसिंह विसेन—वह क्वालीफाइड हैं।

श्री शिवप्रसाद नागर (जिला खीरी)—कान्फीडेंशियल उस जगह का खाली होना है, या तकर्रुरी है या जो आदमी मुकर्रर किया गया है वह कान्फीडेंशियल है?

श्री हुकुमसिंह विसेन—जो आदमी मुकर्रर किया गया है वह कान्फीडेंशियल नहीं है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की रिपोर्ट कान्फीडेंशियल है।

श्री अब्दल रऊफ लारी (जिला गोरखपुर)—जिनका तकर्रुरफ हुआ है वह किसी पार्टी विशेष से ताल्लुक रखते हैं और सन् १९४७ में उन्होंने एम० एल० ए० का इलेक्शन लड़ा था और अभी तक पेटीशन लड़ते रहे?

श्री हुकुम सिंह विसेन—कांग्रेस से इस्तीफा देकर पी० एस० पी० में शरीक हुये थे।

श्री भीखालाल (जिला उन्नाव)—क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि जिनका तकर्रुर मैजिस्ट्रेट की हैसियत से हुआ है, उनकी योग्यता सिर्फ हाई स्कूल है? यदि नहीं, तो क्या है?

श्री हुकुमसिंह विसेन—हाई स्कूल हैं तभी तो कहा कि क्वालीफाइड हैं।

श्री प्रतापसिंह—क्या माननीय न्याय मंत्री जी यह बतायेंगे कि जिन साहब को मैजिस्ट्रेट के पद पर नियुक्त की है उनसे कहा गया था कि प्रजा सोशलिस्ट पार्टी से इस्तीफा दे दो तब तकर्रुर करेंगे?

श्री हुकुमसिंह विसेन—वे वहां भी नहीं ठहरे।

तारांकित प्रश्न

*१—२—**राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे** (जिला जौनपुर)—[१६ सितम्बर, १९६० के लिये स्थानान्तरित किये गये।]

उद्योग विभाग के कर्मचारी को सेवा मुक्त करना

*३—**श्री प्रतापसिंह**—क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि २६ जुलाई, १९६० को उद्योग विभाग के कितने कर्मचारियों को नौकरी से निकालने का आदेश, आदेश नम्बर एस० टी० डी० डी० आई० (सी)/४३८-४० से हुआ?

श्रम उपमंत्री (श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा)—एक ।

*४—श्री प्रतापसिंह—क्या मुख्य मंत्री कृपया यह भी बतायेंगे कि उपरोक्त कर्मचारियों के खिलाफ क्या चार्ज थे ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—उपरोक्त कर्मचारी के खिलाफ कोई चार्ज नहीं था ।

*५—श्री प्रतापसिंह—क्या मुख्य मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि उपरोक्त कर्मचारियों में से कितने ऐसे हैं जो सेवा आयोग द्वारा स्वीकृत हैं ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—एक ।

श्री प्रतापसिंह—क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि जिस एक कर्मचारी को निकालने की बात बतलाई गयी है, जब उसके खिलाफ कोई चार्ज नहीं था तो उसको किन कारणों से निकाला गया ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—उसके विरुद्ध कुछ ऐसी बातें सामने आयीं जिनको देखने के बाद उसको सर्विस में रखा जाना जनहित में मुनासिब नहीं समझा गया ।

श्री प्रतापसिंह—क्या माननीय मंत्री जी इस बात को देखते हुये कि उसको पब्लिक सर्विस कमीशन ने ऐप्रूव किया था और उद्योग विभाग में उसने बहुत अच्छा काम किया था, उसको पुनः उद्योग विभाग में लेने की कृपा करेंगे ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—यह बात कि उन्होंने अच्छा काम किया था या नहीं किया था यह मामला तो उन्होंने जो अपना मेमोरन्डम दिया है उसमें विचारणीय है, लेकिन अगर उन्होंने अच्छा काम किया होता तो उनको हटाया ही क्यों जाता ?

नैनी इंडस्ट्रियल एरिया में नये कारखाने

*६—श्री कल्याणचन्द मोहिले (जिला इलाहाबाद)—क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में नैनी इंडस्ट्रियल एरिया में कितने नये कारखाने स्थापित किये गये ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—सूचना एकत्र की जा रही है ।

श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि कब तक यह सूचना एकत्र हो जायगी ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—मुझे आशा है कि शीघ्र से शीघ्र हो जायगी, एक महीने के अन्दर हो ही जानी चाहिये ।

श्री रामायणराय—उद्योग मंत्री जी यह बतायेंगे कि क्या माननीय मंत्री जी ने स्वयं उक्त एरिया में तशरीफ ले जाने की कृपा की है ? यदि हां, तो वहां कौन-कौन धंधे देखे हैं ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—मान्यवर, उत्तर व्यक्तिगत सूचना के आधार पर तो दिया नहीं गया । मुझे वहां की व्यक्तिगत सूचना है, मैं वहां कई बार गया हूं । वहां पर कपड़े की बहुत बड़ी मिल है, साईकिल का कारखाना है, जी० ई० सी० का बहुत बड़ा कारखाना लग गया है, इन्डस्ट्रियल एस्टेट की तरफ भी कई कारखाने लगाये गये हैं, छोटे-छोटे और बहुत से धंधे हैं लेकिन उनमें कौन-कौन काम होता है और कब से शुरू हुये हैं, इसकी सूचना मेरे पास इस वक्त नहीं है ।

नैनीताल में नगर प्रमुखों तथा उप नगर प्रमुखों की बैठक में दिये गये सुझाव

*७—श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या स्वायत्त शासन मंत्री कृपया बतायेंगे कि उन्होंने प्रदेश के पांचों कवाल नगरों की महापालिकाओं के नगर प्रमुख तथा उपनगर प्रमुख की कोई मीटिंग नैनीताल में जून के अ खिरी सप्ताह में बुलाई थी ? यदि हां, तो उस मीटिंग को बुलाने का अभिप्राय क्या था ?

स्वायत्त शासन उप-मंत्री (श्री जयराम वर्मा)—जी हां, अभिप्राय यह था कि उनसे मिलकर नगर महापालिकाओं की समस्याओं पर विचार विमर्श किया जाय ।

श्री कल्याणचन्द्र मोहिले—क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि उपनगर प्रमुख और नगर प्रमुख ने वहां कौन-कौन से सुझाव रखे थे ?

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री विचित्रनारायण शर्मा)—प्रश्न बहुत साफ नहीं है लेकिन जहां तक मैं समझा हूं वहां पर सभी प्रकार की समस्यायें उठायी गयी थीं, उन पर विचार हुआ है और उनका समाधान हो गया ।

श्री कल्याणचन्द्र मोहिले—क्या यह सही है कि वहां पर उपनगर प्रमुख ने यह सुझाव रखा था कि नगर महापालिका का जो अधिनियम बना है उसमें परिवर्तन होना चाहिये और उसके लिये उन्होंने कुछ सुझाव भी दिये थे ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—श्रीमन्, वहां बहुत सी बातें हुईं । इस समय ठीक नहीं कह सकता कि कौन-कौन बातें हुईं । जनरल बातें हुई थीं । उन्होंने अपनी कुछ कठिनाइयां बतायीं थीं लेकिन उनको आश्वस्त कर दिया गया कि इस अधिनियम से उनके काम में कोई दिक्कत पैदा नहीं होगी ।

श्री गेंदासिंह—क्या मंत्रीजी बतायेंगे कि उनको यह भी सुझाव दिया गया था कि जो एग्जीक्यूटिव आफिसर हैं उनकी वजह से साधारण कामों में बड़ी दिक्कत होती है लिहाजा उनके अधिकारों में कमी की जाय ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—श्रीमन्, इस किस्म की बात कि उनका अधिकार कम किया जाय नहीं आई, लेकिन गलतफहमी जरूर थी जिसको साफ किया गया । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मैं खास तौर से डिटेल्स में जाना नहीं चाहता हूं । दोनों साइड से गलतफहमियां हो सकती हैं । लेकिन सब मिलाकर वातावरण इतना अच्छा था कि तुष्टि हुई । अब मैं कोई चीज ऐसी कहूं कि जिससे शक बढ़ सके तो अच्छा नहीं होगा ।

रूरा और घाटमपुर में टाउन एरिया स्थापित करने की प्रार्थना

*८—श्री रामदुलारे मिश्र (जिला कानपुर)—क्या स्वायत्त शासन मंत्री कानपुर जिले के अन्तर्गत रूरा और घाटमपुर प्रमुख कस्बों को जो यातायात और व्यापार में जिले में प्रमुख स्थान रखते हैं, टाउन एरिया बनाने पर विचार करेंगे ?

श्री जयराम वर्मा—शासन के पास ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं आया है । आने पर विचार किया जायगा ।

श्री रामदुलारे मिश्र—क्या सरकार बतायगी कि वह पंचायत द्वारा पास किया हुआ प्रस्ताव मानती है या नागरिकों के प्रार्थना-पत्र पर ध्यान देगी ?

श्री जयराम वर्मा—वहां के निवासियों का प्रस्ताव जिलाधीश के माध्यम से उसकी संस्तुति के साथ आना चाहिये जिसमें इस बात का भी स्पष्टीकरण हो कि वहां की आबादी कितनी है और कितनी आमदनी हो सकती है, जिससे कि यह देखा जा सके कि वहां पर टाउन एरिया बनाना संभव होगा या नहीं ।

श्री रामदुलारे मिश्र—इस संबंध में आये हुये असें के प्रार्थना-पत्रों को, जो कि उनके आफिस में आये हैं, उनको ध्यान में रखते हुये उपरोक्त कस्बों में टाउन एरिया की प्रारम्भिक कार्यवाही शीघ्र प्रारम्भ करने की मंत्री जी कृपा करेंगे ?

श्री जयराम वर्मा—श्रीमन्, प्रस्ताव के बारे में पूछा गया है वह तो कोई आया नहीं है। लेकिन इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है कि कोई प्रार्थना-पत्र किसी का आया था या नहीं।

निलम्बित सेक्रेटरी, अन्तरिम जिला परिषद्, मिर्जापुर की बहाली का हाई कोर्ट द्वारा निर्णय

*९—**श्री रामकृष्ण जैसवार** (जिला फर्रुखाबाद)—क्या सरकार अन्तरिम जिला परिषद् के सेक्रेटरी को दंड देने के बारे में हाईकोर्ट की फुल बेंच की १७-१२-४९ की रूलिंग के आधार पर कलेक्टर, मिर्जापुर द्वारा सरकार को भेजे गये अन्तरिम जिला परिषद् के निर्णय को जो कि निलम्बित सेक्रेटरी, अन्तरिम जिला परिषद्, मिर्जापुर की बाबत है, मिर्जापुर परिषद् को अविलम्ब वापस करके निर्णय को कार्यान्वित करने की कृपा करेगी ?

श्री जयराम वर्मा—जी नहीं।

श्री रामकृष्ण जैसवार—जो अन्तरिम जिला परिषद् के सेक्रेटरी को दंड देने के बारे में हाईकोर्ट की फुल बेंच की १७-१२-५९ की रूलिंग है, उसके अनुसार सेक्रेटरी को दंड देने का अधिकार राज्य सरकार को है या अन्तरिम जिला परिषद् को है ? यदि अन्तरिम जिला परिषद को है तो किस आधार पर सरकार उसको कार्यान्वित करने में बाधा डाल रही है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—श्रीमन्, यह प्रश्न बड़ा लम्बा है, कई साल से चल रहा है, और वहां का जो जिला बोर्ड था उसकी भी कई समय पर बहुत मुख्तलिफ राय रही। हाई-कोर्ट के जिस डिसीजन का हवाला दिया गया है वह इन पर लागू नहीं होता है। डिसीजन यह है कि प्रेसीडेंट को अधिकार नहीं था उनको मुअत्तल करने का। लेकिन इनको प्रेसीडेंट ने मुअत्तल नहीं किया है। उस समय डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ऐडमिनिस्ट्रेटर के अन्दर था। इसलिये उनको डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ने ही मुअत्तल किया ऐसा मानना होगा। तो इल्लीगल कुछ नहीं है। इसके अलावा जिस आदमी की बात चल रही है उसको बाबत जिला बोर्ड की राय थी—एक कमेटी बैठी थी कि उसकी बहुत गलतियां हैं। उसे मुअत्तल किया गया और हाईकोर्ट ने भी एक बार ठीक समझा कि मुअत्तल ठीक हुआ है। उसका मुकदमा हाईकोर्ट में गया और किसी टेक्नीकल ग्राउन्ड पर उन्होंने छोड़ दिया। लेकिन उन्होंने बहुत साफ कहा कि उनकी बहुत सी रीगुलेरिटीज हुई हैं और किसी भी ग्राउन्ड पर उनको जस्टीफाई नहीं किया जा सकता है। इस तरह की गलत चीजें थीं जिनके ऊपर ऐक्शन लिया जा रहा है और उसका केस चल रहा है।

श्री रामकृष्ण जैसवार—सेक्रेटरी को रिइंस्टेट करने या सजा देने का अधिकार डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ऐक्ट, १९२२ की धारा ७०, ७१, ७३ के अनुसार, अन्तरिम जिला परिषद् का सरकार समझती है। तो जब अन्तरिम जिला परिषद् उसे रिइंस्टेट करती है तो सरकार कैसे उसमें बाधा डाल रही है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—सरकार देखती है कि किसी अन्तरिम जिला परिषद् का निर्णय ठीक है या नहीं। जब सरकार महसूस करती है कि वह पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं है तो उसे नहीं करत जिसको जिला बोर्ड ने खुद एक बार दोषी पाया, कमेटी बैठी थी उसने दोषी पाया, और हाईकोर्ट ने दोषी पाया, उस आदमी के मुआफिक करने की बात जिला परिषद् करेगी तो पब्लिक इंटरेस्ट में सरकार समझती है कि उसे नहीं एलाउ करना चाहिये।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जिला परिषद् के जिस निर्णय का बार-बार जिक्र आ रहा है वह क्या है ?

श्री जयराम वर्मा—निर्णय यह हुआ था कि निलम्बित सेक्रेटरी को अपने पद पर फिर से नियुक्त कर दिया जाय ।

श्री गोविंदसिंह बिष्ट—जो कमेटी बैठी उसने सेक्रेटरी पर क्या-क्या अपराध साबित पाये ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—डिटेल्स देख कर बतला सकूंगा । इस वक्त स्मरण नहीं है लेकिन हाईकोर्ट का जो डिसीजन था उस पर गवर्नमेंट को ऐक्शन लेना पड़ा और वह उसे फाइल नहीं कर सकी ।

श्री झारखंडेराय—इस बात को देखते हुये कि यह निलम्बन करीब-करीब ८ साल से है और इससे काफी उनको मानसिक टार्चर सा है लिहाजा सरकार इस सम्बन्ध में जल्दी निर्णय करने की कृपा करेगी ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—अधिकतर देरी उन महाशय की वजह से हुई क्योंकि वे कोर्ट में बार बार गये और अभी भी गये हुये हैं । अन्तरिम जिला परिषद् उनकी तरफ से इंटरेस्टेड हो रही है, इसलिये देरी हो रही है । गवर्नमेंट जिस वक्त इस पोजीशन में होगी तो फैसला कर देगी ।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय (जिला आजमगढ़)—अन्तरिम जिला परिषद् ने सेक्रेटरी को रखने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास किया था या बहुमत से ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—संभवतः बहुमत का है ।

श्री प्रतापसिंह—इस प्रश्न के उत्तर में जो निर्णय हाईकोर्ट का है उसको क्या माननीय मंत्री जी संक्षिप्त रूप से सदन के सामने रखेंगे ताकि वस्तु स्थिति स्पष्ट हो जाय और यह भी बतलाने की कृपा करेंगे कि हाई कोर्ट की उस सिफारिश को कार्य रूप में परिणत क्यों नहीं किया ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—उसका निर्णय बहुत लम्बा निर्णय है । उसको कैच नहीं कर सके आन अदर ग्राउन्डस लेकिन फाइंडिंग यह थी कि उनका नाम बहुत इरेंगुलर तथा इम्प्रापर था और किसी तरह से जस्टीफाइ नहीं किया जा सकता था ।

श्री गौरीशंकर राय—क्या यह सही है कि उन सेक्रेटरी महोदय की सरकार के साथ कई मामलों में मुकदमेबाजी हुई और सब में सरकार की हार हुई ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—हमें स्मरण नहीं है कि सब में हार हुई और इसमें भी हमारी हार हुई है ।

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी—सेक्रेटरी महोदय आठ साल से निलम्बित हैं तो क्या माननीय मंत्री जी अन्तरिम जिला परिषद् के तीन बार के फैसले को ध्यान में रखते हुये पुनः परिषद् के विचारार्थ यह केस भेजेंगे ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—इसकी आवश्यकता तो महसूस होती नहीं है ।

*१०-११—**श्री रामसूरतप्रसाद** (जिला गोरखपुर)—[स्थगित किये गये ।]

गवर्नमेंट डाइंग, ब्लीचिंग ऐण्ड फिनिशिंग फैक्टरी, मऊनाथ भंजन के कर्मचारियों को स्थायी करने की प्रार्थना

*१२—श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गवर्नमेंट डाइंग, ब्लीचिंग एण्ड फिनिशिंग फैक्टरी, मऊनाथ भंजन, जिला आजमगढ़ की स्थापना कब हुई थी तथा उसमें उस वक्त कितने कर्मचारी किन-किन पदों पर कितने-कितने वेतन पर नियुक्त किये गये थे ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—गवर्नमेंट डाइंग ब्लीचिंग फिनिशिंग फैक्टरी, मऊ, जिला आजमगढ़ की स्थापना १ अप्रैल, १९४६ को हुई। उस समय १५ कर्मचारी निम्नलिखित पदों एवं वेतन-क्रमों पर नियुक्त किये गये थे :

पद		पद संख्या	वेतन-क्रम
फोरमैन	..	१	२००—१०—३००
एकाउन्टेन्ट	..	१	८०—५—१००—६—१३०
क्लर्क	..	२	६०—३—९०—४—११०
मोटर ड्राइवर	..	१	४०—२—ट्रि० वि०—६५
मोटर क्लीनर	..	१	२०—१/२—२५
चौकीदार	..	६	२०—१/२—२५
चपरासी	..	३	२०—१/२—२५
	योग ..	१५	

*१३—श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उक्त फैक्टरी में इस वक्त कितने कर्मचारी स्थायी और कितने अस्थायी हैं ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—इस फैक्टरी के समस्त कर्मचारी अस्थायी हैं जिनकी संख्या २८ है।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लगभग १२ साल इन कर्मचारियों को काम करते हो गये, इतने दिनों में इनको स्थायी न करने का क्या कारण है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—मान्यवर, कारण इसका यह है कि यह जो फैक्टरीज बनायी गयी थीं तो पैटर्न उस वक्त यह सोचा गया था कि जो हैण्डलूम का काम करने वाली कोआपरेटिव सोसाइटीज हैं, हम काम शुरू कर देंगे और वे उस काम को खुद ले लेंगी। अब इन कर्मचारियों को अगर हम सरकारी बना दें तो इसमें एक दिक्कत हमारे साथ और इनके साथ आ सकती है। चूंकि वहां की सार्वजनिक स्थिति में यह मौका सम्भव नहीं हो पाया इसलिये हम उस स्थिति में नहीं हैं। तो योजना हमारी वही है कि यह सारा काम, हैण्डलूम का काम करने वालों की सहकारी समितियों को ही दे दिया जाय।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि १९४६ और आज के बीच में इन २८ कर्मचारियों में से बहुत से कर्मचारी रखे गये और उसमें से निकाले भी गये हैं ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—जिस कर्मचारी का काम ठीक नहीं होगा उसे हटाया गया होगा। मेरे पास कोई आंकड़े इस बात के नहीं हैं कि कौन कब निकाला गया।

श्री प्रतापसिंह—सरकार उस स्थिति में कब पहुंचेगी कि इन ढाई सौ कर्मचारियों को स्थायी किया जाय और स्थायी करने से जो सुविधायें सरकारी कर्मचारियों को मिलती हैं वे इन्हें मिलें ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—ढाई सौ कर्मचारी तो हैं नहीं, सिर्फ २८ हैं। जहां तक स्थिति में पहुंचने का सवाल है, वहां के माननीय सदस्य भी सहायता करें। सार्वजनिक सहयोग को ऐसा बनाने की कोशिश करें कि सहकारी आन्दोलन में ज्यादा दम आये तो इस काम को हम उन्हें सौंप दें।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—इस फैक्टरी पर प्रति वर्ष सरकार का कितना खर्च पड़ता है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—इसकी सूचना इस वक्त मेरे पास नहीं है।

बी०डी०ओज० का विचाराधीन स्थायित्व

*१४—श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या प्रदेश में ब्लाक डेवलपमेंट आफिसरों को स्थायी करने की कोई योजना उसके विचाराधीन है ?

नियोजन उप-मंत्री (श्री सुल्तान आलम खां)—जी हां।

श्री ऊदल—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जितने बी० डी० ओ० हैं उनमें से कितने फीसदी सरकार स्थायी करेगी और कितनों को पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा स्थायी किया जायगा ?

श्री सुल्तान आलम खां—इस वक्त सरकार के सामने यह सवाल है कि जो १४७ बी० डी० ओ० की पोस्ट्स को परमानेन्ट कर दिया गया है इन्हीं पर काम करने वाले १४७ बी० डी० ओज० को परमानेन्ट करने का सवाल सरकार के जेरे गौर है।

श्री ऊदल—बी० डी० ओज० के सम्बन्ध में सन् १९५८-५९ में फाइनेंस विभाग ने लिखा था कि उनको स्थायी कर दिया जाय, तो उसके सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री सुल्तान आलम खां—मुझे इस वक्त इसकी तो इत्तला नहीं है कि फाइनेन्स डिपार्टमेंट ने क्या लिखा था लेकिन जैसा कि मैंने बतलाया १४७ बी० डी० ओज० को मुस्तकिल करने का सवाल इस वक्त जेरे गौर है।

श्री गौरीशंकर राय—क्या यह सही है कि जहां सरकार के सामने १४७ बी० डी० ओज० को मुस्तकिल करने का मामला जेरे गौर है वहां बी० डी० ओ० और ए० डी० ओ० की कोई सीनियारिटी लिस्ट सारे सूबे में नहीं बन पायी है ?

श्री सुल्तान आलम खां—जिस वक्त यह बात तय हो गयी कि १४७ बी० डी० ओ० की जगहें मुस्तकिल कर दी गयीं तो बाकायदा एक लिस्ट सीनियारिटी की बनायी गयी और वह लिस्ट उनके पास भेजी गयी कि अगर उनको कोई एतराज करना हो तो कर दें। उनके एतराज अब आ गये हैं और उन पर गौर किया जा रहा है और उस पर फैसला करने के बाद जो १४७ आदमी मुनासिब होंगे, उनको मुस्तकिल कर दिया जायगा।

*१५—श्री मुक्तिनाथराय—[स्थगित किया गया।]

*१६—श्री रघुवीरराम (जिला गाजीपुर)—[स्थगित किया गया।]

*१७—श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—[स्थगित किया गया।]

*१८—श्री ऊदल—[स्थगित किया गया।]

*१९-२०—श्री होरी लाल यादव (जिला फर्रुखाबाद)—[स्थगित किये गये।]

*२१—श्री नारायण दत्त तिवारी—[स्थगित किया गया।]

*२२—श्री शिवप्रसाद नागर—[हटा दिया गया।]

*२३—श्री ओंकारनाथ (जिला मिर्जापुर)—[स्थगित किया गया।]

विधायकों का स्थानीय अधिकारियों से सम्बन्ध

*२४—श्री देवनारायण भारतीय—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उसने कोई ऐसा आदेश जारी किया है जिसके अन्तर्गत जिले में स्थानान्तरित होकर आने वाले सभी अधिकारी पहले स्थानीय विधायकों से स्वयं जाकर भेंट किया करें ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी नहीं ।

*२५—श्री देवनारायण भारतीय—यदि हां, तो सरकार कृपया यह बतायेगी कि इस आदेश का अधिकारी वर्ग पालन करता है या नहीं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—प्रश्न नहीं उठता ।

श्री देवनारायण भारतीय—क्या सरकार ऐसे आदेश जारी करने की आवश्यकता अनुभव करती है जिससे विधायकों और स्थानीय अधिकारियों में अच्छे संबंध स्थापित रहें और जिले का कार्य सुचारु रूप से संचालित हो सके ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—संबंध अच्छे रहें और जिले का काम ठीक चल सके यह तो बहुत अच्छी बात है लेकिन इस सुझाव को मानने की कोई खास जरूरत नहीं है।

श्री देवनारायण भारतीय—क्या सरकार को मालूम है कि जिले के बहुत से अधिकारी विधायकों से मिलने में परहेज करते हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—मुझे मालूम नहीं है, अगर ऐसा करते हैं तो बहुत बुरा है, लेकिन इस सुझाव के मानने से वह शिकायत दूर नहीं हो सकती है।

श्री प्रतापसिंह—क्या मुख्य मंत्री जी ऐसा फारमूला निकालेंगे जिससे हमारे कम्युनिटी डेवलपमेंट में आफीशियल्स और नान-आफीशियल्स में परफेक्ट कोआर्डीनेशन हो सके ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—यदि आफीशियल्स और नान-आफीशियल्स अपने अपने कर्त्तव्यों का पालन करें तो किसी खास फारमूला के निकालने की जरूरत नहीं है।

अन्तरिम जिला परिषद्, मुरादाबाद में गबन

*२६—श्री लक्ष्मणराव कदम (जिला झांसी)—क्या सरकार को पता है कि अन्तरिम जिला परिषद्, मुरादाबाद के ग्यारह हजार रुपयों के गबन के सम्बन्ध में परिषद् का खजान्ची जुलाई, १९६० में गिरफ्तार किया गया था ?

श्री जयराम वर्मा—जी हां ।

*२७—श्री लक्ष्मणराव कदम—क्या उक्त रकम सरकार द्वारा १० जून, १९६० को भेजी गई थी ? यदि हां, तो वह किसके पास जमा थी और गबन किस प्रकार हुआ ?

श्री जयराम वर्मा—यह रकम सन् १९५७ के जनरल एलेक्शन सम्बन्धी अध्यापकों के भत्ते की थी। एकाउन्टेन्ट जनरल की अथोरिटी मय ६ प्री-आडिट बिल्स के उप-विद्यालय निरीक्षक ने आखिरी मार्च, १९६० में प्राप्त की और उन्होंने इस अथोरिटी को कैशियर, अंतरिम जिला परिषद्, श्री महावीर सहाय, के नाम एन्डोर्स कर दिया। यह बिल्स ट्रेजरी द्वारा २८ मार्च, १९६० को भुगतान के लिये पास किये गये किन्तु चीफ एलेक्टोरल आफिसर, लखनऊ, ने तार द्वारा इनका भुगतान मार्च, १९६० में किये जाने से रोक दिया और इन्हें अप्रैल, १९६० में कैश कराने के लिये आदेश दिया। यह बिल्स ट्रेजरी आफिसर, मुरादाबाद, ने ७-६-१९६० को रिवैलीडेट किये और खजांची ने इन्हें १०-६-६० को कैश किया परन्तु उन्होंने इसकी सूचना उप-विद्यालय निरीक्षक अथवा किसी अन्य अधिकारी को नहीं दी। कुछ दिन बाद एकाउन्ट्स चेक करते समय खजांची से जब इन रुपयों का हिसाब पूछा गया तो उन्होंने बताया कि उन्होंने यह रुपये प्राइवेट तरीके से खर्च कर दिये हैं। खजांची को पुलिस के हवाले कर दिया गया है।

श्री लक्ष्मणराव कदम—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि खजान्ची द्वारा बैंक से रुपया निकालने के कितने दिन बाद गबन का पता लगा और हिसाब किस ने चैक किया ?

श्री जयराम वर्मा—निश्चित दिन तो मालूम नहीं है लेकिन थोड़े समय बाद ही पता चल गया।

श्री लक्ष्मणराव कदम—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि अध्यापकों को रुपया न बटवाने के लिये कौन जिम्मेदार है और उसके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई ?

श्री जयराम वर्मा—उसने रुपया दिया नहीं है इसलिये उसके खिलाफ कार्यवाही की जा रही है।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—जिस व्यक्ति को सरकार ने पुलिस के हवाले कर दिया है उसके खिलाफ पुलिस क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री जयराम वर्मा—अभी कैश की ओर जांच हो रही है।

श्री गेंदासिंह—जिन लोगों की रकम गबन हुई थी उनको रुपया दिया गया या नहीं ?

श्री जयराम वर्मा—अभी नहीं दिया गया, लेकिन उनको रुपया दिया जायगा।

छाया खंडों का पूर्व-प्रसार खंडों में परिवर्तन

*२८—**श्री गौरीराम गुप्त** (जिला गोरखपुर)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश के जिन शैडो ब्लाक (छाया खंड) के चारों तरफ विकास खंड खुल चुका हो, क्या सरकार ऐसे बीच के स्थान वाले छाया खंडों को विकास खंड के रूप में करने की व्यवस्था करेगी ?

श्री सुल्तान आलम खां—जी हां।

*२९—**श्री गौरीराम गुप्त**—अगर हां, तो कब तक ?

श्री सुल्तान आलम खां—वर्तमान योजना के अनुसार इस प्रदेश के समस्त छाया खंड अप्रैल, १९६३ तक पूर्व-प्रसार खंडों (pre-extension blocks) में परिवर्तित हो जायेंगे।

श्री गौरीराम गुप्त—क्या सरकार को ज्ञात है कि गोरखपुर के धानी बाजार ब्लाक के चारों तरफ यानी पूरब में फरेंदा, पश्चिम में खिसराहा, दक्षिण में मेंहदावल और उत्तर में बजमनगंज में विकास खंड खुल चुके हैं और इसके बीच में होने की वजह से वहां नहीं खुल सका, तो क्या वहां खुलवाने के लिये सरकार विचार करेगी ?

श्री सुल्तान आलम खां—मेरे सामने इस वक्त लिस्ट नहीं है कि कहां-कहां ब्लाक खुल गये लेकिन जैसा कि माननीय सदस्य कहते हैं ठीक ही होगा ।

श्री मोतीलाल अवस्थी—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जिला परिषदों का निर्माण देखते हुये जिन जिलों में छाया ब्लाक नहीं खुले हैं उनमें सरकार कब तक खोल कर उनको वह रूप दे सकेगी जिससे जिला परिषद् के काम वह कर सकें ?

श्री सुल्तान आलम खां—माननीय सदस्य को यह तो मालूम होगा कि पूरे प्रदेश में जितने ब्लाक्स बनने थे वह सब बन चुके हैं । कुछ शैडो ब्लाक हैं, कुछ प्री-एक्सटेंशन ब्लाक हैं, कुछ स्टेज वन के हैं और कुछ स्टेज टू के हैं और उनको यह भी मालूम होगा कि पहले सैचुरेटेड ब्लाक्स की आखिरी तारीख १९६१ तक थी । लेकिन अभी प्लान स्टेगर किया गया विदेशी मुद्रा की वजह से और अब अप्रैल, १९६३ तक सारे ब्लाक्स ऐक्टिव ब्लाक बन जायंगे ।

श्री उग्रसेन—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर जिले में पहली स्टेज और दूसरे नम्बर पर तथा पूर्व के प्री-एक्सटेंशन ब्लाक खुले हैं, इनको सीनियारिटी, इनको क्रम में लगाने का काम किस संस्था ने किया ? किसने इनको सीनियारिटी फिक्स की ?

श्री अध्यक्ष—यह खाली गोरखपुर जिले का सवाल नहीं है, प्रान्त भर का है और उसमें एक जिले का आप नहीं पूछ सकते ।

श्री गौरीराम गुप्त—क्या सरकार इसकी जांच करायेगी कि धानी छाया ब्लाक के चारों तरफ ब्लाक खुल गए हैं और इसकी जांच कराकर तत्काल धानी छाया ब्लाक को प्रसार ब्लाक के रूप में करने की कृपा करेगी ?

श्री सुल्तान आलम खां—मेरा जो आधार था वह तो बतला दिया माननीय सदस्य को । लेकिन अगर वह इस सिलसिले में कोई प्रार्थना पत्र देंगे तो उसकी जांच जरूर करायी जायगी ।

जरवल चीनी मिल के श्रमिकों का कथित शिकायती-पत्र

*३०—**श्री भगवतीसिंह विशारद** (जिला उन्नाव) (अनुपस्थित)—क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार को आर० बी० लक्ष्मणदास शुगर एन्ड जनरल मिल्स (प्राइवेट) लि०, जरवल, जिला बहराइच, के श्रमिकों द्वारा नियोजकों के विरुद्ध २५ अगस्त, १९५९ को भेजा हुआ कोई शिकायती-पत्र मिला है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी नहीं ।

*३१—**श्री भगवतीसिंह विशारद** (अनुपस्थित)—यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—प्रश्न नहीं उठता ।

जिलाधीश, फतेहपुर के विरुद्ध शिकायतों की जांच

*३२—**श्री चन्द्रजीत यादव**—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या जिला फतेहपुर से १६-१०-५९, २७-१-६० और २६-५-६० को वहां के जिलाधीश के विरुद्ध कुछ प्रार्थना-पत्र मुख्य मंत्री और न्याय मंत्री को प्राप्त हुये हैं ? यदि हां, तो उनमें किस प्रकार के आरोप थे तथा सरकार ने उस सम्बन्ध में क्या किसी प्रकार की जांच-पड़ताल कराई ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—मुख्य मंत्री जी को जिला फतेहपुर से दिनांकित २६-१-६० और २५-५-६० के दो शिकायती-पत्र प्राप्त हुए। १६-१०-५९ का कोई शिकायती पत्र उपलब्ध नहीं है। न्याय मंत्री जी के यहां ऐसा कोई भी शिकायती पत्र उपलब्ध नहीं है। उपरोक्त दो शिकायती पत्रों में जिलाधीश, फतेहपुर और जिला शासन फतेहपुर के विरुद्ध कई आरोप किये गये थे। इस सम्बन्ध में कुछ जांच-पड़ताल कराई गई है और कुछ जांच अभी कराई जा रही है।

*३३—**श्री चन्द्रजीत यादव**—यदि जांच कराई गई, तो किसके द्वारा और उसका क्या परिणाम रहा ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—अब तक जांच कमिश्नर, इलाहाबाद डिवीजन, द्वारा कराई गई, जिसमें किसी भी आरोप की पुष्टि नहीं हुई।

श्री चन्द्रजीत यादव—क्या माननीय मुख्य मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि जिलाधीश फतेहपुर के खिलाफ जो आरोप लगाये गए थे उनमें मुख्य-मुख्य आरोप क्या थे जिनकी कि जांच करायी जा चुकी है और कौन-कौन से आरोप हैं जिनकी जांच सरकार अभी करा रही है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जिन आरोपों की जांच हो चुकी है वह यह है कि २६ जनवरी को राष्ट्रीय झंडे के उत्तोलन के समय वक्त पर वह नहीं पहुंचे और गलत तरीके से झंडे का उत्तोलन उन्होंने किया। इसकी जांच हो चुकी है। एक शिकायत यह की गई कि २६ दिसम्बर, १९५९ को राष्ट्रपति जी फतेहपुर स्टेशन की तरफ से जा रहे थे तो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट स्टेशन पर मौजूद नहीं थे। इससे बड़ा भारी अपमान हुआ राष्ट्रपति जी का। एक शिकायत यह है कि उस जिले में एक नोटिस छपी कि फलां-फलां तारीख को कुछ होगा और उस नोटिस में जो राष्ट्रीय झंडा बनाया गया था वह प्रधान मंत्री की तस्वीर जिस जगह पर थी उनके पांव के नीचे बनाया गया था। इससे प्रधान मंत्री और राष्ट्रीय झंडे का खास तौर से अपमान हुआ। और एक शिकायत यह थी कि बिठौरा कोई जगह है वहां पर कोई यज्ञ हुआ। उसमें करपात्री जी गए थे और उन्होंने गवर्नमेंट के खिलाफ बहुत सी बातें कहीं। उसमें जिला मैजिस्ट्रेट मौजूद थे। इसकी जांच भी हो चुकी है।

अब इसके अलावा जिनकी जांच अभी बाकी है उनमें से एक तो यह है कि जिन साहब ने दस्तखत किये थे वह कहते हैं कि मेरा लड़का गवर्नमेंट कालेज में नवीं कक्षा में पढ़ता था। प्रिंसिपल ने उसको निकाल दिया इसलिए कि प्रिंसिपल ब्राह्मण हैं और उन्होंने लिखा है कि जिले के ब्राह्मण अफसरों ने आपस में एक षडयंत्र कर लिया है और जिले के ब्राह्मण उनके साथ शरीक हैं।

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि काफी हो गया। एक व्यक्ति के खिलाफ इस तरह राजनीतिक, सामाजिक, सब तरह के आरोप हैं। वैयक्तिक आरोपों के विषय में अधिक प्रश्न पूछने की इजाजत नहीं देता हूं।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिलाधीश के विरुद्ध लगाये गए आरोपों की जांच किस अधिकारी से कराई गई ?

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि यह बता चुके कि कमिश्नर से करायी है।

श्री चन्द्रजीत यादव—क्या मुख्य मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जो आरोप फतेहपुर जिलाधीश के और वहां के शासन के खिलाफ लगाये गये हैं उनमें एक मुख्य आरोप यह भी है कि वहां कुछ हरिजनों को अपमानित किया गया और प्लानिंग में जो प्रांट उनके लिये है उसका दुरुपयोग हो रहा है और इस वजह से वहां हरिजनों में बड़ा असंतोष है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—मैं वही पढ़ने जा रहा हूं। उसमें लिखा है कि ब्राह्मणों के षडयंत्र की वजह से ऐसा हो रहा है। तो जब तक जांच न कर ली जाय कि किस-किस हरिजन का हक मारा गया, यह नहीं बतलाया जा सकता।

श्री मोतीलाल अवस्थी—समय पर न पहुंचने तथा राष्ट्रीय झंडे के अपमान की शिकायत किस व्यक्ति द्वारा प्रेषित हुई है?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—मैं उस व्यक्ति का जिक्र तो नहीं करना चाहता था, लेकिन बतला दूं कि उनका नाम है सदाशिव और उनकी कई विशेषतायें हैं। उन्होंने केवल हमारे यहां ही शिकायत नहीं की, बल्कि प्राइम मिनिस्टर के पास भी एक शिकायत भेजी श्री वासुदेव दीक्षित, एम० एल० ए० के नाम से। प्राइम मिनिस्टर ने वह शिकायत हमारे यहां भेजा और वासुदेव जी के पास भी भेज दी। उनसे पता लगा कि उन्होंने कोई शिकायत नहीं की और उनके जाली दस्तखत बनाये गये थे। रामपाल तिवारी की तरफ से भी, उन के नाम से शिकायत की गयी और बाद में मालूम हुआ कि उन्होंने भी दस्तखत नहीं किये। तो ऐसे सज्जन की तरफ से जो शिकायत की जाय उसको कितना महत्व दिया जाय? लेकिन फिर भी हमने जांच की और उनको गलत पाया।

राजकीय संग्रहालय, लखनऊ से कीमती सिक्कों का गायब होना

*३४—**कुंवर श्रीपालसिंह** (जिला जौनपुर)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि यह सत्य है कि लखनऊ के राजकीय संग्रहालय (स्टेट म्यूजियम) से विगत दो वर्षों में बहुत सी बहुमूल्य सामग्री गायब हो गई है तथा बहुत से रुपयों का गोलमाल भी हो गया है? यदि हां, तो कौन-कौन-सी बहुमूल्य सामग्री गायब हुई है तथा कितने रुपयों का गोलमाल हुआ है? इसकी जिम्मेवारी किस पर है और उसे क्या सजा दी गई?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—राजकीय संग्रहालय के अध्यक्ष को अभी अनिवार्य रूप से अवकाश (compulsory retirement) दे दिया गया है और उन्होंने इस आदेश के विरुद्ध हाईकोर्ट में रिट दायर किया है। चूंकि इस समय यह मामला हाई कोर्ट के सामने है इसलिये अभी इस प्रश्न का उत्तर देना उचित न होगा।

कुंवर श्रीपालसिंह—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि संग्रहालय से कुछ गुप्तकालीन सिक्के जो सोने के थे गायब हो गये हैं और उनकी जगह नकली सिक्के रख दिये गये हैं?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—अब तक की जांच से तो ऐसा ही मालूम होता है।

श्री चन्द्रजीत यादव—क्या माननीय मुख्य मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि कौन-कौन सी मुख्य चीजें हैं कि जिनके लिये उन पर आरोप लगाया गया है?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—सब से अधिक शिकायत तो उसी किस्म की है जिसका जिक्र अभी माननीय श्रीपाल सिंह जी ने किया। हमारे यहां जो संग्रहालय रहा है सिक्कों का वह बहुत अच्छा रहा है और ऐसा मालूम होता है कि उसमें से कुछ गायब है और ऐसा भी समझा जा रहा है कि कुछ गलत सिक्के खरीदे गये। यह कहा गया कि उनका मूल्य इतना है और बहुत पुराने हैं, जब कि वे उतने पुराने नहीं थे और उनका मूल्य कम था। इसके अलावा यह भी कहा जा रहा है कि कुछ और चीजें खरीदी गयीं जिनका दाम बहुत ज्यादा दिलाया गया और उनका दाम बहुत कम था और जितनी पुरानी कहीं गयी थीं उतनी पुरानी वे चीजें नहीं थीं।

श्री झारखंडे राय—इस बात को देखते हुये कि इस म्युजियम में बहुत कीमती सामग्री रखी जाती रही है, उनकी सुरक्षा के लिये अब तक क्या व्यवस्था की गयी थी?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—किसी भी म्युजियम में जो व्यवस्था होती है वही यहां भी थी। वहां एक क्यूरेटर होता है और उसी पर विश्वास किया जाता है। चूंकि वह मामला अदालत में चल रहा है, इसलिये मैं और ज्यादा कुछ नहीं कह सकता।

विधायकों से सामान्य प्रशासन में परामर्श लेने का सुझाव

*३५—**श्री शिवप्रसाद नागर**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या उसके विचाराधीन कोई ऐसी योजना है कि जिस प्रकार जिलों में ला ऐन्ड आर्डर की मीटिंग होती है उसी प्रकार जनरल ऐडमिनिस्ट्रेशन की भी मीटिंग जिलों में हुआ करें, जिनमें विधायकों को भी अपने सुझाव देने का अवसर मिल सके? यदि हां, तो यह आदेश कब तक जारी कर दिये जायेंगे?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी नहीं।

श्री शिवप्रसाद नागर—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि यह जो उत्तर दिया गया है कि जी नहीं, तो इस जी नहीं का क्या कारण है?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—अब जो काम किया जाय उसका तो कारण बताया जा सकता है, और जो किया ही न जाय, उसका क्या कारण बताया जाय? उसका कारण बताना कठिन होता है।

काम दिलाऊ दफ्तर, बरेली से रोजगार मिलना

*३६—**श्री बाबूराम** (जिला बरेली)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला बरेली में जो रोजगार दिलाने का दफ्तर है उसमें १९५९ में कितने प्रार्थना-पत्र आये और कितनों को रोजगार मिला?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—२२,७०३ ने पंजीयन करवाया जिनमें से १,८०५ को रोजगार मिला।

श्री बाबूराम—क्या सरकार बतायेगी कि जितने प्रार्थना-पत्र आये उनमें से कम लोगों को नौकरी मिल सकी, इसका क्या कारण है?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—देश में बेरोजगारी की जो समस्या है इसको सभी जानते हैं।

श्री बाबूराम—क्या यह सही है कि जो लोग बाद में प्रार्थना-पत्र देते हैं उनका नाम पहले दर्ज कर दिया जाता है और जो पहले देते हैं उनका नाम बाद में लिखा जाता है।

श्री अध्यक्ष—यह तो आप नया प्रश्न पूछें तो अच्छा होता।

श्री बाबूराम—जिन लोगों को जगह दी गयी है वे किस-किस विभाग में दी गयी हैं?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—मैं प्रश्न को समझ नहीं पाया कि उनका क्या मतलब है। यह ठीक है कि उनको नौकरी दिलवाई गयी।

ग्रामीण गृह-निर्माण योजना

*३७—**श्री बाबूराम**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वह ग्राम आवास योजना को प्रदेश में लागू करने पर विचार कर रही है? यदि हां, तो जिलेवार किन-किन गांवों में?

श्री जयराम वर्मा—ग्राम आवास योजना, जिसका उपयुक्त नाम ग्रामीण गृह-निर्माण योजना है, इस प्रदेश में गत दो वर्षों से चल रही है। इस योजना के अन्तर्गत जिन गांवों में मकान बनाये जाने का आयोजन है, उनकी †सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

श्री बाबूराम—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इसका आधार क्या है ?

श्री जयराम वर्मा—अब तक इसके लिये व्यवस्था यह है कि सरकार हर मालिक मकान के लिये १,५०० रुपये कर्ज देगी और बाकी पैसा वह अपने पास से लगायेगा। लेकिन भारत सरकार ने भी इस संबंध में कुछ निर्णय किया है और उसके आधार पर अब प्रदेशीय सरकार विचार कर रही है कि हर मकान मालिक को खर्च का दो-तिहाई या दो हजार रुपया, जो कम हो, दिया जाय।

श्री मदन पांडेय—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि जो गांव लिये गये हैं वे किस-किस जिले के लिये गये हैं ?

श्री जयराम वर्मा—देहरादून, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, आगरा, बुलन्दशहर, अलीगढ़, मथुरा, मैनपुरी, एटा, बरेली, बिजनौर मुरादाबाद, पीलीभीत, रामपुर, इटावा, फर्रुखाबाद, कानपुर, फतेहपुर, इलाहाबाद, जालौन, मिर्जापुर, गोरखपुर, बस्ती, आजमगढ़, देवरिया, नैनीताल, अल्मोड़ा, गढ़वाल, टेहरी-गढ़वाल . . . .

श्री अध्यक्ष—आपने लगभग सभी जिले बता दिये !

श्री जयराम वर्मा—जी हां, करीब-करीब सभी हैं।

श्री अध्यक्ष—तो आप यह कह सकते थे कि करीब-करीब सभी हैं।

श्री देवनारायण भारतीय—जिन गांवों की सूची अथवा जिन जिलों की सूची माननीय मंत्री जी ने सदन के सामने बताई हैं, उन ग्रामों में सभी घर नये सिरे से बनाये जायेंगे अथवा किसी गांव में केवल एक या दो घरों के निर्माण के लिये ही सरकार सहायता देगी ?

श्री जयराम वर्मा—यह प्रबन्ध हो रहा है कि गांव के करीब-करीब सभी मकान सुधर जायं।

श्री गौरीशंकर राय—जो जिले लिये गये हैं इस योजना में, उन जिलों के कितने-कितने गांव लिये गये हैं और उनको चुनने का आधार क्या है ?

श्री जयराम वर्मा—गांव की लिस्ट तो बहुत बड़ी है। लेकिन जो विकास ब्लाक कमेटियां हैं उन्हीं की सलाह से उनको छांटा गया है। जिन गांव के लोग तैयार हैं उन्हीं की सूची बना कर भेजी गयी है और उसको स्वीकार किया है।

श्री बाबूराम—क्या माननीय मंत्री जी इस योजना को और आगे बढ़ाने पर विचार कर रहे हैं, बाज-बाज जिलों में दो ही गांव लगे हैं ?

श्री जयराम वर्मा—श्रीमन्, और गांव लेने की योजना है। अगर किसी जिले में और गांव स्कीम में आना चाहते हैं और उसमें कुछ रुचि लेते हैं तो जरूर शामिल किया जायगा।

श्री माताप्रसाद (जिला जौनपुर)—क्या माननीय मंत्री जी इस योजना का संक्षिप्त रूप रखने की कृपा करेंगे ?

श्री अध्यक्ष—वह तो उन्होंने बता दिया।

---

†सूची छापी नहीं गई।

अध्यक्ष, झांसी नगरपालिका के विरुद्ध शिकायती-पत्र

*३८—**श्री गोविंदसिंह विष्ट, श्री प्रतापसिंह, श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल तथा श्री देवनारायण भारतीय**—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या विरोधी दल के नेताओं ने झांसी नगरपालिका के अध्यक्ष द्वारा लगातार अपने अधिकारों का दुरुपयोग, अपव्यय, अनावश्यक और अनियमित व्यय तथा अवैधानिक कार्यवाहियों और कुप्रबन्ध के संबंध में कोई आवेदन-पत्र उसको दिये हैं ? यदि हां, तो कब और क्या वह उनको सदन की मेज पर रखेगी ?

श्री जयराम वर्मा—जी हां। ये आवेदन-पत्र दिनांक १२ फरवरी, १९६०, १ अप्रैल, १९६०, ६ मई, १९६० तथा २६-८-६० के हैं। इनकी एक-एक प्रतिलिपि संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ३७६-३७९ पर)

*३९—**श्री गोविन्दसिंह विष्ट, श्री प्रतापसिंह, श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल तथा श्री देवनारायण भारतीय**—क्या सरकार ने ऊपर लिखे विषयों से संबंधित कुछ मामलों में जिला अधिकारियों व पुलिस के विशेष अधिकारियों से जांच कराई थी ? यदि हां तो उनकी रिपोर्ट उसके पास कब प्रस्तुत हुई थी और उसने उनके संबंध में क्या कार्यवाही की ?

श्री जयराम वर्मा—जी हां। शासन को उक्त विषय पर जिला अधिकारियों की रिपोर्ट ६ अगस्त, १९५९ तथा १८ अप्रैल, १९६० को प्राप्त हुई थी। पुलिस के विशेष अधिकारियों की रिपोर्ट १४ मई, १९६० को प्राप्त हुई थी।

चूंकि श्री बाबू लाल उदैनिया, अध्यक्ष, नगरपालिका, झांसी, ने अपने विरुद्ध श्री लखपत राम शर्मा द्वारा प्रकाशित कराये गये अभियोग पत्र सं० १ तथा २ में उल्लिखित आरोपों के विरुद्ध झांसी के सिविल जज के न्यायालय में एक मुकदमा दायर कर दिया है और वे सब आरोप अब न्यायालय के विचाराधीन हैं अतः ऐसी स्थिति में सरकार द्वारा उन आरोपों के आधार पर श्री उदैनिया के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की जा सकी।

श्री गोविंदसिंह विष्ट—क्या मंत्री जी बतावेंगे कि यह सही है कि इन्हीं दो पैम्फलेट्स के आधार पर इन्हीं उदैनिया ने श्री साहनी जिलाधीश और गवर्नमेंट के इंसपेक्टर और जैदी इंसपेक्टर के खिलाफ मानहानि का दावा किया जो कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में २७ अप्रैल को श्री देसाई, न्यायाधीश ने खारिज कर दिया ?

श्री जयराम वर्मा—हां, संभवतः ऐसा केस हुआ था।

श्री गोविंदसिंह विष्ट—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह जो अधिकारी हैं जिन्होंने जांच की थी, उन्होंने आरोपों में से ज्यादा सही पाये और कई करप्शन के हैं, तो सरकार क्यों उन्हें मुअत्तल नहीं करती जबकि विरोधी दल के सारे के सारे नेता और कांग्रेस पार्टी के लोगों ने भी दस्तखत करके दिये हैं ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—दुर्भाग्य यह है कि आरोप सब के सब सही नहीं पाये गये और ३२ में यह है कि जब तक कोई डेफिनिट चार्ज एस्टेब्लिश न हो सके तब तक कोई इस किस्म की कार्यवाही नहीं की जा सकती। साथ ही ये सब छाप छाप कर बांटे गये और उन्हीं के आधार पर अपने हस्ताक्षर करके हमारे पास भेजे हैं और उन्हीं के आधार पर मानहानि का दावा दायर किया गया है। हमारी नीयत पर हमेशा शक होता है और न्यायाधीश की बात ठीक मानी जाती है। तो जब न्यायाधीश के यहां से फैसला हो जायगा दूध का दूध और पानी, का पानी तो हम बीच में क्यों पड़ें ?

नोट- तारांकित प्रश्न ३९ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

श्री श्रीकृष्ण दत्त पालीवाल--क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि जब दूध का दूध और पानी का पानी हो जायगा तब पानी अपने पास रख कर दूध इधर भेज देंगे?

श्री अध्यक्ष--इस पहेली को समझ गये हों तो उत्तर दें।

श्री विचित्रनारायण शर्मा--हम दूध पिलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन नतीजा उलटा होता है।

इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इन्स्टीट्यूट के डिप्लोमाज को मान्यता

*४०--**श्री हरिदत्त काण्डपाल** (जिला अल्मोड़ा)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि राज्य में जो राजकीय Industrial Training Institutes खुले हैं उनके द्वारा दिये गये किस किस ट्रेड के प्रशिक्षण के डिप्लोमा को राज्य की नौकरी के लिये मान्यता दी गई है? जिन ट्रेड्स के प्रशिक्षण के डिप्लोमाज को मान्यता नहीं दी गई उसका क्या कारण है?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--लाइनमैन तथा वायरमैन के ट्रेड के डिप्लोमा को राज्य सरकार से वायरमैन की परमिट के लिये मान्यता प्राप्त है। बाकी ट्रेड्स के डिप्लोमाज का प्रश्न सरकार तथा राज्य परिषद व्यवसायिक प्रशिक्षण (State Council for Training in Vocational Trades) के विचाराधीन है।

गन्ने का मूल्य

*४१--**श्री नत्थूसिंह** (जिला बरेली)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि १९५९-६० के गन्ने के सीजन का किसानों को गन्ना मिलें कुछ बोनस देने वाली थीं? यदि हां, तो वह कब तक किसानों को मिल जायेगा?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--यह प्रश्न इस रूप में नहीं उठता। वास्तव में केंद्रीय सरकार के फारमूला के अनुसार गन्ना किसानों को जो पिछले सीजन का अतिरिक्त मूल्य निकलेगा वह दिया जायगा किन्तु किस हिसाब और किस दर से यह अतिरिक्त मूल्य मिलेगा, ऐसा कोई शेड्यूल अभी तक केंद्रीय सरकार ने विज्ञापित नहीं किया है।

*४२--**श्री नत्थूसिंह**--क्या सरकार को यह जानकारी है कि इसी सीजन में कुछ गन्ना मिलों ने किसानों को गन्ने के दाम १.७५ रु० प्रति मन के हिसाब से दिये थे? यदि हां, तो यह कौन-कौन-सी मिलें थीं?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--१९५९-६० सीजन के फरवरी के महीने या उसके बाद से इस प्रदेश की ३९ चीनी मिलों ने गन्ने का मूल्य स्वतः १·७५ रु० प्रति मन के हिसाब से दिया था और इन चीनी मिलों के नाम संलग्न तालिका में दिये गये हैं।

(देखिये नत्थी 'ख', आगे पृष्ठ ३८० पर)

*४३--**श्री रामसुन्दर पांडेय**--[स्थगित किया गया]

इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग सेंटर, वाराणसी, से उत्तीर्ण छात्रों को नौकरी

*४४--**श्री कल्याणचन्द मोहिले**--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि Industrial Training Centre, वाराणसी से कितने छात्र १९५७ से अब तक उत्तीर्ण हुये और उनमें से कितनों को सरकार द्वारा नौकरी मिली?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--९०५ और इनमें से १२० को सरकार द्वारा नौकरी मिली।

*४५--**श्रीमती बिन्दुमती दास** (जिला बाराबंकी)--[स्थगित किया गया]

गवर्नमेंट यू०पी० हैण्डीक्रैफ्ट्स के सामान की अन्य राज्यों में बिक्री

*४६—**श्री मदन पांडेय**—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि वित्तीय वर्ष १६५८–५६, १६५६–६०, १६६०–६१ में हस्तकला निर्मित वस्तुओं के प्रचारार्थ गवर्नमेंट यू० पी० हैन्डीक्रैफ्टस का कब–कब बाहरी राज्यों में कारवां गया है तथा प्रत्येक कारवां में कितने-कितने की बिक्री और क्रमानुसार खर्चा रहा है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—केवल एक कारवां वित्तीय वर्ष १६५६–६० में बाहरी प्रदेशों में भेजा गया था, जो २८ सितम्बर, १६५६ से ३ दिसम्बर, १६५६ तक भ्रमण करता रहा। इस कारवां ने ४१,६४७ रु० ७४ न० पै० की बिक्री की तथा इस पर ६,५६६ रु० ६४ न० पै० खर्च हुए ।

उझानी नगरपालिका के कार्यवाहक अध्यक्ष के विरुद्ध शिकायत

*४७—**श्री शिवराजसिंह यादव** (जिला बदायूं)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या उझानी (बदायूं) नगरपालिका के कार्यवाहक अध्यक्ष के विरुद्ध सरकार या जिलाधीश के पास ३१ जुलाई, १६६० तक कोई शिकायत आयी है कि उन्होंने नगरपालिका की मिनट बुक तथा अन्य कागजात में जालसाजी की है ? यदि हां, तो उसमें सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—उझियानी (बदायूं) नगरपालिका के कार्यवाहक अध्यक्ष के विरुद्ध एक प्रार्थना-पत्र उझानी नगरपालिका के ७ सदस्यों का हस्ताक्षर किया हुआ जिलाधीश बदायूं के कार्यालय में डाक द्वारा प्राप्त हुआ है। उपरोक्त प्रार्थना-पत्र में यह शिकायत की गई है कि २३ जून, १६६० को मीटिंग में कार्यवाहक अध्यक्ष ने उपरोक्त प्रार्थना-पत्र में अंकित सदस्यों के चले जाने पर कई प्रस्ताव नियम (rule) १३ के अन्तर्गत अपने आप लिखवा लिये और पास कर लिये। इस प्रार्थना-पत्र पर अध्यक्ष से रिपोर्ट मांगी गई है जो अभी प्राप्त नहीं हुई है ।

इसके अतिरिक्त भूतपूर्व अध्यक्ष, श्री राम जी दास, ने सब्जी मंडी के पट्टे के सम्बन्ध में बोर्ड द्वारा पूछे गये प्रश्नों के उत्तर में एक पत्र अध्यक्ष नगरपालिका उझानी को १५ जुलाई, १६६० को भेजा है जिसमें उन्होंने कार्यवाहक अध्यक्ष के विरुद्ध यह आरोप लगाया है कि कार्यवाहक अध्यक्ष ने सब्जी मंडी के पट्टे के सम्बन्ध में तैयार की गई फर्द बोली में एक नोट बढ़ा दिया है। इस पत्र की एक प्रतिलिपि जिलाधीश के कार्यालय में सूचनार्थ प्राप्त हुई है जिस पर अध्यक्ष से रिपोर्ट मांगी गई, जो अभी तक प्राप्त नहीं हुई है ।

*४८—**श्री शिवराजसिंह यादव**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उझियानी (बदायूं) नगरपालिका के कार्यवाहक अध्यक्ष ने १ अप्रैल, १६६० से ३१ जुलाई, १६६० तक किन-किन कर्मचारियों को निलम्बित किया और उनमें से कितने अब भी निलम्बित हैं ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—कार्यवाहक अध्यक्ष ने १ अप्रैल, १६६० से ३१ जुलाई, १६६० तक निम्नांकित कर्मचारियों को निलम्बित किया—

(१) श्री होरीलाल—टोल क्लर्क
(२) श्री मन्जूर अहमद—टोल क्लर्क
(३) श्री रामलालसिंह—बी० आई०
(४) श्री होरीलाल—स० टोल क्लर्क
(५) श्री निरंजनलाल—कैशियर
(६) श्री गिरीश बाबू गुप्ता—एजूकेशन क्लर्क

(७) श्री गंगासहाय—क्लर्क

(८) श्री बुद्धसेन—सहायक अध्यापक

(९) श्री नाथूराम वार्ष्णेय—हेड क्लर्क

(१०) श्री जौहरीलाल गर्ग—ई० ओ०

उपरोक्त कर्मचारियों में से श्री निरंजनलाल ने त्याग-पत्र दे दिया है और सर्व श्री नाथू राम वार्ष्णेय तथा जौहरी लाल गर्ग, ई० ओ०, अब भी निलम्बित हैं। शेष सभी कर्मचारी बहाल कर दिये गये हैं।

* ४९—**श्री नारायणदत्त तिवारी**—[स्थगित किया गया]

मेंहदावल टाउन एरिया में भंगियों का बकाया वेतन

*५०—**श्री राजाराम शर्मा** (जिला बस्ती)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मेंहदावल टाउन एरिया के सफाई मजदूरों (भंगियों) की तनख्वाहें पांच महीने से बाकी हैं? इसका क्या कारण है?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—इन कर्मचारियों की मई, जून और जुलाई, १९६० की तनख्वाहें बाकी रह गई थीं। मई और जून की तनख्वाहें देने का प्रबन्ध कर दिया गया है। वेतन देने में देर होने के निम्नलिखित कारण हैं—

(१) टाउन एरिया कमेटी के जिम्मे १९५२–५३ तथा १९५६–५७ के चुनाव का खर्च बाकी था जिसका भुगतान मार्च, १९६० में किया गया।

(२) टाउन एरिया कमेटी की आय का मुख्य साधन हैसियत कर है। उचित समय पर टैक्स न लगने, कुछ व्यवसायियों के बाहर चले जाने तथा बाढ़ द्वारा हुई क्षति के कारण टाउन एरिया कमेटी की आय में कमी हो गई।

* ५१—**श्री राजाराम शर्मा**—क्या सरकार टाउन एरिया, मेंहदावल, की आर्थिक दशा और प्रबन्ध की जांच करायेगी?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—यदि आवश्यकता पड़ी तो जांच कराई जायगी।

एटा जिले में गृह उद्योग के लिये सहायता

* ५२—**श्री राजेन्द्रसिंह यादव** (जिला फर्रुखाबाद)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला एटा में १९५९ से अब तक कितना रुपया सरकार द्वारा गृह उद्योग के लिये तकावी तथा सहायता के रूप में दिया गया?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जनवरी सन् १९५९ से ३० जून, १९६० तक जिला एटा में निम्नलिखित धनराशियां उद्योग विभाग की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत दी गईं—

	रु०	न० पैसे
१—ऋण	१,६१,१४३	५०
२—अनुदान	३०,६८६	४४
३—तकावी	१,९१०	००
४—सबसिडी	२,०५५	००

भाष्करागंज को जलालाबाद टाउन एरिया में मिलाने की प्रार्थना

*५३—श्री गयूर अली खां (जिला मुजफ्फरनगर)—क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कस्बा जलालाबाद, जिला मुजफ्फरनगर की मंडी भाष्करागंज को टाउन एरिया जलालाबाद में शामिल करने के बारे में कोई सुझाव आया है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—जी नहीं ।

*५४—**श्री नारायणदत्त तिवारी**—[स्थगित किया गया ।]

प्रान्तीय रक्षक दल पुलिस विंग

*५५—**श्री बाबूराम**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रान्तीय रक्षक दल विंग पुलिस किस-किस शहर में कार्य कर रही है और विंग पुलिस के जिन वर्करों को शहरों में ही रखा जाता है या गांव में भी तबादले होते हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—प्रान्तीय रक्षक दल, पुलिस विंग, आगरा, वाराणसी और लखनऊ में कार्य कर रही है ।

पुलिस विंग के जिन वर्करों को साधारणतः शहरों में ही रक्खा जाता है और उनका तबादला शहर से ही एक थाने से दूसरे थाने में कर दिया जाता है । उन्हें कभी कभी विशेष कार्यों के लिये, जैसे शान्ति रक्षा समितियों का संगठन, मेले, त्यौहार और गश्त लगाने के लिये देहातों में तैनात कर दिया जाता है ।

नगर महापालिकाओं को भवन तथा सीवर के लिये ऋण

*५६—**श्री कल्याणचन्द मोहिले**—क्या स्वायत्त शासन मंत्री कृपया बतायेंगे कि नगर महापालिका बनने पर इमारत बनाने हेतु सरकार द्वारा ऋण के रूप में जिन महापालिकाओं को धन दिया गया था उनमें किन-किन नगर महापालिकाओं ने इमारतें बनाईं ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—प्रश्न को देखने से यह विदित होता है कि सदस्य महोदय का अभिप्राय केवल महापालिका भवन से ही है । नगर महापालिका बनने पर केवल नगर महापालिका कानपुर को १० लाख रुपये का ऋण महापालिका भवन बनाने हेतु दिया गया है । इमारत अभी बन रही है ।

*५७—**श्री कल्याणचन्द मोहिले**—क्या स्वायत्त शासन मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में अब तक किन-किन नगर महापालिकाओं को कितना-कितना धन ऋण के रूप में सीवर बनाने हेतु दिया जा चुका है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—राष्ट्रीय जल सम्भरण एवम् स्वच्छता कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रथम तथा द्वितीय त्रिवर्षीय योजना काल में ३१ अगस्त, १९६० तक निम्नलिखित नगर महापालिकाओं को उनके सम्मुख लिखी धनराशि सीवर निर्माण एवम् जल निकासी पुनर्गठन योजना के हेतु सरकार द्वारा ऋण के रूप में दी जा चुकी है—

	रु०
नगर महापालिका, इलाहाबाद	३१,७०,०००
नगर महापालिका, आगरा	२६,६०,६९७
नगरमहापालिका, कानपुर	६०,००,०००
नगर महापालिका, लखनऊ	४५,००,०००
नगर महापालिका, वाराणसी	१६,००,०००

*५८--श्री कल्याणचन्द मोहिले--क्या स्वायत्त शासन मंत्री कृपया बतायेंगे कि कि-कि नगर महापालिकाओं ने सरकार के पास प्रस्ताव भेजा है कि प्रशासक काल में जो ऋण पालिकाओं को दिया गया था वह माफ कर दिया जाय ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा--नगर महापालिका आगरा का एक प्रस्ताव इस आशय का आया था जिसने ऋणों को अनुदान में बदलने की प्रार्थना की गयी थी। परन्तु सरकार ने उसका अस्वीकार कर दिया था। नगर महापालिका, वाराणसी से एक प्रस्ताव आया है जिसमें उन्होंने यह प्रार्थना की है कि म्युनिसिपल बोर्ड के प्रशासक काल में जो ऋण की धनराशि खर्च की जा चुकी है उसको माफ कर दिया जाय। यह प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

मुजफ्फरनगर जिले में उद्योगों के लिये ऋण

*५९--श्री बादामसिंह (जिला मुजफ्फरनगर)--क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि १९५९-६० में जिला मुजफ्फरनगर को गृह उद्योग-धन्धों के लिये कितनी धनराशि कितने व्यक्तियों को दी गई ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--विभिन्न विभागीय योजनाओं के अन्तर्गत जिला मुजफ्फरनगर में १९५९-६० में १,७३,२८२·७८ रु० के ऋण तथा १३,२६१·०० रु० के अनुदान ७७ इकाइयों को वितरित किये गये।

*६०--श्री बादामसिंह--क्या मुख्य मंत्री को यह भी ज्ञात है कि उपर्युक्त कितने व्यक्तियों ने धन लेकर उद्योग में प्रयोग किया और कितने व्यक्ति ऐसे हैं कि जिन्होंने सरकारी धन को उद्योग में न लगाकर अन्य कार्यों में लगाया ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--उपरोक्त इकाइयों में से ७५ ने धन का उद्योग हेतु प्रयोग कर लिया है अथवा कर रहा है, तथा शेष २ व्यक्तियों ने धन का प्रयोग नहीं किया।

*६१--श्री बादामसिंह--क्या सरकार उपर्युक्त दुरुपयोग करने वाले व्यक्तियों से धनराशि वापस लेकर उन पर उचित कार्यवाही करने की कृपा करेगी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--उपरोक्त दोनों व्यक्तियों से दी गई धनराशि वापस लेने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

अध्यक्ष, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, मुरादाबाद, द्वारा व्यय किये गये धन की स्वीकृति

*६२--श्री जगदीशप्रसाद--क्या स्वायत्त शासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, मुरादाबाद द्वारा दी गई ५,००० रुपये की धनराशि पर सरकार ने जी० ओ० संख्या १२७६-बी-९-१, दिनांक ८-७-५९ द्वारा जो विशेष स्वीकृति दी, वह किन परिस्थितियों में दी गई और क्या सरकार इससे पूर्व कई बार इस धनराशि को स्वीकृति देना अस्वीकृत कर चुकी थी ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा--शासन ने भूतपूर्व डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, मुरादाबाद द्वारा बोर्ड के अध्यक्ष का रोब जमाने पर किए गए ५,००० रु० के व्यय का स्वीकृति के प्रस्ताव पर पुनर्विचार करने पर स्वीकृति देना उपयुक्त समझा।

यह कहा है कि स्वीकृति देने के पूर्व यह प्रस्ताव पहले अस्वीकृत किया जा चुका था।

उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, १९६०

सचिव, विधान सभा--अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से सूचित करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (१९५६-५७ की बढ़तियों का विनियमन) विधेयक, १९६० जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा ९ सितम्बर, १९६० को पारित किया गया था तथा श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से, बिना किसी सिफारिश के, १३ सितम्बर, १९६० को वापस प्राप्त हो गया है ।

लखनऊ बिजली कम्पनी द्वारा उपभोक्ताओं को कम मात्रा में बिजली देने के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य की मांग

श्री अध्यक्ष--नियम ५२ में जो मेरे सामने विषय भेजे गये थे उनमें से मैंने श्री चन्द्रजीत यादव का विषय ध्यान आकृष्ट करने के लिये, सम्बन्धित मंत्री का, स्वीकार किया है । वह कहते हैं कि लखनऊ स्थित बिजली कम्पनी ने नगर के सैकड़ों उद्योग कारखानों, जल विभाग तथा निजी उपभोक्ताओं को बिजली सप्लाई करना बड़ी मात्रा में कम कर दिया है । गत एक सितम्बर से तो निजी उपभोक्ताओं के प्रार्थना-पत्र लेने भी बन्द कर दिये हैं । कई उद्योगों की विदेशों से मशीनें आकर रखी हुई हैं परन्तु बिजली न मिलने के कारण काम प्रारम्भ नहीं हो रहा है । इस समय बिजली कम्पनी ने छोटे बड़े लगभग २०० कारखानों को सचेत कर दिया है कि उनके लिये आवश्यक बिजली वह सप्लाई नहीं कर सकती । उपरोक्त स्थिति में हजारों मजदूरों के बेकार हो जाने तथा नगर के कुछ उद्योगों के बन्द हो जाने तथा साधारण जनता की कठिनाइयों के बढ़ जाने की आशंका उत्पन्न हो गई है । इसमें कम्पनी का सरकारी सहायता प्राप्त करने का षड्यन्त्र प्रतीत होता है । अतः मैं सम्बन्धित मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं ।

इसका जवाब शायद स्वायत्त शासन मंत्री या सिंचाई मंत्री देंगे ।

सार्वजनिक निर्माण मंत्री के सभा सचिव (श्री धर्मसिंह)--माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में सूचना एकत्र करने के लिये मुझे कुछ समय चाहिये । मैं परसों तक इसका उत्तर दे सकूंगा ।

श्री अध्यक्ष--ठीक है, परसों के लिये मैं इसको रख दूंगा ।

लालपुर, जिला इटावा में छोटे दरोगा द्वारा गोली चलाये जाने से उत्पन्न परिस्थिति के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य

श्री अध्यक्ष--अब, श्री भजनलाल जी ने जो प्रश्न उठाया था ध्यान आकृष्ट करने के लिये, उस पर माननीय गृह मंत्री वक्तव्य देंगे ।

गृह उप-मंत्री (श्री रामस्वरूप यादव)--माननीय अध्यक्ष महोदय, तथ्य इस प्रकार हैं । १७, १८ अगस्त, १९६० की रात्रि में एक गांव शाहपुर बेंडी, थाना अजीतमल में एक डकैती पड़ी । शंकर सिंह जो ग्राम लालपुर, थाना बकेवर, के रहने वाले हैं वह इस डकैती के सम्बन्ध में, समझा गया था कि दोषी हैं । और भी डकैतों के बारे में वहां की पुलिस को जानकारी हुई । एस० ओ० को यह भी खबर मिली कि एक मुनिया नट लालपुर का है, वह भी इस डकैती में शामिल है । उन्होंने सब इन्सपेक्टर, श्री के० एस० त्यागी, को यह आदेश दिया कि वह उनकी तलाशी लें और गिरफ्तार करें क्योंकि डकैती की सूचना के सम्बन्ध में आवश्यक था कि वह तुरन्त ही उस गांव में जायं । इसलिये सब इन्सपेक्टर एक हेड कान्सटेबिल, चार पी० ए० सी० के कान्सटेबिल और चार सिविल के कान्सटेबिल और एक गांव के चौकीदार को लेकर

गये। रास्ते में उन्हें और भी ऐसे गांव के रहने वाले लोग मिले जो सहायता दे सकते थे उनको भी साथ ले लिया। जब वह गांव में पहुंचे तो शंकर सिंह बाहर सो रहा था। पुलिस पार्टी ने उसको तुरन्त जाकर गिरफ्तार कर लिया। शंकरसिंह चिल्लाया जिस पर उसके भाई भिक्खू और उसकी बहन श्याम कुंवरि और जो उसके बहुत से बचाने वाले थे वह आगये और पुलिस दल पर उन्होंने हमला किया। एक शख्स बाकू ने सब इन्सपेक्टर के ऊपर एक कुल्हाड़ी मारी जिससे कि वह बेहोश होकर गिर गये और गांव वालों ने पुलिस के जो और कान्सटेबिल थे उनको मारना शुरू किया और एक कान्सटेबिल को घर में खींच ले गये। जो पुलिस के और लोग रहे, उन्होंने यह खतरा देखकर अपने बचाव के लिये गोली चला दी जिसकी वजह से शंकर सिंह की बहन और एक शख्स माधोसिंह को १२ बोर की बन्दूक के छर्रे लगे उनके हाथ में और कन्धे में। इस गोली चलने के बाद लोग वहां से चले गये। शंकर सिंह भी निकल गया और गिरफ्तारी से छूट गया।

जिन तीनों को चोटें लगीं—सब इंस्पेक्टर, श्याम कुंवरि और माधोसिंह को महेवा अस्पताल इलाज के लिये भेजा गया। डी० एम० और सुपरिन्टेन्डेन्ट आफ पुलिस को जो सूचना प्राप्त हुई तो वे वहां उस अस्पताल में आये और वहां से उन्होंने उन तीनों व्यक्तियों को गाड़ी से इटावा अस्पताल भिजवा दिया जहां उनका इलाज हो रहा है। मैजिस्टीरियल इन्क्वायरी के लिये डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने आदेश दे दिया। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट स्वयं बाद में एक दिन गांव में गये थे और उनसे भी किसी ने यह शिकायत नहीं की कि खेत बर्बाद काटे जा रहे हैं या किसी प्रकार का आतंक है। यह बात जरूर है कि गांव से कुछ लोग चले गये हैं क्योंकि कुछ लोगों के खिलाफ तो नामजद रिपोर्ट है और ३०-३५ आदमी जिन्होंने हमला किया था और दौरान तफतीश ही बताया जा सकता था कि कौन कौन व्यक्ति थे वे अपने को गिरफ्तारी से बचाने के लिये चले गये हैं। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने सूचना दी है कि वैसे तो गांव में सब शांति है कुछ लोग चले गये हैं। शंकर सिंह जिसकी गिरफ्तारी के लिये पुलिस वहां गयी थी उसके खिलाफ सन् १९५९ में भी एक डकैती का अभियोग है। उस सिलसिले में उस पर एक मुकदमा था और सन् ६० में भी ४५७ का एक मुकदमा है। वह १६ अगस्त को जमानत पर छूटा था और हिस्ट्री शीटर है। अस्पताल के सिविल सर्जन को बातचीत से मालूम पड़ता है कि जिनके चोटें लगी हैं उनकी हालत सुधर रही है और कोई विशेष बंधन उन पर नहीं रखा गया, केवल वही बंधन हैं जो अस्पतालों में हुआ करते हैं। जनरल वार्ड में उनका इलाज हो रहा है।

श्री भजनलाल (जिला इटावा)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिस गांव में इंस्पेक्टर पुलिस मय सिपाहियों के पहुंचे वह ग्राम दूसरे थाने से सम्बन्धित है और चूंकि दूसरे थाने के इंस्पेक्टर वहां गिरफ्तारी के लिये पहुंचे तो लोगों ने यह समझ कर कि १२ बजे दिन में लोग वहां डकैती करने आये हैं लोगों ने उनको घेर लिया, जिसकी वजह से गोली चलानी पड़ी और ये व्यक्ति घायल हुये ?

श्री रामस्वरूप यादव—श्रीमन्, वह गांव थाना अजीतमल की सीमा के बिलकुल निकट है और इतना समय नहीं था कि ऐसे व्यक्ति कि जो डकैती में गिरफ्तार किये जाने हैं उनको गिरफ्तार करने के लिये बकेवर थाने में सूचना देकर गिरफ्तारी उनकी करायी जाती। इसलिये उसी जगह पर मौके पर पहुंचना जरूरी समझ कर सब इंस्पेक्टर उसी गांव में गये।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)—क्या जिलाधीश महोदय से गांव में किसी ने शिकायत नहीं की इस कारण कि लोगों ने यह समझा कि अगर कुछ शिकायत करेंगे तो जिन ३०, ३५ के नाम नहीं लिखे गये हैं उनमें हमारा भी नाम लिख दिया जायगा ?

श्री रामस्वरूप यादव—श्रीमन्, उनके मन की बात का क्या उत्तर मैं दे सकता हूं ? लेकिन यह सत्य नहीं है। शिकायत करने का सबको अधिकार है।

श्री गोविंदसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)—क्या मंत्री जी कृपया बतायेंगे कि जिन पुलिस वालों को चोटें आयीं वह कितनी बड़ी चोटें हैं और कितने घंटे बाद उनको दाखिल कराया गया ?

श्री रामस्वरूप यादव—सब इंस्पेक्टर को ११ चोटें हैं जिसमें एक incised आठ को कंट्यूजन्स हैं, ऐबरेजंस हैं। वैसे डाक्टरी रिपोर्ट तो नहीं आ सकी है कि किस वक्त यह घटना हुई और किस वक्त वे अस्पताल में दाखिल हुये, उसके लिये सूचना देना सम्भव नहीं है।

श्री अध्यक्ष—अब कोई सवाल नहीं होंगे।

श्री भजनलाल—मैं पूछ भी नहीं पाया। सिर्फ दो, तीन प्रश्न कर लेने दीजिये।

श्री अध्यक्ष—आपने जो यह प्रश्न किया था उसको मैंने स्वीकार कर लिया था, लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि मैंने दूसरी ही बात समझ कर इसको गलतफहमी में स्वीकार कर लिया था। यह तो आपके स्पष्टीकरण हेतु प्रश्न करते ही मालूम हो गया कि चूंकि दूसरे थाने के पुलिस वाले गांव में गए थे, इसलिये उनकी मार पीट कर दी। जब खुद गांव वालों ने ही पुलिस वालों की मार पीट की तो फिर इस प्रश्न का महत्व रह ही नहीं जाता है।

श्री भजनलाल—मैं एक ही बात पूछना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—आप प्रश्नों के समय प्रश्न के जरिये जो चाहें पूछें। मैं ऐसे प्रश्नों के लिये नियम ५२ में इजाजत नहीं दूंगा।

श्री देवनारायण भारतीय (जिला शाहजहांपुर)—मैं यह जानना चाहता हूं कि एक औरत और एक बच्चे के गोली लगी है, शंकर सिंह या किसी और आदमी के गोली नहीं लगी जिसने थानेदार को मारा ?

श्री अध्यक्ष—उन्होंने बता दिया कि गोली कैसे चली। शंकरसिंह तो पकड़ा गया था, उसको कैसे गोली लगती ?

श्री देवनारायण भारतीय—वह तो भाग गया, पकड़ा नहीं गया।

श्री अध्यक्ष—बाद में भाग गया।

भावी कार्यक्रम के सम्बन्ध में सूचना

श्री अध्यक्ष—मैं एक सूचना देना चाहता हूं। कल यह प्रश्न उठाया गया था कि यह सदन कब से बैठेगा और १९ तारीख को सदन के उठने के बारे में श्री लक्ष्मीरमण आचार्य ने सूचना दी थी, उसमें उन्होंने कारण बताया था कि २३ तारीख तक क्यों सदन नहीं बैठेगा। वह इस प्रकार है—२० तारीख को सर्वपित्री अमावस है और उसके लिये बहुत से लोगों को श्राद्ध वगैरह के लिये जाना होगा। पालीवाल जी ने भी इस बारे में यही इच्छा प्रकट की थी। उसके बाद नवरात्रि शुरू होती है। श्री प्रताप सिंह जी ने यह कहा कि जब उठेंगे ही और १०-१५ दिन बाद ही फिर क्यों बैठेंगे। मैंने आज त्रिलोकी सिंह जी से बातचीत की। मैंने कहा कि जब आप १९ तारीख को बैठक कर रहे हैं तो सर्वपित्री अमावस के लिये उन्नीस की शाम को जाकर तैयारी क्या करेंगे। यह सबके लिये दिक्कत की बात है। मैंने गवर्नमेंट से भी इस बारे में पूछा कि आपने जो १५ तारीख को सेल्सटैक्स बिल रखा है उसको उधर ६ तारीख अक्तूबर को रख दें और १५,१६,१७ को तृतीय पंचवर्षीय योजना पर बहस आरम्भ हो जाय, इस

पर उन्हें क्या आपत्ति है तथा यह भी मैंने उनसे पूछा कि सेल्स टैक्स बिल ३० सितम्बर से पहले तो पास होना जरूरी नहीं है ? उन्होंने कहा कि ३० सितम्बर से पहले उसका पास होना आवश्यक नहीं है। इसलिये इस विधेयक को और विधेयकों के साथ बाद में ले लिया जा सकता है। बहुत से लोगों के तारीख १८ सितम्बर इतवार के दिन के बाहर के प्रोग्राम बन चुके हैं। उन्हें सिर्फ १९ तारीख के लिये लौटना होगा। इसलिये मैंने मुख्य मंत्री जी से यही कहा कि आप १५–१६–१७ को तृतीय योजना पर बहस कर लें और सेल्स टैक्स बिल ६ तारीख को ले लिया जायगा। ६ से चल कर दिवाली से पहले बैठक खत्म हो जायगी। उसमें एक एक रोज के ३–४ विधेयक हैं, वे लिये जायेंगे। कुछ असरकारी दिन भी हैं। दो पहले के हैं और एक नया है। इस प्रकार तीन है। शायद सहकारिता मंत्री अपना बिल ले आयें और ऐसी संभावना है कि वह प्रवर समिति को जायगा। उसके ऊपर आम बहस होगी। २–३ रोज उसमें लग जायेंगे। इसलिये १७ सितम्बर को फिलहाल हम उठ जायेंगे और फिर ६ अक्तूबर को बैठेंगे, यह निश्चय किया है।

२७ जुलाई, १९६० के तारांकित प्रश्न ३०–३१ के अनुपूरक प्रश्न के उत्तर का शोधन

*मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)–अध्यक्ष महोदय, २७ जुलाई, १९६० को श्री मदन पांडेय द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ३०–३१ के सम्बन्ध में पूछे गये इस अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में कि लखनऊ की छोटी छत्तर मंजिल के रख-रखाव की जिम्मेदारी किस पर थी, मैंने कहा था कि "वह संरक्षित स्थानों में नहीं है, न प्रादेशिक सरकार के और न केन्द्रीय सरकार के। लेकिन उसमें प्रादेशिक सरकार के दफ्तर थे इसलिये वह प्रादेशिक सरकार के पास है।" उस उत्तर में कुछ त्रुटि रह गई जो बाद में मालूम हुई। सही उत्तर इस प्रकार है—

छोटी छत्तर मंजिल की इमारत १९२० में (Ancient Monuments Preservation Act, 1904) के अन्तर्गत सुरक्षित घोषित कर दी गई थी, परन्तु सन १९२५ में इसे केन्द्रीय सरकार ने प्रदेशीय सरकार के सुपुर्द कर दिया। इस तरह इस इमारत की देख रेख का भार प्रदेशीय सरकार के ऊपर रहा। इस सबन्ध में प्रदेशीय सरकार पर केवल यह प्रतिबन्ध था कि इस इमारत की पुरातत्व सम्बन्धी विशेषताएं सुरक्षित रखी जायेंगी और केन्द्रीय सरकार के अधिकारी जो राय देंगे उस पर प्रादेशीय सरकार ध्यान देगी।

श्री गोविंदसिंह विष्ट (जिला अल्मोड़ा)—श्रीमन, मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं। आज तक ऐसी परिपाटी रही है कि जो संशोधित उत्तर हों वे छापे जाते थे लेकिन आज इसमें वह दिखाई नहीं पड़ रहा है। क्या यह छपा हुआ है ?

श्री अध्यक्ष—मेरे पास अभी आया था और उन्होंने उसे इतना स्पष्ट कर दिया है कि अगर सदन में थोड़ा शोर वगैरह न होता तो शायद आप अच्छी तरह से समझ भी जाते।

श्री गोविंदसिंह विष्ट—तो क्या यही व्यवस्था रहेगी कि न छापे जायं ?

श्री अध्यक्ष—ऐसी कोई व्यवस्था का सवाल नहीं है। इसके लिये मैंने खास तौर से इजाजत दी थी इसलिए कि शायद दो-तीन रोज के लिये कहीं बाहर चले जायं मुख्य मंत्रीजी या आप अन्य विषयों पर बहस करते रहें और यह रुक जाय, जिससे उत्तर जल्दी आपको मालूम न हो सके। अगर कोई अल्पसूचित प्रश्न आप करना चाहते हैं दो, तीन रोज के अन्दर तो कर सकते हैं इसके बारे में।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् विधेयक, १६६०

खंड ४० (क्रमागत)*

श्री अध्यक्ष—उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् विधेयक के सम्बन्ध में मैंने बहुत कुछ प्रयत्न किया कि माननीय सदस्य अपने कुछ संशोधन वापस ले लें लेकिन एक भी संशोधन वापस लेने की सूचना मेरे पास नहीं आयी है। अब मुझे ही सब शक्ति खर्च करनी पड़ेगी आज के संशोधनों पर राय लेने के लिये। तो पहले तो जिन संशोधनों के ऊपर बहस हो चुकी है उन पर मैं राय लूंगा। उसके ऊपर मैं समझता हूं, अब विवाद नहीं होगा। प्रत्येक संशोधन का नम्बर मैं सुना दूंगा।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)—जो पिछला विवाद हो रहा है, उस धारा के सम्बन्ध में, उस पर तो विवाद खत्म हो जाय।

श्री अध्यक्ष—वह भी समाप्त किया जाता है और मैं उसके ऊपर राय लेना शुरू करता हूं। इसको तो मैं पढ़ूंगा क्योंकि इसके ऊपर बहस हो चुकी है लेकिन उसके बाद मैं नम्बर और नाम बतला दूंगा कि अमुक संशोधन का नम्बर है और माननीय सदस्य का अमुक नाम है। अगर माननीय सदस्य खड़े हो जाते हैं तो मैं समझूंगा कि वे सदन की राय लेना चाहते हैं। तब उसके ऊपर मैं उसी तरह से राय लूंगा नम्बर का संकेत करके ताकि पूरा संशोधन पढ़ना न पड़े और जल्दी राय लेने का कार्य समाप्त हो जाय और तीसरे वाचन के लिये आपको काफी समय मिल सके।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—श्रीमन्, आप जिन संशोधनों को नहीं पढ़ेंगे वे कार्यवाही में छपेंगे या नहीं ?

श्री अध्यक्ष—अवश्य छपेंगे। जब मैं नम्बर और नाम पढ़ दूंगा तो वह पूरा संशोधन कार्यवाही में रहेगा। आज की कार्यवाही में किसी संशोधन का उप-भाग नहीं रखा गया है। सब संशोधन सिलसिलेवार पृथक नम्बर से रखे गये हैं।

अब नम्बर १६४ का संशोधन खंड ४० के ऊपर श्री मोतीलाल अवस्थी जी का उपस्थित हो चुका है, उसको मैं पढ़ कर सुना देता हूं।

प्रश्न यह है कि खंड ४० को निकाल कर उसके स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

"खंड ३६ के उप-खंड (१) के अधीन वह अधिकारी जो उप-खंड (३) में वर्णित अधिकारियों के अतिरिक्त होंगे उनकी उपलब्धियां, सेवा की अन्य शर्तें एवं अर्हतायें एक विशिष्ट सेवा कमीशन द्वारा नियत की जावेंगी जो इस कार्य के लिये पृथक निर्मित किया जावेगा और जिसमें विधान मंडल का भी एक प्रतिनिधि होगा।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ४० के उप-खंड (१) की प्रथम पंक्ति के अन्त में कामा के चिह्न ',' के पश्चात् "कार्याधिकारी" तथा कामा का चिह्न ',' रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ४० के उप-खंड (१) की अन्तिम पंक्ति में निम्नलिखित बढ़ा दिया जाय—

"और उन्हें जिला परिषद् स्वीकार करे।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

---

*१३ सितम्बर, १६६० की कार्यवाही से।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ४० के उपखंड (२) के शब्द "नियत की जाय" के पूर्व शब्द "जिला परिषद् की सम्मति से" जोड़ दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि संशोधित खंड ४० इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ४१–४३

जिला परिषद् के अधीन सरकारी कर्मचारियों की नियुक्ति

४१—(१) तदर्थ बनाये गये किन्हीं नियमों के अधीन रहते हुये राज्य सरकार—

(क) परिषद् की प्रार्थना पर तथा ऐसे समय के लिये और ऐसी शर्तों पर जो परस्पर तय हो जायं, अपने किसी कर्मचारी की सेवाओं को परिषद् को सौप सकती है; तथा

(ख) लिखित आदेश द्वारा समय-समय पर परिषद् से अपेक्षा कर सकती है कि वह या तो किसी सरकारी कार्यालय के सभी कर्मचारियों को या उसके ऐसे कर्मचारियों को जिन्हें वह (राज्य सरकार) नामोद्दिष्ट या नाम निर्दिष्ट करे, ऐसे पदों पर और ऐसी शर्तों पर, जो उक्त आदेश में निर्दिष्ट हों, नियोजित करे और ऐसा होने पर उक्त कर्मचारियों की सेवायें तत्समय परिषद् को सौंपी गई समझी जायंगी :

प्रतिबन्ध यह है कि परिषद् द्वारा इस प्रकार नियोजित सेवक किसी भी समय राज्य सरकार द्वारा वापस बुलाया जा सकता है।

(२) उपधारा (१) में निर्दिष्ट कर्मचारियों के वेतन तथा भत्ते जिलानिधि में से उसी प्रकार दिये जायेंगे मानो वे परिषद् के सेवक हों।

वित्त अधिकारी की नियुक्ति

४२—परिषद् का वित्त अधिकारी नियमों में व्यवस्थित रीति से राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जायगा।

अभियन्ता के तथा कुछ अन्य पदों पर नियुक्ति की रीति

४३—(१) अभियन्ता तथा कर अधिकारी के पदों पर तथा धारा ३९ की उपधारा (२) के अधीन सृजित ऐसे पदों पर, जिनका प्रारम्भिक वेतन दो सौ रुपये प्रतिमास या उससे अधिक हो, नियुक्तियां परिषद् द्वारा राज्य लोक-सेवा आयोग अथवा अन्य ऐसे आयोग अथवा चुनाव बोर्ड के, जिसे राज्य सरकार तदर्थ समस्त परिषदों के लिये अथवा प्रत्येक परिषद् के लिये पृथक रूप से, संघटित करे, (दोनों दशाओं में इसे आयोग कहा गया है) परामर्श से नियत रीति से की जायेगी :

प्रतिबन्ध यह है कि यदि आयोग और परिषद के बीच कोई मतभेद हो तो वह विषय मुख्य कार्याधिकारी द्वारा राज्य सरकार को अभिदिष्ट किया जायगा, जिसका निर्णय अंतिम होगा।

(२) अध्यापकों के, तथा ऐसे किसी अन्य वर्ग के, जो राज्य सरकार निर्दिष्ट करे, पदों को छोड़कर, परिषद् के किसी भी विभाग से प्रत्यक्षतः संबद्ध ऐसे पदों पर, जो नियमों द्वारा निर्दिष्ट हों तथा जिनका प्रारम्भिक वेतन चालीस पया मासिक से कम हो, नियुक्तियां उस विभाग के विभागाध्यक्ष द्वारा की जायंगी और चालीस पया मासिक से कम प्रारम्भिक वेतन वाले अन्य समस्त पदों पर नियुक्तियां मुख्य कार्याधिकारी द्वारा की जायंगी।

(३) इस अधिनियम में अन्यत्र की गयी अन्यथा व्यवस्था के अधीन रहते हुए, उपधारा (१) तथा (२) में वर्णित पदों से भिन्न परिषद् के अधीन पदों पर,

नियुक्तियां धारा ४५ के अधीन संघटित चुनाव समिति के परामर्श से अध्यक्ष द्वारा की जायेंगी :

प्रतिबन्ध यह है कि यदि किसी दशा में अध्यक्ष का यह मत हो कि चुनाव समिति की सलाह अनुचित या अन्याय है तो वह मामले को आयुक्त को अभिविष्ट कर सकता है जिसका उस मामले में निर्णय अंतिम और अध्यक्ष पर बंधनकारी होगा ।

(४) पूर्ववर्ती उपधारा में किसी बात के होते हुए भी :—

(क) यदि राज्य सरकार ने धारा ४१ की उपधारा (१) के अधीन कोई आदेश किया हो; तो वह आदेश अभिभावी होगा, तथा

(ख) राज्य सरकार किसी भी समय परिषद् से अपेक्षा कर सकती है कि वह अपने अधीन किसी रिक्त पद पर, राज्य सरकार के किसी ऐसे कर्मचारी को, जिसने परिषद् की सेवा में स्थानान्तरित किये जाने के लिये अपनी सहमति प्रकट कर दी हो और जो धारा ४० के अधीन उक्त पद के लिये अर्ह हो, नियोजित करे, तथा परिषद् या पूर्वोक्त उप-धाराओं के अधीन नियुक्तियां करने के लिये अधिकृत अन्य प्राधिकारी आयोग या चुनाव समिति को अभिदेश किये बिना ही उस व्यक्ति को उस पद पर अविलम्ब नियोजित कर देगा ।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ४१ से ४३ तक को निम्न प्रकार से रख दिया जाय—

"राज्य सरकार उसकी व्यवस्था करेगी कि प्रादेशिक स्तर पर एक आयोग दो सौ रुपये या इससे अधिक वेतन पाने वालों को चयन करने के लिये जिला परिषद् के प्रतिनिधियों द्वारा बनाये तथा जिला स्तर जिला परिषद् द्वारा एक आयोग ऐसा संगठित करे जो उन कर्मचारियों का चयन करे जो दो सौ रुपये या उससे कम वेतन पाने वाले हों ।

अथवा किसी प्रकार जिला परिषद् क्षेत्र समिति की सेवा में उक्त चुनाव में किसी प्रकार का मतभेद होने पर राज्य स्तर पर लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा जिला स्तर पर मंडल आयुक्त की मध्यस्थता से निर्णय होगा ।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि आज हम यह निश्चय कर लें कि जो यह नियम है कि १ बजे से २ बजे तक राय नहीं ली जाती है, उसको आज के लिए हम स्थगित कर दें। इससे आपको एक घंटा खंडों पर मतदान के लिए मिलने से एक घंटा अधिक थर्ड रीडिंग के लिये मिल जायगा ।

प्रश्न यह है कि खंड ४१ के उपखंड (१) के भाग (क) का आखिरी शब्द "तथा" निकाल दिया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री भीखालाल (जिला उन्नाव)—श्रीमन्, यह नम्बर १६९ पर जो संशोधन छपा है वह गलत छप गया है। मैंने दो संशोधन दिये थे वह दोनों एक ही में छप गये हैं। इसकी पांचवीं लाइन में शब्द "सौंप दी जायं" तक एक संशोधन है और उसके बाद दूसरा है ।

श्री अध्यक्ष—तो शब्द "उपधारा" के पहले "तथा" लिख दिया जाय तो वह ठीक हो जाएगा ।

प्रश्न यह है कि खंड ४१ के उप-खंड (१) के भाग (ख) को बदल कर इस प्रकार रख दिया जाय—

"परिषद् राज्य सरकार से यह अपेक्षा कर सकती है कि उसे आवश्यकता प्रतीत हो वह या तो किसी सरकारी कार्यालय के सभी कर्मचारियों की या उसके ऐसे कर्मचारियों

की सेवायें ऐसे पदों पर और ऐसी शर्तों पर जो परस्पर तय हो जायं परिषद् की प्रार्थना पर उसे सौंप दी जायं।" तथा उपधारा (१) के प्रतिबन्ध की दूसरी लाइन में शब्द "द्वारा" व "वापस" के बीच शब्द "परिषद् के परामर्श से" जोड़ दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ४१ के उप-खंड (१) के भाग (ख) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :

"(ख) उस दशा में जब किसी सरकारी कार्यालय का कार्य किसी जिला परिषद् को संक्रामित हो जाय, लिखित आदेश द्वारा परिषद् से अपेक्षा कर सकती है कि वह ऐसे सरकारी कार्यालय के सभी कर्मचारियों को या उसके ऐसे कर्मचारियों को जिन्हें सरकार नामोद्दिष्ट या नाम निर्दिष्ट करे ऐसे पदों पर और ऐसी शर्तों पर जो उस आदेश में निर्दिष्ट हों नियोजित करे और ऐसा करने पर उक्त कर्मचारियों की सेवायें तत्समय परिषद् को सौंपी गई समझी जायेंगी :

प्रतिबन्ध यह है कि परिषद् द्वारा इस प्रकार नियोजित सेवक किसी भी समय राज्य सरकार द्वारा वापस बुलाया जा सकता है।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ४१ के उप-खंड (१) के भाग (ख) से प्रतिबन्ध को छोड़ कर बाकी सब निकाल दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि संशोधित खंड ४१ विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ४२ के शब्द "राज्य सरकार" के स्थान पर "अध्यक्ष, जिला परिषद्" रख दिया जावे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ४२ में शब्द "राज्य सरकार" के स्थान पर शब्द "परिषद्" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ४२ विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ४३ के उपखंड (१) के प्रारम्भ में शब्द "कार्याधिकारी" जोड़ दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ४३ के उपखंड (१) की पांचवी पंक्ति में शब्द "अथवा प्रत्येक परिषद् के लिये" निकाल दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ४३ के उप-खंड (१) की तीसरी पंक्ति के शब्द "परिषद् द्वारा" से लेकर छठवीं तथा सातवीं पंक्ति के शब्द "रीति से की जायगी" निकाल कर निम्नलिखित रख दिया जाय—

"अध्यक्ष द्वारा जिला परिषद् के परामर्श से की जायगी तथा प्रतिबन्ध हटा दिया जाय"।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ४३ के उप-खंड (१) में शब्द "प्रत्येक परिषद्" के स्थान पर शब्द "किन्हीं परिषदों के समुदाय" रख दिये जांय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ४३ के उप-खंड (२) की दूसरी पंक्ति में शब्द "परिषद् के किसी भी विभाग के प्रत्यक्षतः संबद्ध ऐसे पदों पर, जो नियमों द्वारा निर्दिष्ट हो तथा" के स्थान पर शब्द "परिषद् के नियमों द्वारा निर्दिष्ट किसी विभाग से सम्बद्ध ऐसे पदों पर" रख दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ४३ के उपखंड (२) की चौथी लाइन में प्रयुक्त शब्द "की जायगी" निकाल दिये जांय और अन्तिम लाइन के शब्द "द्वारा" व शब्द "की जांयगी" के बीच में शब्द "अध्यक्ष के परामर्श से" जोड़ दिये जांय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ४३ के उपखंड (४) की वर्तमान मद (ख) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय:

"(ख) राज्य सरकार किसी भी समय किसी परिषद् से यह अपेक्षा कर सकती है कि वह किसी ऐसे सरकारी कर्मचारी को जिसकी सेवायें धारा ४१ की उपधारा (१) के खंड (ख) के अधीन परिषद् को सौंपी गई हो तथा जिसने एतदर्थ अपनी सहमति दे दी हो, अपनी ही सेवा में कर ले और इस प्रकार परिषद् की सेवा में कर लिये जाने पर वह सरकारी कर्मचारी न रह कर परिषद् का सेवक हो जायगा।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ४३ का उप-खंड (४) निकाल दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि संशोधित खंड ४३ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ४४

सेवकों के कुछ वर्गों का केन्द्रीय संक्राम्य संवर्ग

४४—धारा ४१, ४२ तथा ४३ में किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार किसी समय, कार्याधिकारियों, अभियन्ताओं, वित्त अधिकारियों तथा अन्य अधिकारियों का एक केन्द्रीय संक्राम्य संवर्ग बना सकती है और जब कोई ऐसा संवर्ग बना दिया गया हो तो कार्याधिकारियों, अभियन्ताओं, वित्त अधिकारियों या अन्य उपर्युक्त अधिकारियों के पदों पर, जैसी भी दशा हो, नियुक्तियां उक्त संवर्ग के व्यक्तियों में से ऐसी रीति से तथा ऐसी शर्तों पर की जायंगी जो नियमों द्वारा नियत की जायं, तथा इस अधिनियम में अन्यत्र किसी बात के होते हुए भी, ऐसे संवर्ग के लिये व्यक्तियों का चुनाव तथा संवर्ग के अधिकारियों का स्थानान्तरण और दंड नियमों द्वारा विनियमित होंगे।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ४४ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ४५

चुनाव समिति

४५—(१) एक चुनाव समिति होगी जिसमें निम्नलिखित होंगे :—

(क) अध्यक्ष—सभापति।

(ख) मुख्य कार्याधिकारी—सदस्य।

(ग) उस विभाग का अध्यक्ष जिसमें नियुक्ति की जानी है—सदस्य—सचिव :

प्रतिबन्ध यह है कि मुख्य कार्याधिकारी जिस विभाग का विभागाध्यक्ष घोषित कर दिया गया हो उसमें नियुक्ति के संबंध में परामर्श देने के लिये चुनाव समिति उस दूसरे विभाग के अध्यक्ष को जिसका कार्य-समिति निर्देश करे तृतीय सदस्य के रूप में सम्मिलित करेगी।

(२) समिति परामर्श देने में निर्णय बहुमत द्वारा करेगी और समिति के प्रत्येक सदस्य को एक मत देने का अधिकार होगा।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ४५ के उप-खंड (१) में शब्द "निम्नलिखित" और शब्द "होंगे" के बीच में शब्द "सदस्य" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ४५ के उप-खंड (१) के भाग (ख) के स्थान पर निम्न रख दिया जाय :—

"भाग (ख) कार्यसमिति का एक सदस्य जिसे कार्य-समिति प्रतिवर्ष नाम निर्दिष्ट करेगी।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

स्वायत्त शासन उप-मंत्री (श्री जयराम वर्मा)—संशोधन १९५ में कुछ संशोधन मुझे करना है तब स्वीकृत होगा। थोड़ा-सा गलत छप गया है। इसमें से "(ख) तथा दोनों" निकाल दिये जायं।

श्री रामेश्वरप्रसाद (जिला रायबरेली)—मुझे स्वीकार है।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ४५ के उप-खंड (१) के मद (ग) में से शब्द "सदस्य" निकाल दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ४५ के उप-खंड (१) के भाग (ग) के बाद में निम्नलिखित भाग और बढ़ा दिया जाय—

"(घ) परिषद् के दो सदस्य जो परिषद् के सदस्यों में से एकल संक्रमणीय मतदान प्रणाली द्वारा चुने गये हों।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ४५ के उप-खंड (१) का प्रतिबन्ध निकाल दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि संशोधित खंड ४५ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ४६

इस अधिनियम के प्रचलित होने का वर्तमान अधिकारियों तथा सेवकों पर प्रभाव।

४६—(१) समस्त अधिकारी तथा सेवक, जो यूनाइटेड प्राविन्सेज डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ऐक्ट, १९२२ के अधीन संघटित डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के तथा अन्तरिम जिला परिषद् के नियोजन में नियत दिन के ठीक पूर्व हों, धारा ३९ तथा ४३ में किसी बात के होते हुए भी, किन्तु उपधारा (२) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, जिला परिषद् द्वारा नियोजित अधिकारी तथा सेवक हो जायेंगे और जब तक कि धारा ४० के अधीन सृजित पदों पर न नियुक्त न हो जायं, वे उन्हीं वेतनों तथा भत्तों के अधिकारी होंगे जिनके अधिकारी वे उक्त दिन को थे और सेवा की उन्हीं शर्तों के अधीन रहेंगे जिनके अधीन वे उक्त दिन थे।

(२) धारा ४० के अधीन सृजित पदों पर उपधारा (१) में उल्लिखित अधिकारियों तथा सेवकों को नियुक्त करने के संबंध में निम्नलिखित प्रक्रिया का अनुसरण किया जायगा :—

(क) उन पदों पर नियुक्तियां, जिनके लिये धारा ४३ की उपधारा (१) के अधीन राज्य सेवाआयोग का परामर्श लेना आवश्यक है, उक्त उपधारा के उपबन्धों के अनुसार की जायेंगी;

(ख) अन्य पदों पर नियुक्तियां अध्यक्ष द्वारा की जायेंगी किन्तु राज्य सरकार द्वारा तदर्थ दिये गये किन्हीं सामान्य या विशेष निदेशों के अनुसार ही;

(ग) यदि किसी पद के लिये पूर्वोक्त अधिकारियों तथा सेवकों में से कोई उपयुक्त व्यक्ति उपलब्ध न हो, तो उस पद पर नियुक्ति इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन बाहर से की जा सकती है; और

(घ) यदि उपर्युक्त कोई अधिकारी या सेवक जिला परिषद् द्वारा सृजित किसी पद के लिये उपयुक्त न पाया जाय या वह उस पद को, जिस पर उसे नियुक्त किया जाय, इस आधार पर अस्वीकार कर दे कि उस पद से सम्बद्ध वेतन या वेतन का कालमान उसके वर्तमान वेतन या वेतन के कालमान से कम है, तो उसकी सेवा ऐसे नोटिस के पश्चात् तथा उन शर्तों पर समाप्त कर दी जायगी जिनका अधिकारी वह उस दशा में होता, जब कि इस अधिनियम के पारित हुए बिना ही उसका पद समाप्त कर दिया जाता।

(३) पूर्वोक्त जिला बोर्ड या अन्तरिम जिला परिषद् के अधीन किसी ऐसे अधिकारी या सेवक द्वारा की गई सेवा, छुट्टी, पेंशन और उपदान या भत्ता दिये जाने के प्रयोजनों के लिये, परिषद् के अधीन की गई सेवा समझी जायगी।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ४६ के उप-खंड (१) की तीसरी पंक्ति में शब्द "नियत दिन" के स्थान पर शब्द "निश्चित दिनांक" रख दिया जाय और सातवीं तथा आठवीं पंक्ति में शब्द "उक्त दिन को" तथा शब्द "उक्त दिन" के स्थान पर शब्द "उक्त दिनांक के ठीक पहिले" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ४६ के उपखंड (१) की छठवीं पंक्ति में शब्द "पदों पर" तथा शब्द "नियुक्ति" के बीच का शब्द "न" निकाल दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ४६ के उप-खंड (१) के अन्त में निम्न बढ़ा दिया जाय—

"परन्तु किसी भी दशा में उक्त प्रकार के किसी अधिकारी तथा सेवक को मासिक वेतन के रूपमें पचहत्तर रुपये से कम नहीं मिलेगा और भविष्य में भी इसमें कमी नहीं होगी।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ४६ के उप-खंड (२) के भाग (क) में से शब्द "राज्य सेवा" निकाल दिये जांय तथा मद (घ) में शब्द "जिला परिषद् द्वारा सृजित किसी पद के लिये उपर्युक्त न पाया जाय या वह" निकाल दिये जांय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ४६ के उपखंड (२) के भाग (घ) के पश्चात् निम्नलिखित भाग (ङ) तथा (च) के रूप में जोड़ दिया जाय:

"(ङ) खंड (क) तथा (ख) के अधीन नियुक्तियां करने में अधिकारियों तथा सेवकों के सेवा काल तथा अनुभव का यथोचित ध्यान रखा जायगा, और

(च) कोई अधिकारी अथवा सेवक जो ऐसे पद पर नियुक्त किया जाय जिसका वेतन या वेतन का कालमान उसके वर्तमान वेतन या वेतन के कालमान से कम हो, उस आदेश के दिनांक से जिसके द्वारा उसे उक्त पद पर नियुक्त किया जा रहा हो तीस दिन के भीतर राज्य सरकार को अभ्यावेदन दे सकता है और उस दशा में राज्य सरकार का निर्णय अंतिम तथा बंधनकारी होगा।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि संशोधित खंड ४६ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ४७

कुछ पदों पर स्थानापन्न तथा अस्थायी नियुक्तियां।

४७—धारा ४६ में किसी बात के होते हुए भी, धारा ४३ की उपधारा (१) तथा (३) में उल्लिखित पदों पर स्थानापन्न तथा अस्थायी नियुक्तियां, उन उपधाराओं में निर्दिष्ट नियुक्ति-प्राधिकारियों द्वारा आयोग या चुनाव समिति के परामर्श के बिना की जा सकती हैं, किन्तु यथास्थिति आयोग से परामर्श किये बिना अथवा चुनाव समिति के परामर्श से अन्यथा उक्त कोई नियुक्ति एक वर्ष से अधिक नहीं चलेगी।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ४७ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ४८

क्षेत्र समितियों के अधिकारी तथा सेवक

४८—(१) अन्य उपधाराओं के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, प्रत्येक क्षेत्र समिति इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों का संपादन कर सके इस उद्देश्य से उसमें नियोजित किये जाने वाले अधिकारियों और सेवकों की अर्हतायें, वेतन-क्रम, संख्या तथा सेवा की शर्तें वही होंगी जो राज्य सरकार निर्दिष्ट करे।

(२) उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिले के विकास खंडों में तत्समय नियोजित अधिकारियों तथा कर्मचारियों की सेवायें ऐसी शर्तों पर क्षेत्र समितियों के सिपुर्द कर दी जायंगी जो राज्य सरकार निर्दिष्ट करे:

प्रतिबन्ध यह है कि राज्य सरकार किसी समय यह निदेश दे सकती है कि जिला परिषद् विकास खंडों में सम्प्रति नियोजित सेवकों के किसी वर्ग के संबंध में जिला

संवर्ग संघटित करेगी और उपधारा (३) में की गयी व्यवस्था के अनुसार उस संवर्ग के सदस्यों की सेवायें क्षेत्र समितियों के सिपुर्द कर देगी ।

(३) जिला परिषद् प्रत्येक क्षेत्र समिति के लिये, उपधारा (२) में उल्लिखित कर्मचारियों के अतिरिक्त अपेक्षित सभी कर्मचारियों की व्यवस्था करेगी जिससे कि वह इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों का संपादन कर सके और ऐसे सभी कर्मचारियों की सेवायें क्षेत्र समिति को ऐसी शर्तों पर सिपुर्द की गयी समझी जायंगी, जो राज्य सरकार निर्दिष्ट करे ।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ४८ के उपखंड (१) के अन्त में निम्न बढ़ा दिया जाय :

"परन्तु किसी भी कर्मचारी को जीवन निर्वाह योग्य फारमूला के अनुसार वेतन से कम नहीं मिलेगा ।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ४८ इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड ४९

प्रत्येक क्षेत्र समिति के क्षेत्र संचालक

४९—(१) प्रत्येक क्षेत्र समिति का एक क्षेत्र संचालक होगा ।

(२) खंड विकास अधिकारी, जिसकी सेवायें तत्समय क्षेत्र समिति के सिपुर्द कर दी गई हों, क्षेत्र समिति का क्षेत्र संचालक होगा ।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ४९ के उपखंड (१) में शब्द "क्षेत्र संचालक" के स्थान पर शब्द "खंड अधिकारी" रख दिये जांय तथा विधेयक में अन्यत्र जहां भी शब्द "क्षेत्र संचालक" आया हो उसके स्थान पर शब्द "खंड अधिकारी" रख दिये जांय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है संशोधित खंड ४९ इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड ५०

जिला परिषदों तथा क्षेत्र समितियों के अधिकारियों तथा अन्य सेवकों के अधिकार, कृत्य और कर्त्तव्य

५०—(१) जिला परिषदों तथा क्षेत्र समितियों के अधिकारियों तथा अन्य सेवकों के अधिकार, कृत्य और कर्त्तव्य वे होंगे जिनकी व्यवस्था इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन, किसी अन्य अधिनियम द्वारा या उसके अधीन तथा नियमों द्वारा की जाय ।

(२) उपधारा (१) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, जिला परिषद् के विभागाध्यक्ष, अपने-अपने विभागों में काम करने वाले अधिकारियों तथा अन्य सेवकों की दशा में, और मुख्य कार्याधिकारी, अन्य अधिकारियों तथा सेवकों की दशा में उन्हें अधिकार, कृत्य तथा कर्त्तव्य सौंप सकता है, और क्षेत्र संचालक उस क्षेत्र समिति में, जिसका कि वह क्षेत्र संचालक हो, नियोजित अधिकारियों तथा अन्य सेवकों को अधिकार, कर्त्तव्य तथा कृत्य सौंप सकता है ।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ५० इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड ५१

जिला परिषद के अधिकारियों तथा सेवकों पर नियंत्रण

५१—(१) मुख्य कार्याधिकारी, जिला परिषद् के सामान्य नियंत्रण के अधीन रहेगा ।

(२) मुख्य कार्याधिकारी का परिषद् में नियोजित—किन्तु वित्त अधिकारी के अतिरिक्त—समस्त अधिकारियों एवं सेवकों पर, सामान्य नियंत्रण रहेगा ।

(३) परिषद् का वित्त अधिकारी पर सामान्य नियंत्रण रहेगा ।

(४) विभागाध्यक्षों का, अपने-अपने विभागों में काम करने वाले अधिकारियों तथा सेवकों पर सीधा नियंत्रण रहेगा ।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ५१ के उपखंड (१) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :—

"(१) (क) जिला परिषद् मुख्य कार्याधिकारी पर ऐसा नियंत्रण रखेगी जो नियत किया जाय तथा अध्यक्ष को यह अधिकार होगा कि वह प्रति वर्ष मुख्य कार्याधिकारी के कार्य तथा आचरण के बारे में अपनी समीक्षा उस प्राधिकारी को भेजे जिससे यह अपेक्षित हो कि वह मुख्य कार्याधिकारी के सरकारी कर्मचारी के रूप में कार्य और आचरण के विषय में नियतकालिक प्रविष्टियां अभिलिखित करे ।

(ख) पूर्वोक्त प्राधिकारी प्रविष्टि अभिलिखित करने में अध्यक्ष की समीक्षा को ध्यान में रखेगा किन्तु यदि उसकी यह राय हो कि समीक्षा समुपयुक्त नहीं है तो वह मामले को राज्य सरकार को अभिदिष्ट करेगा और प्रविष्टि के विषय में राज्य सरकार का निर्णय अन्तिम होगा ।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ५१ के उप-खंड (१) का शब्द "सामान्य" निकाल कर उसकी जगह शब्द "सीधा" रख दिया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ५१ में शब्द "सामान्य" निकाल दिया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ५१ के उप-खंड (३) में शब्द "सामान्य" की जगह शब्द "सीधा" रख दिया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि संशोधित खंड ५१ इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड ५२–५३

क्षेत्र समितियों के अधिकारियों तथा सेवकों पर नियंत्रण

५२—(१) क्षेत्र समिति का संचालक पर सामान्य नियंत्रण रहेगा।

(२) क्षेत्र समिति में नियोजित समस्त अन्य अधिकारी तथा सेवक, क्षेत्र संचालक के सामान्य नियंत्रण के अधीन काम करेंगे।

(३) क्षेत्र समिति के अधिकारी और अन्य सेवक ऐसे सीधे नियंत्रण के अधीन काम करेंगे जो राज्य सरकार निर्दिष्ट करे।

(४) क्षेत्र समिति में नियोजित अधिकारियों तथा अन्य सेवकों का स्थानान्तरण तथा उनकी चरित्र पुस्तिका में नियतकालिक प्रविष्टियों का अभिलेखन और उन्हें आकस्मिक अवकाश का दिया जाना, राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये आदेशों द्वारा शासित होंगे।

जिला परिषद् तथा क्षेत्र समिति के सेवकों को दंड

५३—जिला परिषद् या किसी क्षेत्र समिति में नियोजित अधिकारियों तथा अन्य सेवकों को दंड—जिसके अन्तर्गत दंड के आदेशों के विरुद्ध अपील, अपील में दिये गये आदेशों के पुनरीक्षण का अधिकार (यदि कोई हो), और जांच होने तक निलम्बन भी है—नियमों द्वारा विनियमित होगा :

प्रतिबन्ध यह है कि वह प्राधिकारी जिसे, किसी अधिकारी या सेवक को पदच्युत करने, सेवा से हटाने या पंक्तिच्युत करने का अधिकार दिया जाय, ऐसे अधिकारी या सेवक के पद के नियुक्ति—प्राधिकारी से निम्न पद का न होगा :

द्वितीय प्रतिबन्ध यह है कि उन कर्मचारियों की दशा में, जिनकी नियुक्ति राज्य लोक सेवा आयोग के परामर्श से करना अपेक्षित हो, दण्ड देने वाले प्राधिकारी के लिये किसी ऐसे कर्मचारी को पदच्युत करने, हटाने या पंक्तिच्युत करने का आदेश देने के पहले आयोग से नियत रीति से परामर्श करना आवश्यक होगा।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ५२ के उपखंड (१) में शब्द "सामान्य" की जगह पर शब्द "सीधा" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ५२ के उपखंड (१) में शब्द "सामान्य" निकाल दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ५२ के उपखंड (१) के अन्त में निम्नलिखित बढ़ा दिया जाय—

"और उस नियंत्रण समिति के सभी अधिकारियों व सेवकों की चरित्र पुस्तिका में प्रमुख को अभिलेखन करने का तथा निलम्बन करने का अधिकार होगा।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ५२ के उपखंड (३) में शब्द "सेवक" और शब्द "ऐसे" के बीच शब्द "क्षेत्र समिति के" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ५२ और ५३ इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ५४–५५

राज्य सरकार का नियुक्ति आदि करने का अधिकार

५४—(१) जब धारा ४३ में निर्दिष्ट कोई प्राधिकारी, उचित समय के भीतर, धारा ३९ में निर्दिष्ट या उसके अधीन सृजित किसी पद पर, धारा ४३ में व्यवस्थित रीति से या धारा ४१ की उपधारा (१) के खंड (ख) के अधीन दिये गये आदेश के अनुसरण में नियुक्ति न करे, तो राज्य सरकार उस प्राधिकारी को नियुक्त करने तथा, यदि आवश्यक हो तो, आयोग से परामर्श करने का समुचित अवसर देने के पश्चात् स्वयं उस पर नियुक्ति कर सकती है और ऐसी नियुक्ति इस अधिनियम के अनुसार की गई समझी जायगी।

(२) यदि जिला परिषद्, धारा ४८ की उपधारा (३) के अधीन किसी क्षेत्र समिति के लिये कर्मचारी की व्यवस्था न करे तो राज्य सरकार जिला परिषद् के कर्मचारियों में से ऐसे कर्मचारियों की व्यवस्था कर सकती है, और ऐसे कर्मचारी उक्त उपधारा के अधीन क्षेत्र समिति में प्रतिनियुक्त (placed on deputation) समझे जायंगे।

परिषद् या क्षेत्र समिति के समस्त अधिकारी तथा सेवक लोक-सेवक होंगे

५५—परिषद् या क्षेत्र समिति में नियोजित प्रत्येक अधिकारी या सेवक, इंडियन पीनल कोड, १८६० के अर्थ में लोक-सेवक समझा जायगा तथा उक्त कोड की धारा १६१ में (legal remuneration) की परिभाषा में प्रयुक्त शब्द (government) में, इस धारा के प्रयोजनार्थ, परिषद् तथा क्षेत्र समिति भी सम्मिलित समझी जायगी।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ५४ के उपखंड (१) की पंक्ति ५ में शब्द "यदि आवश्यकता हो तो" निकाल दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ५४ और ५५ इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड ५६

जिला परिषदों के अधिकारों का प्रयोग

५६—(१) अनुसूची ४ के दूसरे स्तम्भ में निर्दिष्ट अधिकारों, कर्त्तव्यों तथा कृत्यों का, सिवाय उनके जिनके सामने उक्त अनुसूची के तीसरे स्तम्भ में कोई प्रविष्टि की गई है जिला परिषद् द्वारा अपनी बैठक में संकल्प पारित करके ही प्रयोग किया जा सकता है और सम्पादन किया जायेगा, अन्यथा नहीं।

(२) जिला परिषद् के निम्नलिखित अधिकारों, कर्त्तव्यों तथा कृत्यों का प्रयोग तथा संपादन जिला परिषद् के अध्यक्ष द्वारा किया जायगा, अन्यथा नहीं, अर्थात्—

(क) जिला परिषद् के उन सेवकों की, जिनका धारा ४३ के अधीन नियुक्ति प्राधिकारी जिला परिषद् है, सेवा, छुट्टी, वेतन, भत्ते तथा अन्य विशेषाधिकार के विषय में उठने वाले प्रश्नों का इस अधिनियम के उपबन्धों तथा तदर्थ किन्हीं विनियमों के अनुसार समाधान;

(ख) विवरण-पत्र, लेखे, प्रतिवेदन तथा लेख्यों की प्रतिलिपियां, जिला परिषद् अथवा उसकी किसी समिति द्वारा पारित संकल्पों की प्रतिलिपियां या इस अधिनियम के अधीन प्रस्तुत किये जाने के लिये अपेक्षित प्रस्ताव एवं आपत्तियां नियत प्राधिकारी, जिला मजिस्ट्रेट या राज्य सरकार को प्रस्तुत करना;

(ग) अनुसूची ४ के दूसरे स्तम्भ में उल्लिखित वे अधिकार, कर्त्तव्य तथा कृत्य जिनका उस अनुसूची के तीसरे स्तम्भ के अधीन अध्यक्ष द्वारा प्रयोग या संपादन अपेक्षित हो अथवा जो धारा ५७ के अधीन जिला परिषद् द्वारा अध्यक्ष को प्रतिनिहित किये जायं;

(घ) जिला परिषद् के अन्य समस्त कर्त्तव्य, अधिकार तथा कृत्य जिनका संकल्प द्वारा प्रयोग या संपादन व्यक्त रूप से अपेक्षित न हो और जो

अनुसूची ४ के दूसरे स्तम्भ में निर्दिष्ट न किये गये हों तथा जो धारा ५७ के अधीन जिला परिषद् द्वारा अध्यक्ष से भिन्न किसी प्राधिकारी को प्रतिनिहित न किये गये हों।

(३) अनुसूची ५ के दूसरे स्तम्भ में निर्दिष्ट अधिकारों, कर्तव्यों और कृत्यों का प्रयोग या संपादन मुख्य कार्याधिकारी द्वारा परिषद् की ओर से किया जायगा, अन्यथा नहीं।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ५६ के उप-खंड (२) तथा (३) में से शब्द "अन्यथा नहीं" निकाल दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि संशोधित खंड ५६ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड ५७

जिला परिषद् द्वारा अधिकारों का प्रतिनिधान

५७—(१) जिला परिषद्, किसी ऐसे अधिकार, कर्त्तव्य या कृत्य को छोड़ कर जो—

(क) अनुसूची ४ के दूसरे स्तम्भ में निर्दिष्ट हो और जिसके सामने या तो तीसरे स्तम्भ में कोई प्रविष्टि न हो या तीसरे स्तम्भ में की गई प्रविष्टि द्वारा यह अपेक्षित हो कि उक्त अधिकार, कर्त्तव्य या कृत्य का प्रयोग या संपादन किसी विशिष्ट अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा किया जाय;

(ख) धारा ५६ की उपधारा (२) के खण्ड (क) तथा (ख) द्वारा अथवा धारा ५८ द्वारा अध्यक्ष के लिये रक्षित हो अथवा उसको सौंपा गया हो; तथा

(ग) धारा ७६ के अधीन जिला परिषद् के मुख्य कार्याधिकारी के लिये रक्षित हो;

समस्त अथवा किन्हीं अधिकारों, कर्तव्यों या कृत्यों को जो इस अधिनियम के अधीन उसे दिये गये हों, या उस पर आरोपित किये हों, या उसको सौंपे गये हों, विनियम द्वारा प्रतिनिहित कर सकती है :

प्रतिबन्ध यह है कि यदि अनुसूची ४ के दूसरे स्तम्भ में निर्दिष्ट कोई अधिकार, कर्त्तव्य अथवा कृत्य उसके सामने तीसरे स्तम्भ में की गई प्रविष्टि के अधीन किसी निर्दिष्ट अधिकारी या प्राधिकारी को ही प्रतिनिहित किया जा सकता हो तो ऐसा अधिकार, कर्तव्य अथवा कृत्य केवल उसी अधिकारी या प्राधिकारी को प्रतिनिहित किया जा सकता है।

(२) उपधारा (३) की व्यवस्था के अधीन रहते हुये, जिला परिषद् किसी ऐसे अधिकार, कर्तव्य या कृत्य का जिसे उसने उपधारा (१) के अधीन प्रतिनिहित किया हो स्वयं प्रयोग या संपादन न करेगी और न उसके प्रयोग या संपादन में हस्तक्षेप करेगी।

(३) उपधारा (१) के अधीन जिला परिषद् द्वारा किसी अधिकार, कर्तव्य या कृत्य का प्रतिनिधान इस शर्त के अधीन किया जा सकता है कि ऐसे प्रतिनिधान के अनुसरण में दिये गये समस्त अथवा किन्हीं आदेशों के विरुद्ध अपील निर्दिष्ट अवधि के भीतर जिला परिषद् को की जा सकेगी या निर्दिष्ट अवधि के भीतर जिला परिषद् द्वारा उसका पुनरीक्षण किया जा सकेगा।

(४) इस धारा के पूर्वगामी उपबन्धों में किसी बात से यह न समझा जायगा कि वह जिला परिषद् की किसी समिति के किसी संकल्प के, इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन तदर्थ यथाविधि प्राधिकृत किसी अभिकरण द्वारा कार्यान्वय पर कोई रोक लगाती है अथवा जिला परिषद् के किसी सेवक को उसके सेवा-क्षेत्र के भीतर कार्य करने से रोकती है।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ५७ के उप-खंड (१) के भाग (ग) में "धारा ७६" के स्थान पर "धारा ७८" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि संशोधित खंड ५७ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ५८

५८—अध्यक्ष का यह कर्त्तव्य होगा कि वह— अध्यक्ष के कर्तव्य

(क) जब तक इस अधिनियम द्वारा अन्यथा व्यवस्थित न हो अथवा यथोचित कारण से वह ऐसा न कर सके—

(१) जिला परिषद् तथा उसकी उन समितियों की, जो तदर्थ नियत की जायं, सभी बैठकों को बुलाये और उनकी अध्यक्षता करे;

(२) जिला परिषद् की सभी बैठकों में कार्य के संपादन को तदर्थ बनाये गये किसी विनियम के अनुसार अन्यथा नियंत्रित करे;

(ख) परिषद् के वित्तीय प्रशासन पर दृष्टि रखे तथा कार्यपालक प्रशासन का अधीक्षण करे तथा यदि उसमें कोई त्रुटि हो तो उसकी ओर परिषद् का ध्यान आकृष्ट करे; तथा

(ग) किन्हीं ऐसे अन्य कर्त्तव्यों का संपादन करे जो इस अधिनियम अथवा उसके अधीन बनाये गये नियमों अथवा तत्समय प्रचलित किसी अन्य विधि के अधीन उससे अपेक्षित हों अथवा उस पर आरोपित किये जायं।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ५८ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ५९–६०

५९—(१) जिला परिषद् का अध्यक्ष, सामान्य अथवा विशेष आदेश द्वारा, उपाध्यक्ष अथवा मुख्य कार्याधिकारी को अधिकार दे सकता है कि वह धारा ५८ के खंड (क) तथा (ख) में निर्दिष्ट अधिकारों, कर्त्तव्यों तथा कृत्यों से भिन्न अध्यक्ष के अधिकारों, कर्त्तव्यों अथवा कृत्यों में किसी एक या अधिक का, उसके सामान्य पथ-प्रदर्शन के अधीन, प्रयोग या संपादन करे। अध्यक्ष द्वारा उपाध्यक्ष तथा मुख्य कार्याधिकारी को प्रति-निधान।

(२) उपधारा (१) के अधीन अध्यक्ष द्वारा दिये गये आदेश में किसी अधिकार के प्रयोग, कर्त्तव्य अथवा कृत्य के संपादन के सम्बन्ध में कोई शर्त नियत की जा सकती है तथा कोई निबन्धन लगाया जा सकता है।

६०—उपाध्यक्ष— उपाध्यक्ष के कर्तव्य।

(क) अध्यक्ष की अनुपस्थिति में जिला परिषद् की बैठकों की अध्यक्षता करेगा, सिवाय उस दशा के जब वह उचित कारणवश ऐसा न कर सके,

तथा किसी बैठक की अध्यक्षता करते समय अध्यक्ष के समस्त कर्त्तव्यों तथा कृत्यों का संपादन करेगा तथा उसके समस्त अधिकारों का प्रयोग कर सकता है;

(ख) अध्यक्ष का पद रिक्त होने की दशा में अथवा तुरन्त आवश्यकता की दशा में, अथवा अध्यक्ष की अस्थायी अनुपस्थिति या असमर्थता की दशा में अध्यक्ष के किसी अन्य कर्त्तव्य या कृत्य का संपादन और किसी अन्य अधिकार का प्रयोग करेगा;

(ग) किसी भी समय, धारा ५९ के अधीन अध्यक्ष द्वारा उसको प्रतिनिहित किसी कर्तव्य या कृत्य का संपादन या, अवसर आ पड़ने पर, किसी अधिकार का प्रयोग करेगा;

(घ) अध्यक्ष की अनुपस्थिति में कार्य समिति की बैठकों की अध्यक्षता करेगा, सिवाय उस दशा के जब वह उचित कारणवश ऐसा न कर सके, तथा किसी बैठक में अध्यक्षता करते समय अध्यक्ष के समस्त कर्तव्यों का संपादन करेगा तथा उसके समस्त अधिकारों का प्रयोग कर सकता है :

प्रतिबन्ध यह है कि खंड (घ) की दशा में, जब अध्यक्ष अपने पद पर हो तो, ऐसे अधिकारों का प्रयोग तथा ऐसे कर्त्तव्यों और कृत्यों का संपादन जो तदर्थ निर्मित नियमों में निर्दिष्ट हैं, कार्य समिति के पूर्व अनुमोदन के अधीन होगा।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ५९ और ६० इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ६१

जिला परिषद् की बैठकें

६१—(१) कार्य सम्पादन के लिये, प्रत्येक त्रिमास में जिला परिषद् की कम से कम एक बार बैठक होगी।

(२) अध्यक्ष, अथवा जिले से उसकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष, जब कभी भी वह उचित समझे, जिला परिषद् की बैठक बुला सकता है तथा जिला परिषद् के सदस्यों के कम से कम पंचमांश के लिखित अधियाचन पर, जो अध्यक्ष पर तामील किया जा चुका हो अथवा प्राप्ति-पत्र सहित रजिस्ट्री डाक (रजिस्टर्ड ए० डी०) द्वारा जिला परिषद् को उसके कार्यालय के पते पर भेजा जा चुका हो, ऐसे अधियाचन की तामील या प्राप्ति के दिनांक से एक महीने के भीतर परिषद् की बैठक अवश्य बुलायेगा।

(३) कोई बैठक आगामी अथवा किसी बाद के दिन के लिये स्थगित की जा सकती है, तथा कोई स्थगनोपरान्त बैठक उसी रीति से फिर स्थगित की जा सकती है।

(४) प्रत्येक बैठक परिषद् के कार्यालय में अथवा किसी ऐसे अन्य सुविधापूर्ण स्थान में, जिसकी सम्यक् रूप से सूचना दे दी गयी हो, की जायगी।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ६१ के उप-खंड (१) में शब्द "त्रिमास" के स्थान पर "मास" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ६१ के उप-खंड (१) में शब्द "प्रत्येक त्रिमास" के स्थान पर शब्द "प्रति दो मास" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि संशोधित खंड ६१ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ६२

बैठकों की प्रक्रिया आदि

६२—जिला परिषद् की बैठकों से संबद्ध निम्नलिखित विषय नियमों द्वारा शासित होंगे: —

(क) बैठकों में कार्य का सम्पादन,

(ख) कार्य के संपादन के लिए गणपूर्ति,

(ग) अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में बैठक की अध्यक्षता,

(घ) सदस्यों द्वारा प्रश्न पूछना,

(ङ) बैठक की सूचना,

(च) बैठक में व्यवस्था बनाये रखना,

(छ) मत द्वारा निर्णय,

(ज) वृत पुस्तिका (minute book) तथा संकल्प,

(झ) सरकारी कर्मचारियों, राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत व्यक्तियों तथा अन्य व्यक्तियों का चर्चाओं में उपस्थित होने तथा भाग लेने का अधिकार;

(ञ) जिला परिषद् का राज्य सरकार के कर्मचारियों से अपनी बैठकों में उपस्थित होने की अपेक्षा करने का अधिकार;

(ट) बैठकों के सम्बन्ध में परिषद् के अधिकारियों का अधिकार;

(ठ) जिला परिषद् का मुख्य कार्याधिकारी से प्रतिवेदन, विवरणी आदि की अपेक्षा करने का अधिकार; तथा

(ड) अन्य आनुषंगिक विषय जिनके नियत किये जाने की आवश्यकता हो या जिन्हें नियत किया जाना चाहिए।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ६२ के उपखंड (झ) तथा (ट) को निकाल दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ६२ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ६३

जिला योजनाएं तैयार करना

६३—(१) जब जिला परिषद् जिले के लिए विकास योजना तैयार करना चाहे या राज्य सरकार उससे ऐसा करने की अपेक्षा करे तो कार्य समिति नियत रीति से योजना तैयार करेगी और मुख्य कार्याधिकारी उस योजना को नियोजन समिति के समक्ष रखेगा, जो उसके सम्बन्ध में ऐसी सिफारिशें कर सकती है जो वह उचित समझे।

(२) तत्पश्चात् अध्यक्ष योजना को नियोजन समिति की सिफारिशों के सहित (यदि कोई हों) जिला परिषद् के समक्ष रखेगा, जो उस पर विचार करेगी और योजना को ऐसे रूप में अनुमोदित करेगी जो वह उचित समझे।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ६३ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

"जब जिला परिषद् जिले के लिए विकास योजना तैयार करना चाहे या राज्य सरकार उससे ऐसा करने की अपेक्षा करे तो नियोजन समिति नियत रीति से योजना तैयार करेगी और इस प्रकार तैयार की गयी योजना को अध्यक्ष जिला परिषद् के समक्ष रखेंगे, जो उस पर विचार करेगी और योजना को ऐसे रूप में अनुमोदित करेगी जो वह उचित समझे।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ६३ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ६४-६५

जिला परिषद् की समितियां

६४—(१) परिषद्, धारा २२ के अधीन संघटित या पुनः संघटित हो जाने के पश्चात्, यथाशक्य शीघ्र, ऐसी रीति से तथा ऐसे कर्तव्यों के संपादन के निमित्त, जिनकी व्यवस्था आगे की गई है, निम्नलिखित समितियां नियुक्त करेगी :

(क) कार्य-समिति;
(ख) वित्त समिति;
(ग) शिक्षा समिति;
(घ) सार्वजनिक निर्माण समिति; और
(ङ) जन-स्वास्थ्य समिति।

(२) इस अधिनियम में निर्दिष्ट कृत्यों का संपादन करने के लिए परिषद् की एक नियोजन समिति भी होगी और उसमें निम्नलिखित व्यक्ति होंगे :—

(क) अध्यक्ष, जो सभापति होगा;
(ख) उपाध्यक्ष, जो उप-सभापति होगा;
(ग) मुख्य कार्याधिकारी, जो समिति का सचिव होगा; और
(घ) जिला स्तर के समस्त अधिकारी।

अन्य समितियों की नियुक्ति

६५—(१) नियमों द्वारा तदर्थ नियत किन्हीं शर्तों के अधीन रहते हुये परिषद् विनियमों द्वारा समस्त जिले अथवा उसके किसी भाग में किन्हीं निर्दिष्ट कर्त्तव्यों अथवा कर्त्तव्यों के वर्ग पालन करने में अपनी सहायता के लिये कोई अन्य समितियां स्थापित कर सकती हैं और राज्य सरकार द्वारा ऐसी अपेक्षा की जाने पर उन्हें अवश्य स्थापित करेगी। परिषद् उक्त किसी समिति को अपने ऐसे समस्त अथवा कोई अधिकार प्रतिनिहित कर सकती है जो उक्त सहायता के प्रयोजन के लिये आवश्यक हों।

(२) उपधारा (१) में उल्लिखित समितियों के अतिरिक्त परिषद्, समय-समय पर, संकल्प द्वारा किसी ऐसे विषय की, जिसके सम्बन्ध में इस अधिनियम द्वारा अथवा उसके अधीन परिषद् का निर्णय अपेक्षित हो, जांच करने तथा उस पर प्रतिवेदन देने के प्रयोजन के लिये अपने सदस्यों में से एक या अधिक परामर्श समितियां नियुक्त कर सकती है।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ६४ के उपखंड (१) के भाग (ङ) के अन्त में नये भाग "च", "छ", "ज" बढ़ा दिया जाय—

(च) कृषि समिति,
(छ) रक्षा समिति,
(ज) नियोजन समिति।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ६४ के उपखंड (२) के भाग (घ) के अन्त में नये भाग (ङ) तथा (च) निम्नलिखित रूप से जोड़ दिये जायं :—

"(ङ) लोक सभा तथा राज्य विधान सभा के वे समस्त सदस्य जिनके निर्वाचन क्षेत्रों में जिले का कोई भाग सम्मिलित हो तथा राज्य सभा एवं राज्य विधान परिषद् के वे समस्त सदस्य जिनका निवास-स्थान जिले में स्थित हो।"

"(च) जिला परिषद् के पांच सदस्य, जो परिषद् के सदस्यों में से एक एकल संक्रमणीय मतदान प्रणाली द्वारा चुने जायं।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ६४ और ६५ इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ६६

कार्य समिति का संघटन

६६—(१) कार्य-समिति में निम्नलिखित व्यक्ति होंगे :—

(क) अध्यक्ष;

(ख) उपाध्यक्ष;

(ग) धारा ६४ की उपधारा (१) के खंड (ख) से (ङ) तक में निर्दिष्ट समितियों के सभापति;

(घ) परिषद् के सदस्यों की संख्या चालीस तक होने पर तीन या चालीस से अधिक होने पर छः व्यक्ति जो उक्त सदस्यों द्वारा अपने में से निर्वाचित किये जायंगे।

(२) अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष कार्य-समिति के क्रमशः सभापति तथा उप-सभापति होंगे।

(३) परिषद् का मुख्य कार्याधिकारी कार्य-समिति का सचिव होगा।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ६६ के उपखंड (१) के भाग (घ) की द्वितीय पंक्ति में शब्द "उक्त सदस्यों द्वारा" के पश्चात् तथा शब्द "अपने" से पहिले "एकल संक्रमणीय मतदान प्रणाली से" शब्द और बढ़ा दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ६६ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ६७-६८

धारा ६४ की उपधारा (१) में निर्दिष्ट अन्य समितियों का संघटन।

६७—(१) धारा ६४ की उपधारा (१) के खंड (ख) से (ङ) तक में निर्दिष्ट प्रत्येक समिति में, जिला परिषद् के सदस्यों की संख्या चालीस होने पर छः तक या चालीस से अधिक होने पर नौ सदस्य होंगे जिनका निर्वाचन, जिला परिषद् के सदस्यों द्वारा अपने में से किया जायगा।

(२) अध्यक्ष वित्त समिति का पदेन सदस्य तथा सभापति होगा।

धारा ६४ की उप-धारा (१) में निर्दिष्ट समितियों के कार्यकाल तथा उनके सदस्यों के निर्वाचन की रीति

६८—(१) धारा ६४ की उपधारा (१) में निर्दिष्ट समितियों के सदस्यों का निर्वाचन एकल-संक्रमणीय मतदान पद्धति द्वारा और नियत की जाने वाली रीति से होगा।

(२) धारा ६४ की उपधारा (१) में निर्दिष्ट प्रत्येक समिति का कार्यकाल परिषद् के कार्यकाल तक होगा, किन्तु प्रत्येक समिति के निर्वाचित सदस्यों के एक-तिहाई प्रति वर्ष क्रम से निवृत्त होंगे, और क्रम से निवृत्त होने के कारण हुई रिक्तियों की पूर्ति उपधारा (१) में व्यवस्थित रीति से की जायगी।

(३) उन सदस्यों का अवधारण, जो अपने निर्वाचन के पश्चात् प्रथम वर्ष में निवृत्त होंगे, और उन सदस्यों का अवधारण, जो अपने निर्वाचन के दो वर्ष पश्चात् निवृत्त होंगे, राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट रीति से पर्चियां डाल कर किया जायगा।

(४) मृत्यु, त्याग-पत्र या अन्य कारण से किसी समिति के निर्वाचित सदस्य के पद में होने वाली रिक्ति की दशा में उस रिक्ति की पूर्ति, ऐसे सदस्य के शेष कार्य-काल के लिए, उपधारा (१) में व्यवस्थित रीति से दूसरे सदस्य का निर्वाचन करके की जायगी।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ६७ के उपखंड (१) के अन्त में निम्न शब्द और बढ़ा दिये जायं—

"जो एकल संक्रमणीय मतदान प्रणाली द्वारा किया जायगा।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ६७ और ६८ इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ६९

समितियों के सभापति तथा उप-सभापति और उनके कार्यकाल

६९—(१) कार्य समिति तथा वित्त समिति से भिन्न धारा ६४ की उपधारा (१) में निर्दिष्ट प्रत्येक समिति अपनी प्रथम बैठक में, जिसकी अध्यक्षता अध्यक्ष करेंगे, अपने सदस्यों में से एक को अपना सभापति तथा दूसरे को अपना उप-सभापति निर्वाचित करेगी।

(२) वित्त समिति अपनी प्रथम बैठक में संकल्प द्वारा अपने सदस्यों में से एक को अपना उप-सभापति निर्वाचित करेगी।

(३) दोनों ओर मतों की संख्या समान होने की दशा में, अध्यक्ष को निर्णायक मत देने का अधिकार होगा किन्तु अन्यथा उपधारा (१) के अधीन समिति की अध्यक्षता करते समय उसे कोई मत देने का अधिकार न होगा।

(४) प्रत्येक निर्वाचित सभापति तथा उप-सभापति का कार्यकाल निर्वाचन के दिनांक से एक वर्ष का होगा, किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि निर्वाचित सभापति या उप-सभापति के पद में मृत्यु, त्याग-पत्र या अन्य कारण से रिक्ति होने की दशा में, नया सभापति या उप-सभापति बहिर्गामी सभापति तथा उप-सभापति के शेष कार्यकाल के लिए निर्वाचित किया जायगा।

(५) धारा ६५ के अधीन स्थापित समिति के सभापति तथा उप-सभापति के निर्वाचन की रीति और कार्यकाल वही होगा जिसकी विनियमों या संकल्प, जैसी भी दशा हो, में व्यवस्था की जाय।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ६९ का उप-खंड (५) निकाल दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि संशोधित खंड ६९ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ७०

अन्य समितियों का संघटन

७०—धारा ६५ की उपधारा (१) के अधीन नियुक्त समिति का संघटन तथा कार्यकाल और उसके सदस्यों, सभापति तथा उप-सभापति के निर्वाचन की रीति और कार्यकाल वही होंगे जो विनियमों में व्यवस्थित हों।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ७० के स्थान पर निम्न रख दिया जाय—

"खंड (७०)—खंड ६५ के अधीन नियुक्त किसी समिति का संघटन तथा कार्य-काल और उसके सदस्यों, सभापति तथा उप-सभापति के निर्वाचन की रीति और कार्यकाल वही होंगे जो यथास्थिति नियमों या संकल्पों द्वारा व्यवस्थित हो।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि संशोधित खंड ७० इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ७१-७३

समितियों में व्यक्तियों का अनुमेलन

७१—इस अधिनियम में किसी बात के होते हुये भी, धारा ६४ की उपधारा (१) में निर्दिष्ट किसी समिति, अथवा परिषद् द्वारा धारा ६५ के अधीन विनियम द्वारा स्थापित किसी समिति के लिये, यह वैध होगा कि वह समिति के कुल सदस्यों के कम से कम आधे सदस्यों द्वारा समर्थित संकल्प द्वारा किसी व्यक्ति को समिति के सदस्य के रूप में अनुमेलित करे:

प्रतिबन्ध यह है कि इस प्रकार अनुमेलित सदस्यों की संख्या दो तक सीमित रहेगी और अनुमेलित सदस्य का कार्यकाल एक वर्ष का होगा, किन्तु समिति के कार्यकाल से आगे न बढ़ेगा:

प्रतिबन्ध यह भी है कि इस प्रकार अनुमेलित सदस्य को मत देने का अधिकार न होगा।

कार्य-समिति के अधिकार तथा कृत्य

७२—कार्य समिति उन अधिकारों का प्रयोग कर सकती है, और उन कर्त्तव्यों तथा कृत्यों का संपादन करेगी—

(१) जिनका प्रयोग या संपादन इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन उससे (कार्य समिति से) अपेक्षित हो;

(२) जो अनुसूची ४ के दूसरे स्तम्भ में निर्दिष्ट हों तथा जिसके सामने अनुसूची के तीसरे स्तम्भ में शब्द "कार्य समिति द्वारा प्रयुक्त किये जायेंगे" लिखे हों; और

(३) जो धारा ५७ के अधीन परिषद् द्वारा कार्य-समिति को प्रतिनिहित किये गये हों:

प्रतिबन्ध यह है कि कार्य-समिति अपने ऐसे अधिकारों, कर्त्तव्यों अथवा कृत्यों को जो नियमों द्वारा नियत किये जायं, धारा ७५ के अधीन स्थापित किसी उप-समिति को अथवा परिषद् के किसी अधिकारी को प्रतिनिहित कर सकती है।

वित्त-समिति के अधिकार तथा कृत्य

७३—(१) वित्त-समिति निम्नलिखित अधिकारों का प्रयोग कर सकती है और कर्त्तव्यों तथा कृत्यों का संपादन करेगी :

(क) वर्ष पर्यन्त आय तथा व्यय की प्रगति पर दृष्टि रखना तथा मुख्य-कार्याधिकारी को ऐसे निदेश जारी करना जो उक्त आवश्यक समझे;

(ख) अनुदानों के उचित विनियोग का पर्यवेक्षण करना ;

(ग) अधिकार, कृत्य तथा कर्त्तव्य जो उसे प्रतिनिहित किये गये हों अथवा जिनका प्रयोग, अथवा संपादन अनुसूची ४ की तीसरे स्तम्भ के अधीन उससे अपेक्षित हो।

(२) उपधारा (१) को प्रभावी बनाने के प्रयोजन के लिये वित्त-समिति को परिषद् के लेखे प्राप्य होंगे।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ७१ से ७३ तक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ७४—७७

धारा ६४ को उप-धारा (१) में निर्दिष्ट अन्य समितियों के कार तथा कृत्य

७४—शिक्षा समिति, सार्वजनिक निर्माण समिति तथा जन-स्वास्थ्य समिति के अधिकार, कर्त्तव्य और कृत्य वही होंगे जो इस अधिनियम तथा तदर्थ निर्मित नियमों में व्यवस्थित है।

उप-समितियां

७५—(१) समिति, किसी ऐसे विषय की परीक्षा करने तथा प्रतिवेदन देने के लिये जिससे उसका सम्बन्ध हो, अथवा अपने किन्हीं कृत्यों का निर्वहन करने के लिये एक या अधिक उप-समितियां नियुक्त कर सकती है।

(२) उप-समिति का संघटन तथा कार्य-काल वे होंगे जो समिति द्वारा निश्चित किये जायं।

(३) यदि समिति, उप-समिति का प्रतिवेदन या कार्य अनुमोदित कर दे, तो वह समिति का प्रतिवेदन या कार्य समझा जायगा।

समितियों तथा उप-समितियों की बैठकें

७६—(१) धारा ६४ में निर्दिष्ट समितियों की बैठक मास में कम से कम एक बार होगी।

(२) समितियों तथा उप-समितियों की बैठकों की दशा में, धारा ६२ में निर्दिष्ट विषय नियमों द्वारा शासित होंगे।

संयुक्त समितियां

७७—(१) कोई परिषद् सहमत होने वाले एक या अधिक स्थानीय प्राधिकारियों से इस बात के लिये संयुक्त हो सकती है कि वे किसी ऐसे कार्य के सम्पादन के लिये जिसमें उनका संयुक्त हित हो तथा एक ऐसे कारण द्वारा जिस पर सम्बद्ध प्राधिकारियों के तदर्थ हस्ताक्षर हों, एक संयुक्त समिति नियत करें और यदि राज्य सरकार अपेक्षा करे तो परिषद् अवश्य ऐसा करेगी।

(२) ऐसे करण में यह निश्चित कर दिया जायगा कि कौन स्थानीय प्राधिकारी संयुक्त समिति में अपने प्रतिनिधित्व के लिये कितने सदस्य चुनेगा, कौन व्यक्ति उस समिति का सभापति होगा, संयुक्त समिति सहमत होने वाले प्राधिकारियों में एक या अधिक के द्वारा प्रयोज्य अधिकारों में से किन अधिकारों का प्रयोग कर सकेगी तथा उसके कार्य तथा पत्र-व्यवहार किस रीति से किये जायेंगे।

(३) ऐसा करण सभी संबद्ध स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा हस्ताक्षर किये हुये दूसरे करण द्वारा समय समय पर परिवर्तित अथवा रद्द किया जा सकता है, तथा इस उपधारा के अधीन किसी करण के रद्द किये जाने की दशा में, उसके अन्तर्गत समस्त कार्यवाहियां उस दिनांक से अप्रवर्ती समझी जायंगी जो उस दूसरे करण में निर्दिष्ट किया जायेगा ।

(४) इस धारा के पूर्वगामी उपबंधों के अधीन किन्हीं कार्यवाहियों के दौरान में दो या दो से अधिक स्थानीय प्राधिकारियों के बीच उत्पन्न होने वाले किसी मतभेद का निर्णय धारा २५६ के अधीन राज्य सरकार को अभिदिष्ट करके किया जायगा ।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ७४ से ७७ तक इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड ७८

मुख्य कार्याधिकारी के अधिकार और उत्तरदायित्व

७८—(१) मुख्य कार्याधिकारी परिषद् का मुख्य कार्यपालक अधिकारी होगा । और परिषद् तथा उसकी समितियों के संकल्पों को कार्यान्वित करने के लिये उत्तरदायी होगा तथा वह निम्नलिखित अधिकारों का प्रयोग करेगा, अर्थात्—

(क) परिषद् को देय या उसे दी गई कोई धनराशि लेने, वसूल करने तथा उसे जिला निधि में जमा करने का अधिकार;

(ख) इस अधिनियम की धाराओं तथा उपधाराओं द्वारा प्राप्त अधिकार तथा इन अधिकारों के प्रयोग के लिये आवश्यक सभी कार्य करने का अधिकार ;

(ग) अनुसूची ५ के पहले स्तम्भ में निर्दिष्ट धाराओं तथा उपधाराओं के अधीन परिषद् की ओर से प्रयुक्त किये जाने वाले अधिकार तथा इन अधिकारों के प्रयोग के लिये आवश्यक सभी कार्य करने का अधिकार;

(घ) अध्यक्ष के नियंत्रण के अधीन रहते हुये ऐसा कोई लाइसेंस स्वीकृत करने, अस्वीकृत करने, निलम्बित करने या वापस लेने का अधिकार, जिसे स्वीकृत करने का अधिकार इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन बनाये गये नियमों या विनियमों द्वारा उसे प्राप्त हों ;

(ङ) कोई अन्य अधिकार जो परिषद् द्वारा मुख्य कार्याधिकारी को प्रतिनिहित किया गया हो ; तथा

(च) उन सेवकों से भिन्न, जिनके लिये धारा ४३ के अधीन नियुक्त प्राधिकारी परिषद् है, परिषद् के समस्त सेवकों की सेवा, छुट्टी, वेतन, भत्ता तथा अन्य विशेषाधिकारों के सम्बन्ध में उठने वाले प्रश्नों का तदर्थ बनाये गये किन्हीं विनियमों के अनुसार समाधान करने का अधिकार ।

(२) परिषद् की ओर से समस्त कार्यों तथा संविदाओं के समुचित निष्पादन का उत्तरदायित्व मुख्य कार्याधिकारी पर होगा ।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ७८ के उप-खंड (२) के पश्चात् निम्नलिखित उसके उपखंड (३) के रूप में बढ़ा दिया जाय—

"उपखंड (३)—मुख्य कार्याधिकारी, सामान्य अथवा विशेष आदेश द्वारा कार्याधिकारी को (यदि कोई हो) अधिकार दे सकता है कि वह मुख्य कार्याधिकारी के ऐसे अधिकारों, कर्त्तव्यों तथा कृत्यों में किसी एक या अधिक का जो मुख्य कार्याधिकारी को परिषद् या अध्यक्ष द्वारा प्रतिनिहित न किये गये हों, उसके सामान्य पथ-प्रदर्शन के अधीन रहते हुये प्रयोग या सम्पादन करे ।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि संशोधित खंड ७८ इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड ७९

क्षेत्र समितियों अधिकारों का प्रयोग

७९—(१) अनुसूची ६ के दूसरे स्तम्भ में निर्दिष्ट अधिकारों, कर्त्तव्यों तथा कृत्यों का, सिवाय उनके जिनके सामने उक्त अनुसूची के तीसरे स्तम्भ में कोई प्रविष्टि की गई है, क्षेत्र समिति द्वारा बैठक में संकल्प पारित करके ही प्रयोग किया जा सकता है और संपादन किया जायगा, अन्यथा नहीं ।

(२) प्रमुख क्षेत्र समिति के ऐसे अधिकारों का प्रयोग तथा कर्त्तव्यों और कृत्यों का संपादन करेगा जो अनुसूची ६ के तीसरे स्तम्भ के अधीन प्रमुख द्वारा प्रयोग या सम्पादन किये जाने के लिये अपेक्षित हैं या जो प्रमुख को धारा ८० के अधीन क्षेत्र-समिति द्वारा प्रतिनिहित किये जायें ।

(३) अनुसूची ७ के दूसरे स्तम्भ में निर्दिष्ट अधिकारों, कर्त्तव्यों तथा कृत्यों का प्रयोग या संपादन क्षेत्र समिति की ओर से क्षेत्र संचालक द्वारा किया जायगा, अन्यथा नहीं, और वह उन समस्त अधिकारों का प्रयोग तथा कर्त्तव्यों और कृत्यों का सम्पादन भी करेगा जिनके विषय में व्यक्त रूप से यह अपेक्षित नहीं है कि वे संकल्प द्वारा प्रयुक्त या सम्पादित हों और जो अनुसूची ६ के दूसरे स्तम्भ में निर्दिष्ट नहीं है तथा जो क्षेत्र समिति द्वारा धारा ७८ के अधीन क्षेत्र संचालक से भिन्न किसी प्राधिकारी को प्रतिनिहित नहीं किये गये हैं।

श्री अमरनाथ—अध्यक्ष महोदय, एक संशोधन मैंने भेजा था खंड ७९ में, वह बहुत जरूरी है।

श्री अध्यक्ष—देखिये वह मैं पढ़कर सुना देता हूं, अगर जरूरी हो तो उसे पेश करें । संशोधन यह है—

खंड ७९ के उपखंड (१) का आखिरी कोलन और शब्द "अन्यथा नहीं" निकाल दिये जायं।

(स्वशासन मन्त्री से) यह आप स्वीकार करते हैं ?

श्री जयराम वर्मा—श्रीमान् जी, अगर आप चाहें तो इसे स्थगित कर दें, क्योंकि इसको मैं जरा देखकर बता सकूंगा ।

श्री अध्यक्ष—तो मैं स्थगित कर दूं, यह आपका मतलब है ? अच्छी बात है, मैं इसको छोड़ देता हूं । तब तक आप सोच रखिये।

खंड ८०—८३

क्षेत्र समितियों के अधिकारों का प्रतिनिधान

८०—(१) क्षेत्र समिति, ऐसे अधिकारों, कर्त्तव्यों या कृत्यों को छोड़ कर जो—

(क) अनुसूची ६ के दूसरे स्तम्भ में निर्दिष्ट हों और जिनके सामने या तो तीसरे स्तम्भ में कोई प्रविष्टि न हो या तीसरे स्तम्भ में की गई प्रविष्टि द्वारा यह अपेक्षित हो कि उन अधिकारों, कर्त्तव्यों या कृत्यों का प्रयोग या संपादन किसी विशिष्ट अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा किया जाय,

(ख) इस अधिनियम के अधीन प्रमुख या क्षेत्र संचालक के लिये रक्षित हो अथवा उसको सौंपे गये हों ; तथा

किन्हीं ऐसे अधिकारों, कर्त्तव्यों या कृत्यों को जो इस अधिनियम के अधीन उसे दिये गये हों, या उस पर आरोपित किये गये हों या उसको सौंपे गये हों, संकल्प द्वारा प्रतिनिहित कर सकती है :

प्रतिबन्ध यह है कि यदि अनुसूची ६ के दूसरे स्तम्भ में निर्दिष्ट कोई अधिकार, कर्त्तव्य अथवा कृत्य उसके सामने तीसरे स्तम्भ में की गई प्रविष्टि के अधीन किसी निर्दिष्ट अधिकारी या प्राधिकारी को ही प्रतिनिहित किया जा सकता हो तो ऐसा अधिकार, कर्त्तव्य अथवा कृत्य केवल उसी अधिकारी या प्राधिकारी को प्रतिनिहित किया जा सकता है ।

(२) इस धारा के पूर्वगामी उपबन्धों में किसी बात से यह न समझा जायगा कि वह क्षेत्र समिति की किसी समिति के किसी संकल्प के, इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन तदर्थ यथाविधि प्राधिकृत किसी अभिकरण द्वारा कार्यान्वय पर कोई रोक लगाती है अथवा क्षेत्र समिति के किसी सेवक को उसके सेवा-क्षेत्र के भीतर कार्य करने से रोकती है ।

प्रमुख के कर्त्तव्य

८१—प्रमुख का यह कर्त्तव्य होगा कि वह—

(क) जब तक इस अधिनियम द्वारा अन्यथा व्यवस्थित न हो अथवा यथोचित कारण से वह ऐसा न कर सके :

(१) क्षेत्र समिति तथा उसकी उन समितियों की, जो तदर्थ नियत की जायं, सभी बैठकों को बुलाये और उनकी अध्यक्षता करे ;

(२) क्षेत्र समिति की सभी बैठकों में कार्य-संपादन को तदर्थ बनाये गये किसी विनियम के अनुसार अन्यथा नियंत्रित करे ;

(ख) क्षेत्र समिति के वित्तीय प्रशासन पर दृष्टि रखे तथा कार्यपालक प्रशासन का अधीक्षण करे तथा यदि उसमें कोई त्रुटि हो तो उसकी ओर क्षेत्र समिति का ध्यान आकृष्ट करे ; तथा

(ग) किन्हीं ऐसे अन्य कर्त्तव्यों का संपादन करे जो इस अधिनियम अथवा उसके अधीन बनाये गये नियमों अथवा तत्समय प्रचलित किसी अन्य विधि के अधीन उससे अपेक्षित हों अथवा उस पर आरोपित किये जायं ।

प्रमुख द्वारा उप-प्रमुख को प्रतिनिधान

८२—क्षेत्र समिति का प्रमुख सामान्य अथवा विशेष आदेश द्वारा ज्येष्ठ या कनिष्ठ उप-प्रमुख को अधिकार दे सकता है कि वह, धारा ८१ के खंड (क) तथा (ख) में निर्दिष्ट अधिकारों, कर्त्तव्यों तथा कृत्यों से भिन्न प्रमुख के अधिकारों, कर्त्तव्यों अथवा कृत्यों में किसी एक या अधिक का, उसके सामान्य पथ-प्रदर्शन के अधीन प्रयोग या संपादन करे ।

उप-प्रमुख के कर्त्तव्य

८३—(१) ज्येष्ठ उप-प्रमुख—

(क) प्रमुख की अनुपस्थिति में क्षेत्र समिति की बैठकों की अध्यक्षता करेगा, सिवाय उस दशा के जब वह उचित कारण वश ऐसा न कर सके, तथा किसी बैठक की अध्यक्षता करते समय प्रमुख के समस्त कर्त्तव्यों तथा कृत्यों का संपादन करेगा तथा उसके समस्त अधिकारों का प्रयोग कर सकता है ;

(ख) प्रमुख का पद रिक्त होने की दशा में अथवा तुरन्त आवश्यकता की दशा में, अथवा प्रमुख की अस्थायी अनुपस्थिति या असमर्थता की दशा में प्रमुख के किसी अन्य कर्त्तव्य का पालन और किसी अन्य अधिकार का प्रयोग करेगा ; और

(ग) किसी भी समय, धारा ८२ के अधीन प्रमुख द्वारा उसको प्रति निहित किसी कर्त्तव्य या कृत्य का संपादन या अवसर आ पड़ने पर किसी अधिकार का प्रयोग करेगा;

(२) कनिष्ठ उप-प्रमुख किसी भी समय, धारा ८२ के अधीन प्रमुख द्वारा उसको प्रतिनिहित किसी कर्त्तव्य या कृत्य का संपादन, या अवसर आ पड़ने पर अधिकार का प्रयोग करेगा और ज्येष्ठ उप-प्रमुख की अनुपस्थिति में या ज्येष्ठ उप-प्रमुख का पद रिक्त होने की दशा में उपधारा (१) में निर्दिष्ट ज्येष्ठ उप-प्रमुख के अधिकारों का प्रयोग तथा कर्त्तव्यों और कृत्यों का संपादन करेगा ।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ८० से ८३ तक इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड ८४

क्षेत्र समिति की बैठकें

८४—(१) कार्य सम्पादन के लिये, प्रत्येक त्रिमास में क्षेत्र समिति की कम से कम एक बार बैठक होगी ।

(२) प्रमुख अथवा खण्ड से उसकी अनुपस्थिति में ज्येष्ठ-उप-प्रमुख अथवा यदि खण्ड से ज्येष्ठ उप-प्रमुख भी अनुपस्थित हो तो कनिष्ठ उप-प्रमुख, जब कभी भी वह उचित समझे, क्षेत्र समिति की बैठक बुला सकता है तथा क्षेत्र समिति के निर्वाचित सदस्यों के कम से कम पंचमांश के लिखित अधियाचन पर, जो प्रमुख पर तामील किया जा चुका हो, अथवा प्राप्ति-पत्र सहित रजिस्ट्री डाक (रजिस्टर्ड ए० डी०) द्वारा क्षेत्र समिति को उसके कार्यालय के पते पर भेजा जा चुका हो, ऐसे अधियाचन के तामील या प्राप्ति के दिनांक से एक महीने के भीतर क्षेत्र समिति की बैठक अवश्य बुलायेगा ।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ८४ के उपखंड (१) में शब्द "प्रत्येक त्रिमास" के स्थान पर शब्द "प्रति दो मास" रख दिये जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ८४ के उपखंड (१) की प्रथम पंक्ति में शब्द "त्रिमास" के स्थान पर शब्द "द्विमास" रख दिया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि संशोधित खड ८४ इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड ८५—८६

क्षेत्र समिति की बैठकों की प्रक्रिया आदि

८५—क्षेत्र समिति की बैठकों की दशा में भी, धारा ६२ में निर्दिष्ट प्रकार के विषय तदर्थ निर्मित नियमों द्वारा शासित होंगे ।

क्षेत्र समितियों का योजनायें तैयार करना

८६—(१) जब क्षेत्र समिति खंड के लिये विकास योजना तैयार करना चाहे या जिला परिषद् अथवा राज्य सरकार उससे ऐसा करने की अपेक्षा करे तो क्षेत्र संचालक संघटक गांव पंचायतों से अपनी विकास योजनायें या अपनी विकास सम्बन्धी आवश्यकताओं का विवरण ऐसे समय के भीतर जो क्षेत्र संचालक निर्दिष्ट करे, प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकता है और गांव पंचायतें ऐसी अपेक्षा का पालन करेंगी ।

(२) कार्यकारिणी, क्षेत्र संचालक, उत्पादन-समिति तथा कल्याण समिति की सहायता से और जिला परिषद् या राज्य सरकार के तदर्थ निदेशों को ध्यान में रखते हुये, योजना का लेख तैयार करेगी और उसे क्षेत्र समिति को प्रस्तुत करेगी।

(३) क्षेत्र समिति योजना के लेख पर विचार करेगी और उसे या तो बिना किसी परिवर्तन के या ऐसे परिष्कारों के साथ, जो वह उचित समझे, अनुमोदित करेगी ।

(४) क्षेत्र संचालक क्षेत्र समिति द्वारा अनुमोदित योजना जिला परिषद् को भेजेगा ।

(५) जिला परिषद् की नियोजन समिति योजना पर विचार करेगी और उसमें परिष्कारों के लिये (यदि कोई हों) ऐसी सिफारिशें करेगी, जो वह उचित समझे, और ऐसी सिफारिशों के साथ योजना जिला परिषद् द्वारा क्षेत्र-समिति को लौटा दी जायगी ।

(६) यदि नियोजन समिति ने कोई सिफारिश न की हो तो उपधारा (३) के अधीन क्षेत्र समिति द्वारा अनुमोदित योजना अन्तिम होगी, किन्तु यदि नियोजन समिति ने कोई सिफारिशें की हों तो क्षेत्र समिति उन पर विचार करेगी और उसके उन्हें पूर्णतया स्वीकार कर लेने की दशा में नियोजन समिति की सिफारिशों के अनुसार परिष्कृत योजना अन्तिम योजना होगी, या नियोजन समिति की कतिपय अथवा समस्त सिफारिशों से उसका मतभेद होने पर वह मतभेदों को जिला परिषद् को अभिदिष्ट करेगी ।

(७) जिला परिषद् नियोजन समिति की सिफारिशों, और उन सिफारिशों के सम्बन्ध में क्षेत्र समिति के दृष्टिकोण, पर विचार करेगी और निर्णय करेगी कि नियोजन समिति की उन सिफारिशों को, जिनसे क्षेत्र समिति का मतभेद है, किन्हीं परिष्कारों के साथ, या बिना किन्हीं परिष्कारों के, स्वीकार किया जाय या नहीं। यदि आवश्यक हो तो योजना में जिला परिषद् के निर्णय के अनुसार परिष्कार किया जायगा और वह अन्तिम हो जायगी ।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ८५ और ८६ इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड ८७

क्षेत्र समितियों की समितियां

८७—(१) क्षेत्र समिति, धारा १० के अधीन संघटित वा पुनस्संगठित हो जाने के पश्चात् यथा शक्य शीघ्र ऐसी रीति से तथा ऐसे कर्त्तव्यों के संपादन के निमित्त, जिनकी व्यवस्था आगे की गई है, निम्नलिखित समितियां नियुक्त करेगी—

१—कार्यकारिणी ।

२—उत्पादन समिति ।

३—कल्याण समिति ।

(२) तदर्थ नियत किन्हीं शर्तों के अधीन रहते हुये क्षेत्र समिति समस्त खंड अथवा उसके किसी भाग में किन्हीं निर्दिष्ट कर्त्तव्यों अथवा कर्त्तव्यों के वर्ग के संपादन में अपनी सहायता के लिये अन्य समितियां स्थापित कर सकती है और ऐसी किसी समिति को अपने ऐसे समस्त अथवा कोई अधिकार प्रतिनिहित कर सकती है जो उक्त सहायता के प्रयोजन के लिये आवश्यक हो ।

(३) पूर्ववर्ती उपधारा में उल्लिखित समितियों के अतिरिक्त क्षेत्र समिति, समय-समय पर, किसी ऐसे विषय की, जिसके सम्बन्ध में इस अधिनियम द्वारा अथवा इसके अधीन क्षेत्र समिति का निर्णय अपेक्षित हो जांच करने अथवा उस पर प्रतिवेदन देने के प्रयोजन के लिये अपने सदस्यों में से एक या अधिक परामर्श समितियां नियुक्त कर सकती है ।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ८७ इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड ८८

समितियों का संघटन

८८—(१) अन्य उपधाराओं के उपबन्धों के अधीन रहते हुये, धारा ८७ की उपधारा (१) में निर्दिष्ट समितियों में निम्नलिखित व्यक्ति होंगे —

(१) खण्ड के प्रत्येक सर्किल के लिये एक सदस्य, जो ऐसे सर्किल के प्रधानों द्वारा अपने में से निर्वाचित किया जायगा;

(२) पांच सदस्य जिन्हें, क्षेत्र समिति अपने ऐसे सदस्यों में से निर्वाचित करेगी जो खंड (१) के अधीन निर्वाचित न हुये हों ।

(२) प्रमुख तथा दो उप-प्रमुख कार्यकारिणी के पदेन सदस्य होंगे और उसके क्रमशः सभापति, ज्येष्ठ उप-सभापति तथा कनिष्ठ उप-सभापति होंगे ।

(३) ज्येष्ठ उप-प्रमुख, उत्पादन समिति का पदेन सदस्य तथा सभापति होगा और खंड में स्थित किसी कृषि विद्यालय का प्रधानाचार्य (प्रिंसिपल) उस समिति का अपर सदस्य होगा ।

(४) कनिष्ठ उप-प्रमुख कल्याण समिति का पदेन सदस्य तथा सभापति होगा और क्षेत्र में स्थित उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों तथा जूनियर हाई स्कूलों के प्रधानाचार्यों और प्रधानाध्यापकों में से एक को क्षेत्र समिति के संकल्प द्वारा अनुमोदित किया जायगा ।

(५) अपने संघटन के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र उत्पादन समिति तथा कल्याण समिति अपने सदस्यों में से एक को समिति का उप-सभापति निर्वाचित करेगी ।

(६) धारा ८७ की उपधारा (२) तथा (३) में निर्दिष्ट समितियों का संघटन वही होगा जो नियत किया जाय ।

(७) किसी सदस्य के स्थान या सभापति अथवा उप-सभापति के पद की आकस्मिक रिक्ति होने की दशा में, यथास्थिति, जो सदस्य, सभापति या उप-सभापति, निर्वाचित किया जाय, वह समिति के शेष कार्यकाल के लिये यथासंभव उसी रीति से, निर्वाचित किया जायगा जिस रीति से उसका पूर्वाधिकारी निर्वाचित किया गया था।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ८८ के उपखंड (३) में शब्द "किसी कृषि विद्यालय" के स्थान पर शब्द "कृषि विद्यालय (यदि कोई हो)" रख दिया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि संशोधित खंड ८८ इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड ८९—९०

समितियों के निर्वाचन की रीति तथा उनका कार्य-काल

८९—(१) धारा ८७ में उल्लिखित समस्त समितियों के सदस्यों और उत्पादन समिति तथा कल्याण समिति के उप–सभापति और अन्य समितियों के सभापति तथा उप-सभापति के निर्वाचन की रीति वही होगी जो नियत की जाय ।

(२) धारा ८७ की उपधारा (१) तथा (२) में निर्दिष्ट प्रत्येक समिति का कार्यकाल समिति की पहली बैठक के दिनांक से एक वर्ष का होगा, किन्तु वह किसी भी दशा में क्षेत्र समिति के कार्यकाल के आगे न बढ़ेगा ।

उप-समितियां

९०—(१) क्षेत्र समिति, संकल्प द्वारा, उत्पादन समिति या कल्याण समिति के सदस्यों में से एक या अधिक उप–समितियां संघटित कर सकती है और ऐसी उप समिति को, यथास्थिति , उत्पादन समिति या कल्याण समिति, के ऐसे कृत्य सौंप सकती है, जो वह उचित समझे ।

(२) धारा ८७ में उल्लिखित कोई समिति अपने पर आरोपित किसी कर्त्तव्य या कर्त्तव्यों के वर्ग के निर्वहन में अपनी सहायता के लिये अपने सदस्यों में से एक या अधिक उप–समितियां संघटित कर सकती है ।

(३) ऐसी उप-समितियों का रचना तथा उनका कार्यकाल और आकस्मिक रिक्तियों को पूर्ति करने की रीति वही होगी जो, यथास्थिति, क्षेत्र समिति या समित द्वारा निश्चित की जाय ।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ८९ के उपखंड (२) की दूसरी पंक्ति में "एक वर्ष" के स्थान पर "पांच वर्ष" तथा अन्त में निम्नलिखित शब्द बढ़ा दिये जायं "और एक-तिहाई मेम्बर प्रत्येक वर्ष अवकाश लें और उसके सम्बन्ध में खंड ६८ की उपधारा (२) व (३) प्रयुक्त होगा।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ८९ और ९० इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड ९१

धारा ८७ की उपधारा (१) में निर्दिष्ट समितियों के कृत्य

९१—(१) क्षेत्र समिति द्वारा वित्त, करारोपण (taxation) तथा सामान्य प्रशासन के सम्बन्ध में अपने कृत्यों का संपादन किये जाने में कार्यकारिणी समिति उसकी सहायता करेगी और वह ऐसे अधिकारों का प्रयोग तथा ऐसे कर्त्तव्यों और कृत्यों का संपादन करेगी—

(१) जिनका संपादन इस अधिनियम के अधीन उससे अपेक्षित हो ; तथा

(२) जो धारा ८० के अधीन क्षेत्र समिति द्वारा उसे प्रतिनिहित किये गये हों ।

(२) कृषि, सहकारिता, पशुपालन, लघु–सिंचाई कार्य, ग्रामीण उद्योग और उत्पादन कार्यों के क्षेत्र में सुधार करने से संबद्ध उसके अधिकारों के प्रयोग तथा उसके कर्त्तव्यों और कृत्यों के संपादन में और ऐसे अन्य अधिकारों के प्रयोग तथा कर्त्तव्यों और कृत्यों के संपादन में उत्पादन समिति क्षेत्र समिति की सहायता करेगी :—

(१) जिनका संपादन इस अधिनियम के अधीन उससे अपेक्षित हो ;

(२) जो अनुसूची ६ के दूसरे स्तम्भ में निर्दिष्ट हों तथा जिनके सामने अनुसूची के तीसरे स्तम्भ में शब्द "उत्पादन समिति द्वारा प्रयुक्त किये जायेंगे" लिखे हों ; और

(३) जो धारा ८० के अधीन क्षेत्र समिति द्वारा उत्पादन समिति को प्रतिनिहित किये गये हों ।

(३) स्वास्थ्य, स्वच्छता, शिक्षा, महिला-कल्याण, युवक-कल्याण तथा रचनात्मक कार्यक्रम के क्षेत्र में सुधार करने से संबद्ध अधिकारों के प्रयोग तथा कर्त्तव्यों और कृत्यों के संपादन में और ऐसे अन्य अधिकारों के प्रयोग तथा कर्त्तव्यों और कृत्यों के संपादन में कल्याण समिति क्षेत्र समिति की सहायता करेगी—

(१) जिनका संपादन इस अधिनियम के अधीन उससे अपेक्षित हो ;

(२) जो अनुसची ६ के दूसरे स्तम्भ में निर्दिष्ट हो तथा जिनके सामने अनुसूची के तीसरे स्तम्भ में शब्द "कल्याण समिति द्वारा प्रयुक्त किये जायेंगे" लिखे हों ; और

(३) जो धारा ८० के अधीन क्षेत्र समिति द्वारा कल्याण समिति को प्रतिनिहित किये गय हों ।

(४) ऊपर उल्लिखित कोई समिति नियमों द्वारा नियत रीति से और शर्तों के अधीन रहते हुये, क्षेत्र समिति द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों, कर्त्तव्यों तथा कृत्यों से भिन्न अपने किन्हीं अधिकारों, कर्त्तव्यों तथा कृत्यों को क्षेत्र समिति के किसी अधिकारी को प्रतिनिहित कर सकती है ।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ९१ के उपखंड (२) तथा (३) दोनों में से भाग (२) निकाल दिया जाय ।

श्री जयराम वर्मा—श्रीमन्, इसमें यह भी जोड़ दिया जाय कि "और दोनों खंडों के भाग (३) बदल कर भाग (२) कर दिया जाय ।"

श्री अध्यक्ष—इसकी जरूरत नहीं है । यह तो कांसीक्वेंशियल है ।

प्रश्न यह है कि खंड ९१ के उप-खंड (२) तथा (३) दोनों में से भाग (२) निकाल दिया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि संशोधित खंड ९१ इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

(इस समय १२ बज कर ५३ मिनट पर श्री अध्यक्ष चले गये और अधिष्ठाता, श्री वीर सेन, पीठासीन हुये ।)

खंड ९२

संचालक के अधिकार तथा उत्तर-द ।

९२—(१) क्षेत्र संचालक, क्षेत्र समिति का मुख्य कार्यपालक अधिकारी होगा और क्षेत्र समिति तथा उसकी समितियों के संकल्पों को कार्यान्वित करने के लिये उत्तरदायी होगा तथा उन अधिकारों, कर्त्तव्यों और कृत्यों के अतिरिक्त जिनको इस अधिनियम में उसके द्वारा प्रयोग तथा संपादन की अपेक्षा की गई है, और तदर्थ किन्हीं नियमों के अधीन रहते हुये, निम्नलिखित अधिकारों, कर्त्तव्यों और कृत्यों का प्रयोग तथा संपादन करेगा, अर्थात्—

(१) क्षेत्र निधि को देय या उसे दी गई कोई धनराशि लेने, वसूल करने तथा उसे क्षेत्र निधि में जमा करने का अधिकार ;

(२) क्षेत्र समिति की निधियों में से धनराशि निकालना तथा उसका वितरण करना;

(३) कोई विवरण, लेखे, प्रतिवेदन, लेख्यों की प्रतिलिपियां, क्षेत्र समिति या उसकी किसी समिति द्वारा पारित संकल्पों की प्रतिलिपियां अथवा इस अधिनियम के अधीन प्रस्तुत किये जाने के लिये अपेक्षित प्रस्ताव तथा आपत्तियां नियत प्राधिकारी, जिला मैजिस्ट्रेट या राज्य सरकार को प्रस्तुत करना;

(४) गांव पंचायतों को उनके विकास कार्य में—जिसके अन्तर्गत राज्य सरकार, जिला परिषद् या क्षेत्रसमिति द्वारा निर्धारित मानकों तथा स्थूल नीति के अनुसार योजनायें बनाना, उनका निष्पादन और पूर्वोक्त योजनाओं के निष्पादन में पायी गयी किन्हीं त्रुटियों को क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् के ध्यान में लाना भी ह—सहायता देना;

(५) धारा ५२ की उपधारा (४) के उपबन्धों के अधीन रहते हुये, क्षेत्र समिति में नियोजित समस्त अधिकारियों तथा सेवकों की सेवा, अवकाश वेतन, भत्ता तथा अन्य विशेषाधिकारों के सम्बन्ध में उठने वाले प्रश्नों का तदर्थ बनाये गये किन्हीं नियमों के अनुसार समाधान करने का अधिकार,

(६) इस धारा या किसी अन्य धारा के अधीन प्राप्त अधिकारों के प्रयोग के लिये आवश्यक सभी कार्य करने का अधिकार; और

(७) ऐसे अधिकार, कर्त्तव्य और कृत्य जो राज्य सरकार, क्षेत्र समिति की सम्मति से सौंपे ।

(२) क्षेत्र समिति की ओर से समस्त कार्यों तथा संविदाओं के समुचित निष्पादन का उत्तरदायित्व क्षेत्र संचालक पर होगा ।

श्री अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि खंड ९२ इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड ९३—९४

समितियों या उप-समितियों का अधीन रहना

९३—(१) परिषद् या क्षेत्र समिति किसी भी समय, अपनी किसी समिति से, तथा उसी प्रकार समिति अपनी किसी उप-समिति से, यथास्थिति, ऐसी समिति अथवा उप-समिति की कार्यवाहियों का प्रतिवेदन या उनके उद्धरण या कोई विवरणी मांग सकती है।

(२) यथास्थिति समिति अथवा उप-समिति, उपधारा (१) के अधीन की गई प्रार्थना का यथाशक्ति शीघ्र अनुपालन करेगी ।

जिला परिषद् तथा क्षेत्र समिति का प्रतिवेदनादि की अपेक्षा और प्रश्न करने का अधिकार

९४—(१) जिला परिषद्, अध्यक्ष अथवा मुख्य कार्याधिकारी से और क्षेत्र समिति प्रमुख या क्षेत्र संचालक से अपनी किसी बैठक में निम्नलिखित देने या प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकती है:—

(क) यथा स्थिति परिषद् या क्षेत्र समिति के प्रशासन से सम्बद्ध किसी विषय में कोई विवरणी, विवरण, अनुमान, आंकड़े या अन्य सूचना,

(ख) किसी उप-समिति का प्रतिवेदन या स्पष्टीकरण; तथा

(ग) कोई ऐसा प्रतिवेदन, पत्र-व्यवहार या योजना अथवा अन्य लेख्य या उसकी प्रतिलिपि जो उसके कब्जे या नियंत्रण में अध्यक्ष, प्रमुख, मुख्य कार्याधिकारी, या क्षेत्र संचालक के रूप में हो या जो, यथास्थिति, परिषद् अथवा क्षेत्र समिति के, या परिषद् अथवा क्षेत्र समिति, के किसी सेवक के कार्यालय में अभिलिखित या दाखिल हो ।

(२) यथास्थिति, अध्यक्ष, मुख्य कार्याधिकारी, प्रमुख या क्षेत्र संचालक, उपधारा (१) के अधीन की गयी प्रत्येक अपेक्षा का, अनुचित विलम्ब किये बिना, पालन करेगा ।

(३) ऐसी शर्तों तथा निबन्धनों के अधीन रहते हुये, जो नियत किये जायं, इस धारा से या इस अधिनियम के किन्हीं अन्य उपबन्धों में किसी बात से यह न समझा जायगा कि वह जिला परिषद् या क्षेत्र समिति, के ऐसे उपबन्ध बनाने पर रोक लगाती है जिसमें उसकी बैठकों में, नियत शर्तों और निबंधनों के अधीन रहते हुये, सदस्यों द्वारा प्रश्न पूछे जाने का प्राधिकार दिया जाय ।

श्री अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि खंड ९३ और ९४ इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड ९५

कतिपय सरकारी कर्मचारियों से परामर्श लेने का जिला परिषद् तथा क्षेत्र समिति का अधिकार

९५—निम्नलिखित अधिकारियों का यह कर्त्तव्य होगा कि वे जिला परिषद् को ऐसी सहायता और परामर्श जहां तक उसका सम्बन्ध उनके विभाग से हो, दें जो आवश्यक या वांछनीय हो अथवा अपने जिलायोजना कार्यक्रम तथा अन्य कार्य को कार्यान्वित करने के लिये जिला परिषद् जिसकी अपेक्षा करें:—

(१) समुपयुक्त सर्किल के अधीक्षक अभियन्ता (सुपरिन्टेन्डेन्ट इंजीनियर) द्वारा तदर्थ नामोदिष्ट अधिशासी अभियंता (एक्जीक्यूटिव इंजीनियर) (नहर) तथा अधिशासी अभियंता (नलकूप);

(२) समुपयुक्त सर्किल के अधीक्षक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा तदर्थ नामोद्दिष्ट सार्वजनिक निर्माण विभाग का अधिशासी अभियन्ता या जिला अभियन्ता;

(३) जिले का सिविल सर्जन;

(४) जिला विद्यालय निरीक्षक;

(५) जिले में क्षेत्राधिकार प्रयोग करने वाला मंडल वनाधिकारी (डिवीजनल फारेस्ट आफिसर);

(६) जिले में क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने वाला सहकारी समितियों का सहायक रजिस्ट्रार या जिला सहकारी अधिकारी, जैसी भी दशा हो;

(७) जिला पशुधन (Livestock) अधिकारी ;

(८) जिला उद्योग अधिकारी

(९) जिला हरिजन कल्याण अधिकारी तथा

(१०) जिला सांख्यकी (Statistics) अधिकारी ।

श्री अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि खंड ९५ के उपखंड (१०) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

"(१०) जिला संख्या अधिकारी" ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि संशोधित खंड ९५ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ९६

करणों का रजिस्ट्रीकरण

९६—जब इंडियन रजिस्ट्रेशन ऐक्ट, १९०८ अथवा उसके अधीन बनाये गये किसी नियम में यह अपेक्षा की गई हो कि किसी लेख्य के लिखने वाले अथवा उसके अधीन दावा करने वाले किसी व्यक्ति द्वारा उसके सम्बन्ध में कोई कार्य किया जायगा, और वह लेख्य जिला परिषद् या क्षेत्र समिति की ओर से लिखा गया हो अथवा वह ऐसा लेख्य हो जिसके अधीन जिला परिषद् या क्षेत्र समिति दावा करे, तो वह कार्य, उपर्युक्त अधिनियम अथवा उसके अधीन बनाये गये किसी नियम में किसी प्रतिकूल बात के होते हुये भी जिला परिषद् की दशा में मुख्य कार्याधिकारी द्वारा अथवा जिला परिषद् के तदर्थ अधिकृत किसी अन्य अधिकारी द्वारा, और क्षेत्र समिति की दशा में क्षेत्र संचालक द्वारा या क्षेत्र समिति के तदर्थ अधिकृत किसी अधिकारी द्वारा किया जा सकता है।

श्री अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि खंड ९६ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ९७

अधिकारों, कर्त्तव्यों तथा कृत्यों के अभिहस्तांकन के संबंध विवाद

९७—(१) जब इस विषय में कोई सन्देह उत्पन्न हो कि इस अधिनियम के अधीन किसी अधिकार के प्रयोग, अथवा किसी कर्त्तव्य या कृत्य के सम्पादन के लिये जिला परिषद्, अध्यक्ष, कार्य समिति वित्त समिति, मुख्य कार्याधिकारी या जिला परिषद् की कोई अन्य समिति अथवा अधिकारी उचित प्राधिकारी है या नहीं, तो मामला मुख्य कार्याधिकारी द्वारा राज्य सरकार को अभिदिष्ट किया जायगा और उसका निर्णय अन्तिम होगा।

(२) जब इस विषय में कोई सन्देह उत्पन्न हो कि इस अधिनियम के अधीन किसी अधिकार के प्रयोग, अथवा किसी कर्त्तव्य या कृत्य के सम्पादन के लिये क्षेत्र समिति, प्रमुख, कार्यकारिणी, उत्पादन समिति, कल्याण समिति, क्षेत्र संचालक या क्षेत्र समिति की कोई अन्य समिति अथवा अधिकारी उचित प्राधिकारी है या नहीं, तो मामला जिला मैजिस्ट्रेट को अभिदिष्ट किया जायगा और उसका निर्णय अंतिम होगा।

श्री अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि खंड ९७ के उप खंड (१) की पांचवीं पंक्ति के शब्द "राज्य सरकार" के स्थान पर शब्द "जिला न्यायाधीश" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि खंड ९७ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ९८

कार्यों तथा कार्यवाहियों की वैधता

९८—(१) जिला परिषद् में, या जिला परिषद् की किसी समिति में या कार्य समिति द्वारा नियुक्त किसी उप-समिति में वर्तमान किसी रिक्ति के कारण उसका कोई कार्य या कार्यवाही अमान्य न होगी।

(२) यदि कार्य या कार्यवाही किये जाने के समय उपस्थित व्यक्तियों में बहुमत यथास्थिति जिला परिषद्, समिति या उप-समिति के ऐसे सदस्यों का

रहा हो जिनमें कोई ऐसी अनर्हता अथवा दोष न हो, तो जिला परिषद् के अथवा इस अधिनियम के अधीन नियुक्त किसी समिति या उप-समिति के सदस्य के रूप में जिला परिषद् की या ऐसी समिति अथवा उप-समिति की बैठक में पीठासीन अधिकारी के रूप में कार्य करने वाले किसी व्यक्ति की अनर्हता, या उसके निर्वाचन, अनुमेलन या नियुक्ति में त्रुटि के कारण यह न समझा जायगा कि जिला परिषद्, समिति या उप-समिति का कोई कार्य या कार्यवाही अमान्य हो गई है ।

(३) जब तक इसके विपरीत सिद्ध न हो जाय, तब तक प्रत्येक लेख्य या कार्यवृत्त (Minutes) के विषय में, जो जिला परिषद् या समिति या उप-समिति की कार्यवाही का अभिलेख भासित हो—यदि वह सारत उसी रीति से तैयार तथा हस्ताक्षर किया गया हो जो उस प्रकार की कार्यवाही का अभिलेख तैयार करने तथा उस पर हस्ताक्षर करने के लिये नियत की गई हो—यह समझा जायगा कि वह यथाविधि संघटित ऐसी परिषद्, सामति या उप-समिति की यथाविधि संयोजित बैठक की कार्यवाही का शुद्ध अभिलेख है, जिसके सब सदस्य यथा विधि अर्ह थे ।

(४) पूर्वगामी उपधाराओं के उपबन्ध प्रत्येक क्षेत्र सामति या उसकी समिति अथवा उप–समिति के कार्यों तथा कार्यवाहियों पर आवश्यक परिवर्तनों के साथ प्रवृत्त होंगे ।

श्री अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि खंड ९८ इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड ९९

जिला निधि तथा क्षेत्र निधि

९९—(१) प्रत्येक जिला परिषद् के लिये एक निधि की स्थापना की जायगी जो जिला निधि कहलायेगी और प्रत्येक क्षेत्र समिति के लिये एक निधि की स्थापना की जायगी जो क्षेत्र निधि कहलायेगी । जिला परिषद् द्वारा या उसकी ओर से प्राप्त की गई सभी धनराशियां या लिये गये समस्त ऋण जिला निधि में तथा क्षेत्र समिति द्वारा या उसकी ओर से प्राप्त की गई सभी धनराशियां या लिये गये समस्त ऋण क्षेत्र निधि में जमा किये जायेंगे :

प्रतिबन्ध यह है कि जिला परिषद् अपने द्वारा किसी प्रयोजन–विशेष के लिये प्राप्त की गई निधि के भागों को उसी प्रयोजन–विशेष के लिये अलग रक्षित कर देगी और उन्हें उसी प्रयोजन को पूरा करने में व्यय करेगी ।

(२) इस धारा में कोई बात परिषद् या क्षेत्रसमिति के उन आभारों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जो किसी ऐसे न्यास से उत्पन्न हों जो विधितः उस पर आरोपित किया गया हो या उसने स्वीकार किया हो ।

(३) परिषद् या क्षेत्र समिति नकद अथवा वस्तु के रूप में ऐसे अंशदान स्वीकार कर सकती है जो कोई व्यक्ति किसी सार्वजनिक उपयोगिता के किसी कार्य के लिये दे और तत्पश्चात् परिषद् या क्षेत्र समिति उसे, जहां कहीं आवश्यक हो अपने अंशदान सहित, उस कार्य के निष्पादन में लगायेगी ।

श्री अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि खंड ९९ के उपखंड (१) के प्रतिबन्धात्मक खंड में शब्द "जिला परिषद्" के स्थान पर शब्द "जिला परिषद् या क्षेत्र समिति" रख दिये जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि संशोधित खंड ९९ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड १००

१००—(१) परिषद्, लोकल अथारिटीज लोन्स ऐक्ट, १९१४ में यथा परिभाषित "लोकल अथारिटी" समझी जायगी तथा उस अधिनियम के अधीन रुपया उधार लेने के प्रयोजनार्थ उसके समस्त उपबन्धों तथा तदन्तर्गत निर्मित नियमावली के अधीन रहेगी । परिषद् लोकल अथारिटीज लोन्स ऐक्ट, १९१४ के अधीन लोकल अथारिटी होगी ऐक्ट संख्या ९, १९१४

(२) रिजर्व बैंक आफ इंडिया ऐक्ट, १९३४ की धारा ३१ के उपबन्धों के अधीन रहते हुये तथा राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से परिषद् ऐसी रीति से तथा उन उद्देश्यों के लिये और उन शर्तों के जिनके अन्तर्गत निक्षेप निधि रखने की शर्त भी है और जो नियमों द्वारा नियत की जायेंगी, अधीन रहते हुये, ऋण-पत्र जारी करके, खुले बाजार में ऋण ले सकती है । ऐक्ट संख्या २, १९३४

श्री अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि खंड १०० इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड १०१

१०१—(१) जिला निधि या क्षेत्र निधि सरकारी खजाने या उपखजाने में या ऐसे बैंक में जिसे सरकारी खजाने का काम सौंपा गया हो, जमा की जायगी या राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से एक या अधिक अनुसूचित बैंकों या सहकारी समितियों में जमा की जायगी जिन्हें वह तदर्थ निर्दिष्ट करे । निधि की अभिरक्षा तथा तथा उसका लगाया जाना

(२) उन स्थानों में जहां इस प्रकार का कोई खजाना या बैंक न हो, जिला निधि या क्षेत्र निधि किसी महाजन की या महाजन के रूप में काम करने वाले ऐसे व्यक्ति की अभिरक्षा में रखी जा सकती है जिसने उस निधि की सुरक्षित अभिरक्षा के लिये तथा मांग करने पर भुगतान करने के लिये ऐसी प्रतिभूति दी हो जो राज्य सरकार उस विशेष मामले में पर्याप्त समझे।

(३) इस धारा के पूर्वगामी उपबन्धों में किसी भी बात से यह न समझा जायगा कि वह परिषद् या क्षेत्र समिति को अपनी निधि के किसी अंश को जिसकी तत्काल व्यय के लिये आवश्यकता न हो, राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से, इंडियन ट्रस्ट्स ऐक्ट, १८८२ की धारा २० में वर्णित प्रतिभूतियों में से किसी में लगाने, अथवा स्टेट बैंक आफ इंडिया या अन्य किसी प्राधिकारी या संस्था के पास सावधि निक्षेप (fixed deposit) के रूप में जमा करने से रोकती है । ऐक्ट संख्या २, १८८२

श्री अधिष्ठाता— प्रश्न यह है कि खंड १०१ के उपखंड (१) के शब्द "समितियों" के स्थान पर शब्द "बैंकों" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता— प्रश्न यह है कि संशोधित खंड १०१ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड १०२—१०४

निधि का उपयोग

१०२—(१) जिलानिधि तथा परिषद् में निहित समस्त सम्पत्ति और क्षेत्र निधि उन व्यक्त या उपलक्षित प्रयोजनों के लिये उपयोग में लायी जायगी जिनके लिये इस अथवा अन्य किसी अधिनियमित द्वारा या उसके अधीन यथास्थिति, परिषद् या क्षेत्र समिति को, अधिकार प्रदान किये गये हों या उस पर कर्तव्य या आभार आरोपित किये गये हों।

(२) परिषद् या क्षेत्र समिति यथा स्थिति, जिले या खण्ड की सीमाओं के बाहर भूमि अर्जित करने या किराये पर लेने के लिये या ऐसी सीमाओं के बाहर कोई निर्माण-कार्य संपादित करने के निमित्त कोई व्यय—

(क) राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से अन्यथा, अथवा

(ख) ऐसे निबन्धनों और शर्तों से अन्यथा जो राज्य सरकार आरोपित करे, नहीं करेगी।

(३) धारा ९२ के उपबन्धों के अधीन रहते हुये, परिषद् या क्षेत्र समिति की निधि और संपत्ति का उपयोग पूर्वता के निम्नांकित क्रम में किया जायगा—

(क) विधितः परिषद् या क्षेत्र समिति पर आरोपित अथवा उसके द्वारा स्वीकृत न्यास से उत्पन्न होने वाले दायित्व और आभार;

(ख) अधिष्ठान व्यय का—जिसके अन्तर्गत पेंशन, भविष्य निधि तथा अवकाश भत्ते भी हैं —भुगतान;

(ग) सरकार को देय समस्त धनराशियां;

ऐक्ट संख्या ९, १९१४

(घ) लोकल अथारिटीज लोन्स ऐक्ट, १९१४ के उपबन्धों के अधीन लिया गया कोई ऋण चुकाना तथा उसके ब्याज का भुगतान;

(ङ) कोई धनराशि जिसका धारा १३७ की उपधारा (३), धारा १०९ की उपधारा (२), धारा २२९ की उपधारा (२), धारा २३० की उपधारा (३) तथा धारा २५२ की उपधारा (३) के अधीन, यथास्थिति, जिला निधि या क्षेत्र निधि से भुगतान किये जाने का आदेश दिया गया हो; तथा

(च) इस अधिनियम की धारा ३१, ३२, ३३ और ३४ के अथवा किसी अन्य अधिनियमित के अधीन परिषद् पर आरोपित कर्त्तव्यों तथा आभारों का निवर्हन।

परिषद् में निहित संपत्ति।

१०३—राज्य सरकार द्वारा निश्चित किसी व्यावृत्ति (reservation) के अधीन रहते हुये इस धारा में वर्णित प्रकार की ऐसी समस्त सम्पत्ति जो जिले के भीतर स्थित हो, परिषद् में निहित होगी और उसकी सम्पत्ति होगी तथा अन्य ऐसी समस्त सम्पत्ति के साथ, जो परिषद् में निहित हो जाय, उसके निदेश, प्रबन्ध और नियंत्रण के अधीन रहेगी और इस अधिनियम के प्रयोजनों के निमित्त अधिकार में रखी तथा उपयोग में लायी जायगी, अर्थात्—

(क) प्रत्येक प्रकार की सब सार्वजनिक इमारतें, जो जिला निधि से निर्मित की गई हों या उनसे अनुरक्षित की जाती हों;

(ख) समस्त सार्वजनिक मार्ग, जो जिला निधि से निर्मित किये गये हों या उससे अनुरक्षित किये जाते हों, और उनके पत्थर तथा अन्य सामग्री और साथ ही ऐसे समस्त वृक्ष, निर्माण, सामग्री, उपकरण और वस्तुएं जिनकी व्यवस्था उक्त मार्गों के लिये की गई हों; तथा

(ग) समस्त भूमि तथा अन्य सम्पत्ति जो सरकार द्वारा अथवा दान या विक्रय द्वारा या अन्य प्रकार से स्थानीय सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये परिषद् को हस्तान्तरित की गयी हो।

क्षेत्र समिति में निहित संपत्ति

१०४—राज्य सरकार द्वारा निश्चित किसी व्यावृत्ति के अधीन रहते हुये इस धारा में वर्णित प्रकार की ऐसी समस्त सम्पत्ति, जो खण्ड के भीतर स्थित हो, क्षेत्र समिति में निहित होगी और उसकी सम्पत्ति होगी तथा अन्य ऐसी समस्त सम्पत्ति के साथ जो क्षेत्र समिति में निहित हो जाय, इस अधिनियम के प्रयोजनों के निमित्त उसके निदेश, प्रबन्ध और नियंत्रण के अधीन रहेगी, अर्थात्

(क) प्रत्येक प्रकार की समस्त सार्वजनिक इमारतें जो क्षेत्र निधि से निर्मित की गई हों या उससे अनुरक्षित की जाती हों;

(ख) समस्त सार्वजनिक मार्ग जो क्षेत्र निधि से निर्मित किये गये हों या उससे अनुरक्षित किये जाते हों, और उनके पत्थर तथा अन्य सामग्री, और साथ ही ऐसे समस्त वृक्ष, निर्माण, सामग्री, उपकरण और वस्तुयें जिनकी व्यवस्था उक्त मार्गों के लिये की गयी हो;

(ग) समस्त भूमि तथा अन्य सम्पत्ति, जो सरकार द्वारा अथवा दान या विक्रय द्वारा या अन्य प्रकार से स्थानीय प्रयोजनों के लिये क्षेत्र समिति को हस्तान्तरित की गयी हो; तथा

(घ) खण्ड के भीतर स्थित सब तालाब और कुयें और समस्त जमीनें, इमारतें, सामग्री तथा वस्तुयें, जो उनसे संबद्ध या संसक्त हों, जो निजी सम्पत्ति न हों और न किसी सरकार द्वारा या अन्तरिम जिला परिषद् से भिन्न किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा अनुरक्षित या नियंत्रित हों।

श्री अधिष्ठाता— प्रश्न यह है कि खंड १०२ से १०४ तक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड १०५

भूमि का अनिवार्य अर्जन

१०५—(१) जब परिषद् या क्षेत्र समिति इस अधिनियम या अन्य किसी अधिनियमित के अधीन प्राप्त किसी अधिकार का प्रयोग अथवा अपने पर आरोपित किसी कर्तव्य के पालन के निमित्त, स्थायी या अस्थायी रूप से, कोई भूमि या भूमि सम्बन्धी कोई अधिकार अर्जित करना चाहे, तो वह राज्य सरकार से प्रार्थना कर सकती है कि वह उसे लैण्ड एक्वीजीशन ऐक्ट, १८९४ के या अन्य किसी वर्तमान विधि के उपबन्धों के अधीन उसके व्यय से अर्जित कर ले।

ऐक्ट संख्या १, १८९४

(२) राज्य सरकार द्वारा ऐसी भूमि या ऐसा अधिकार उपर्युक्त उपबन्धों के अधीन अर्जित किये जाने पर तथा तदन्तर्गत बिठाये गये प्रतिकर का तथा राज्य सरकार द्वारा कार्यवाहियों के सम्बन्ध में किये गये व्यय का भुगतान, यथास्थिति, परिषद् या क्षेत्र समिति, द्वारा राज्य सरकार को कर दिये जाने पर, वह भूमि या अधिकार, यथा स्थिति परिषद् या क्षेत्र समिति में निहित हो जायगा।

श्री अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि खंड १०५ के अन्त में "किन्तु प्रार्थना-पत्र प्राप्ति के बाद भूमि के अर्जन की कार्यवाही का निर्णय करना ३ माह के भीतर अनिवार्य होगा" प्रतिबन्ध बढ़ा दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि खंड १०५ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड १०६—१०९

सार्वजनिक संस्थाएं

१०६—(१) प्रत्येक सार्वजनिक संस्था का जिसका अनुरक्षण पूर्णतया जिला निधि या क्षेत्र निधि से होता हो, प्रबन्ध, नियंत्रण और प्रशासन यथा स्थिति परिषद् या क्षेत्र समिति में निहित होगा।

(२) अन्य कोई सार्वजनिक संस्था भी परिषद् या क्षेत्र समिति में निहित की जा सकती है अथवा उसके प्रबन्ध, नियंत्रण और प्रशासन के अधीन की जा सकती है :

प्रतिबन्ध यह है कि उनके सम्बन्ध में परिषद् या क्षेत्र समिति के प्राधिकार की आयति नियम द्वारा नियत की जा सकती है।

(३) किसी भी सार्वजनिक संस्था की ऐसी समस्त संपत्ति, निबन्ध (endowment) और निधियां जो परिषद् या क्षेत्र समिति में निहित हों अथवा उसके प्रबन्ध नियंत्रण और प्रशासन के अधीन की गई हों, परिषद् या क्षेत्र समिति द्वारा उन प्रयोजनों के निमित्त न्यास के रूप में अपने अधिकार में रखी जायेंगी जिनके लिये ऐसी संपत्ति, निबन्ध तथा निधियां उस समय विधितः उपयोग में लायी जा सकती थीं, जब कि संस्था इस प्रकार निहित हुई थी या इस प्रकार अधीन की गई थी :

ऐक्ट संख्या ६, १८९०

प्रतिबन्ध यह है कि इस धारा के पूर्वगामी उपबन्धों में किसी बात से यह न समझा जायगा कि वह चैरिटेबुल-इनडाउमेन्ट्स ऐक्ट, १८९० के अधीन किसी न्यास की संपत्ति को ट्रेजरार आफ चैरिटेबुल इनडाउमेन्ट्स में निहित होने से रोकती है।

संपत्ति को हस्तान्तरित करने का अधिकार

१०७—(१) इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन आरोपित किसी निबन्धन के अधीन रहते हुए, परिषद् या क्षेत्र समिति अपने में निहित किसी संपत्ति को, जो ऐसी संपत्ति न हो जो किसी ऐसे न्यास के रूप में उसके अधिकार में हो जिसकी शर्तें उसके इस प्रकार हस्तान्तरण के अधिकार से असंगत हों विक्रय, बंधक, पट्टे, दान, विनिमय द्वारा या अन्य किसी प्रकार से हस्तान्तरित कर सकती है।

(२) उपधारा (१) में किसी बात के होते हुए भी, परिषद् या क्षेत्र समिति, राज्य सरकार की स्वीकृति से, अपने में निहित कोई संपत्ति सरकार को हस्तान्तरित कर सकती है, किन्तु इस प्रकार नहीं कि उससे किसी ऐसे न्यास या सार्वजनिक अधिकारों पर प्रभाव पड़े जिनके अधीन वह संपत्ति हो :

प्रतिबन्ध यह है कि उपधारा (१) के अधीन प्रत्येक हस्तान्तरण, जो एक वर्ष से अनधिक की अवधि के पट्टे से भिन्न हो, एक करण द्वारा संपन्न होगा जिस पर यथास्थिति परिषद् या क्षेत्र समिति की सामान्य मुद्रा अंकित रहेगी तथा वह इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन आरोपित संविदा सम्बन्धी समस्त शर्तों का अनुपालन करेगा।

जिला निधि या क्षेत्र निधि से प्रतिकर का भुगतान

१०८—परिषद् या क्षेत्र समिति अपनी निधि में से किसी ऐसे व्यक्ति को प्रतिकर दे सकती है जिसे परिषद् द्वारा अथवा परिषद् की ओर से इस अधिनियम के अधीन कार्य करने वाले किसी व्यक्ति द्वारा, इस अधिनियम या अन्य किसी अधिनियमित से या उसके अधीन प्राप्त अधिकार के प्रयोग से या आरोपित कर्त्तव्य के संपादन से क्षति पहुंची हो और ऐसा प्रतिकर तभी देगी जब कि स्वयं क्षति उठाने वाले व्यक्ति से कोई चूक न हुई हो।

मेलों आदि में विशेष पुलिस संरक्षण के लिये परिषद् या क्षेत्र समिति द्वारा व्यय का दिया जाना

१०९—(१) जब, राज्य सरकार की राय में परिषद् या क्षेत्र समिति के प्रबन्ध में किये जाने वाले किसी मेले, कृषि प्रदर्शन या औद्योगिक प्रदर्शनी के अवसर पर अथवा परिषद् या क्षेत्र समिति द्वारा नियंत्रित और विनियमित पशु-बाजार या पशु-मेले के अवसर पर विशेष पुलिस संरक्षण अपेक्षित हो तो राज्य सरकार ऐसे संरक्षण का व्यवस्था कर सकती है और यथास्थिति परिषद् या क्षेत्र समिति, उसका पूरा व्यय या उस व्यय का उतना अंश जो राज्य सरकार उसके द्वारा न्याय रूप में देय समझे, अदा करेगी।

(२) यदि देय व्यय की राशि अदा न की जाय तो नियत प्राधिकारी ऐसा आदेश दे सकता है जिसमें जिला निधि या क्षेत्र निधि अपनी अभिरक्षा में रखने वाले व्यक्ति को यह निदेश हो कि वह उक्त व्यय उस निधि से अदा कर दे और वह व्यक्ति तदनुसार उक्त धनराशि अदा करेगा।

श्री अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि खंड १०६ से १०९ तक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।

खंड ११०

परिषद् का बजट तैयार और पारित करना

११०—(१) कार्य-समिति नियत रीति से वित्त समिति के परामर्श से तथा धारा ९९ की उपधारा (१) के प्रतिबन्धात्मक खण्ड के उपबन्धों का समुचित ध्यान रखते हुए, प्रत्येक वर्ष ऐसे दिनांक के पूर्व जो नियम द्वारा तदर्थ निश्चित किया जाय, आगामी ३१ मार्च को समाप्त होने वाले चले वर्ष के अपने वास्तविक तथा प्रत्याशित आय-व्यय का एक पूरा लेखा तथा आगामी १ अप्रैल से आरम्भ होने वाले वर्ष के लिये बजट अनुमान तैयार करेगी।

(२) उपधारा (१) के अधीन बजट अनुमान तैयार करने में आय के अनुमान में राज्य सरकार से आयोजन और विकास के कार्यों के निमित्त प्राप्त अनुदानों को अलग प्रदर्शित किया जायगा तथा व्यय के अनुमानों में यह अलग प्रदर्शित किया जायगा कि उन अनुदानों के किस प्रकार व्यय किये जाने का प्रस्ताव है।

(३) तदुपरान्त अध्यक्ष नियम द्वारा तदर्थ निश्चित किये जाने वाले दिनांक के पहले, उपधारा (१) के अधीन तैयार किए गए लेखा तथा बजट अनुमान को परिषद् की बैठक में प्रस्तुत करेगा।

(४) परिषद् उपधारा (३) में उल्लिखित बैठक में बजट पर चर्चा करेगी और फिर विशेष प्रस्ताव द्वारा—

(क) पूरे बजट को पारित करेगी, या

(ख) बजट को किन्हीं ऐसे परिष्कारों सहित पारित करेगी जो वह उचित समझे, या

(ग) बजट को फिर से तैयार करने के लिये उसे कार्य समिति को लौटा देगी।

(५) जब परिषद् उपधारा (४) के खण्ड (ग) के अधीन बजट लौटा दे तो कार्य-समिति नया बजट तैयार करेगी और अध्यक्ष उस बजट को परिषद् के समक्ष रखेगा और परिषद् उस पर चर्चा करेगी तथा विशेष संकल्प द्वारा या तो उसे पूर्णतः या उसमें ऐसे संशोधन करके जो वह उचित समझे पारित करेगी।

(६)—(क) अध्यक्ष मंडल आयुक्त के पास कार्य समिति का मूलबजट, कार्य समिति का संशोधित बजट, (यदि कोई हो), तथा परिषद् द्वारा पारित बजट भेजेगा और मंडल आयुक्त परिषद् द्वारा पारित पूरे बजट को स्वीकार कर सकता है या उस भाग में, जो राज्य सरकार द्वारा आयोजन तथा विकास के कार्यों के निमित्त दिये गये अनुदानों से किये जाने वाले व्यय के संबंध में हो, कोई ऐसे परिवर्तन करने के पश्चात जो वह उचित समझे उसे स्वीकार कर सकता है। मंडल आयुक्त परिषद् के कर्मचारीवृन्द के वेतन का भुगतान सुनिश्चित करने के लिये बजट के अवशिष्ट भाग में ऐसे आवश्यक परिवर्तन कर सकता है तथा उस भाग के संबंध में ऐसी सिफारिशें भी कर सकता है जो वह उचित समझे।

(ख) यदि मंडल आयुक्त खण्ड (क) के अधीन कोई सिफारिश न करें तो बजट, ऐसे परिष्कारों सहित (यदि कोई हो), जो उसने उक्त खंड के अधीन किये हों, अंतिम रूप से पारित समझा जायगा। यदि मंडल आयुक्त ने खन्ड (क) के अधीन कोई सिफारिश की हों तो अध्यक्ष उन्हें परिषद् के समक्ष रखेगा। परिषद् उन सिफारिशों के अनुसार बजट में परिवर्तन कर सकती है या कोई भी परिवर्तन करने से इन्कार कर सकती है। तब बजट, मंडल आयुक्त द्वारा खन्ड (क) के अधीन किये गये परिवर्तनों सहित (यदि कोई हों), तथा परिषद् द्वारा इस खन्ड के अधीन किये गये परिवर्तनों सहित यदि कोई हो, अंतिम रूप से पारित समझा जायगा।

(ग) यदि ऐसे दिनांक के पूर्व जो नियम द्वारा तदर्थ निश्चित किया जाय, परिषद् ने न बजट पारित किया हो और न वह उसके द्वारा पारित समझा जाय या यदि अध्यक्ष ने खन्ड (क) के उपबन्धों के अधीन किसी बजट या किन्हीं बजटों को प्रस्तुत न किया हो तो मंडल आयुक्त अध्यक्ष से ऐसी सूचना देने के लिये कह सकता है जिसकी उसे अपेक्षा हो तथा वह (आयुक्त) परिषद् के लिये बजट तैयार कर सकता है और ऐसा बजट परिषद् द्वारा अंतिम रूप से पारित समझा जायगा।

(घ) यदि उस दिनांक से पूर्व, जो नियम द्वारा तदर्थ निश्चित किया जाये, मंडल आयुक्त की सिफारिशें खन्ड (ख) के अपेक्षानुसार परिषद् के समक्ष प्रस्तुत न की जायें, या परिषद् ने उन पर कोई निर्णय न किया हो, तो बजट, उन परिष्कारों सहित जिनकी मंडल आयुक्त ने सिफारिश की हो, अंतिम रूप से पारित समझा जायगा।

(७) परिषद् कार्य-समिति के परामर्श से, समय-समय पर, जैसा परिस्थितियों के अनुसार वांछनीय हो, अंतिम रूप से पारित समझे गये बजट में परिवर्तन कर सकती है तथा मंडल आयुक्त भी उसमें परिवर्तन कर सकता है :

प्रतिबन्ध यह है कि परिषद् द्वारा बजट में किया गया प्रत्येक परिवर्तन अध्यक्ष द्वारा मंडल आयुक्त को भेजा जायगा और वह परिवर्तन, यथासंभव उपधारा (६) के खन्ड (क), (ख) और (ग) के उपबन्धों के अधीन रहेगा।

श्री अधिष्ठाता— प्रश्न यह है कि खंड ११० के उपखंड (६) के भाग (क) में शब्द "जो वह उचित समझे" के स्थान पर "जो वह उक्त अनुदानों के प्रयोजनों की सिद्धि के लिये उपयुक्त समझे" तथा भाग (ख) के अन्त में आने वाले पूर्ण विराम के स्थान पर कोलन रख दिया जाय तथा तत्पश्चात् निम्नलिखित एक प्रतिबन्धात्मक खंड के रूप में जोड़ दिया जाय—

"प्रतिबन्ध यह है कि भाग (क) के अधीन मंडल आयुक्त द्वारा किये गये परिवर्तनों को परिषद् के आवेदन पर राज्य सरकार पुनरीक्षित कर सकती है और ऐसी दशा में इस खंड के अधीन पारित समझा गया बजट तदनुसार परिष्कृत समझा जायगा।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता— प्रश्न यह है कि खंड ११० के उपखंड (७) में से शब्द "तथा मंडल आयुक्त भी उसमें परिवर्तन कर सकता है" निकाल दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि संशोधित खंड ११० इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड १११—११२

परिषद् के बजट का पुनरीक्षण

१११—पहली अक्टूबर के पश्चात् यथाशक्यशीघ्र वर्ष का पुनरीक्षित बजट तैयार किया जायगा और यह पुनरीक्षित बजट, यथासंभव उन समस्त उपबन्धों के अधीन होगा जो धारा ११० के अधीन तैयार किये गये बजट पर प्रवृत्त होते हैं।

परिषद् के बजट में दिखाई गई न्यूनतम रोकड़ बाकी

११२—यदि राज्य सरकार आदेश द्वारा कोई निम्नतम रोकड़ बाकी नियत करे तो कार्य-समिति बजट तैयार करने में उस न्यूनतम रोकड़ बाकी के लिये व्यवस्था करेगी।

श्री अधिष्ठाता— प्रश्न यह है कि खंड १११ तथा ११२ इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ११३—११४

बजट की प्रतिलिपि का आयुक्त तथा राज्य सरकार को भेजा जाना

११३—प्रत्येक परिषद् अपने अंतिम रूप से पारित बजट की एक प्रतिलिपि मंडल-आयुक्त को और दूसरी प्रतिलिपि राज्य सरकार को भेजेगी।

बजट में व्यवस्थित धनराशि से अधिक व्यय करने का निषेध

११४—(१) जब इस अधिनियम के अधीन किसी परिषद् का बजट या पुनरीक्षित बजट अंतिम रूप से पारित किया जा चुका हो तो परिषद् बजट के उस शीर्षक के अतिरिक्त जिसमें करों के लौटाये जाने की व्यवस्था हो, किसी भी शीर्षक के अन्तर्गत, उस शीर्षक के अधीन पारित धनराशि से अधिक व्यय तब तक न करेगी जब तक कि वह बजट में परिवर्तन करके उस अधिक व्यय के लिये व्यवस्था न कर ले।

(२) अब किसी ऐसे शीर्षक के अन्तर्गत, जिसमें करों के लौटाये जाने की व्यवस्था हो, उस शीर्षक के अधीन अनुमोदित या स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय किया जाय तो बजट में परिवर्तन करके उस व्यय के लिये अविलम्ब व्यवस्था की जायगी।

श्री अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि खंड ११३ तथा ११४ इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ११५

क्षेत्र समिति का बजट तैयार और पारित करना

११५—(१) कार्यकारिणी, उत्पादन समिति तथा कल्याण समिति के परामर्श से और धारा ९९ की उपधारा (१) के प्रतिबन्धात्मक खंड के उपबन्धों का समुचित ध्यान रखते हुए, आगामी ३१ मार्च को समाप्त होने वाले वर्ष के अपने वास्तविक तथा प्रत्याशित आय–व्यय का एक पूरा लेखा तथा आगामी १ अप्रैल से आरम्भ होने वाले वर्ष के लिये अपने आय–व्यय का बजट तैयार करेगी और प्रमुख उसे नियम द्वारा तदर्थ निश्चित किये जाने वाले दिनांक के पहले प्रत्येक वर्ष होने वाली बैठक में क्षेत्र समिति के समक्ष प्रस्तुत करेगा :

प्रतिबन्ध यह है कि अनुमित आय में राज्य सरकार से आयोजन और विकास के कार्यों के निमित्त प्राप्त अनुदानों को अलग प्रदर्शित किया जायगा तथा व्यय के अनुमानों में यह अलग प्रदर्शित किया जायगा कि उन अनुदानों के किस प्रकार व्यय किये जाने का प्रस्ताव है।

(२) क्षेत्र समिति इस धारा की उपधारा (१) में उल्लिखित बैठक में बजट पर चर्चा करेगी और फिर विशेष प्रस्ताव द्वारा—

(क) पूरे बजट को पारित करेगी, या

(ख) बजट को किन्हीं ऐसे परिष्कारों सहित पारित करेगी जो वह उचित समझे।

(३) प्रमुख, जिला परिषद् के पास कार्यकारिणी का मूल बजट तथा क्षेत्र समिति द्वारा पारित बजट भेजेगा और जिला परिषद् द्वारा उनके प्राप्त हो जाने के बाद, उन्हें बजट नियोजन समिति के समक्ष परिनिरीक्षा, तथा अनुमोदन के लिये या परिष्कारार्थ ऐसी सिफारिशें करने के लिये जो नियोजन समिति उचित समझे, रखा जायेगा।

(४) नियोजन समिति का अनुमोदन या उसकी सिफारिशें जिला परिषद् द्वारा क्षेत्र समिति को सूचित की जायगी और अनुमोदन की दशा में क्षेत्र समिति द्वारा पारित तथा नियोजन समिति द्वारा अनुमोदित बजट क्षेत्र समिति का अंतिम रूप से पारित बजट समझा जायगा।

(५) यदि नियोजन समिति ने कोई सिफारिशें की हों तो क्षेत्र समिति उन पर विचार करेगी और उन्हें पूर्णतः या अंशतः स्वीकार करेगी या पूर्णतः अस्वीकृत कर देगी। पूर्णतः स्वीकृत किये जाने की दशा में नियोजन समिति की सिफारिशों के अनुसार परिष्कृत बजट क्षेत्र समिति का अंतिम रूप से पारित बजट समझा जायगा।

(६) यदि क्षेत्र समिति नियोजन समिति की सिफारिशों को केवल आंशिक रूप में स्वीकृत करे अथवा उन्हें अस्वीकृत कर दे तो प्रमुख, बजट को जिला परिषद् के समक्ष क्षेत्र समिति की उस बैठक या उन बैठकों की कार्यवाहियों की एक प्रति के साथ प्रस्तुत करेगा जिसमें या जिनमें नियोजन समिति की सिफारिशें केवल आंशिक रूप में स्वीकार की गयी थीं या अस्वीकृत की गयी थीं, तथा नियोजन समिति और क्षेत्र समिति के मतभेद पर जिला परिषद् का निर्णय अंतिम होगा। तथा उक्त बजट उन परिष्कारों सहित (यदि कोई हो), जो उसमें जिला परिषद् के निर्णय के अनुसरण में किये गये हों, क्षेत्र समिति का अंतिम रूप से पारित बजट समझा जायगा।

(७) यदि परिस्थितियों के अनुसार वांछनीय हो तो क्षेत्र समिति उपधारा (३) से (६) तक के उपबन्धों का पालन करके इस धारा के अधीन अंतिम रूप से पारित बजट में परिवर्तन कर सकती है।

श्री अधिष्ठाता—अब मैं २८२ नम्बर पर लिखित श्री ब्रजनारायण तिवारी वाला संशोधन जिसे अमरनाथ जी ने रखा है उस पर मत लेता हूं। प्रश्न यह है कि खंड ११५ के उपखंड (१) के प्रतिबन्ध की दूसरी पंक्ति के शब्द "तथा" से आगे के वाक्यांश को निकाल दिया जाय।

(प्रश्न उप स्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि खंड ११५ के उपखंड (३) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

"उपखंड (३) प्रमुख कार्यकारिणी का मूल बजट तथा क्षेत्र समिति द्वारा पारित बजट जिला परिषद् के पास भेजेगा और जिला परिषद् उन्हें नियोजन समिति के समक्ष रखेगी, जो क्षेत्र समिति द्वारा पारित बजट को या तो अनुमोदित करेगी या उसके परिष्कारार्थ सिफारिशें करेगी।"

(प्रश्न उपस्थत किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि खंड ११५ के वर्तमान उपखंड (७) की संख्या बदल कर उसे उपखंड (८) कर दिया जाय तथा उसके पूर्व निम्नलिखित उपखंड (७) के रूप में बढ़ा दिया जाय :—

"(७) यदि किसी क्षेत्र समिति का बजट नियत दिनांक तक न पारित किया गया हो और न पारित किया गया समझा जा सके तो नियत प्राधिकारी क्षेत्र समित के प्रमुख से ऐसी सूचना देने के लिये कह सकता है जिसकी उसे अपेक्षा हो तथा वह क्षेत्र समिति के लिये बजट तैयार कर सकता है और इस प्रकार तैयार किया गया बजट क्षेत्र समिति का अन्तिम रूप से पारित बजट समझा जायगा।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि संशोधित खंड ११५ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ११६—११७

परिषद् के बजट के संबंध में कतिपय उपबन्ध क्षेत्र समितियों के बजट पर प्रवृत्त होंगे

११६—धारा १११, ११२, ११३ तथा ११४ के उपबन्ध आवश्यक परिवर्तनों के साथ क्षेत्र समिति के बजट पर प्रवृत्त होंगे।

जिला परिषद् तथा क्षेत्र समिति द्वारा संविदे

११७—(१) इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुये जिला परिषद् या क्षेत्र समिति को ऐसे संविदे करने का अधिकार होगा जो इस अधिनियम के किसी प्रयोजन के लिये आवश्यक या इष्टकर हों।

(२) संविदों की स्वीकृति, निष्पादन, परिवर्तन तथा निर्वहन से सम्बद्ध समस्त विषय—जिनके अन्तर्गत उनके लिये योजनाएं अनुमान तथा परियोजनाएं तैयार करना तथा उनके लिये स्वीकृति देना भी है—नियमों द्वारा विनियमित होंगे।

(३) यदि किसी संविदे का निष्पादन इस अधिनियम के उपबन्धों के अथवा तदर्थ निर्मित किन्हीं नियमों के अनुसरण से अन्यथा किया जाय तो वह, जिला परिषद् या क्षेत्र समिति पर बंधनकारी न होगा।

श्री अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि खंड ११६ तथा ११७ इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ११८

कतिपय विषय जो नियमों द्वारा शासित होंगे

११८—निम्नलिखित विषय नियमों द्वारा शासित होंगे अर्थात्—

(क) अनुदान देना, तथा ऋण;

(ख) लेखे जो जिला परिषद् या क्षेत्र समिति द्वारा रखे जायेंगे;

(ग) कार्य समिति द्वारा वित्त समिति से, तथा कार्यकारिणी द्वारा उत्पादन समिति तथा कार्य समिति से, बजट के संबंध में परामर्श करने की रीति;

(घ) रीति जिससे ऐसे लेखों की परीक्षा की जायगी और उन्हें प्रकाशित किया जायगा तथा लेखा-परीक्षकों का व्यय को अस्वीकृत करने और किसी सदस्य, अधिकारी या सेवक की अनवधानता या अनाचार के कारण परिषद् या क्षेत्र समिति को किसी निधि या सम्पत्ति को हुई क्षति या उसके अपव्यय या दुरुपयोग के संबंध में परिषद् या क्षेत्र समिति के उक्त सदस्य, अधिकारी या सेवक के विरुद्ध सिफारिश करने का अधिकार;

(ङ) दिनांक, जिसके पूर्व बजट स्वीकृत करने के लिए बैठक की जायगी;

(च) बजटों की तैयारी में अपनायी जाने वाली प्रणाली तथा प्रपत्र;

(छ) उक्त परिषद् या क्षेत्र समिति द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली विवरणियां, विवरण और प्रतिवेदन; और

(ज) यात्रा-भत्ता, जिसके अन्तर्गत दैनिक भत्ता भी है, जो जिला परिषद या क्षेत्र समितियों के अध्यक्षों, उपाध्यक्षों, प्रमुखों, उप प्रमुखों तथा सदस्यों को दिया जा सकता है।

श्री अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि खंड ११८ के भाग (क) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

"(क) अनुदान तथा ऋण देना।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि संशोधित खंड ११८ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ११९—१२०

कर जो जिला परिषद् द्वारा आरोपित किए जा सकते हैं

११९—(१) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये जिला परिषद् निम्नलिखित कर आरोपित कर सकती है, या उनका आरोपण जारी रख सकती है, अर्थात्:—

(क) विभव और संपत्ति पर कर,

(ख) कोई ऐसा अन्य कर जिसे राज्य में आरोपित करने का अधिकार राज्य विधान-मंडल को भारत के संविधान के अधीन-जिसके अन्तर्गत संविधान का अनुच्छेद २७७ भी है, हो तथा जिसका परिषद् द्वारा आरोपण राज्य सरकार ने प्राधिकृत किया हो।

(२) कर, भारत के संविधान के अनुच्छेद २८५ के अधीन रहते हुये तथा इस अधिनियम तथा तदधीन निर्मित नियमों, विनियमों तथा उपविधियों के अनुसार निर्धारित और उद्गृहीत किये जायें।

विभव तथा संपत्ति कर का आरोपण जारी रहना यू० पी० ऐक्ट १०, १९२२

१२०—(१) यदि निश्चित दिन के ठीक पूर्व किसी जिले में विभव तथा संपत्ति पर कोई कर (tax on circumstances and property) प्रचलित रहा हो जो यूनाइटेड प्राविसेज डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स ऐक्ट, १९२२ के अधीन आरोपित किया गया हो या जारी रखा गया हो, तो ऐसा कर, जब तक कि वह राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से समाप्त या परिवर्तित न कर दिया जाय, जिला परिषद् द्वारा उन्हीं दरों से और उन्हीं शर्तों पर, जिनसे और जिनके अधीन वह पूर्वोक्त अधिनियम के अधीन उद्गृहीत किया जा रहा था, उद्गृहीत किया जाता रहेगा, तथा धारा १२१ में किसी बात के होते हुये भी, निश्चित दिन पर ऐसे करों के उद्ग्रहीत किये जाने के सम्बन्ध में प्रचलित समस्त नियम, विनियम और उपविधियां, समस्त आदेश तथा विज्ञप्तियां और समस्त नियुक्तियां उसी प्रकार प्रचलित रहेंगी मानों वे इस अधिनियम के अधीन बनाई गई, दिये गये या की गई हों और उन्हें इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार निरस्त परिवर्तित का परिष्कृत किया जा सकेगा।

(२) यदि निश्चित दिन से ठीक पूर्व, किसी जिले में विभव तथा सम्पत्ति पर कर पहले ही से प्रचलित न हो तो उस जिले की जिला परिषद् आगे दी गई रीति से ऐसा कर आरोपित कर सकती है।

(३) विभव तथा सम्पत्ति पर कर का कोई बकाया जिला-परिषद् द्वारा स्वमति से अध्याय ८ के अधीन या मालगुजारी के बकाया के रूप में वसूल किया जा सकता है।

श्री अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि खंड ११९ के उपखंड (१) का भाग (क) निकाल दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठाकर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार अस्वीकृत हुआ—

पक्ष में — १५,
विपक्ष में — ५०।)

श्री अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि खंड ११९ तथा १२० इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड १२१

विभव तथा सम्पत्ति पर कर आरोपित करने की शर्तें और निबन्धन

१२१—परिषद् का विभव तथा सम्पत्ति पर कर आरोपित करने का अधिकार निम्नलिखित शर्तों और निबन्धनों के अधीन रहते हुये होगा, अर्थात्—

(क) किसी ऐसे व्यक्ति पर कर आरोपित किया जा सकता है जो ग्राम्य-क्षेत्र में रहता या व्यवसाय करता हो, प्रतिबन्ध यह है कि निर्धारणाधीन के वर्ष में कुल मिला कर कम से कम छः महीने तक वह व्यक्ति इस प्रकार रहा हो या उसने इस प्रकार का व्यवसाय किया हो;

(ख) किसी ऐसे व्यक्ति पर कर नहीं लगाया जायगा जिसकी कुल कर-योग्य आय छः सौ रुपये वार्षिक से कम हो;

(ग) कर की दर कुल कर योग आय पर तीन नये पैसे प्रति रुपया से अधिक न होगी; तथा

(घ) किसी व्यक्ति पर आरोपित कर की कुल धनराशि उस अधिकतम धनराशि से (यदि कोई हो) अधिक न होगी जो नियम द्वारा नियत की जाय।

स्पष्टीकरण--इस धारा के प्रयोजन के लिये 'कर-योग्य आय' से तात्पर्य अनुमानित आय से है, किन्तु इसके अन्तर्गत निम्नलिखित वर्गों की आय न होगी:—

(१) इंडियन इनकम टैक्स ऐक्ट, १९२२ में यथा परिभाषित "एग्रीकल्चरल इनकम" (agricultural income);

(२) आय जिस पर यूनाइटेड प्राविन्सेज म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट, १९१६ की धारा १२८ के अधीन किसी नगरपालिका बोर्ड या नोटीफाइड एरिया कमेटी द्वारा पहले ही कोई कर आरोपित किया जा चुका हो;

(३) आय, जिस पर धारा ११९ की उप-धारा (१) के खण्ड (ग) के अधीन किसी दूसरी परिषद् द्वारा पहले ही कोई कर आरोपित किया जा चुका हो;

(४) आय, जिस पर यूनाइटेड प्रांविसेज टाउन एरियाज ऐक्ट, १९१४ की धारा १४ के अधीन पहले ही कोई कर आरोपित किया जा चुका हो।

श्री अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि खंड १२१ के उपखंड (क) के अन्त में निम्न प्रतिबन्ध जोड़ दिया जाय--

"प्रतिबन्ध यह है कि ऐसे व्यक्तियों को प्रथम कर निर्धारण नोटिस रजिस्ट्री द्वारा दिया जायगा और कर निर्धारण का आधार नोटिस में स्पष्ट लिखा जायगा।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि खंड १२१ के भाग (ख) की दूसरी पंक्ति में शब्द "छः" के स्थान पर शब्द "बारह" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि खंड १२१ के भाग (ग) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय--

"बारह सौ ऊपर की आय पर (१,००० तक कुछ नहीं) और १,५०० तक २ नये पैसे और प्रति ५,००० पर ५ नये पैसे लगाये जायंगे।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि खंड १२१ के उपखंड (ग) में शब्द "तीस नये पैसे" के स्थान पर "एक नया पैसा" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि खंड १२१ में स्पष्टीकरण की मद (३) की पहली पंक्ति में शब्द "खंड (ग)" के स्थान पर शब्द "खंड (क)" रख दिया जाय और दूसरी पंक्ति में शब्द "कोई" निकाल दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि खंड १२१ के स्पष्टीकरण में निम्नलिखित मद ५ के रूप में बढ़ा दी जाय:

"(५) आय जिस पर उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, १९५९ की धारा १७२ के अधीन किसी नगर महापालिका द्वारा पहले ही कर आरोपित किया जा चुका हो।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि संशोधित खंड १२१ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड १२२—१२७

विभव तथा संपत्ति कर की गांव सभाओं के माध्यम से वसूली, यू० पी० ऐक्ट २६, १९४७

१२२—यूनाइटेड प्राविंसेज पंचायत राज ऐक्ट, १९४७ में किसी बात के होते हुए भी, जिला परिषद् ऐसा कमीशन देकर जो समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट किया जाय, किसी गांव सभा को उसके क्षेत्र के निवासियों पर लगाये गये विभव तथा सम्पत्ति पर कर तसूल करने का कार्य सौंप सकती है और उस दशा में उस गांव सभा की गांव पंचायत का यह कर्त्तव्य होगा कि वह ऐसे निवासियों से उक्त कर वसूल करे तथा उगाही हुई धनराशियों को जिला निधि में जमा करे।

करारोपण के लिये प्रारम्भिक प्रस्तावों का तैयार किया जाना

१२३—(१) जब कोई जिला परिषद् कर आरोपित करना चाहे तो वह विशेष संकल्प द्वारा प्रस्ताव तैयार करेगी जिसमें निम्नलिखित बातें निर्दिष्ट की जायेंगी :—

(क) कर, जो धारा ११९ में वर्णित करों में से कोई होगा, जिसे वह आरोपित करना चाहे;

(ख) व्यक्ति या व्यक्तियों का वर्ग जिनपर कर का दायित्व डाला जायगा तथा उस संपत्ति या अन्य कर-योग्य वस्तु या विभव का वर्णन जिसके सम्बन्ध में उन पर दायित्व डाला जायगा, किन्तु जब कोई ऐसा वर्ग या वर्णन खंड (क) के अधीन या इस अधिनियम द्वारा पहले ही से पर्याप्त रूप से पारिभाषित हो, तो उसकी पुनरावृत्ति की अपेक्षा न होगी;

(ग) प्रत्येक ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग से उद्ग्राह्य कर की मात्रा या दर;

(घ) धारा १४७ में उल्लिखित कोई अन्य विषय जिसके निर्दिष्ट किये जाने की राज्य सरकार नियम द्वारा अपेक्षा करे।

(२) जिला परिषद् उन नियमों का एक प्रालेख भी तैयार करेगी जो वह धारा १४० में उल्लिखित विषयों के सम्बन्ध में राज्य सरकार से बनवाना चाहे।

(३) तत्पश्चात् जिला परिषद् नियमों द्वारा नियत रीति से, उपधारा (१) के अधीन तैयार किये गये प्रस्तावों, और उपधारा (२) के अधीन तैयार किये गये नियमों के प्रालेखों को, ऐसे रूप में नोटिस के सहित जो जिला परिषद् विनियम द्वारा नियत करे, प्रकाशित करेगी।

प्रस्ताव तैयार हो जाने के बाद की प्रक्रिया

१२४—(१) कोई व्यक्ति जो सामान्यतया उस जिले में रहता हो, या व्यवसाय करता हो जिसके भीतर जिला परिषद् कर आरोपित करना चाहती हो, उक्त नोटिस के प्रकाशन के तीस दिन के भीतर, पूर्वगामी धारा के अधीन तैयार किये गये सभी या किसी प्रस्ताव के विरुद्ध लिखित रूप से आपत्ति कर सकता है और जिला परिषद् इस प्रकार की गई किसी भी आपत्ति पर विचार करेगी और विशेष संकल्प द्वारा उस पर आदेश पारित करेगी।

(२) यदि जिला परिषद् अपने प्रस्तावों को या उनमें से किसी प्रस्ताव को परिष्कृत करना चाहे तो वह परिष्कृत प्रस्तावों को और यदि आवश्यक हो तो पुनरीक्षित नियमों के प्रालेख को ऐसे नोटिस के सहित प्रकाशित करेगी जिससे यह व्यक्त हो कि वे प्रस्ताव तथा नियम (यदि कोई हों) आपत्तियों के लिये पूर्व प्रकाशित प्रस्तावों और नियमों का परिष्कार करके बनाये गये हैं।

(३) परिष्कृत प्रस्तावों के सम्बन्ध में किन्हीं आपत्तियों पर उपधारा (१) में नियत रीति से कार्यवाही की जायगी।

राज्य सरकार का जिला परिषदों के प्रस्तावों को स्वीकार करने का अधिकार

१२५—(१) जब जिला परिषद् अपने प्रस्तावों को अन्तिम रूप से निश्चित कर ले तो वह उन्हें, उनके सम्बन्ध में की गयी आपत्तियों सहित (यदि कोई हों) नियत प्राधिकारी को भेजेगी और वह उन प्रस्तावों तथा आपत्तियों को (यदि कोई हों) राज्य सरकार को भेजेगा।

(२) उक्त आपत्तियों पर (यदि कोई हों) विचार करने के पश्चात् राज्य सरकार जैसा वह उचित समझे, उन प्रस्तावों को स्वीकार करने से इन्कार कर सकती है या उन्हें और विचार के लिये जिला परिषद् के पास भेज सकती है या उन्हें बिना परिष्कार किये स्वीकार कर सकती है या ऐसे परिष्कारों सहित स्वीकार कर सकती है जिनसे आरोपित की जाने वाली धनराशि में कोई वृद्धि न हो।

नियमों का राज्य सरकार द्वारा बनाया जाना

१२६—(१) जब राज्य सरकार ने, धारा १२३ की उपधारा (२) के अधीन जिला परिषद् के प्रस्तावों को स्वीकार कर लिया हो तो वह, जिला परिषद् द्वारा भेजे गये नियमों के प्रालेख पर विचार करने के बाद तुरन्त धारा २३७ के अधीन कर के विषय में ऐसे नियम बनाना प्रारम्भ करेगी जो वह उस समय आवश्यक समझे।

(२) जब नियम बन जायें तो उनकी एक प्रतिलिपि जिला परिषद् को भेजी जायगी।

जिला परिषद् का करारोपण निदेश देने से संबद्ध संकल्प

१२७—पूर्वगामी धारा के अधीन भेजी गयी नियमों की प्रति प्राप्त होने पर जिला परिषद् विशेष प्रस्ताव द्वारा, संकल्प में निर्दिष्ट किये जाने वाले दिनांक से कर के आरोपन का निदेश देगी। उक्त दिनांक उस संकल्प के दिनांक से कम से कम छः सप्ताह बाद का होगा।

श्री अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि खंड १२२ के अन्त में निम्न जोड़ दिया जाय—

"किन्तु गांव सभा ५ प्रतिशत खर्च में रख लेगी।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि खंड १२२ से १२७ तक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड १२८—१३०

करारोपण

१२८—(१) जिला परिषद् द्वारा धारा १२७ के अधीन पारित संकल्प की एक प्रति राज्य सरकार को भेजी जायगी।

(२) संकल्प की प्रति प्राप्त होने पर, राज्य सरकार धारा १२७ के अधीन निर्दिष्ट करारोपण को बजट में विज्ञापित करायेगी और सभी दिशाओं में करारोपण इस प्रतिबन्ध के अधीन रहते हुये किया जायेगा कि वह इस प्रकार विज्ञापित किया जा चुका हो।

(३) उपधारा (२) के अधीन करारोपण की विज्ञप्ति इस बात का निश्चायक प्रमाण होगी कि कर इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार आरोपित किया गया है।

१२९—कर को समाप्त या निलंबित करने की, या धारा १२३ की उपधारा (१) के खंड (ख) और (ग) में निर्विष्ट विषयों के सम्बन्ध में कर में परिवर्तन की प्रक्रिया यथासंभव वही होगी जो धारा १२३ से १२८ तक में करारोपण के लिये नियत है। करों में परिवर्तन की प्रक्रिया

१३०—धारा १२३ से १२९ तक में किसी बात के होते हुये भी, राज्य सरकार नियम द्वारा, धारा ११९ की उपधारा (१) के खंड (ख) में उल्लिखित कर के आरोपण तथा उसमें परिवर्तन के सम्बन्ध में ऐसी अन्य या परिष्कृत प्रक्रिया नियत कर सकती है जो वह उचित समझे। कुछ करों के संबंध में पारिवर्तित या परिष्कृत प्रक्रिया

श्री अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि खंड १२८ से १३० तक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड १३१—१३२

१३१—(१) जिला परिषद्, एक वर्ष से अनधिक की अवधि के लिये, किसी ऐसे व्यक्ति को जो उसकी राय में गरीबी के कारण कर का भुगतान करने में असमर्थ हो, इस अधिनियम के अधीन आरोपित कर या उसके किसी भाग के भुगतान से विमुक्त कर सकती है तथा इस विमुक्ति का, जितनी बार वह आवश्यक समझे, नवीकरण कर सकती है। विमुक्ति

(२) जिला परिषद् नियत प्राधिकारी द्वारा पुष्टिकृत विशेष संकल्प द्वारा किसी व्यक्ति को या व्यक्तियों के वर्ग को या किसी संपत्ति को या संपत्ति के प्रकार को इस अधिनियम के अधीन आरोपित कर या उसके किसी भाग के भुगतान से विमुक्त कर सकती है।

(३) राज्य सरकार, आदेश द्वारा, किसी व्यक्ति को या व्यक्तियों के वर्ग को या किसी संपत्ति को या संपत्ति के किसी प्रकार को इस अधिनियम के अधीन आरोपित कर या उसके किसी भाग के भुगतान से विमुक्त कर सकती है

१३२—(१) जब कभी राज्य सरकार को किसी भी शिकायत पर या अन्यथा यह प्रतीत हो कि जिला परिषद् द्वारा आरोपित किसी कर का उद्ग्रहण लोकहित के प्रतिकूल है या किसी कर का भार न्यायसंगत नहीं है तो राज्य-सरकार, जिला परिषद्, के स्पष्टीकरण पर विचार करने के पश्चात् आदेश द्वारा जिला परिषद् से अपेक्षा कर सकती है कि वह आदेश में निर्विष्ट किये जाने वाले समय के भीतर, किसी ऐसे दोष को दूर करने का उपाय करे जो उसके विचार से कर में या कर के निर्धारण या वसूली की रीति में विद्यमान हो। राज्य सरकार का किसी कर के दोषों को दूर करने या उसे समाप्त करने का अधिकार

(२) यदि जिला परिषद् राज्य सरकार के सन्तोषानुसार उपधारा (१) के अधीन दिये गये आदेश का अनुपालन न करे या उसमें असमर्थ रहे तो राज्य सरकार, विज्ञप्ति द्वारा, कर का या उसके किसी भाग का उद्ग्रहण, उस समय तक के लिये जब तक कि उक्त दोष दूर न कर दिया जाय, निलम्बित कर सकती है अथवा कर को समाप्त कर सकती है या कम कर सकती है।

श्री अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि खंड १३१ के उपखंड (२) को निकाल दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि खंड १३१ का उपखंड (३) निकाल दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता--प्रश्न यह है कि खंड १३१ और १३२ इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड १३३

दायित्व बतलाने का आभार

१३३—(१) जिला परिषद् लिखित आदेश द्वारा धारा १२१ के खंड (क) में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति से ऐसी सूचना देने के लिये कह सकती है जो यह सुनिश्चित करने के लिये आवश्यक हो कि—

(क) वह व्यक्ति उस कर का देनदार है या नहीं जो उसके विभव या संपत्ति पर निर्धारित किया गया है,

(ख) उस पर कितनी धनराशि निर्धारित की जानी चाहिये,

(ग) उस भूमि या इमारत का, जो उसके अध्यासन में हो वार्षिक मूल्य क्या है तथा स्वामी का नाम और पता क्या है।

(२) किसी अन्य कर के सम्बन्ध में, जिला परिषद् लिखित आदेश द्वारा किसी ऐसे व्यक्ति से, जो उस कर का देनदार प्रतीत हो, ऐसी सूचना देने की अपेक्षा कर सकती है जो नियम द्वारा नियत की जाय।

(३) यदि वह व्यक्ति जिससे इस प्रकार सूचना देने के लिये कहा गया हो वह सूचना न दे या ऐसी सूचना दे जो असत्य हो तो दोषी ठहराये जाने पर उस पर जुर्माना किया जा सकेगा जो १०० रु० तक हो सकता है।

श्री अधिष्ठाता--प्रश्न यह है कि खंड १३३ के उपखंड (३) की तीसरी पंक्ति में "१००" के स्थान पर "५०" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता--प्रश्न यह है कि खंड १३३ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड १३४

निरीक्षण का अधिकार

१३४—धारा २२२ में निर्दिष्ट शर्तों और निबन्धनों के अधीन रहते हुए, जिला परिषद् का अध्यक्ष तथा मुख्य कार्याधिकारी और, यदि संकल्प द्वारा वह तदर्थ प्राधिकृत हो तो, जिला परिषद् का अन्य कोई सदस्य, अधिकारी या सेवक मूल्यांकन के प्रयोजनार्थ किसी इमारत में प्रवेश कर सकता है, उसका निरीक्षण कर सकता है और उसकी माप कर सकता है।

श्री अधिष्ठाता--प्रश्न यह है कि खंड १३४ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड १३५

कर के संबंध में अपील

१३५—(१) विभव तथा संपत्ति पर कर के निर्धारण या उसके निर्धारण में किये गये परिवर्तन के विरुद्ध अपील, नियत प्राधिकारी को उस रीति से की जा सकती है और उसके द्वारा, उस रीति से निर्णीत की जायगी, जो नियमों द्वारा नियत की जाय।

(२) धारा ११९ की उपधारा (१) के खंड (घ) द्वारा प्राप्त अधिकार के अधीन जिला परिषद् द्वारा आरोपित कर के विषय में राज्य सरकार, नियमों द्वारा

ऐसे प्राधिकारी की व्यवस्था करेगी जिसे कर के निर्धारण या उसके निर्धारण में किये गये परिवर्तन के विरुद्ध अपील की जा सकेगी तथा उस रीति की व्यवस्था करेगी जिसके अनुसार ऐसी अपील प्रस्तुत तथा निर्णीत की जाय।

श्री अधिष्ठाता--प्रश्न यह है कि खंड १३५ के उपखंड (१) की पंक्ति दो में "नियत प्राधिकारी" के स्थान पर "जिला न्यायाधीश" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता--प्रश्न यह है कि खण्ड १३५ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड १३६

कालावधि तथा अध्यर्थित कर का प्राथमिक रूप में जमा किया जाना

१३६—ऐसी कोई अपील तब तक न सुनी जायगी और न उस पर निर्णय दिया जायगा जब तक कि—

(क) वह निर्धारण के या निर्धारण में किये गये परिवर्तन के नोटिस की प्राप्ति के दिनांक के तीस दिन के भीतर या, यदि कोई नोटिस न दिया गया हो तो निर्धारण के या निर्धारण में किये गये परिवर्तन के अधीन की गयी पहली मांग के तीस दिन के भीतर, प्रस्तुत न की गयी हो, और

(ख) अपीलकर्ता से अध्यर्थित धनराशि उसके द्वारा जिला कार्यालय में जमा न कर दी गई हो।

श्री अधिष्ठाता--प्रश्न यह है कि खण्ड १३६ के भाग (क) में जहां कहीं शब्द "तीस" हो उसके स्थान पर शब्द "साठ" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता--प्रश्न यह है कि खंड १३६ के भाग (ख) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय:

"(ख) यदि अपीलकर्ता से अध्यर्थित धनराशि पच्चीस रुपये से अधिक हो तो ऐसी धनराशि का आधा भाग उसके द्वारा जिला परिषद् के कार्यालय में जमा न कर दिया गया हो।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता--प्रश्न यह है कि संशोधित खण्ड १३६ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड १३७—१३८

व्यय

१३७—(१) धारा १३५ के अधीन की गयी किसी भी अपील में व्यय दिलाना अपील का निर्णय करने वाले अधिकारी की स्वमति पर निर्भर होगा।

(२) इस धारा के अधीन जिला परिषद् को दिलाया गया व्यय जिला परिषद् द्वारा अध्याय ८ में व्यवस्थित रीति से वसूल किया जा सकेगा।

(३) यदि जिला परिषद् अपीलकर्ता को दिलाया गया व्यय, व्यय दिलाने आदेश की सूचना जिला परिषद् को दिये जाने के दिनांक के बाद दस दिन के भीतर अदा न करे तो व्यय दिलाने वाला अधिकारी जिला निधि की अवशिष्ट धनराशि को अभिरक्षा में रखने वाले व्यक्ति को व्यय की उक्त धनराशि अदा करने का आदेश दे सकता है और वह व्यक्ति तदनुसार उक्त धनराशि अदा करेगा।

करावान के विषय में दीवानी और दन्ड न्यायालयों के क्षेत्राधिकार पर रोक

१३८—(१) उस रीति या प्राधिकारी से, जिसकी इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन व्यवस्था की गयी, भिन्न किसी रीति से या प्राधिकारी द्वारा किसी मूल्यांकन या निर्धारण के सम्बन्ध में या किसी व्यक्ति पर कर निर्धारित किये या लगाये जाने के दायित्व के सम्बन्ध में आपत्ति न की जायेगी।

(२) अपीलीय प्राधिकारी का ऐसा आदेश जिसके द्वारा गणना या निर्धारण या निर्धारण के दायित्व या कराधान के सम्बन्ध में कोई आदेश पुष्टिकृत, रद्द या परिष्कृत किया गया हो, अंतिम होगा:

प्रतिबन्ध यह है कि अपीलीय प्राधिकारी के लिये यह बंध होगा कि वह आवेदन-पत्र दिये जाने पर या स्वतः, अपने द्वारा अपील में दिये गये आदेश का अपने मूल आदेश के दिनांक से तीन महीने के भीतर, एक और आदेश पारित करके, पुनर्विलोकन करे।

श्री अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि खण्ड १३७ और १३८ इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड १३९

व्यावृत्तियां

१३९—कोई भी निर्धारण-सूची या अन्य सूची, नोटिस बिल या अन्य ऐसा लेख्य जो किसी कर, परिव्यय, किराये या शुल्क के सम्बन्ध में किसी व्यक्ति, संपत्ति, वस्तु या परिस्थिति को निर्दिष्ट करता हो या निर्दिष्ट करता भावित हो, केवल इसी कारण कि किसी व्यक्ति के नाम, निवास-स्थान, व्यवसाय या पेशे के स्थान में अथवा संपत्ति, वस्तु या परिस्थिति के वर्णन में कोई त्रुटि रह गई है, या केवल इस कारण कि उसमें कोई लिपिक अशुद्धि या उनके आकार में कोई दोष है अमान्य नहीं होगा और यह पर्याप्त होगा कि संबद्ध व्यक्ति, संपत्ति, वस्तु या परिस्थिति की पहिचान के प्रयोजन के निमित्त पर्याप्त वर्णन कर दिया गया है और किसी ऐसी संपत्ति के, जिस पर कर का दायित्व हो, स्वामी या अध्यासी का नाम देना आवश्यक न होगा।

श्री अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि खण्ड १३९ में जहां भी शब्द "परिस्थिति" आया हो उसके स्थान पर "विभव" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि संशोधित खण्ड १३९ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड १४०

निर्धारण, वसूली तथा अन्य विषयों के संबंध में नियम

१४०—इस अधिनियम द्वारा तदर्थ की गई व्यवस्था के अधीन रहते हुये, निम्नांकित विषय नियमों द्वारा नियमित होंगे, अर्थात्—

(क) करों का निर्धारण और वसूली,

(ख) करापवंचन की रोकथाम,

(ग) पद्धति जिसके अनुसार कर लौटाने की अनुज्ञा दी जायेगी और उनका भुगतान किया जायगा,

(घ) विभव तथा संपत्ति पर करों के मध्ये भुगतानों की मांग के नोटिस के लिये तथा अभिहरण के वारन्ट के निष्पादन के लिये शुल्क,

(ङ) अभिहृत पशुधन के पोषण के निमित्त लिये जाने वाले व्यय की दरें, तथा

(च) करों से संबद्ध अन्य कोई विषय जिसके बारे में इस अधिनियम में कोई व्यवस्था न की गयी हो या अपर्याप्त व्यवस्था की गयी हो और राज्य सरकार की राय में जिसके लिये व्यवस्था करना आवश्यक हो।

श्री अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि खण्ड १४० इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड १४१—१४८

करों में गांव सभाओं का अंश (share)

१४१—जिला परिषद् विभव तथा संपत्ति पर कर से होने वाली, अपनी शुद्ध आय (net proceeds) से जिले की गांव सभाओं को निधियों में ऐसी धनराशियां देगी जो वह ऐसी प्रत्येक गांव सभा की आवश्यकताओं को ध्यान रखते हुये अवधारित करे।

जिला परिषद् या क्षेत्र समिति की संपत्ति को पट्टे की अधीनता से भिन्न किसी रूप में प्रयोग करने के लिये शुल्क

१४२—(१) जिला परिषद् या क्षेत्र समिति, यथास्थिति, अपने में निहित या अपने प्रबन्ध में सौंपी गई किसी अचल संपत्ति के—जिसके अन्तर्गत कोई ऐसा सार्वजनिक मार्ग या स्थान भी है, जिसके प्रयोग या अध्यासन की वह, उसमें प्रक्षेप (projections) की अनुज्ञा देकर या अन्यथा, अनुमति देती है—(पट्टे की अधीनता से भिन्न किसी रूप में) प्रयोग या अध्यासन के लिये शुल्क ले सकती है, जो उपविधि द्वारा या सार्वजनिक नीलाम द्वारा या अनुबन्ध द्वारा निश्चित किया जायगा।

(२) ऐसे शुल्क या तो उन शुल्कों के साथ उद्ग्रहीत किये जा सकते हैं जो धारा १४२ के अधीन स्वीकृति, लाइसेंस या अनुमति के निमित्त लिये जाते हैं या अध्याय ८ में नियत रीति से वसूल किये जा सकते हैं।

लाइसेंस शुल्क आदि

१४३—जिला परिषद् या क्षेत्र समिति किसी ऐसे लाइसेंस, स्वीकृति या अनुमति के लिये जिसे स्वीकृत करने का उसे इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन हक हो या जिसे स्वीकृत करना उससे अपेक्षित हो, शुल्क ले सकती है जो उपविधि द्वारा निश्चित किया जायगा।

कुछ अन्य शुल्क

१४४—राज्य सरकार की पूर्व-स्वीकृति से, जिला परिषद् या क्षेत्र समिति विद्यालय शुल्क, पुस्तकालयों, सरायों या पड़ावों के प्रयोग के लिये शुल्क, जिला परिषद् या क्षेत्र समिति द्वारा निर्मित तथा अनुरक्षित निर्माण-कार्यों या संस्थाओं में से किसी के, या किन्हीं ऐसे कार्यों के, जो मूलतः दुर्भिक्ष-निवारण या सहायता-कार्यों के रूप में प्रारम्भ किये गये हों, प्रयोग के लिये या उनसे होने वाले लाभों के लिये शुल्क, बैलों या साड़ों की सेवा और पशुओं की रजिस्ट्री के लिये शुल्क, ऐसे मेलों, बाजारों, कृषि-प्रदर्शन और औद्योगिक प्रदर्शनियों के लिये शुल्क—चाहे वे उसके प्राधिकार के अधीन की जाती हों या अन्यथा—जिनमें जन-साधारण को सम्मिलित होने की अनुमति हो और जिनमें जिला परिषद् या क्षेत्र समिति सर्वसाधारण के लिये सफाई सम्बन्धी तथा अन्य सुविधाओं की व्यवस्था करती हो, तथा जिला परिषद् या क्षेत्र समिति द्वारा निर्मित, मरम्मत किये गये या अनुरक्षित पुलों के प्रयोग के लिये पथकर निश्चित कर सकती है और उन्हें उद्ग्रहीत कर सकती है :

प्रतिबन्ध यह है कि जिला परिषद् या क्षेत्र समिति उन पड़ावों के प्रयोग के लिये शुल्क निश्चित या उद्ग्रहीत न करेगी जो उसमें निहित न हों।

बाजारों के संबंध में लाइसेंस शुल्क और पथकर

१४५—राज्य सरकार द्वारा तदर्थ बनाये गये किसी नियम के अधीन रहते हुये, जिला परिषद् या क्षेत्र समिति किसी ऐसे बाजार में जो उसके द्वारा स्थापित किया गया हो या जिसका वह अनुरक्षण या प्रबन्ध करती हो, निम्नलिखित शुल्कों या पथकरों में से एक या अधिक आरोपित कर सकती है :—

(क) ऐसे बाजारों में अपना व्यवसाय करने वाले दलालों, आढ़तियों, तौलों या मापकों पर लाइसेंस-शुल्क;

(ख) बिक्री के लिये ऐसे बाजार में माल लाने वाले वाहनों, लददू पशुओं या कुलियों पर पथकर ;

(ग) ऐसे बाजार में बिक्री के लिये माल प्रदर्शित करने के अधिकार के लिये या उसमें किसी इमारत या संरचना का प्रयोग करने के लिये बाजार शुल्क ;

(घ) ऐसे बाजार में बेचे जाने वाले पशुओं की रजिस्ट्री पर शुल्क ।

धारा १४४ तथा १४५ के अधीन उद्ग्रहीत शुल्कों तथा पथ-करों की वसूली की रीति

१४६—धारा १४४ तथा १४५ में उल्लिखित जिन शुल्कों और पथ-करों का भुगतान न किया गया हो, वे अध्याय ८ में नियत रीति से वसूल किये जा सकते हैं ।

करों तथा अन्य देयों की रीति

१४७—जब तक कि इस अधिनियम द्वारा अन्यथा व्यवस्था न की गई हो, धारा १४८ में उल्लिखित कर तथा अन्य देय जिला परिषद् द्वारा आगे व्यवस्थित रीति से बाकीदार की चल सम्पत्ति का अभिहरण (distraint) तथा बिक्री कर के वसूल किये जा सकते हैं ।

बिल का प्रस्तुत किया जाना

१४८—(१) जैसे ही कोई व्यक्ति—

(क) जिला परिषद् द्वारा आरोपित किसी कर के मध्ये किसी धनराशि का, अथवा

ऐक्ट संख्या १७, १८७६

(ख) किसी अन्य धनराशि का, जो इस अधिनियम द्वारा या तदधीन अथवा नार्दन इंडिया फेरीज ऐक्ट, १८७८ के अधीन बनाये गये किसी नियम या उपविधि द्वारा इस अध्याय में व्यवस्थित रीति के अनुसार वसूल करने योग्य घोषित की गई हो, देनदार हो जाय, जिला परिषद्, यथाशीघ्र, ऐसे देनदार व्यक्ति को एक बिल प्रस्तुत करा देगी ।

(२) जब तक कि नियम द्वारा अन्यथा व्यवस्था न की गई हो, कोई व्यक्ति प्रत्येक कर और लाइसेंस-शुल्क का देनदार उस अवधि के आरम्भ होने पर समझा जायेगा जिसके संबंध में ऐसा कर या शुल्क देय हो ।

श्री अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि खंड १४१ के अन्त में निम्न जोड़ दिया जाय—

"जो गांव सभा के क्षेत्र में वसूल होने वाली आय के ५० फी सदी से किसी दशा में कम न होगी ।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि खंड १४१ से १४८ तक इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड १४९

बिल में निर्दिष्ट की जाने वाली बातें

१४९—प्रत्येक ऐसे बिल में निम्नलिखित बातें निर्दिष्ट होंगी—

(क) अवधि जिसके लिये, तथा सम्पत्ति, व्यवसाय, विभव (circumstance) अथवा वस्तु जिसके सम्बन्ध में धनराशि मांगी गयी हो,

(ख) शास्ति जो भुगतान न किये जाने की दशा में आरोपित की जा सकेगी, और

(ग) समय जिसके भीतर अपील, यदि कोई हो, धारा १३६ की व्यवस्था के अनुसार की जा सकती हो ।

श्री अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि खंड १४९ के भाग (ग) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :—

"(ग) खंड १३६ की व्यवस्था के अनुसार समय जिसके भीतर अपील (यदि कोई हो) की जा सकती है ।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि संशोधित खंड १४९ इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड १५०—१५२

मांग की नोटिस

१५०—यदि वह धनराशि जिसके लिये पूर्वोक्त रीति से बिल प्रस्तुत किया जा चुका हो, बिल प्रस्तुत किये जाने के पंद्रह दिन के भीतर, जिला परिषद् के कार्यालय में अथवा उस व्यक्ति को जो विनियम द्वारा ऐसे भुगतान प्राप्त करने के लिये अधिकृत किया गया हो अदा न की जाय, तो परिषद् उक्त धनराशि के लिये देनदार व्यक्ति पर ऐसे आकार में जो परिषद् विनियम द्वारा नियत करे मांग का एक-एक नोटिस तामील करवा सकती है ।

अधिपत्र का जारी किया जाना

१५१—(१) यदि उक्त धनराशि के लिये देनदार व्यक्ति मांग के ऐसे नोटिस की तामील से तीस दिन के भीतर—

(क) नोटिस में मांगी गई धनराशि अदा न करे, या

(ख) जिला परिषद् के या ऐसे अधिकारी के, जिसे परिषद् इस संबंध में विनियम द्वारा नियुक्त करे, संतोषानुसार इस बात का कारण न बताये कि वह धनराशि क्यों अदा न करे, तो ऐसी धनराशि, वसूली के सम्पूर्ण परिव्ययों सहित, परिषद् द्वारा ऐसे आकार में, जो परिषद् विनियम द्वारा नियत करे, जारी करवाये गये अधिपत्र (वारेंट) के अधीन बाकीदार की चल सम्पत्ति के अभिहरण और विक्रय द्वारा वसूल की जा सकती है ।

(२) इस धारा के अधीन जारी किये गये प्रत्येक अधिपत्र में अध्यक्ष के अथवा किसी ऐसे अधिकारी के हस्ताक्षर होंगे जिसे जिला परिषद् ने विनियम द्वारा यह अधिकार प्रतिनिहित किया हो ।

अधिपत्र के निष्पादन के लिये बलात् प्रवेश

१५२—(१) जिला परिषद् के किसी ऐसे अधिकारी के लिये, जिसे धारा १५१ के अधीन जारी किया गया अधिपत्र सम्बोधित हो, यह वैध होगा कि वह सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच किसी भी समय अधिपत्र में आदिष्ट अभिहरण करने के निमित्त किसी इमारत के बाहरी या भीतरी दरवाजे या खिड़की को, केवल निम्नलिखित परिस्थितियों में तोड़कर खोले अन्यथा नहीं—

(क) यदि अधिपत्र में कोई ऐसा विशेष आदेश हो जिसके द्वारा उसे तदर्थ प्राधिकृत किया गया हो, तथा

(ख) यदि उसके पास यह विश्वास करने के उचित कारण हों कि उक्त इमारत में ऐसी सम्पत्ति है जो अधिपत्र के अधीन अभिगृहीत (Seize) की जा सकती है, तथा

(ग) यदि अपने प्राधिकार और प्रयोजन की सूचना देने और प्रवेश के लिये यथाविधि अनुमति मांगने के पश्चात् वह अन्यथा प्रवेश न कर सके :

प्रतिबन्ध यह है कि ऐसा अधिकारी स्त्रियों के रहने के लिये प्रयुक्त कक्ष में या उसके दरवाजे को तोड़कर तब तक प्रवेश नहीं करेगा जब तक कि उसने किसी स्त्री को जो उसके भीतर हो, वहां से हट जाने का अवसर न दे दिया हो ।

श्री अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि खंड १५० से १५२ तक इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड १५३

अधिपत्र निष्पादित करने की रीति

१५३—(१) धारा १५२ में उल्लिखित अधिकारी के लिये यह अवैध होगा कि वह उपधारा (२) के उपबन्धों के अधीन रहते हुये, किसी बाकीदार की चल सम्पत्ति का, ग्राम्य क्षेत्र के भीतर जहां कहीं भी वह पाई जाय, अभिहरण करे ।

(२) निम्नलिखित सम्पत्ति का अभिहरण नहीं किया जायगा—

(क) बाकीदार, उसकी पत्नी और बच्चों के पहनने के आवश्यक वस्त्र तथा बिस्तरे, और उसके खाना बनाने के आवश्यक बर्तन,

(ख) कारीगरों के औजार,

(ग) लेखा-पुस्तकें,

(घ) जब बाकीदार खेतिहर (Agriculturist) हो, तो उसके खेती के उपकरण, बीज, अनाज, तथा ऐसे पशु जो उसके जीविकोपार्जन के लिये आवश्यक हों ।

(३) अभिहरण अत्यधिक न होगा अर्थात्, अभिहरण की गई सम्पत्ति मूल्य में यथासम्भव उस धनराशि के बराबर होगी जो अधिपत्र के अधीन वसूल की जानी है, और यदि किन्हीं ऐसी वस्तुओं का अभिहरण किया गया हो जिनका धारा १५१ की उपधारा (२) द्वारा या उसके अधीन अधिपत्र में हस्ताक्षर करने के लिये प्राधिकृत व्यक्ति की राय में इस प्रकार अभिहरण नहीं किया जाना चाहिये था तो वे सभी वस्तुयें तुरन्त लौटा दी जायंगी ।

(४) सम्पत्ति का अभिहरण करने पर अधिकारी उस सम्पत्ति की तुरन्त एक सूची बनायेगा और उन्हें हटाने के पूर्व, अभिहरण करने के समय उस पर कब्जा रखने वाले व्यक्ति को, उक्त सूची को अपने द्वारा हस्ताक्षरकृत एक

प्रतिलिपि तथा इस आशय का एक लिखित नोटिस ऐसे आकार में, जो परिषद् विनियम द्वारा नियत करे, देगा कि उक्त सम्पत्ति उस नोटिस के उल्लेख के अनुसार बेच दी जायगी।

श्री अधिष्ठाता--प्रश्न यह है कि खंड १५३ के उपखंड (१) की प्रथम पंक्ति में शब्द "अबैध" के स्थान पर शब्द "वैध" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता--प्रश्न यह है कि संशोधित खंड १५३ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड १५४—१५७

अधिपत्र के अधीन वस्तुओं का विक्रय तथा विक्रय धन की प्रयुक्ति

१५४--(१) यदि अभिग्रहीत सम्पत्ति शीघ्र और स्वाभाविक रूप से नष्ट हो जाने वाली हो अथवा यदि वसूल की जाने वाली धनराशि से मिलकर उसकी अभिरक्षा के व्यय के उसके मूल्य से बढ़ जाने की संभावना हो, तो अध्यक्ष अथवा अन्य अधिकारी, जिसने अधिपत्र पर हस्ताक्षर किये थे, उस व्यक्ति को जिसके कब्जे से सम्पत्ति अभिग्रहीत की गई थी, तुरन्त इस आशय का नोटिस देगा कि उक्त सम्पत्ति तुरन्त बेच दी जायगी और वह तदनुसार उसे बेच देगा, जब तक कि अधिपत्र में निर्दिष्ट धनराशि अविलम्ब अदा न कर दी जाय।

(२) यदि अभिग्रहीत सम्पत्ति उपधारा (१) के अधीन तुरन्त न बेच दी गई हो तो वह या उसका पर्याप्त अंश, अधिपत्र निष्पादित करने वाले अधिकारी द्वारा तामील किये गये नोटिस में निर्दिष्ट समय के समाप्त होने पर जिला परिषद् के आदेशानुसार सार्वजनिक नीलाम द्वारा बेचा जा सकता है, जब तक कि अधिपत्र उस व्यक्ति द्वारा जिसने उसमें हस्ताक्षर किये थे, निलम्बित न कर दिया जाय या बाकीदार द्वारा देय धनराशि, नोटिस, अधिपत्र और अभिहरण तथा सम्पत्ति के निरोध संबंधी सभी आनुषंगिक परिव्ययों सहित, अदा न कर दी जाय।

(३) शेष धनराशि, यदि कोई हो, डाक का कमीशन काटकर धनादेश (Money order) द्वारा तुरन्त उस व्यक्ति को भेज दी जायगी जिसके कब्जे से सम्पत्ति ली गई थी। यदि इस प्रकार भेजी गई धनराशि डाक-घर द्वारा परिषद् को लौटा दी जाय, तो उसे जिला निधि में जमा कर दिया जायगा और साथ ही धनराशि के इस प्रकार जमा किये जाने का नोटिस उस व्यक्ति को दे दिया जायगा, तथा यदि नोटिस तामील किये जाने के दिनांक से एक वर्ष के भीतर परिषद् को आवेदन-पत्र देकर उक्त धनराशि की मांग की जाय तो वह धनराशि उस व्यक्ति को लौटा दी जायगी। कोई धनराशि जिसके लिये उक्त नोटिस के तामील के दिनांक से एक वर्ष के भीतर मांग न की जाय जिला परिषद् की सम्पत्ति हो जायगी।

ग्राम्य क्षेत्र के बाहर स्थित सम्पत्ति के सम्बन्ध में अधिपत्र के निष्पादन की दशा में प्रक्रिया

१५५--(१) यदि किसी बाकीदार की पर्याप्त चल सम्पत्ति ग्राम्य क्षेत्र के भीतर न मिल सके तो जिला मजिस्ट्रेट जिला परिषद् के आवेदन-पत्र पर निम्नलिखित प्रयोजन के लिये अपने न्यायालय के किसी अधिकारी को अपना अधिपत्र जारी कर सकता है—

(क) मजिस्ट्रेट के अधिकार-क्षेत्र के किसी अन्य भाग में स्थित बाकीदार की किसी चल सम्पत्ति या सामान का अभिहरण तथा बिक्री, अथवा

(ख) उत्तर प्रदेश के भीतर क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने वाले किसी अन्य मजिस्ट्रेट के अधिकार-क्षेत्र के भीतर स्थित बाकीदार की किसी चल सम्पत्ति का अभिहरण तथा बिक्री।

(२) उपधारा (१) के खंड (ख) के अधीन कार्यवाही की जाने की दशा में, या अन्य मजिस्ट्रेट इस प्रकार जारी किये गये अधिपत्र को पृष्ठांकित करेगा और उसे निष्पादित करवायेगा या वसूल की गई धनराशि को अधिपत्र जारी करने वाले मजिस्ट्रेट को भिजवायेगा जो कि उसे परिषद् को भेज देगा।

शुल्क और परिव्यय

१५६—धारा १५० के अधीन जारी किये गये प्रत्येक नोटिस तथा धारा १५३ या १५५ के अधीन किये गये अभिहरण का आदेशिका-शुल्क, तथा उक्त धाराओं के अधीन अभिग्रहीत किसी पशु के संधारण का परिव्यय उन दरों से लिये जायें जो इस सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा बनाये गये तत्संबंधी नियमों में उल्लिखित हों और उन्हें धारा १५१ के अधीन की जाने वाली वसूली के परिव्ययों में सम्मिलित कर लिया जायगा।

व्यावृत्ति

१५७—बिल, नोटिस, अभिहरण-अधिपत्र, सूची अथवा उससे सम्बद्ध किसी अन्य कार्यवाही में कोई त्रुटि, या दोष या उसके ठीक आकार में न होने के कारण कोई अभिहरण या विक्रय अवैध नहीं समझा जायगा न उसे करने वाला व्यक्ति अनधिकार प्रवेशक समझा जायगा।

श्री अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि खंड १५४ से १५७ तक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड १५८

वाद चलाने या मालगुजारी के बकाये के रूप में वसूल करने का वैकल्पिक अधिकार

१५८—(१) अभिहरण और विक्रय की कार्यवाही करने के बदले, अथवा उसके द्वारा मांगी संपूर्ण धनराशि या उसका कोई अंश वसूल न कर सकने की दशा में, जिला परिषद् उस धनराशि के देनदार व्यक्ति के विरुद्ध किसी क्षेत्राधिकारयुक्त न्यायालय में वाद ला सकती है।

(२) विभव और सम्पत्ति पर कर के बकाये की दशा में, जिला परिषद् धारा १४८ के या इस धारा की उपधारा (१) के उपबन्धों के अनुसार कार्यवाही करने के नियमों के अनुसार तथा अधीन रहते हुये उसे मालगुजारी के बकाये के रूप में वसूल कर सकती है।

श्री अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि खंड १५८ (२) के शब्द "नियमों" के स्थान पर शब्द "अतिरिक्त तदर्थ बनाये गये नियमों" रख दिये जावें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि संशोधित खंड १५८ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड १५९—१६०

भूमि के लगान या किराये की वसूली

१५९—यदि जिला परिषद् में निहित या उसके प्रबन्ध में सौंपी गयी भूमि के संबंध में किसी व्यक्ति द्वारा जिला परिषद् को लगान या किरायों के मद्धे कोई धनराशि देय हो, तो जिला परिषद् तदर्थ बनाये गये नियमों के अनुसार तथा अधीन रहते हुये ऐसे किसी बकाये को मालगुजारी के बकाये के रूप में वसूल कर सकती है।

अन्य अचल सम्पत्ति के लिये लगान या किराये की वसूली

१६०—जिला परिषद् में निहित या उसके प्रबन्ध में सौंपी गयी भूमि से भिन्न किसी अचल सम्पत्ति के संबंध में किसी व्यक्ति द्वारा परिषद् को लगान या किराये के मध्यदेय कोई बकाया धारा १४८ में व्यवस्थित रीति से वसूल किया जायगा।

श्री अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि खंड १५९ और १६० इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड १६१

क्षेत्र समिति को देय धनराशि की वसूली

१६१—इस अधिनियम के अधीन या तदन्तर्गत निर्मित किसी नियम या उपविधि के अधीन क्षेत्र समिति को देय कोई धनराशि जो इस अधिनियम या ऐसे नियम अथवा उपविधि द्वारा इस अध्याय में व्यवस्थित रीति से वसूल की जा सकने योग्य घोषित की गयी हो, आवश्यक परिवर्तनों के साथ वसूल की जायगी जैसी कि इस अध्याय की पूर्ववर्ती धारा में व्यवस्था की गयी है।

श्री अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि खंड १६१ में शब्द "आवश्यक परिवर्तनों के साथ" के बाद के शब्दों के स्थान पर शब्द "इस अध्याय की व्यवस्था के अनुसार वसूल की जायगी।" रख दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि संशोधित खंड १६१ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड १६२—१६४

परिभाषा

१६२—इस अध्याय के प्रयोजनों के लिये—

(क) "समुपयुक्त प्राधिकारी" का तात्पर्य क्षेत्र समिति से होगा यदि विषय क्षेत्र समिति के कृत्यशील क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत आता हो तथा अन्य दशाओं में जिला परिषद् से होगा।

(ख) क्षेत्र के किसी भाग के संबंध में, जिसके अन्तर्गत नियंत्रित ग्राम्य-क्षेत्र भी है, "क्षेत्र समिति" का तात्पर्य ऐसे भाग पर क्षेत्राधिकारी का प्रयोग करने वाली क्षेत्र समिति से होगा।

इस अध्याय की कुछ धाराओं की प्रवृत्ति की परिसीमा

१६३—(१) इस अधिनियम के किन्हीं अन्य उपबन्धों पर विपरीत प्रभाव डाले बिना, इस अध्याय की धारा १६४, १६५, १६६, १६७, १६८, १६९, १७० १७१, १७२, १७३, १७४, १७५, १७६, १७७, १७८, १७९, १८०, १८१, १८२, १८४, १८६, १८७, २०९, २१३ और २१६ के उपबन्ध ग्राम्य क्षेत्र के केवल उन्हीं भागों में प्रवृत्त होंगे जो परिषद् द्वारा इस धारा के अधीन निर्दिष्ट किये गये हों।

(२) जिला परिषद् संकल्प द्वारा घोषित कर सकती है कि उपधारा (१) में उल्लिखित धाराओं के या उनमें से किसी एक या अधिक धाराओं के उपबन्ध जिले के ग्राम्य क्षेत्र के उस भाग में प्रवृत्त होंगे जो संकल्प में निर्दिष्ट किया गया हो और तत्पश्चात् संकल्प में वर्णित धाराओं के उपबन्ध इस प्रकार निर्दिष्ट क्षेत्र में प्रवृत्त होंगे और वह क्षेत्र "नियंत्रित ग्राम्य क्षेत्र" कहलायेगा :

प्रतिबन्ध यह है कि नियंत्रित ग्राम्य क्षेत्र के निवासियों को संकल्प का सार्वजनिक नोटिस उस रीति से दिया जा चुका हो जो नियमों द्वारा नियत की जाय।

इमारत का निर्माण या उसमें परिवर्तन नोटिस के पश्चात् तथा उपविधियों के अनुसार होगा ।

१६४—(१) नियंत्रित ग्राम्य क्षेत्र में किसी सार्वजनिक सड़क या स्थान या सरकार अथवा जिला परिषद् या क्षेत्र समिति में निहित सम्पत्ति से लगी हुई या उसके पार्श्वस्थ किसी इमारत का निर्माण या पुनर्निर्माण या किसी विद्यमान इमारत में महत्वपूर्ण परिवर्तन या किसी कुयें को बनाने या उसे बड़ा करने का कार्य सरकार द्वारा बनाये गये नियम या परिषद् द्वारा बनाई गई उपविधि के निदेशों से अन्यथा नहीं किया जायगा, और उसका प्रारम्भ तब तक न किया जायगा जब तक कि क्षेत्र समिति को प्रस्तावित निर्माण या परिवर्तन के ऐसे ब्योरों सहित जिनका उक्त नोटिस के साथ प्रस्तुत किया जाना उपविधि द्वारा अपेक्षित हो, कम से कम एक महीने का अग्रिम नोटिस लिखित रूप में न दे दिया गया हो ।

(२) किसी इमारत में कोई परिवर्तन इस अध्याय के तथा किसी नियम या उपविधि के प्रयोजन के लिये महत्वपूर्ण समझा जायगा यदि—

(क) उससे इमारत के स्थायित्व या सुरक्षा पर या जल-निस्सारण, संवातन (ventilation), स्वच्छता या स्वास्थ्य-रक्षा की दृष्टि से भवन की स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो या पड़ने की संभावना हो, या

(ख) उससे किसी इमारत की ऊंचाई, क्षेत्रफल या घन-धारिता बढ़ती या घटती हो या इमारत के किसी कमरे की घन-धारिता (cubic capacity) किसी उपविधि द्वारा नियत न्यूनतम मात्रा से कम हो जाती हो, या

(ग) उससे कोई ऐसी इमारत या उसका भाग, जो मूलतः अन्य प्रयोजनों के लिये बनाया गया हो, मनुष्यों के रहने के स्थान में परिवर्तित हो जाय, या

(घ) वह ऐसा परिवर्तन हो जो तदर्थ बनाई गई किसी उपविधि द्वारा महत्वपूर्ण परिवर्तन घोषित किया गया हो ।

श्री अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि खंड १६२, १६३ और १६४ इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड १६५

क्षेत्र समिति द्वारा निर्माण कार्य की स्वीकृति

१६५—(१) किसी उपविधि के उपबन्धों के अधीन रहते हुये, क्षेत्र समिति किसी ऐसे निर्माण-कार्य के लिये, जिसके सम्बन्ध में धारा १६४ के अधीन नोटिस दिया गया हो, स्वीकृति देने से इनकार कर सकती है या उसे पूर्णरूप से अथवा निम्नांकित के अधीन रहते हुये स्वीकार कर सकती है :—

(क) ऐसा लिखित निदेश, जिसे क्षेत्र समिति धारा २३९ की उपधारा (२) के शीर्षक क के उपशीर्षक (च) में उल्लिखित सभी या किसी विषय के सम्बन्ध में देना उचित समझे, या

(ख) ऐसा लिखित निदेश जिसके अनुसार किसी इमारत या इमारत के भाग को धारा १९१ के अधीन नियत सड़क की नियमित निर्माण-रेखा नियत न होने की दशा में, किसी पास की इमारत या इमारतों के अग्रभाग की रेखा तक पीछे हटाना अपेक्षित हो ।

(२) उपधारा (१) के अधीन स्वीकृति देने से इनकार करने की दशा में, क्षेत्र समिति धारा १६४ के अधीन नोटिस देने वाले व्यक्ति को, उक्त अस्वीकृति के कारणों की लिखित रूप में सूचना देगी ।

(३) यदि क्षेत्र समिति धारा १६४ के अधीन बंध नोटिस प्राप्त होने के बाद, एक मास तक, उस नोटिस के सम्बन्ध में उपधारा (१) में उल्लिखित प्रकार का आदेश देने और उसे उस व्यक्ति के पास जिसने उक्त नोटिस दिया हो, पहुंचाने में उपेक्षा या चूक करे, तो उक्त व्यक्ति लिखित पत्र द्वारा क्षेत्र समिति का ध्यान उस उपेक्षा या चूक की ओर आकृष्ट कर सकता है और, यदि ऐसी उपेक्षा या चूक एक मास तक और जारी रहे तो यह समझा जायगा कि क्षेत्र समिति ने प्रस्तावित निर्माण-कार्य को पूर्णरूप से स्वीकार कर लिया है ।

श्री अधिष्ठाता--प्रश्न यह है कि खंड १६५ के उपखंड (१) की मद (ख) में शब्द "जिसके अनुसार" के स्थान पर शब्द "जिसमें" तथा शब्द "निर्माण रेखा" तथा शब्द "नियत न होने" के बीच के शब्द "तक या ऐसी रेखा के" रख दिये जांय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अधिष्ठाता--प्रश्न यह है कि संशोधित खंड १६५ विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड १६६

स्वीकृति की अवधि

१६६--(१) क्षेत्र समिति द्वारा धारा १६५ के अधीन दी गयी या दी गयी समझी जाने वाली स्वीकृति तीन वर्ष तक या उससे कम ऐसी अवधि के लिये, जो उपविधि द्वारा नियत की जाय, मान्य रहेगी ।

(२) उक्त अवधि समाप्त होने के बाद प्रस्तावित निर्माण-कार्य तब तक आरम्भ नहीं किया जायगा जब तक कि पूर्वगामी धारा के अधीन प्रार्थना-पत्र देकर उसके लिये नई स्वीकृति न प्राप्त कर ली गई हो ।

श्री अधिष्ठाता--प्रश्न यह है कि खंड १६६ के उपखंड (२) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय--

"(२) उक्त अवधि समाप्त होने के बाद प्रस्तावित निर्माण कार्य पूर्वगामी धारा के अधीन स्वीकृति के बिना नहीं किया जायगा ।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अधिष्ठाता--प्रश्न यह है कि संशोधित खंड १६६ विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड १६७--१७५

ऐसे निर्माण-कार्यों का निरीक्षण जिनके लिये स्वीकृति अपेक्षित हो

१६७--प्रमुख, क्षेत्र संचालक और, यदि क्षेत्र समिति के संकल्प द्वारा तदर्थ प्राधिकृत हो तो, क्षेत्र समिति का कोई अन्य सदस्य, अधिकारी या सेवक, किसी भी समय, और बिना किसी चेतावनी के किसी ऐसे निर्माण कार्य-का, जिसके सम्बन्ध में धारा १६४ के अधीन नोटिस अपेक्षित हो,

(क) जब निर्माण-कार्य हो रहा हो, या

(ख) उसके पूर्ण हो जाने के प्रतिवेदन की प्राप्ति के एक महीने के भीतर, या ऐसे प्रतिवेदन न मिलने की दशा में उस निर्माण-कार्य के पूर्ण होने के पश्चात्

किसी भी समय निरीक्षण कर सकता है ।

धारा १६५ के अधीन दिये गये आदेश के कारण हुई क्षति के लिये प्रतिकर

१६८—धारा १०८ में किसी बात के होते हुये भी, धारा १६४ के अधीन नोटिस देने वाला कोई व्यक्ति, क्षेत्र समिति द्वारा धारा १६५ के अधीन दिये गये किसी आदेश के कारण हुई क्षति या हानि के लिये कोई प्रतिकर पाने का अधिकारी न होगा, जब तक कि,

(क) उक्त आदेश इस कारण से भिन्न किसी कारण से न दिया गया हो कि प्रस्तावित निर्माण-कार्य किसी उपविधि का उल्लंघन करेगा या जन-साधारण या किसी व्यक्ति के स्वास्थ्य या सुरक्षा के लिये हानिकर होगा, या

(ख) उक्त आदेश में धारा १६५ की उपधारा (१) के खंड (ख) में निर्दिष्ट प्रकार का कोई निदेश न हो, या

(ग) उक्त आदेश में किसी इमारत के पुनर्निर्माण की स्वीकृति इस आधार पर देने से इन्कार न किया गया हो कि उसकी योजना या रचना उस स्थान के लिये अनुपयुक्त है या वह ऐसे प्रयोजनों के लिये अभिप्रेत है जो उस स्थान के लिये अनुपयुक्त है या उससे धारा २३९ की उपधारा (२) के शीर्षक—क, के उपशीर्षक (घ) के अधीन किसी उपविधि का उल्लंघन होता है ।

धारा १६५ के अधीन स्वीकृति का प्रभाव

१६९—(१) धारा १६५ के अधीन दी गयी या दी गयी समझी जाने वाली स्वीकृति, उस व्यक्ति को, जिसे स्वीकृति दी गई हो या दी गयी समझी जाय, किसी ऐसी शास्ति या परिणाम से विमुक्त करने के अतिरिक्त जिसका वह धारा १७०, १७१ या १९१ के अधीन अन्यथा भागी होता, कोई अधिकार या असमर्थता प्रदान या समाप्त न करेगी, न प्रतिष्टम्भ (estoppel) अथवा स्वीकरण के रूप में प्रवर्तित होगी, न संपत्ति में किसी आगम को प्रभावित करेगी और न उसका किसी अन्य प्रकार का कोई विधिक प्रभाव ही होगा ।

(२) विशेषतः ऐसी स्वीकृति किसी व्यक्ति को धारा १८१ द्वारा आरोपित इस आभार से मुक्त नहीं करेगी कि वह उस धारा में उल्लिखित किसी संरचना के लिये अलग स्वीकृति प्राप्त करे ।

इमारत का अपवर्त निर्माण या परिवर्तन

१७०—जो व्यक्ति धारा १६४ द्वारा अपेक्षित नोटिस दिये बिना या धारा १६५ के उपबन्धों का, या क्षेत्र समिति द्वारा स्वीकृति देने से इनकार करने के आदेश का, या क्षेत्र समिति द्वारा धारा १६५ के अधीन दिये गये किन्हीं लिखित निदेशों का, या किसी उपविधि का उल्लंघन कर के इमारत या इमारत के किसी भाग का निर्माण या पुनर्निर्माण या उसमें कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन, या कोई कुआं बनाना या उसे बड़ा करना, आरम्भ करे, जारी रखे या उसे पूरा करे, तो वह दोषी पाये जाने पर अर्थ-दंड का भागी होगा, जो पांच सौ रुपये तक हो सकता है ।

निर्माण रोकने तथा निर्मित इमारत को गिराने के क्षेत्र समिति के अधिकार

१७१—क्षेत्र समिति, किसी भी समय, लिखित नोटिस द्वारा किसी भूमि के स्वामी या अध्यासी को उस भूमि पर किसी इमारत या इमारत के भाग का निर्माण, पुनर्निर्माण या उसमें परिवर्तन करने से या उसमें कोई कुआं बनाने या उसे बड़ा करने से रोकने का निदेश दे सकती है जब वह यह समझे कि ऐसा निर्माण, पुनर्निर्माण, परिवर्तन, बनाया जाना या बड़ा किया जाना धारा १७० के अधीन अपराध है और उसी प्रकार वह इमारत या इमारत के भाग या कुवें में, जैसी भी दशा हो, परिवर्तन करने या उसे गिराने का, जैसा भी वह आवश्यक समझे, निदेश दे सकती है ।

सार्वजनिक नालियां

१७२—क्षेत्र समिति नियंत्रित ग्राम्य क्षेत्र के भीतर ऐसी नालियां बना सकती है जिन्हें वह किसी बसे हुये क्षेत्र को समुचित रूप से स्वच्छ रखने तथा जलोत्सारित करने के लिये आवश्यक समझे और ऐसी नालियों को किसी सड़क या स्थान के बीच से या, उसके आर-पार या उसके नीचे से ले जा सकती है, तथा स्वामी या अध्यासी को यथोचित लिखित नोटिस देने के बाद उन्हें किन्हीं इमारतों या भूमि में या उसमें होकर या उसके नीचे से ले जा सकती है :

प्रतिबन्ध यह है कि नियमों द्वारा व्यवस्थित रीति से आकलित प्रतिकर उक्त स्वामी या अध्यासी को अदा कर दिया जायगा ।

सार्वजनिक नालियों में परिवर्तन

१७३—(१) क्षेत्र समिति समय-समय पर, किसी सार्वजनिक नाली को बड़ा या छोटा कर सकती है, या उसके मार्ग को बदल सकती है, उसे ढक सकती है या उसमें अन्य सुधार कर सकती है और ऐसी किसी नाली को रोक सकती है, बन्द कर सकती है या हटा सकती है ।

(२) उपधारा (१) द्वारा प्राप्त अधिकार का प्रयोग इस शर्त के अधीन होगा कि जब क्षेत्र समिति उक्त अधिकार का प्रयोग करके किसी व्यक्ति को किसी वर्तमान सार्वजनिक नाली के उपयोग से वंचित करे तो वह उसके बदले एक दूसरी तथा उतनी ही उपयोगी नाली बनाने की व्यवस्था करेगी ।

सार्वजनिक नालो का निजी स्वामियों द्वारा उपयोग

१७४—(१) ग्राम्य क्षेत्र के भीतर किसी इमारत या भूमि के स्वामी या अध्यासी को अपनी नालियां क्षेत्र समिति की नालियों में गिराने का अधिकार होगा :

प्रतिबन्ध यह है कि वह पहले क्षेत्र समिति की लिखित अनुमति प्राप्त कर ले, और किसी उपविधि से सुसंगत ऐसी शर्तों का अनुपालन करे जिन्हें क्षेत्र समिति उस रीति तथा उस अवेक्षण के सम्बन्ध में नियत करे जिसमें या जिसके अधीन क्षेत्र समिति में निहित न हुई नालियों के प्रवाह को इस प्रकार निहित हुई नालियों से मिलाया जायगा ।

(२) जो व्यक्ति क्षेत्र समिति की लिखित अनुमति के बिना या किसी उपविधि या उपधारा (१) के अधीन दिये गये किसी निदेश अथवा लगायी गयी किसी शर्त का उल्लंघन करके अपनी या किसी अन्य व्यक्ति की नाली को क्षेत्र-समिति में निहित किसी नाली से जोड़े या जुड़वाये या ऐसे किसी जोड़ में परिवर्तन करे या करवाये, तो वह दोषी पाये जाने पर अर्थ-दंड का भागी होगा जो पचास रुपये तक हो सकता है, तथा क्षेत्र समिति लिखित नोटिस द्वारा उक्त व्यक्ति से ऐसे जोड़ को बन्द करने, तोड़ देने, परिवर्तित करने, पुनर्निमित करने या उसके सम्बन्ध में ऐसी अन्य कोई कार्यवाही करने की अपेक्षा कर सकती है जो वह उचित समझे ।

ऐसे स्थल पर जो किसी सार्वजनिक या निजी सड़क से लगा हुआ न हो, इमारत का निर्माण करने के पहले सड़क का विन्यास करने तथा बनाने का उपबन्ध

१७५—उस दशा को छोड़ कर जब कोई स्थल किसी सार्वजनिक या निजी सड़क से लगा हुआ हो, यदि कोई व्यक्ति जो किसी नियंत्रित ग्राम्य क्षेत्र में किसी ऐसी भूमि का स्वामी हो या उस पर कब्जा रखता हो जो उस समय तक इमारतें बनाने के प्रयोजनों के लिये प्रयुक्त न की गयी हो, उक्त भूमि या उसके किसी भाग को इमारत बनाने के स्थल में प्रयुक्त करना, बेचना, पट्टे पर देना या अन्यथा हस्तान्तरित करना चाहे, तो वह उक्त स्थल को प्रयुक्त करने, बेचने, पट्टे पर देने या अन्यथा हस्तान्तरित करने के पूर्व एक ऐसी सड़क का विन्यास और निर्माण करेगा जो उक्त स्थल को किसी वर्तमान सार्वजनिक या निजी सड़क से मिलाये ।

श्री अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि खंड १६७ से १७५ तक इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड १७६–१७७

सड़क के विन्यास तथा निर्माण की अनुमति

१७६—(१) किसी नियंत्रित ग्राम्य क्षेत्र में किसी नई निजी सड़क का विन्यास या निर्माण आरम्भ करने के पूर्व प्रत्येक व्यक्ति ऐसी सड़क के विन्यास अथवा निर्माण की अनुमति प्राप्त करने के लिये क्षेत्र समिति को एक प्रार्थना-पत्र देगा और उसके साथ निम्नलिखित विवरण भी प्रस्तुत करेगा:—

(क) सड़क की प्रस्तावित सतह, दिशा तथा चौड़ाई,

(ख) सड़क का समरेखाकरण (alignment) और उसकी निर्माण-रेखा,

तथा प्रार्थना-पत्र में इस बात का भी उल्लेख करेगा कि सड़क को समतल करने, उसमें खडंजा लगाने, उसे पक्का करने, उसमें पत्थर लगाने तथा मोरियां और नालियां बनाने के लिये क्या प्रबन्ध किया जायगा।

(२) किसी सार्वजनिक सड़क की सतह और चौड़ाई तथा उससे लगी हुई किसी इमारत की ऊंचाई के सम्बन्ध में इस अधिनियम के तथा उसके अधीन बनाये गये किन्हीं नियमों या उपविधियों के उपबन्ध, उपधारा (१) में उल्लिखित सड़क की दशा में भी लागू होंगे तथा उस उपधारा में उल्लिखित अन्य समस्त विवरण क्षेत्र समिति के अनुमोदन के अधीन होंगे।

(३) उपधारा (१) के अधीन प्रार्थना-पत्र की प्राप्ति के ६० दिन के भीतर, क्षेत्र समिति सड़क के विन्यास अथवा निर्माण की स्वीकृति ऐसी शर्तों के अधीन देगी जिन्हें लगाना वह ठीक समझे, या उसे अस्वीकृत कर देगी अथवा निर्दिष्ट किये गये समुचित समय के भीतर उसके सम्बन्ध में अतिरिक्त सूचना मांगेगी।

(४) ऐसी स्वीकृति देने से इनकार किया जा सकता है—

(१) यदि प्रस्तावित सड़क से किन्हीं ऐसे प्रबन्धों में बाधा पड़े जो सड़क में सुधार करने की किसी सामान्य योजना को कार्यान्वित करने के लिये किये गये हों या क्षेत्र समिति की राय में जिनके लिये किये जाने की संभावना हो, अथवा

(२) यदि प्रस्तावित सड़क उपधारा (२) में उल्लिखित अधिनियम, नियमों तथा उपविधियों के उपबन्धों के अनुरूप न हो, अथवा

(३) प्रस्तावित सड़क की प्ररचना ऐसी न हो जिसका कम से कम एक छोर सार्वजनिक सड़क से मिले।

(५) कोई व्यक्ति, क्षेत्र समिति के आदेशों के बिना अथवा उसके आदेशों के अननुरूप, किसी नई निजी सड़क अथवा मार्ग का विन्यास या निर्माण नहीं करेगा। यदि उपधारा (३) के अधीन अतिरिक्त सूचना मांगी गई हो, तो उक्त सड़क का विन्यास अथवा निर्माण तब तक आरम्भ नहीं किया जायगा जब तक कि उक्त सूचना की प्राप्ति के पश्चात प्रार्थना-पत्र पर आदेश न दे दिया गया हो :

प्रतिबन्ध यह है कि क्षेत्र समिति को ऐसी समस्त सूचना मिलने के पश्चात् जिसे वह प्रार्थना-पत्र के अंतिम निस्तारण के लिये आवश्यक समझे, ऐसे आदेश देने में किसी भी दशा में तीस दिन से अधिक का विलम्ब नहीं किया जायगा।

कुछ दशाओं में सड़क के विन्यास अथवा उसके निर्माण के लिये क्षेत्र समिति की स्वीकृति का मान लिया जाना

१७७—यदि क्षेत्र समिति, धारा १७६ के अधीन प्रार्थना-पत्र प्राप्त होने के पश्चात् ६० दिन तक स्वीकृति प्रदान करने में उपेक्षा या चूक करे अथवा यदि अतिरिक्त सूचना मांगने के निमित्त उक्त धारा की उपधारा (३) के अधीन आदेश दिया गया हो तो, उस आदेश में निर्दिष्ट अवधि के भीतर उस व्यक्ति को, जिसने प्रार्थना-पत्र दिया हो, क्षेत्र समिति अपेक्षित सूचना के ब्योरे भेजने में असफल रहे, तो ऐसा व्यक्ति लिखित-पत्र द्वारा क्षेत्र समिति का ध्यान उक्त उपेक्षा, चूक अथवा असफलता की ओर आकृष्ट कर सकता है और यदि और तीस दिन तक ऐसी उपेक्षा, चूक अथवा असफलता जारी रहे तो यह समझा जायगा कि क्षेत्र समिति ने प्रस्तावित सड़क के विन्यास तथा निर्माण के लिये पूर्ण रूप से स्वीकृति दे दी है :

प्रतिबन्ध यह है कि इसमें दी हुई किसी बात से यह अर्थ न निकाला जायगा कि उसके द्वारा किसी व्यक्ति को अधिनियम के किन्हीं उपबन्धों अथवा किन्हीं उपविधियों का उल्लंघन करके कोई कार्य करने का अधिकार दिया गया है।

श्री अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि खंड १७६ और १७७ इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड १७८

स्वीकृति की अवधि

१७८—(१) क्षेत्र समिति द्वारा, धारा १७६ तथा १७७ के अधीन दी गयी अथवा दी गई समझी जाने वाली स्वीकृति, एक वर्ष तक मान्य रहेगी।

(२) उक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्रस्तावित सड़क तब तक आरम्भ नहीं की जायगी जब तक कि पूर्वगामी धाराओं के अधीन प्रार्थना-पत्र देकर उसके लिये स्वीकृति न प्राप्त कर ली गयी हो।

श्री अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि खंड १७८ के उपखंड (२) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय —

"(२) उक्त अवधि समाप्त होने के बाद प्रस्तावित सड़क पूर्वगामी धारा के अधीन स्वीकृति के बिना आरम्भ नहीं की जायगी।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि संशोधित खंड १७८ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया और स्वीकृत हुआ।)

खंड १७९—१८१

सड़क का अवैध निर्माण

१७९—जो व्यक्ति धारा १७८ द्वारा अपेक्षित नोटिस दिये बिना अथवा क्षेत्र समिति द्वारा धारा १७७ या किसी उपविधि या इस अधिनियम के किसी उपबन्ध के अधीन दिये गये लिखित निदेश का उल्लंघन करके किसी सड़क का विन्यास अथवा निर्माण आरम्भ करे, उसे जारी रखे अथवा पूरी करे, तो वह दोषी पाये जाने पर अर्थदंड का भागी होगा जो पांच सौ रुपये तक हो सकता है।

अस्वीकृत सड़क को परिवर्तित करने तथा उसे तोड़ देने के सम्बन्ध में क्षेत्र समिति के अधिकार

१८०—(१) यदि कोई व्यक्ति, धारा १७६ में उल्लिखित किसी सड़क का विन्यास अथवा निर्माण, क्षेत्र समिति के आदेशों के बिना अथवा उनके अननुरूप करता है, तो क्षेत्र समिति, इस बात के होते हुये भी कि दोषी व्यक्ति के विरुद्ध इस अधिनियम के अधीन अभियोग चलाया गया हो, लिखित नोटिस द्वारा—

(क) दोषी व्यक्ति से अपेक्षा कर सकती है कि वह ऐसे दिनांक को या उसके पूर्व, जो नोटिस में निर्दिष्ट किया जाय, क्षेत्र समिति के पास

लिखित एवं अपने द्वारा हस्ताक्षरकृत उत्तर भेजकर, इस बात का पर्याप्त कारण बताये कि उस सड़क को क्षेत्र समिति के संतोषानुसार क्यों न परिवर्तित कर दिया जाय, अथवा यदि ऐसा परिवर्तन अव्यवहार्य हो तो वह सड़क क्यों न तोड़ दी जाय, अथवा

(ख) दोषी व्यक्ति से अपेक्षा कर सकती है कि वह या तो स्वयं या किसी यथाविधि प्राधिकृत अधिकर्त्ता द्वारा, ऐसे दिन, समय और स्थान पर, जो नोटिस में निर्दिष्ट किये जायं, क्षेत्र समिति के सम्मुख उपस्थित हो और यथा पूर्वोक्त कारण बताये ।

(२) यदि कोई व्यक्ति जिस पर ऐसा नोटिस तामील किया गया हो क्षेत्र समिति के संतोषानुसार पर्याप्त कारण न बता सके, तो क्षेत्र समिति सड़क को परिवर्तित करने अथवा तोड़ देने के लिये, जो भी वह उचित समझे, आदेश दे सकती है ।

सड़कों तथा नालियों के ऊपर प्रक्षेपों के लिये क्षेत्र समिति की स्वीकृति

१८१—(१) राज्य सरकार द्वारा बनाये गये किन्हीं ऐसे नियमों के अधीन रहते हुये, जिनमें किसी नियंत्रित ग्राम्य क्षेत्र में सड़कों या नालियों के ऊपर प्रक्षेपों के लिये क्षेत्र समिति द्वारा स्वीकृति की शर्तें नियत की गई हों, क्षेत्र समिति उस दशा में जब अनुमति दी जाने की किसी उपविधि द्वारा व्यवस्था की गयी हो—

(क) सड़कों में या उन पर स्थित इमारतों के स्वामी अथवा अध्यासी को लिखित अनुमति दे सकती है कि वह खुले बरामदों, छज्जों या कमरों का निर्माण या पुनर्निर्माण इस प्रकार कर लें कि उनकी किसी ऊपरी मंजिल से उनका प्रक्षेप सड़क की सतह से उतनी ऊंचाई पर रहे और इमारत की कुर्सी या नींव (basement) की दीवार की रेखा से उतना आगे रहे जितना उक्त उपविधियों में नियत किया गया हो,

(ख) किसी इमारत या भूमि के स्वामी अथवा अध्यासी को लिखित अनुमति दे सकती है कि वह किसी प्रक्षेप या संरचना का निर्माण या पुनर्निर्माण इस प्रकार कर ले कि वह किसी सड़क की नाली के ऊपर उस आयति तक तथा उन शर्तों के अनुसार, जो उसी प्रकार नियत की गयी हों, लटके, बढ़े या उस पर अतिक्रमण करे ।

(२) उपधारा (१) के खंड (क) के अधीन अनुमति देते समय क्षेत्र समिति वह आयति और शर्तें नियत कर सकती है जिस तक और जिनके अधीन, उक्त सड़क के ऊपर कोई छतों, कगारों, जल-फलकों (weather boards) दूकानों के तख्तों तथा ऐसी ही अन्य वस्तुओं को सड़क पर बढ़ने की अनुमति हो ।

श्री अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि खंड १७९ से खंड १८१ तक इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड १८२

बिना अनुमति के सड़कों अथवा नालियों के ऊपर प्रक्षेपों के निर्माण के लिये शास्ति

१८२—जो व्यक्ति धारा १८३ में उल्लिखित किसी प्रक्षेप अथवा संरचना का निर्माण या पुनर्निर्माण उक्त धारा द्वारा अपेक्षित अनुमति के बिना अथवा उसके अधीन दी गई किसी अनुमति का उल्लंघन करके करे, वह दोषी पाये जाने पर अर्थदंड का भागी होगा जो दो सौ पचास रुपये तक हो सकता है ।

श्री अधिष्ठाता--प्रश्न यह है कि खंड १८२ में "धारा १८३" के स्थान पर "धारा-१८१" कर दिया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अधिष्ठाता--प्रश्न यह है कि संशोधित खंड १८२ इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड १८३-१८७

सड़कों तथा नालियों के ऊपर अतिक्रमण करने वाले मार्गों तथा प्रक्षेपों को हटाने का अधिकार

१८३—क्षेत्र समिति किसी भवन के स्वामी अथवा अध्यासी से नोटिस द्वारा अपेक्षा कर सकती है कि वह किसी सड़क पर लटकने वाले, उस पर बढ़े हुये या उस पर अतिक्रमण करने वाले अथवा उस पर को किसी नाली, गंदे नाले अथवा जल-प्रणाली में या उस पर या उसके ऊपर बने हुये किसी प्रक्षेप अथवा संरचना को हटा दे अथवा उसमें परिवर्तन करे :

प्रतिबन्ध यह है कि इस अधिनियम के प्रारम्भ होने पर अथवा इसके पूर्व विधितः विद्यमान किसी प्रक्षेप अथवा संरचना की दशा में, क्षेत्र समिति उसे हटाने अथवा उसमें परिवर्तन करने के फलस्वरूप होने वाली किसी क्षति के लिये प्रतिकर देगी जो निर्माण करने तथा गिराने के व्यय के तिगुने से अधिक न होगा ।

सड़कों के समतल किये जाने तथा उनमें खड़ंजे लगाए जाने आदि की अपेक्षा करने का अधिकार

१८४—(१) यदि नियंत्रित ग्राम्य क्षेत्र में कोई निजी सड़क अथवा उसका कोई भाग क्षेत्र समिति के संतोषानुसार समतल न किया गया हो, या उसमें खड़ंजा न लगाया गया हो, या उसको पक्का न किया गया हो, या उनमें पत्थर न लगाये गये हों, या मोरियों या नालियों की व्यवस्था न की गयी हो तो क्षेत्र समिति उन भूगृहादि के, जिनके अग्रभाग उक्त सड़क या उसके किसी भाग की ओर हों या जो उसमें लगे हुये हों, स्वामियों अथवा अध्यासियों को नोटिस देकर उनसे अपेक्षा कर सकती है कि वे उस कार्य को, जो उसकी राय में आवश्यक हों, उस समय के भीतर जो नोटिस में निर्दिष्ट किया जाय, सम्पादित करें ।

(२) यदि उक्त कार्य, नोटिस में निर्दिष्ट समय के भीतर सम्पादित न किया जाय तो क्षेत्र समिति, यदि वह उचित समझे, उसे सम्पादित कर सकती है तथा उसमें किया गया व्यय उक्त नोटिस की अवहेलना करने वाले स्वामियों अथवा अध्यासियों से अध्याय ८ के अधीन उनके अपने-अपने भू-गृहादि के अग्रभागों के अनुसार और ऐसे अनुपात में, जो क्षेत्र समिति निश्चित करे, वसूल किया जायगा ।

(३) यदि पूर्ववर्ती उपधाराओं के उपबन्धों के अधीन कोई सड़क समतल की गयी हो या उसमें खड़ंजा लगाया गया हो या वह पक्की की गयी हो, या उसमें पत्थर लगाये गये हों या मोरियां तथा नालियां बनाई गयी हों तो ऐसी सड़क उसके स्वामियों के कम से कम तीन-चौथाई की अभ्यर्थना पर सार्वजनिक सड़क घोषित कर दी जायगी ।

इमारत आदि बनाने के समय सड़क के संरक्षण की अपेक्षा करने का अधिकार

१८५—(१) क्षेत्र समिति की लिखित अनुमति पहले प्राप्त किये बिना कोई व्यक्ति कोई पेड़ या उसकी कोई शाखा नहीं काटेगा, न किसी इमारत या उसके भाग का निर्माण या पुनर्निर्माण करेगा, या उसे गिरायेगा, न किसी इमारत के बाहरी भाग में परिवर्तन अथवा उसकी मरम्मत करेगा, यदि ऐसा कार्य इस प्रकार का हो कि उससे सड़क का उपयोग करने वाले किसी व्यक्ति के लिये अवरोध, खतरा अथवा क्लेश अथवा अवरोध, खतरे या क्लेश का संकट पैदा हो ।

(२) क्षेत्र समिति, किसी भी समय नोटिस द्वारा यह अपेक्षा कर सकती है कि उपधारा (१) में उल्लिखित कार्यों में से कोई कार्य करने वाला अथवा करने का प्रस्ताव करने वाला कोई व्यक्ति तब तक उक्त कार्य को आरम्भ न करे अथवा उसे जारी रखने से रुका रहे, जब तब कि वह सूर्यास्त से सूर्योदय तक पर्याप्त प्रकाश के साथ ऐसी बाड़ अथवा पर्दा, जो नोटिस में उल्लिखित या वर्णित हो, न लगाये, उनका अनुरक्षण न करे तथा उनकी व्यवस्था न करे और वह, किसी भी समय नोटिस द्वारा यह भी अपेक्षा कर सकती है कि उक्त कार्यों में से किसी कार्य की प्रत्याशा से अथवा उसके अनुसरण में निर्मित किसी पर्दे अथवा बाड़ को, नोटिस में नियत समय के भीतर हटा दे।

(३) जो व्यक्ति उपधारा (१) के उपबन्धों का उल्लंघन करे वह दोषी पाये जाने पर अर्थ-दंड का भागी होगा, जो पचास रुपये तक हो सकता है, तथा प्रथम दोषसिद्धि के दिनांक के पश्चात् ऐसे प्रत्येक दिन के लिये जिसमें उक्त उल्लंघन जारी रहे, अतिरिक्त अर्थदंड का भागी होगा जो पांच रुपया तक हो सकता है।

झाड़ियों और पेड़ों को छांटने की अपेक्षा करने का अधिकार

१८६—क्षेत्र समिति, नियंत्रित ग्राम्य क्षेत्र में किसी भूमि के स्वामी अथवा अध्यासी से नोटिस द्वारा अपेक्षा कर सकती है कि वह उस पर उगी हुई और सड़क के पास की झाड़ियों को, या उस पर उगे हुये पेड़ों की ऐसी शाखाओं को, जो सड़क के ऊपर लटकती हों और उसे अवरुद्ध करती हों, या खतरा पैदा करती हों, काटे या छांटे।

आकस्मिक अवरोधों को हटाने का अधिकार

१८७—जब कोई निजी मकान, दीवार या अन्य निर्माण या उससे जुड़ी हुई कोई अन्य वस्तु या कोई पेड़ गिर पड़े और सार्वजनिक नाली को अवरुद्ध करे या सड़क को रोक ले, तो क्षेत्र समिति ऐसे अवरोध या रोक (encumbrance) को उसके स्वामी के व्यय से हटा सकती है और उस व्यय को अध्याय ८ में व्यवस्थित रीति से वसूल कर सकती है, या नोटिस द्वारा स्वामी से अपेक्षा कर सकती है कि वह नोटिस में निर्दिष्ट समय के भीतर उसे हटा दे।

श्री अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि खंड १८३ से १८७ तक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड १८८

किसी सड़क को प्रभावित करने वाले तथा नाली नांदों के पानी के निकास के लिये बने पाइपों का विनियमन

१८८—क्षेत्र समिति नोटिस द्वारा, सड़क से लगी हुयी किसी इमारत अथवा भूमि के स्वामी अथवा अध्यासी से अपेक्षा कर सकती है कि वह इमारत अथवा भूमि के पानी को ग्रहण करने तथा उसे बाहर ले जाने और उसको, ऐसी रीति से, जिसे क्षेत्र समिति ठीक समझे, निकासी के लिये, नांदों तथा पाइपों को लगावे और उन्हें अच्छी दशा में रखे जिससे कि सड़क पर चलने वाले व्यक्तियों को असुविधा न हो।

श्री अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि खंड १८८ में शब्द "नांदों तथा पाइपों को लगावें" के स्थान पर शब्द "जल प्रणालियों तथा पाइपों की व्यवस्था करें" रख दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि संशोधित खंड १८८ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खंड १८९–१९६

१८९—परिषद् या क्षेत्र समिति—

सार्वजनिक सड़कों पर निर्माण, उनका सुधार तथा स्थलों की व्यवस्था करने का अधिकार

(क) किसी नई सार्वजनिक सड़क का विन्यास तथा निर्माण कर सकती है और सुरंगें तथा उसके सहायक अन्य निर्माण बना सकती है,

(ख) किसी वर्तमान सार्वजनिक सड़क को, यदि वह परिषद् या क्षेत्र समिति में, जैसी भी दशा हो, निहित हो, चौड़ी, लम्बी, विस्तृत, या परिवर्धित कर सकती है अथवा उसमें अन्य सुधार कर सकती है,

(ग) इस प्रकार निहित किसी सार्वजनिक सड़क को मोड़, बदल या रोक सकती है अथवा उसे बन्द कर सकती है,

(घ) स्वमति से उतनी लम्बाई, चौड़ाई के, जो वह उचित समझे, निर्माण-स्थलों की व्यवस्था कर सकती है, जो किसी ऐसी सार्वजनिक सड़क से लगे हुये या उसके पार्श्वस्थ हों, जो परिषद् या क्षेत्र समिति द्वारा खंड (क), (ख) तथा (ग) के अधीन अथवा राज्य सरकार द्वारा निर्मित, चौड़ी, लम्बी, विस्तृत अथवा परिवर्धित की गई हो अथवा सुधारी गई हो,

(ङ) किसी ऐसे नियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुये जिसमें वे शर्तें नियत की गयी हों जिन पर परिषद् या क्षेत्र समिति द्वारा सम्पत्ति अर्जित की जा सकती हो, किसी ऐसी भूमि को उस पर स्थित इमारतों सहित, जिसे वह पूर्ववर्ती खंडों द्वारा प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करके हाथ में ली गई अथवा प्रस्तावित किसी योजना अथवा कार्य के प्रयोजन के लिये आवश्यक समझे, उसके स्वामी के साथ कोई अनुबंध करके अथवा लैंड एक्वीजीशन ऐक्ट, १८९४ के अधीन अर्जित कर सकती है, तथा

(च) किसी ऐसे नियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुये जिसमें वे शर्तें नियत की गयी हों जिन पर परिषद् या क्षेत्र समिति में निहित सम्पत्ति हस्तांतरित की जा सकती हो, परिषद् या क्षेत्र समिति द्वारा खंड (ङ) के अधीन अर्जित किसी सम्पत्ति को अथवा परिषद् या क्षेत्र समिति द्वारा सार्वजनिक सड़क के रूप में प्रयुक्त किसी ऐसी भूमि को, जिसकी उस प्रयोजन के लिये आवश्यकता न रह गयी हो, पट्टे पर दे सकती है, बेच सकती है अथवा अन्य प्रकार से उसका निस्तारण कर सकती है, और ऐसा करने में वह उस पर विद्यमान किसी इमारत को हटाने, उस पर बनायी जाने वाली किसी नयी इमारत के रूप, अवधि जिसके भीतर ऐसी नयी इमारत पूरी की जायगी तथा किसी अन्य ऐसे विषय के सम्बन्ध में जो वह उचित समझे, कोई शर्त लगा सकती है :

प्रतिबन्ध यह है कि इस धारा के अधीन कार्य हाथ में लेने में परिषद् या क्षेत्र समिति किसी भी दशा में, उपासना अथवा धार्मिक पवित्रता के किसी स्थान में हस्तक्षेप या उसका अतिक्रमण नहीं करेगी।

किसी सड़क का सार्वजनिक सड़क के रूप में अंगीकार किया जाना

१९०—(१) क्षेत्र समिति, किसी भी समय, किसी सड़क पर, जो सार्वजनिक सड़क न हो अथवा ऐसी सड़क के किसी भाग पर, सार्वजनिक नोटिस लगाकर उसे सार्वजनिक सड़क घोषित करने के अपने आशय की सूचना दे सकती है और धारा १८४ की उपधारा (३) के अधीन अध्यर्थना द्वारा अपेक्षित होने पर अवश्य ऐसा करेगी। उक्त नोटिस के इस प्रकार लगाये जाने के दो मास के भीतर, उस सड़क के, अथवा सड़क के उक्त भाग के, अथवा उसके अधिकांश भाग के स्वामी

उक्त नोटिस के विरुद्ध क्षेत्र समिति को सम्बोधित आपत्तियां प्रस्तुत कर सकते हैं। क्षेत्र समिति प्रस्तुत की गयी आपत्तियों पर विचार करेगी और यदि वह उन्हें अस्वीकार कर दे तो वह उस सड़क या उस भाग पर एक और सार्वजनिक नोटिस लगा कर उसे सार्वजनिक सड़क घोषित कर सकती है।

(२) उपधारा (१) के अधीन अपेक्षित सार्वजनिक नोटिस सड़क पर लगाये जाने के अतिरिक्त, किसी स्थानीय समाचार-पत्र में, यदि कोई हो, अथवा ऐसी अन्य रीति से जिसे क्षेत्र समिति उचित समझे, प्रकाशित किया जायगा।

(३) जिला परिषद् इस धारा द्वारा प्राप्त आधकारों का प्रयोग किसी ऐसी सड़क या सड़कों के भाग के सम्बन्ध में भी कर सकती है जिसे वह जिले की सड़कों में सम्मिलित करना चाहती हो।

सार्वजनिक सड़कों पर निर्माण रेखा विनियमित करने का अधिकार।

१९१—(१) जब कभी समुपयुक्त प्राधिकारी किसी वर्तमान अथवा प्रस्तावित सार्वजनिक सड़क के प्रत्येक अथवा किसी अ.र इमारतों के लिये सामान्य निर्माण-रेखा निर्धारित करना इष्टकर समझे, तो वह ऐसा करने के अपने आशय का सार्वजनिक नोटिस देगा।

(२) प्रत्येक ऐसे नोटिस में वह अवधि निर्दिष्ट की जायगी जिसके भीतर आपत्तियां ली जायंगी।

(३) समुपयुक्त प्राधिकारी, निर्दिष्ट अवधि के भीतर प्राप्त सब आपत्तियों पर विचार करेगा और तत्पश्चात् उक्त रेखा को परिभाषित करते हुये संकल्प पारित कर सकता है तथा इस प्रकार परिभाषित की हुई रेखा "सड़क की नियमित निर्माण-रेखा" कहलायेगी।

(४) उसके बाद किसी व्यक्ति के लिए किसी इमारत या इमारत के भाग का निर्माण, पुनर्निर्माण या परिवर्तन इस प्रकार करना वैध न होगा कि वह सड़क की नियमित निर्माण-रेखा के आगे बढ़ जाये, जब तक कि उसे धारा १६५ के अधीन दी गई स्वीकृति द्वारा या लिखित अनुमति द्वारा ऐसा करने का प्राधिकार न दे दिया गया हो, और समुपयुक्त अधिकारी को इस धारा के अधीन ऐसी अनुमति प्रदान करने का अधिकार दिया जाता है।

(५) भूमि का कोई ऐसा स्वामी जिसे इस धारा के उपबन्धों द्वारा किसी भूमि पर किसी इमारत का निर्माण, पुनर्निर्माण या उसमें परिवर्तन करने से रोक दिया गया हो, समुपयुक्त प्राधिकारी से अपेक्षा कर सकता है कि वह उस क्षति के लिये प्रतिकर दे जो इस प्रकार रोके जाने के कारण उसे पहुंचे, तथा सड़क की नियमित निर्माण-रेखा के भीतर स्थित किसी भूमि के सम्बन्ध में प्रतिकर का भुगतान हो जाने पर, वह भूमि समुपयुक्त प्राधिकारी में निहित हो जायगी।

(६) समुपयुक्त प्राधिकारी, नोटिस द्वारा किसी ऐसी इमारत या उसके भाग में परिवर्तन करने या उसे गिरा देने की अपेक्षा कर सकता है जिसका निर्माण, पुनर्निर्माण या परिवर्तन उपधारा (४) का उल्लंघन करके किया गया हो।

सार्वजनिक सड़कों आदि का निर्माण करते समय समुपयुक्त प्राधिकारी के कर्त्तव्य

१९२—(१) समुपयुक्त प्राधिकारी, किसी सार्वजनिक सड़क या अपने में किसी निहित जल-मार्ग, नाली या भूगृहादि के, निर्माण या मरम्मत के दौरान में या जब कभी उसमें निहित कोई सार्वजनिक सड़क, जल-मार्ग, नाली या भूगृहादि, मरम्मत न होने के कारण या अन्यथा जन साधारण द्वारा उपयोग के लिये असुरक्षित हो गयी हो, दुर्घटना से बचाव के लिये सभी आवश्यक पूर्वोपाय निम्नांकित रूप से करेगा—

(क) पार्श्वस्थ इमारतों में थूनी लगाकर और उनकी रक्षा करके,

(ख) ऐसे निर्माण या मरम्मत के समय यातायात को रोकने या उसे दूसरी ओर मोड़ने के प्रयोजन से किसी सड़क में या उसके आर-पार आड़, जंजीरें या खम्भे लगाकर, तथा

(ग) किसी कार्य को, जो हो रहा हो, रक्षा करके तथा उसके लिये सूर्यास्त से सूर्योदय तक पर्याप्त प्रकाश की व्यवस्था करके।

(२) जो व्यक्ति समुपयुक्त प्राधिकारी के प्राधिकार या सम्मति के बिना, समुपयुक्त प्राधिकारी द्वारा उपधारा (१) के अधीन निर्माण के सम्बन्ध में या दुर्घटना से बचाव के लिये किये गये किसी प्रबन्ध में हस्तक्षेप करेगा, वह दोषी पाये जाने पर अर्थदंड का भागी होगा जो पचास रुपये तक हो सकता है।

निजी जल मार्ग आदि साफ किये जाने अथवा बन्द किये जाने की अपेक्षा करने का अधिकार

१९३—(१) क्षेत्र समिति, किसी ऐसे निजी जल-मार्ग, सोते, तालाब, कुएं या अन्य स्थान के, जिसका पानी पीने के काम में लाया जाता हो, स्वामी या उस पर नियंत्रण रखने वाले व्यक्ति से, नोटिस द्वारा यह अपेक्षा कर सकती है—और जब जिला परिषद् ऐसा करने के लिये कहे तो उससे यह अपेक्षा करेगी— कि वह उसे अच्छी हालत में बनाये रखे और समय-समय पर उसमें से तलछट, कूड़ा-करकट या सड़ने वाली वनस्पति निकाल कर उसकी सफाई करे, तथा क्षेत्र समिति उससे यह भी अपेक्षा कर सकती है कि वह उसे दूषित होने से उस रीति से बचाये जो क्षेत्र समिति उचित समझे।

(२) जब किसी ऐसे जल-मार्ग, सोते, तालाब, कुएं या अन्य स्थान का पानी परिषद् या क्षेत्र समिति के संतोषानुसार पीने के लिये अनुपयुक्त सिद्ध हो तो परिषद् या क्षेत्रसमिति उसके स्वामी या उस पर नियंत्रण रखने वाले व्यक्ति से नोटिस द्वारा यह अपेक्षा कर सकती है कि वह उस पानी को न स्वयं पीने के उपयोग में लाये और न दूसरों को पीने के लिये उसका उपयोग करने की अनुमति दे और यदि ऐसे नोटिस के पश्चात् किसी व्यक्ति द्वारा वह पानी पीने के लिये उपयोग में लाया जाय तो पारषद् या क्षेत्र समिति, जैसी भी दशा हो, उसके स्वामी या उस नियंत्रण रखने वाले व्यक्ति से नोटिस द्वारा उस कुएं को स्थायी या अस्थायी रूप से बन्द करने की या ऐसे जल-मार्ग, सोते, तालाब, कुएं या अन्य स्थान को ऐसी रीति से घेर देने या उसके चारों ओर बाड़ लगा देने की अपेक्षा कर सकती है जिसका वह निदेश दे जिससे कि उसका पानी इस प्रकार उपयोग में न लाया जा सके।

महामारी फैलने पर आपतिक आकार

१९४—जिले के ग्राम्य क्षेत्र या उसके किसी भाग में हैजा या राज्य सरकार द्वारा तदर्थ विज्ञापित अन्य संक्रामिक रोग फैल जाने की दशा में, परिषद् का अध्यक्ष या क्षेत्र समिति का प्रमुख या उनसे किसी द्वारा तदर्थ प्राधिकृत कोई व्यक्ति महामारी के फैले रहने की अवधि में, बिना नोटिस के और किसी भी समय, किसी कुएं, तालाब या अन्य स्थान का, जिसमें से पानी लिया जाता हो या लिये जाने की सम्भावना हो, निरीक्षण कर सकता है और उसे कीटाणु रहित कर सकता है और इसके अतिरिक्त उसमें से पानी का निकाला जाना रोकने के लिए ऐसी कार्यवाही कर सकता है जो वह उचित समझे।

जलसम्भरण के किसी स्रोत के निकट से शौचालयों आदि का हटाया जाना

१९५—परिषद् या क्षेत्र समिति किसी ऐसे स्वामी या अध्यासी से जिसकी भूमि पर किसी सोते, कुएं, तालाब, जलाशय या अन्य स्रोत, जिसमें से सार्वजनिक प्रयोग के लिये पानी निकाला जाता हो, या निकाला जा सकता हो, के पचास फीट के भीतर स्थित कोई नाली, संडास, शौचालय, मूत्रालय, मलकूप या गलीज या कूड़ा-करकट का अन्य पात्र हो, नोटिस द्वारा यह अपेक्षा कर सकती है कि वह ऐसे नोटिस की तामील के एक सप्ताह के भीतर उसे हटा दे या बन्द कर दे।

नाली या जलकार्य के ऊपर अनधिकृत निर्माण आदि

१९६—(१) यदि इस अधिनियम के प्रारम्भ होने पर या उसके पश्चात् परिषद्, या क्षेत्र समिति जैसी भी दशा हो की लिखित अनुमति के बिना, परिषद् या क्षेत्र समिति में निहित किसी सार्वजनिक नाली या पुलिया या किसी जल-कार्य के ऊपर कोई सड़क बनायी गयी हो अथवा किसी इमारत, दीवार या अन्य संरचना का निर्माण किया गया हो या कोई पेड़ लगाया गया हो, तो परिषद् या क्षेत्र समिति जैसी भी दशा हो—

(क) नोटिस द्वारा उस व्यक्ति से जिसने उक्त सड़क बनायी हो, संरचना का निर्माण किया हो या पेड़ लगाया हो, अथवा उस भूमि के स्वामी या अध्यासी से जिस पर सड़क बनायी गयी हो, संरचना का निर्माण किया गया हो या पेड़ लगाया गया हो, यह अपेक्षा कर सकती है कि वह सड़क, संरचना या पेड़ को हटा दे या उसके सम्बन्ध में कोई ऐसी अन्य कार्यवाही करे जो परिषद् या क्षेत्र समिति, जैसी भी दशा हो, उचित समझे, अथवा

(ख) सड़क, संरचना या पेड़ को स्वयं हटा सकती है या उसके सम्बन्ध में कोई ऐसी अन्य कार्यवाही कर सकती है जो वह उचित समझे।

(२) उपधारा (१) के खंड (ख) के अधीन की गई कार्यवाही के कारण परिषद् या क्षेत्र समिति द्वारा किया गया कोई व्यय अध्याय ८ में व्यवस्थित रीति से उस व्यक्ति से वसूल किया जा सकेगा जिसने सड़क बनायी हो, संरचना का निर्माण किया हो या पेड़ लगाया हो।

श्री अधिष्ठाता —प्रश्न यह है कि खंड १८९ से १९६ तक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड १९७

बिक्री के प्रयोजन, पशुओं के बध का स्थान।

१९७—(१) क्षेत्र समिति, जिला मैजिस्ट्रेट के अनुमोदन से बिक्री के प्रयोजनार्थ पशुओं के अथवा किसी निर्दिष्ट प्रकार के पशुओं के बध के लिये नियंत्रित ग्राम्य-क्षेत्र में भूगृहादि निश्चित कर सकती है तथा उसी प्रकार के अनुमोदन से ऐसे भूगृहादि के लिये लाइसेंस स्वीकृत कर सकती है और वापस ले सकती है।

(२) जब ऐसे भूगृहादि निश्चित कर दिये गये हों, तो कोई व्यक्ति उक्त भूगृहादि से दो मील के अर्ध-व्यास के भीतर किसी अन्य स्थान में बिक्री के प्रयोजनार्थ किसी ऐसे पशु का बध न करेगा।

(३) जो व्यक्ति दो मील के अर्ध-व्यास के भीतर किसी अन्य स्थान में ऐसे पशु का बिक्री के प्रयोजनार्थ बध करे, वह दोषी पाये जाने पर अर्थ-दंड का भागी होगा, जो इस प्रकार बध किये गए प्रत्येक पशु के लिये बीस रुपये तक हो सकता है।

श्री अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि खंड १९७ के उपखंड (१) की अन्तिम पंक्ति में शब्द 'में' निकाल दिया जाय तथा शब्द 'भू-गृहादि के' और शब्द 'लिये' के बीच 'प्रयोग के' रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि संशोधित खंड १९७ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड १९८–२००

ऐसे पशुओं के सम्बन्ध में जिनका बिक्री के प्रयोजनार्थ वध नहीं किया जाता, जिला मैजिस्ट्रेट का अधिकार ।

१९८––जब कभी सार्वजनिक शान्ति या व्यवस्था बनाये रखने के लिये जिला मैजिस्ट्रेट को यह आवश्यक प्रतीत हो तो वह मंडल के आयुक्त के नियंत्रण में रहते हुए, सार्वजनिक नोटिस द्वारा ग्राम्य क्षेत्र के भीतर, बिक्री से भिन्न किसी प्रयोजन के लिये किसी निर्दिष्ट प्रकार के पशु या पशुओं के वध का निषेध या विनियमन कर सकता है तथा वह रीति जिससे और वह मार्ग जिससे होकर ऐसे पशु, वधस्थान में लाये जायेंगे तथा वहां से मांस बाहर ले जाया जायगा, नियत कर सकता है ।

दुग्धशाला के प्रयोजनार्थ रखे गये अथवा भोजन के लिए उपयोग में लाये जाने वाले पशुओं को अनुपयुक्त भोजन देना ।

१९९––जो व्यक्ति ग्राम्य क्षेत्र में किसी ऐसे पशु को, जो दुग्धशाला के प्रयोजनार्थ रखा गया हो अथवा जिसे भोजन के लिये उपयोग में लाया जा सकता हो, गंदे या हानिकर पदार्थ खिलाये या खिलाये जाने दे, वह दोषी पाये जाने पर अर्थदंड का भागी होगा जो पचास रुपये तक हो सकता है ।

स्पष्टीकरण––गंदे अथवा हानिकर भोजन का तात्पर्य उस भोजन से होगा जो किसी प्राधिकारी द्वारा तथा नियमों में नियत रीति के अनुसार गंदा अथवा हानिकारक भोजन निर्दिष्ट किया गया हो ।

भोजन, पेय तथा भेषजों की बिक्री के स्थानों का निरीक्षण ।

२००––अध्यक्ष, मुख्य कार्याधिकारी, स्वास्थ्य-अधिकारी तथा तदर्थ संकल्प द्वारा प्राधिकृत किये जाने पर परिषद् का कोई अन्य सदस्य, अधिकारी या कर्मचारी और इसी प्रकार प्रमुख, क्षेत्र संचालक या क्षेत्र संचालक द्वारा तदर्थ प्राधिकृत इस क्षेत्र समिति का कोई अन्य अधिकारी बिना नोटिस के दिन या रात में, किसी भी समय, किसी ऐसे बाजार, दूकान, स्टाल अथवा स्थान में जो मनुष्य के भोजन अथवा पेय की बिक्री के लिये, अथवा वधशाला के रूप में, अथवा भेषजों की बिक्री के लिये प्रयुक्त होता हो, प्रवेश कर सकता है और उसका निरीक्षण कर सकता है तथा किसी भोज्य अथवा पेय पदार्थ का अथवा किसी पशु अथवा भेषज का जो उसके भीतर हो, निरीक्षण और परीक्षा कर सकता है ।

श्री अधिष्ठाता––प्रश्न यह है कि खंड १९८ से २०० तक इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खंड २०१

अस्वास्थ्यकर वस्तुओं को अभिग्रहण तथा हानिकर और गत प्रभाव भेषजों का हटाया जाना ।

२०१––(१) यदि पूर्वगामी धारा के अधीन किसी स्थान का निरीक्षण करने में कोई भोज्य अथवा पेय पदार्थ कोई पशु मनुष्य के उपभोग के लिये अभिप्रेत प्रतीत हो और तदर्थ अनुपयुक्त प्रतीत हो, तो इस प्रकार निरीक्षण करने वाला व्यक्ति उसका अभिग्रहण कर सकता है और उसे हटा सकता है, या उसे नष्ट कर सकता है, या उसका इस प्रकार निस्तारण करवा सकता है कि वह बिक्री के लिये या इस प्रकार उपभोग के लिये प्रदर्शित न किया जा सके ।

(२) यदि समुचित रूप से यह सन्देह हो कि किसी भेषज में अनुचित रूप से मिलावट की गई है या पुरानी हो जाने अथवा जलवायु के प्रभाव के कारण वह गत प्रभाव या अस्वास्थ्यकर हो गया है या अन्यथा इस प्रकार खराब हो गया है कि उसकी उपयोगिता कम हो गई है या उसका प्रभाव बदल गया है, या वह अनिष्टकर हो गया है, तो निरीक्षण करने वाला व्यक्ति उसके लिये एक रसीद देकर उसे हटा सकता है, और उसे मैजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है ।

(३) यदि उस मैजिस्ट्रेट को जिसके समक्ष उपधारा (२) के अधीन भेषज प्रस्तुत किया हो यह प्रतीत हो कि उसमें अनुचित रूप से मिलावट की गयी है या वह पूर्वोक्त रूप से गत प्रभाव, अस्वास्थ्यकर, या खराब हो गया है, तो वह उसके नष्ट किये जाने का अथवा इस प्रकार निस्तारित किये जाने का जो वह ठीक समझे आदेश दे सकता है और यदि यह प्रकट हो कि कोई अपराध किया गया है तो वह उसका संज्ञान करने केलिये कार्यवाही कर सकता है।

श्री अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि खंड २०१ के उपखंड (२) तथा (३) में शब्द "अनुचित रूप से मिलावट की गई है" के स्थान पर शब्द "अपमिश्रण किया गया है" रख दिये जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि खंड २०१ के उपखंड (३) के उपरान्त निम्नलिखित वाक्य जोड़ा जाय—

"यदि मैजिस्ट्रेट को स्वयं या परकीय शिकायत द्वारा यह ज्ञात हो कि कोई व्यक्ति खाद्य पदार्थों में तथा भोजन के लिये तैयार भोज्य पदार्थों में विशेष रूप से अखाद्य पदार्थों की मिलावट कर रहा या अपनी घोषणा के विपरीत प्रकार का खाद्य पदार्थ बना रहा है तो उसका निरीक्षण करने और आवश्यक समझे तो उसे नष्ट करने का आदेश दे सकता है तथा उस व्यक्ति पर अदालती कार्यवाही कर सकता है।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि संशोधित खंड २०१ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड २०२–२०८

क्षोभकर व्यापारों का विनियमन।

२०२—(१) यदि परिषद् के संतोषानुसार यह दिखाया जाय कि ग्राम्य क्षेत्र की सीमाओं के भीतर स्थित किसी इमारत या स्थान से, जिसे कोई व्यक्ति अन्य किसी वस्तु के निर्माण संग्रह किया या निस्तारण के प्रयोजनार्थ फैक्टरी या कारोबार के अन्य स्थान के रूप में प्रयोग करता है, या प्रयोग करने का आशय रखता है और ऐसे प्रयोग के कारण अथवा ऐसे आशयगत प्रयोग के कारण कोई लोक कंटक पैदा होता है या उसके पैदा होने की सभावना है, तो परिषद् अपने विकल्प से उस इमारत या स्थान के स्वामी या अध्यासी से नोटिस द्वारा यह अपेक्षा कर सकती है कि वह—

(क) उक्त इमारत या स्थान का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिये प्रयोग न करे या न करने दे, या

(ख) उक्त इमारत या स्थान का केवल ऐसे प्रयोजन के लिये, केवल ऐसी शर्तों पर या ऐसे संरचनात्मक परिवर्तनों के पश्चात् प्रयोग करे या प्रयोग करने दे जो परिषद् ऐसे प्रयोजन के लिये उक्त इमारत या स्थान के प्रयोग को आपत्ति-मुक्त करने के उद्देश्य से नोटिस में नियत करे।

(२) जो व्यक्ति उपधारा (१) के अधीन दिया गया नोटिस मिलने के पश्चात्, किसी इमारत अथवा स्थान का, नोटिस का उल्लंघन करके प्रयोग करे अथवा प्रयोग करने दे, वह दोषी पाये जाने पर अर्थ-दंड का भागी होगा जो दो

सौ रुपये तक हो सकता है तथा प्रथम दोष-सिद्ध के दिनांक के पश्चात् ऐसे प्रत्येक दिन के लिये जिसमें वह उक्त इमारत अथवा स्थान का इस प्रकार प्रयोग करे अथवा प्रयोग करने दे अतिरिक्त अर्थ-दंड का भागी होगा जो चालीस रुपये तक हो सकता है ।

पथ नियम की उपेक्षा

२०३—जो व्यक्ति, ग्राम्य क्षेत्र में, सड़क पर कोई वाहन हांकने, ले जाने अथवा चलाने में वास्तविक आवश्यकता की दशा से अन्यथा—

(क) बायीं ओर न रहे, अथवा

(ख) उसी दिशा में जाने वाले वाहन से आगे निकलने में उसके दाहिनी ओर न रहे,

तो वह दोषी पाये जाने पर अर्थ-दंड का भागी होगा जो दस रुपये तक हो सकता है ।

अपवाद—यह धारा कुमायूं मंडल के जिलों में प्रवृत्त न होगी ।

अधिकृत परिमाण से अधिक परिमाण में रखे गये ज्वलनशील पदार्थों की तलाशी लेने का अधिकार

२०४—(१) जब जीवन या सम्पत्ति पर आने वाले संकट के निवारणार्थ ऐसा करना आवश्यक प्रतीत हो, तो क्षेत्र समिति सार्वजनिक नोटिस द्वारा, समस्त व्यक्तियों को, किसी मकान, इमारत या स्थान में जो नोटिस में निर्दिष्ट सीमाओं के भीतर हो, लकड़ी, सूखी घास, भूसा अथवा अन्य ज्वलनशील पदार्थों का संग्रह रखने या करने का अथवा किसी निर्दिष्ट परिमाण से अधिक परिमाण में उनके रखने या संग्रह करने का अथवा चटाइयां या फूस की झोपड़ियां रखने या आग जलाने का निषेध कर सकती है ।

(२) यदि उप-धारा (१) के अधीन निषेध का उल्लंघन करे या उप-धारा (१) के किसी उप विधि के उपबन्धों के अधीन ऐसे मकान, इमारत अथवा स्थान में रखे जाने के लिये अनुज्ञात परिमाण से अधिक परिमाण में सूखी लकड़ी, घास, भूसा या अन्य ज्वलनशील पदार्थ संग्रह रखे जाने या किये जाने का संदेह हो तो मुख्य कार्याधिकारी अथवा मुख्य कार्याधिकारी द्वारा तदर्थ प्राधिकृत परिषद् का कोई अधिकारी अथवा सेवक, बिना नोटिस तथा दिन अथवा रात में किसी भी समय, ऐसे मकान या इमारत या स्थान में प्रवेश कर सकता है तथा उसका निरीक्षण कर सकता है ।

(३) यदि ऐसा पदार्थ किसी परिमाण में या प्राधिकृत परिमाण से अधिक परिमाण में पाया जाय तो, ऐसे आदेश के अधीन रहते हुये जो मजिस्ट्रेट इसके सम्बन्ध में दे उसका अभिग्रहण किया जा सकता है और उसे कब्जे में लिया जा सकता है ।

(४) यदि मजिस्ट्रेट यह निर्णय करे कि अभिग्रहीत पदार्थ उपधारा (१) के अधीन किये गये किसी निषेध के प्रतिकूल मकान, इमारत अथवा मकान में जमा किया गया था, तो वह उसे जब्त करने का आदेश दे सकता है।

(५) इस या किसी अन्य अधिनियमिति के अथवा तदधीन बनाये गये किसी उपबन्ध के अधीन रहते हुये, इस प्रकार जब्त किया या पदार्थ मजिस्ट्रेट के आदेश से बेचा जा सकता है तथा उससे होने वाली आय ऐसी बिक्री के सम्बन्ध में हुये व्यय की अदायगी के बाद जिला निधि में जमा की जायगी ।

अन्य कार्यवाही के सम्बन्ध में अपवाद

२०५—धारा २०४ के अधीन जब्ती का कोई आदेश किसी अन्य ऐसी दीवानी अथवा फौजदारी की कार्यवाही में बाधक न होगा जो पदार्थ का संग्रह रखने या करने वाले अथवा अनुज्ञात परिमाण से अधिक परिमाण में संग्रह रखने वाले व्यक्ति के विरुध की जा सकती हो ।

खड़ंजों आदि को हटाना

२०६—(१) जो व्यक्ति सार्वजनिक सड़क के खड़ंजे, नाली के पत्थर या अन्य सामग्री या उसकी मेड़ों, दीवारों या खम्बों या जिला परिषद् या क्षेत्र समिति की ऐसी ही अन्य सम्पत्ति को, परिषद् या क्षेत्र समिति, जैसी भी दशा हो, या अन्य विधिसंगत प्राधिकारी की लिखित स्वीकृत के बिना हटाता है, लेता है या उसमें परिवर्तन करता है अथवा अन्य किसी प्रकार से उसमें हस्तक्षेप करता है तो वह दोषी पाये जाने पर अर्थदंड का भागी होगा, जो एक सौ रुपये तक हो सकता है ।

(२) उपधारा (१) में वर्णित प्रकार के किसी कार्य के किये जाने के कारण परिषद् या क्षेत्र समिति द्वारा किया गया व्यय अपराधी से अध्याय ८ में व्यवस्थित रीति से वसूल किया जा सकता है ।

आग्नेयास्त्र आदि छोड़ना

२०७—जो व्यक्ति ऐसी रीति से आग्नेयास्त्र छोड़े अथवा आतिशबाजी या आग के गुब्बारे छोड़े या कोई ऐसा खेल खेले जिससे पास से निकलने वाले या पास-पड़ोस में रहने या काम करने वाले व्यक्तियों के जीवन के लिये संकट उत्पन्न हो, या उत्पन्न होने की सम्भावना हो या जिससे सम्पत्ति को क्षति पहुंचने का डर हो, तो वह दोषी पाये जाने पर अर्थ-दंड का भागी होगा, जो बीस रुपये तक हो सकता है ।

ध्वस्त इमारतों, अरक्षित कुओं आदि से होने वाले खतरे को रोकने का अधिकार

२०८—(१) परिषद् नोटिस द्वारा किसी भूमि अथवा इमारत के स्वामी अथवा अध्यासी से अपेक्षा कर सकती है कि—

(क) वह किसी ऐसी इमारत, दीवार, कगार अथवा अन्य संरचना या उससे संलग्न किसी वस्तु को गिरा दे, अथवा उसकी ऐसी रीति से मरम्मत करे जो परिषद् आवश्यक समझे, अथवा किसी ऐसे पेड़ को गिरा दे, जो उक्त स्वामी का हो, या उक्त अध्यासी के कब्जे में हो, जिस के विषय में परिषद् को यह प्रतीत हो कि वह ध्वस्त दशा में है या व्यक्तियों अथवा सम्पत्ति के लिये खतरनाक है, अथवा

(ख) वह किसी ऐसे कुएं, तालाब, जलाशय, पोखरे अथवा खोदे हुये स्थान को, जो उक्त स्वामी का हो या उक्त अध्यासी के कब्जे में हो और जो उसकी स्थिति, मरम्मत के अभाव या अन्य ऐसी ही परिस्थितियों के कारण परिषद् को खतरनाक प्रतीत हो, ऐसी रीति से मरम्मत करे, रक्षा करे या उसे घेर दे जिसे वह (परिषद्) आवश्यक समझे ।

(२) यदि परिषद् को यह प्रतीत हो कि किसी व्यक्ति अथवा सम्पत्ति के लिये आसन्न संकट को रोकने के प्रयोजन के लिये तुरन्त कार्यवाही करना आवश्यक है, तो स्वयं परिषद् का यह कर्तव्य होगा कि वह तुरन्त ऐसी कार्यवाही करे, तथा ऐसी दशा में, धारा २२२ के उपबन्धों के बावजूद परिषद् के लिये यह आवश्यक न होगा कि वह नोटिस दे, यदि परिषद् को यह प्रतीत हो कि नोटिस देने के फलस्वरूप होने वाले विलम्ब से इस प्रकार की तुरन्त कार्यवाही करने का उद्देश्य ही विफल हो जायगा ।

श्री अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि खंड २०३ में वर्तमान अपवाद के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

"अपवाद—यह धारा कुमायूं तथा उत्तराखंड मंडलों के जिलों में प्रवृत्त न होगी, न उस दशा में प्रवृत्त होगी जब पूर्वोक्त व्यतिक्रम मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट, १९३९ की धारा ११२ के अधीन दंडनीय अपराध हो ।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि खंड २०२, संशोधित खंड २०३ तथा खंड २०४ से लेकर खंड २०८ तक इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खण्ड २०९–२१०

सड़क का अवरोध

२०९—(१) जो व्यक्ति परिषद् की लिखित अनुमति के बिना—

(क) किसी वाहन को, उसमें जोते हुये पशु सहित अथवा उसके बिना उस समय से, जो उसमें माल लादने या उसमें से माल उतारने या उस पर यात्रियों को चढ़ाने या उसमें से यात्रियों को उतारने के लिये आवश्यक हो, अधिक समय तक इस प्रकार खड़ा रखे या खड़ा रहने दे जिससे किसी नियमित ग्राम्य क्षेत्र की किसी सार्वजनिक सड़क से अवरोध उत्पन्न हो, अथवा

(ख) किसी वाहन या पशु को इस प्रकार छोड़ दे अथवा बांध दे कि उससे किसी ऐसी सड़क में अवरोध उत्पन्न हो, अथवा

(ग) किसी वस्तु को, विक्रय के निमित्त, स्टाल में या कपड़ा या लकड़ी की बनी दूकान में अथवा किसी अन्य रीति से इस प्रकार प्रदर्शित करे, कि उससे किसी ऐसी सड़क में अवरोध उत्पन्न हो, अथवा

(घ) किसी ऐसी सड़क में कोई इमारती सामान, बक्स, गांठ, बण्डल या व्यापारिक सामान को जमा करे या जमा करने दे, अथवा

(ङ) किसी ऐसी सड़क में कोई मेड़, कटघरा, खम्भा, स्टाल या पाड़ या ऐस ही कोई अन्य स्थायक (fixture) खड़ा करे या बनाये, अथवा

(च) सड़क के निर्बाध आवागमन को जान-बूझ कर किसी रीति से अवरुद्ध करे या कराये

वह दोषी पाये जाने पर अर्थ-दण्ड का भागी होगा, जो पचास रुपये तक हो सकता है ।

(२) परिषद् को उपधारा (१) में उल्लिखित किसी अवरोध को हटाने का अधिकार होगा तथा उसे इस प्रकार हटाने का व्यय अपराधी से अध्याय ८ में व्यवस्थित रीति से वसूल किया जा सकेगा ।

(३) उप-धारा (२) के अधीन सड़कों से अवरोधों को हटाने का परिषद् द्वारा प्रयोज्य अधिकार, परिषद् द्वारा किसी ऐसे खुले स्थान से, चाहे वह परिषद् में निहित हो या न हो, जो निजी सम्पत्ति न हो, अवरोधों को हटाने के लिये भी प्रयोग में लाया जा सकेगा ।

(४) इस धारा में दी हुई कोई बात सड़क के किसी ऐसे अवरोध पर लागू न होगी जिसकी अनुज्ञा इस अधिनियम की किसी धारा अथवा उसके अधीन बनाये गये किसी नियम या उपविधि अथवा तदन्तर्गत दिये गये किसी लाइसेंस के अधीन परिषद् द्वारा दी गयी हो ।

फैक्टरियों, स्कूलों तथा अन्य सार्वजनिक समागम के स्थानों के लिये शौचालय ।

२१०—परिषद, ऐसे किसी व्यक्ति से, जिसने बीस से अधिक श्रमिक या मजदूर नियोजित किये हों या जो किसी बाजार, स्कूल या नाट्यशाला या अन्य सार्वजनिक समागम स्थान का स्वामी हो या उसका प्रबन्ध करता हो या उस पर नियन्त्रण रखता हो, नोटिस द्वारा यह अपेक्षा कर सकती है कि वह ऐसे शौचालय और मूत्रालयों की व्यवस्था करे जो परिषद् उचित समझे, उन्हें ठीक ढंग से बनाये रखे और उनकी प्रतिदिन सफाई कराये :

ऐक्ट संख्या ६३ १९४८

प्रतिबन्ध यह है कि फैक्टरीज ऐक्ट, १९४८ द्वारा विनियमित फैक्टरी पर इस धारा की कोई बात प्रवृत्त न होगी ।

श्री अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि खंड २०९ तथा २१० इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खण्ड २११

तालाबों, आदि से उत्पन्न होने वाले कंटक को हटाने की अपेक्षा करने का अधिकार

२११—परिषद्, किसी भूमि या इमारत के स्वामी या अध्यासी से नोटिस द्वारा यह अपेक्षा कर सकती है कि वह उसमें स्थित किसी निजी कुएं, तालाब, जलाशय, पोखरे, गड्ढे या खोदे हुये स्थान को, जो परिषद् को पास-पड़ोस में रहने वालों के स्वास्थ्य के लिये हानिप्रद या क्षोभकर प्रतीत हो, साफ कराये या उसकी मरम्मत कराये या उसे ढके, भरवाये या जलोत्सारित करवाये :

प्रतिबन्ध यह है कि उक्त स्वामी या अध्यासी पूर्वगामी उपबन्ध के अधीन आदिष्ट जलोत्सारण के प्रयोजनार्थ परिषद् के व्यय से ऐसे जलोत्सारण के लिये आवश्यक कोई भूमि अथवा भूम्याधिकार अर्जित कराने या अन्यथा उसकी व्यवस्था करने की परिषद् से अपेक्षा कर सकता है ।

श्री अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि खंड २११ के वर्तमान प्रतिबन्धात्मक खंड के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

"प्रतिबन्ध यह है कि उक्त स्वामी या अध्यासी पूर्वगामी उपबन्ध के अधीन आदिष्ट जलोत्सारण के प्रयोजनार्थ आवश्यक कोई भूमि अथवा भूम्याधिकार परिषद् के व्यय से अर्जित करने या अन्यथा उसकी व्यवस्था करने की परिषद् से अपेक्षा कर सकता है ।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि संशोधित खंड २११ इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खण्ड २१२–२१३

गन्दी भूमि की सफाई

२१२—यदि कोई भूमि, गन्दी या अस्वास्थ्यकर दशा में हो तो परिषद् उसके स्वामी से नोटिस द्वारा उस भूमि की सफाई करने या उसे अन्यथा उचित दशा में करने और आगे स्वच्छ और उचित दशा में रखने की अपेक्षा कर सकती है ।

कूड़ा-करकट, विष्ठा आदि के निस्तारण का विनियमन

२१३—(१) परिषद् किसी नियन्त्रित ग्राम्य क्षेत्र में—

(क) क्षोभकर पदार्थ तथा कूड़ा-करकट को स्थायी रूप से जमा करने के लिये पात्रों तथा स्थानों की व्यवस्था कर सकती है,

(ख) विष्ठा तथा अन्य क्षोभकर पदार्थों और कूड़ा-करकट के निस्तारण के लिये स्थान निश्चित कर सकती है, तथा

(ग) सार्वजनिक नोटिस द्वारा ऐसे समय, रीति और शर्तों के सम्बन्ध में निदेश जारी कर सकती है जिस पर या जिनके अनुसार या

जिनके अधीन रहते हुये खंड (क) तथा खंड (ख) में निर्दिष्ट क्षोभकर पदार्थ या कूड़ा-करकट सड़क पर से ले जाया जाय, या जमा किया जाय या अन्यथा उसका निस्तारण किया जाय ।

(२) निश्चित स्थान पर या उसके निकट उक्त निश्चय को व्यक्त करने वाला सूचना-पट्ट प्रदर्शित कर देना उपधारा (१) के खंड (ख) के अधीन स्थान निश्चित करने को पर्याप्त सूचना माना जायगा ।

श्री अधिष्ठाता--प्रश्न यह है कि खंड २१२ और २१३ इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड २१४

कूड़ा-करकट, विष्ठा आदि के अनुचित निस्तारण के लिये शास्ति

२१४--किसी ऐसी इमारत अथवा भूमि का अध्यासी जिससे कोई क्षोभकर पदार्थ, कूड़ा-करकट या विष्ठा धारा २१३ की उपधारा (१) के खंड (ख) के अधीन निश्चित स्थान से या उक्त उपधारा के खंड (क) के अधीन व्यवस्थित पात्र से अन्यत्र किसी सार्वजनिक नाली के किसी भाग में या सार्वजनिक नाली से मिलने वाली किसी नाली में, फेंका जाय या जमा किया जाय, तथा कोई व्यक्ति जो उक्त उपधारा के खंड (ग) के अधीन जारी किये गये परिषद् के किसी निदेश का उल्लंघन करे, दोषी पाये जाने पर अर्थ-दन्ड के भागी होंगे, जो बीस रुपये से अधिक न होगा ।

श्री अधिष्ठाता--प्रश्न यह है कि खंड २१४ में शब्द "पात्र से अन्यत्र" के स्थान पर "पात्र या स्थान से अन्यत्र" रख दिये जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अधिष्ठाता--प्रश्न यह है कि संशोधित खंड २१४ इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड २१५--२२०

सार्वजनिक सड़क, आदि पर मलादि के उत्सर्जन के लिये शास्ति

२१५--निर्दिष्ट क्षेत्रों में, जब कभी किसी गन्दे पानी की मोरी या गडढे, मल के नाले या मलकूप का पानी, या कोई अन्य क्षोभकर पदार्थ, परिषद् की लिखित अनुमति के बिना या ऐसी अनुमति में नियत किसी शर्त का उल्लंघन करके, किसी सार्वजनिक सड़क या स्थान में या किसी ऐसे मल के नाले या नाली में, जो तदर्थ पृथक न की गयी हो, बहने या निकलने दिया जाय या रखा जाय तो जिस भूमि या इमारत से ऐसा पानी या क्षोभकर पदार्थ बहे, निकले या निकाल कर रखा जाय उसका स्वामी दोषी पाये जाने पर अर्थ-दंड का भागी होगा, जो बीस रुपये तक हो सकता है ।

मनुष्यों के रहने के अयोग्य भवन

२१६--(१) किसी नियन्त्रित ग्राम्य क्षेत्र में यदि कोई इमारत, या उसका कोई कमरा, परिषद् की राय में जलोत्सारण या संवातन के उचित साधनों के अभाव के परिणामस्वरूप या अन्यथा, मनुष्यों के रहने के लिये अनुपयुक्त हो, तो परिषद् उसके स्वामी या अध्यासी को नोटिस द्वारा, उस इमारत अथवा कमरे को मनुष्यों के रहने के काम में लाने अथवा लाने देने का या तो पूर्णरूप से या तब तक के लिये निषेध कर सकती है जबतक कि वह उक्त नोटिस में निर्दिष्ट समय के भीतर, उसमें ऐसा परिवर्तन न कर दे जो कि उस नोटिस में नियत किया गया हो ।

(२) जिस व्यक्ति को उपधारा (१) के अधीन नोटिस दिया गया हो, यदि वह उसका अनुपालन न करे तो परिषद् के लिये यह वैध होगा कि वह एक और नोटिस द्वारा उस इमारत या कमरे के गिराये जाने की अपेक्षा करे।

कुछ रोगों से पीड़ित व्यक्तियों के द्वारा किये गये कार्यों के लिये दन्ड

२१७—जो व्यक्ति किसी सांक्रामिक सांसर्गिक या घृणित रोग से पीड़ित होते हुए—

(क) मानव उपयोग के लिये कोई भोज्य या पेय पदार्थ अथवा कोई औषधि या भेषज बिक्री के लिये तैयार करता है या प्रस्तुत करता है, या

(ख) उक्त किसी पदार्थ, औषधि या भेषज को जब वह दूसरे व्यक्तियों द्वारा बिक्री के लिये प्रदर्शित किया गया हो। जानबूझ कर छूता है, या

(ग) गन्दे कपड़े धोने या उन्हें ले जाने के लिये किसी व्यापार में भाग लेता है,

वह दोषी पाये जाने पर अर्थ दंड का भागी होगा जो बीस रुपये तक हो सकता है।

स्वास्थ्य के लिये हानिकर खेती खाद के प्रयोग अथवा सिंचाई का निषेध

२१८—(१) यदि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, सेवा संचालक (Director of Medical and Health Services) यह प्रमाणित करे कि किसी प्रकार की फसल की खेती या किसी प्रकार की खाद का प्रयोग या किसी भूमि की किसी विशिष्ट रीति से सिंचाई—

(क) जो किसी ग्राम्य क्षेत्र की सीमाओं के भीतर किसी स्थान में की जाती हो, हानिकर है या ऐसे कार्यों को सरल बना देती है जो पड़ोस में रहने वाले व्यक्तियों के स्वास्थ्य के लिये हानिकर है, या

(ख) जो उक्त ग्राम्य क्षेत्र के भीतर किसी निर्दिष्ट स्थान में की जाती है, उक्त निर्दिष्ट स्थान के जल सम्भरण के दूषित हो जाने या अन्यथा पीने के लिये अनुपयुक्त हो जाने की सम्भावना है,

तो परिषद् सार्वजनिक नोटिस द्वारा, उस फसल की खेती, उस खाद का प्रयोग या सिंचाई की रीति के प्रयोग का, जो इस प्रकार हानिकर बताया गया हो, निषेध कर सकती है या उसके सम्बन्ध में ऐसी शर्तें लगा सकती है जिनसे उक्त हानि अथवा दूषण रुक जाय :

प्रतिबन्ध यह है कि जब किसी ऐसी भूमि पर, जिसके सम्बन्ध में ऐसा नोटिस जारी किया जा चुका हो, निषिद्ध कार्य निषेध के दिनांक से पूर्व पांच वर्ष तक लगातार खेती के साधारण क्रम में किया जाता रहा हो तो भूमि में स्वत्व रखने वाले ऐसे सभी व्यक्तियों को जिन्हें उक्त निषेध द्वारा क्षति पहुंची हो जिला निधि से प्रतिकर का भुगतान किया जायगा।

हानिकर वनस्पतियों को साफ करने के लिये स्वामियों से अपेक्षा करने का अधिकार

२१९—परिषद्, नोटिस द्वारा किसी भूमि के स्वामी, या अध्यासी से किसी ऐसी वनस्पति या झाड़ी को साफ करने या हटाने की अपेक्षा कर सकती है जो स्वास्थ्य के लिये हानिकर या पड़ोसियों के लिये क्षोभकर हो।

खोदी हुई भूमि को भरने या जलोत्सारित करने की अपेक्षा करने का अधिकार

२२०—किसी ग्राम्य क्षेत्र में जिसके लिये धारा २३९ की उपधारा (२) के शीर्षक 'छ' के उपशीर्षक (घ) के अधीन उपविधियां बनाई गयी हों, परिषद् किसी ऐसी भूमि के स्वामी या अध्यासी से जिस पर कोई खुदाई का कार्य, मलकूप, तालाब या गड्ढा खोदने की अनुमति दी गयी हो, उल्लंघन करके किया या बनाया गया हो, नोटिस द्वारा ऐसे खोदे हुये स्थान, मलकूप, तालाब या गड्ढे को उक्त नोटिस में निर्दिष्ट अवधि के भीतर भरने या उसे जलोत्सारित करने की अपेक्षा कर सकती है।

श्री अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि खंड २१८ के वर्तमान उपखंड (क) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

"(क) जो किसी ग्राम्य क्षेत्र सीमाओं के भीतर किसी स्थान में की जाती है, पड़ोस में रहने वाले व्यक्तियों के स्वास्थ्य के लिये हानिकर है या ऐसे कार्यों को सरल बना देती है जो उनके स्वास्थ्य के लिये हानिकर है, या"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि वर्तमान खंड २२० के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

"२२०—किसी ग्राम्य क्षेत्र में, जिसके लिये धारा २३९ की उपधारा (२) के शीर्षक "छ" के उप-शीर्षक (घ) के अधीन उपविधियां बनाई गयी हों, परिषद् किसी ऐसी भूमि के स्वामी या अध्यासी से जिस पर कोई खुदाई कार्य, मलकूप, तालाब या गड्ढा उक्त उपविधियों का उल्लंघन करके या उस शर्त का, जिसके अधीन रहते हुये वह खुदाई-कार्य करने या मलकूप, तालाब या गड्ढा बनाने की अनुमति दी गई हो, उल्लंघन करके किया या बनाया गया हो, नोटिस द्वारा अपेक्षा कर सकती है कि वह ऐसे खुदे हुये स्थान, मलकूप, तालाब या गड्ढे को उक्त नोटिस में निर्दिष्ट अवधि के भीतर भर दे या उसे जलोत्सारित कर दे।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि खंड २१५ से २१७, संशोधित खंड २१८, खंड २१९ तथा संशोधित खंड २२० इस विधेयक के अंग माने जांय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड २२१—२२२

कब्रिस्तान या श्मशान के सम्बन्ध में अधिकार

२२१—(१) परिषद्, सार्वजनिक नोटिस द्वारा, ऐसे कब्रिस्तान या श्मशान, जिसके सम्बन्ध में सिविल सर्जन या स्वास्थ्य अधिकारी ने यह प्रमाणित किया हो कि वह पास-पड़ोस में रहने वाले व्यक्तियों के स्वास्थ्य के लिये हानिकर है या उसके हानिकर होने की सम्भावना है, उस दिनांक से जो नोटिस में निर्दिष्ट किया जाय, बन्द करने का आदेश दे सकती है तथा यदि समुचित दूरी से भीतर शवों को दफनाने या जलाने का कोई उपयुक्त स्थान न हो तो वह इस प्रयोजन के लिये उपयुक्त स्थान की व्यवस्था करेगी।

(२) ऐसे कब्रिस्तानों में शव को दफनाने का निजी स्थान, ऐसी शर्तों के अधीन जो परिषद् तद्वर्य लगाए, उक्त नोटिस की व्याप्ति से मुक्त किया जा सकता है:

प्रतिबन्ध यह है कि दफनाने के ऐसे स्थानों की सीमायें पर्याप्त रूप से परिभाषित हों, तथा वे स्थान केवल उनके स्वामियों के परिवार के सदस्यों को दफनाने के लिये ही प्रयुक्त किये जायंगे।

(३) परिषद् की लिखित अनुमति के बिना कोई नया कब्रिस्तान या श्मशान चाहे वह सार्वजनिक हो या निजी, नहीं बनाया जायगा।

(४) कोई व्यक्ति परिषद् की लिखित अनुमति से अन्यथा किसी शव को किसी ऐसे कब्रिस्तान या श्मशान में जो उप-धारा (१) के अधीन बंद कर दिया गया हो, या उपधारा (३) के उपबन्धों का उल्लंघन करके बनाया गया हो, न तो दफनायेगा या जलायेगा और न दफनवायेगा या जलवायेगा ।

(५) जो व्यक्ति किसी शव को, इस धारा के उपबन्धों के प्रतिकूल दफनाता या जलाता है या दफनवाता या जलवाता है या दफनाने या जलवाने देता है वह दोषी पाये जाने पर अर्थ दंड का भागी होगा, जो पचास रुपये तक हो सकता है ।

निरीक्षण का अधिकार

२२२—अध्यक्ष, मुख्य कार्याधिकारी तथा संकल्प द्वारा तदर्थ प्राधिकृत होने पर, परिषद् का कोई अन्य सदस्य, अधिकारी या कर्मचारी और इसी प्रकार प्रमुख, क्षेत्र संचालक या क्षेत्र संचालक द्वारा तदर्थ प्राधिकृत क्षेत्र समिति का कोई अन्य अधिकारी किसी इमारत में या भूमि पर, निरीक्षण या सर्वेक्षण करने या किसी ऐसे निर्माण-कार्य को निष्पादित करने के उद्देश्य से जिसे निष्पादित करने के लिये परिषद् इस या क्षेत्र समिति, जैसी भी दशा हो, इस अधिनियम द्वारा या नियमों या उपविधियों द्वारा प्राधिकृत हो, अथवा जिसे निष्पादित करना परिषद् या क्षेत्र समिति के लिये इस अधिनियम के किन्हीं उपबन्धों या नियमों या उपविधियों के प्रयोजनों के लिये अथवा उनके अनुसरण में आवश्यक हो, सहायकों या श्रमिकों के साथ या उनके बिना प्रवेश कर सकता है :

प्रतिबन्ध यह है कि —

(क) जब तक कि इस अधिनियम में या नियमों या उपविधियों में स्पष्ट रूप से अन्यथा व्यवस्थित हो, सूर्यास्त और सूर्योदय के बीच प्रवेश नहीं किया जायगा, तथा

(ख) जब तक कि इस अधिनियम में या नियमों या उपविधियों में स्पष्ट रूप से अन्यथा व्यवस्थित न हो, किसी भी इमारत में, जो मनुष्यों के रहने के लिये प्रयुक्त होती हो, उसके अध्यासी की सम्मति के बिना तथा उक्त अध्यासी को अपने ऐसे प्रवेश के अभिप्राय का कम से कम चार घंटे पूर्व लिखित नोटिस दिये बिना प्रवेश नहीं किया जायगा, तथा

(ग) प्रत्येक अवस्था में, और उस दशा में भी जब किसी भूगृहादि अन्यथा बिना नोटिस के प्रवेश किया जा सकता हो, पर्याप्त नोटिस दिया जायगा जिससे किसी ऐसे कक्ष में, जो स्त्रियों के लिये हो रहने वाली स्त्रियां वहां से हट कर भू-गृहादि के किसी ऐसे दूसरे भाग में चली जायं जहां उनकी गोपनीयता में बाधा डालने की आवश्यकता न हो, तथा

(घ) प्रवेश किये गये भू-गृहादि के अध्यासियों की सामाजिक तथा धार्मिक प्रथाओं का सदैव यथोचित ध्यान रखा जायगा ।

श्री अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि खंड २२२ के प्रतिबन्धात्मक खंड की वर्तमान मद (ख) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

"(ख) जब तक कि इस अधिनियम में या नियमों या उपविधियों में स्पष्ट रूप से अन्यथा व्यवस्थित न हो, मनुष्यों के रहने के लिये प्रयुक्त किसी इमारत में

सिवाय उस दशा के जब अध्यासी ने सम्मति दे दी हो—प्रध्यासी को अपने ऐसे प्रवेश के अभिप्राय का कम से कम ४ घंटे पूर्व लिखित नोटिस दिये बिना प्रवेश नहीं किया जायगा, तथा"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि खंड २२१ और संशोधित खंड २२२ इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड २२३–२२४

प्रवेश का अधिकार

२२३—धारा २२२ के उपबन्धों के अधीन निरीक्षण करने के, या तलाशी लेने के प्रयोजन के निमित्त प्रवेश करने के लिये प्राधिकृत किसी व्यक्ति के लिये वह वैध होगा कि वह किसी दरवाजे, फाटक या अन्य अवरोध को खोले या खुलवाये—

(क) यदि वह ऐसे प्रवेश, निरीक्षण या तलाशी के प्रयोजन के लिये उसका खोलना आवश्यक समझे, तथा

(ख) यदि स्वामी या अध्यासी अनुपस्थित हो, या उपस्थित होने पर वह ऐसे दरवाजे, फाटक या अवरोध को खोलने से इनकार करे ।

परिषद् या क्षेत्र समिति द्वारा नियोजित व्यक्तियों को रोकने के लिये दन्ड

२२४—जो व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति को, जो इस अधिनियम के अधीन परिषद् या क्षेत्र समिति द्वारा या परिषद् या क्षेत्र समिति के साथ हुये किसी संविदे के अधीन नियोजित हो उसके कर्तव्यों के पालन करने में या संविदे को पूरा करने में रुकावट डाले या व्यथित करे या इस अधिनियम द्वारा प्राधिकृत किसी निर्माण-कार्य के निष्पादन के लिये आवश्यक सतह या दिशा को बतलाने के प्रयोजन से लगाये गये किसी चिन्ह को हटाये, वह दोषी पाये जाने पर, अर्थ-दंड का भागी होगा, जो पचास रुपये तक हो सकता है ।

श्री अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि खंड २२३ और २२४ इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड २२५–२२७

परिषद् पर नियत प्राधिकारी या जिला मजिस्ट्रेट के निरीक्षण आदि के अधिकार

२२५—(१) नियत प्राधिकारी या जिला मैजिस्ट्रेट यथा स्थिति, अपने अधिकार क्षेत्र या अपने जिले की सीमाओं के भीतर,

(क) परिषद् या उसकी कोई समिति या संयुक्त समिति द्वारा प्रयुक्त अथवा अध्यासित किसी, चल-संपत्ति का अथवा उनमें से किसी के निदेशाधीन किये जाने वाले किसी कार्य का निरीक्षण कर सकता है या करवा सकता है ,

(ख) लिखित आदेश द्वारा किसी ऐसी पुस्तक या लेख्य को जो परिषद् या उसकी किसी समिति या संयुक्त समिति के अधिकार अथवा नियंत्रण में हों, मंगा सकता है और उसका निरीक्षण कर सकता है,

(ग) लिखित आदेश द्वारा परिषद् या उसकी कोई समिति या संयुक्त समिति से उसकी कार्यवाहियों या कर्त्तव्यों से संबद्ध ऐसे विवरण, लेखे या प्रतिवेदन (जिसके अन्तर्गत मासिक प्रगति के प्रतिवेदन भी हैं) या लेख्यों की प्रतिलिपियां प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकता है जिन्हें मंगाना वह उचित समझे, और

(घ) परिषद् या उसकी किसी समिति या संयुक्त समिति के विचारार्थ उसकी कार्यवाहियों अथवा कर्तव्यों के संबंध में, कोई विचार, जो वह उचित समझे लेखबद्ध कर सकता है।

(२) राज्य सरकार द्वारा तदर्थ नियुक्त प्रत्येक अधिकारी, अपने अधिकार क्षेत्र की सीमाओं के भीतर, नियत प्राधिकारी या जिला मैजिस्ट्रेट को उपधारा (१) द्वारा प्राप्त अधिकारों का प्रयोग, अपने विभाग पर प्रभाव डालने वाले किसी विषय में कर सकता है और ऐसे विषयों के संबंध में परिषद् के प्रशासन का निरीक्षण कर सकता है या करवा सकता है।

जिला मजिस्ट्रेट के कुछ अन्य अधिकार और कर्त्तव्य

२२६—(१) जिला मैजिस्ट्रेट, समय-समय पर, समुचित नोटिस के पश्चात् परिषद् के नियोजन तथा विकास—विषयक बजट अनुदान से संबंधित विषयों तथा सामान्य हित के अन्य विषयों पर चर्चा करने के लिये एक बैठक बुला सकता है जिसमें वह स्वयं, अध्यक्ष तथा मुख्य कार्याधिकारी और यदि आवश्यक समझा जाय तो वित्त अधिकारी सम्मिलित हों।

(२) जिला मैजिस्ट्रेट राज्य सरकार को विकास-कार्य की प्रगति का एक त्रैमासिक प्रतिवेदन भेजेगा।

सरकारी अधिकारियों द्वारा निर्माण-कार्यों तथा संस्थाओं का निरीक्षण

२२७—परिषद् के व्यय से पूर्णतः या अंशतः निर्मित या अनुरक्षित निर्माण-कार्य या संस्था का तथा तत्संबंधी समस्त रजिस्टरों, पुस्तकों, लेखों या लेख्यों का सभी समयों पर ऐसे अधिकारियों द्वारा, जो राज्य सरकार तदर्थ नियुक्त करे, निरीक्षण किया जा सकेगा।

श्री अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि खंड २२५, २२६ और २२७ इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड २२८

नियत प्राधिकारी का अधिनियम के अधीन कार्यवाही निलम्बित करने का अधिकार

२२८—(१) नियत प्राधिकारी अपने अधिकार-क्षेत्र की सीमाओं के भीतर लिखित आदेश द्वारा, किसी परिषद या परिषद् की समिति, या संयुक्त समिति अथवा परिषद् या संयुक्त समिति के सेवक द्वारा इस या अन्य किसी अधिनियमिति के अधीन पारित या दिये गये किसी संकल्प या आदेश के निष्पादन या आगे निष्पादन का निषेध कर सकता है, यदि उसकी राय में ऐसा संकल्प या आदेश स्पष्टतः अवैध हो या शक्ति वाह्य (*ultra vires*) हो या इस अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा दिये गये किसी आदेश या निदेश से असंगत हो या इस प्रकार का हो कि उससे जन साधारण के लिये या विधि के अनुसार कार्य करने वाले व्यक्तियों के किसी वर्ग या निकाय के लिये अवरोध क्लेश या क्षति अथवा मानव जीवन, स्वास्थ्य या सुरक्षा के लिये संकट या दंगा या हंगामा उत्पन्न हो, या उत्पन्न होने की संभावना हो और किसी व्यक्ति द्वारा उक्त संकल्प या आदेश के अनुसरण में या उसका आश्रय लेकर किसी काम के किये जाने या उसे जारी रखे जाने का निषेध कर सकता है।

(२) जब उपधारा (१) के अधीन कोई आदेश दिया जाय तो, उसे दिये जाने के कारणों के विवरण सहित, उसकी एक प्रति नियत प्राधिकारी द्वारा तुरन्त राज्य सरकार को भेजी जायगी, जो परिषद् से स्पष्टीकरण मांगने तथा उसके द्वारा दिये गये स्पष्टीकरण पर, यदि कोई हो, विचार करने के पश्चात् उस आदेश को रद्द, परिष्कृत या पुष्ट कर सकती है।

(३) जब उपधारा (१) के अधीन दिये गये आदेश द्वारा किसी संकल्प या आदेश का निष्पादन या आगे निष्पादन निषिद्ध कर दिया जाय और वह निषेधकारी आदेश तब भी प्रचलित हो, तो परिषद् या परिषद् की समिति या संयुक्त समिति, अथवा परिषद् या परिषद् की समिति या संयुक्त समिति के किसी अधिकारी या कर्मचारी का, उक्त उपधारा के अधीन आदेश देने वाले प्राधिकारी द्वारा ऐसी अपेक्षा किये जाने पर यह कर्तव्य होगा कि वह कोई ऐसी कार्यवाही करे जिसे करने का उसे उस दशा में अधिकार होता जब वह संकल्प या आदेश पारित ही न किया गया होता या दिया ही न गया होता और जो किसी व्यक्ति को उस संकल्प या आदेश का, जिसका आगे निष्पादन निषिद्ध कर दिया गया हो, आश्रय लेकर किसी काम को करने या उसका करना जारी रखने से रोकने के लिये आवश्यक हो।

श्री अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि खंड २२८ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड २२९

आपात के समय जिला मजिस्ट्रेट के असाधारण अधिकार

२२९—(१) आपात की दशा में जिला मैजिस्ट्रेट किसी ऐसे निर्माण कार्य के निष्पादन की, अथवा ऐसे कार्य के संपादन की व्यवस्था कर सकता है जिसके निष्पादन या संपादन का परिषद् या उसकी किसी समिति या संयुक्त समिति या परिषद् की अन्य समिति को अधिकार हो और जिसका तुरन्त निष्पादन अथवा संपादन, उसकी राय में, जन-साधारण की सुरक्षा अथवा संरक्षण के लिये आवश्यक हो और वह यह निदेश दे सकता है कि निर्माण-कार्य को निष्पादन करने अथवा उस कार्य को संपादित करने के व्यय का भुगतान परिषद् द्वारा तुरन्त किया जाय।

(२) यदि उक्त व्यय का इस प्रकार भुगतान न किया जाय तो जिला मैजिस्ट्रेट ऐसा आदेश दे सकता है, जिसमें जिला निधि को अपनी अभिरक्षा में रखने वाले व्यक्ति के लिये उस निधि में से उक्त व्यय के भुगतान करने का निदेश हो।

(३) जिला मैजिस्ट्रेट नियत प्राधिकारी को तुरन्त ऐसे प्रत्येक मामले का प्रतिवेदन भेजेगा जिसमें वह इस धारा द्वारा प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करे।

श्री अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि खंड २२९ के उपखंड (२) के अन्त में शब्द "और उक्त व्यक्ति ऐसे निदेश का पालन करेगा" जोड़ दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि संशोधित खंड २२९ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

[खंड २३०

परिषद् के चूक करने की दशा में राज्य सरकार का अधिकार

२३०—(१) यदि किसी समय, अभ्यावेदन किये जाने पर अथवा अन्यथा, राज्य सरकार को यह प्रतीत हो कि परिषद् या संयुक्त समिति या परिषद् की अन्य समिति ने इस अधिनियम या किसी अन्य अधिनियमित द्वारा या उसके अधीन उस पर आरोपित कर्त्तव्य का पालन करने में चूक की है, तो राज्य सरकार लिखित आदेश द्वारा, उस कर्त्तव्य का पालन किये जाने के लिये एक अवधि निश्चित कर सकती है।

(२) यदि इस प्रकार निश्चित अवधि के भीतर उस कर्त्तव्य का पालन न किया जाय तो राज्य सरकार जिला मैजिस्ट्रेट को, या किसी अन्य व्यक्ति को, उसका पालन करने के लिये नियुक्त कर सकती है और निदेश दे सकती है कि उक्त कर्त्तव्य का पालन करने के व्यय का यदि कोई हो, ऐसे समय के भीतर जो जिला मैजिस्ट्रेट या राज्य सरकार द्वारा तदर्थ प्राधिकृत कोई अन्य व्यक्ति निश्चित करे, परिषद् द्वारा चुकाया जाय।

(३) यदि उक्त व्यय इस प्रकार चुकाया न जाय तो जिला मैजिस्ट्रेट या राज्य सरकार द्वारा तदर्थ प्राधिकृत कोई अन्य व्यक्ति, राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से, ऐसा आदेश दे सकता है, जिसमें जिला निधि को अभिरक्षा में रखने वाले व्यक्ति के लिये उस निधि में से उक्त व्यय के भुगतान करने का निदेश हो।

श्री अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि खंड २३० के उपखंड (२) और (३) निकाल दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि खंड २३० इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खंड २३१

सदस्यों का हटाया जाना

२३१—(१) राज्य सरकार जिला परिषद् के किसी सदस्य को निम्नलिखित में से किसी भी आधार पर हटा सकती है:—

(क) उसने किसी ऐसे विषय पर जिसमें प्रत्यक्षित अथवा अप्रत्यक्षतः उसका कोई निजी हित हो, अथवा जिसमें वह किसी वादार्थी (client) प्रतिनियोक्ता (Principal) अथवा अन्य किसी व्यक्ति की ओर से व्यावसायिक हित रखता हो, मत देकर अथवा उसकी चर्चा में भाग लेकर जिला परिषद् के सदस्य या किसी समिति के सदस्य के रूप में कार्य किया हो

(ख) वह ऐसे सदस्य के रूप में अपने कर्त्तव्यों का संपादन करने में शारीरिक या मानसिक दृष्टि से असमर्थ हो गया हो।

(ग) वह उक्त सदस्य के रूप में अपने कर्त्तव्य संपादन में अपनी वर्त्तमान या किसी पूर्ववर्ती पदावधि में अनाचार का दोषी हो या उसने इस अधिनियम के किसी उपबन्ध का उल्लंघन किया हो या परिषद् की निधि या सम्पत्ति को हानि या क्षति पहुंचाई हो और राज्य सरकार की राय में ऐसे अनाचार, उल्लंघन अथवा हानि या क्षति पहुंचाने के कारण वह सदस्य के रूप में बने रहने के लिये अनुपयुक्त हो गया हो:

प्रतिबन्ध यह है कि इस धारा के अधीन हटाये जाने का आदेश राज्य सरकार द्वारा तब तक न दिया जायगा जब तक कि संबंद्ध सदस्य को इस बात का कारण प्रकट करने का उचित अवसर न दे दिया गया हो कि उसके विरुद्ध ऐसा आदेश क्यों न दिया जाय।

(२) यह हटाया जाना, गजट में विज्ञप्ति द्वारा संपन्न होगा तथा उस विज्ञप्ति के प्रकाशन के दिनांक से प्रभावी होगा।

(३) किसी अन्य अधिनियमित में किसी बात के होते हुये भी यदि धारा १८ की उपधारा (१) के खंड (१) या खंड (३) में निर्दिष्ट कोई सदस्य इस धारा के अधीन सदस्यता से हटाया गया हो तो वह उपधारा (२) के अधीन हटाये जाने की विज्ञप्ति के प्रकाशन के दिनांक से यथास्थिति नगरपालिका बोर्ड के प्रमुख या अध्यक्ष के पद पर न रहेगा और यह समझा जायगा कि उसका पद रिक्त हो गया है ।

(४) राज्य सरकार किसी सदस्य को, जिसके विरुद्ध उपधारा (१) के अधीन कार्यवाही आरम्भ की जा चुकी हो जांच के आधार पर कोई निर्णय लिये जाने तक के लिये निलम्बित कर सकता है तथा इस प्रकार निलम्बित कोई सदस्य, जब तक कि निलम्बन की आज्ञा प्रभावी रहे तब तक न तो जिला परिषद् या उसकी किसी समिति अथवा संयुक्त समिति की अथवा किसी उपसमिति की कार्यवाही में भाग लेने का ही अधिकार होगा और न सदस्य के कर्त्तव्य का अन्यथा संपादन करेगा।

(५) कोई व्यक्ति जो उपधारा (१) के खंड (क) या खंड (ग) के अधीन जिला परिषद् की सदस्यता से हटाया गया हो, अपने हटाये जाने के दिनांक से पांच वर्ष तक जिला परिषद् के सदस्य के रूप में चुने जाने, निर्वाचित या अनुमेलित होने तथा क्षेत्र समिति का प्रमुख या नगरपालिका बोर्ड का अध्यक्ष निर्वाचित होने के लिये अनर्हित होगा :

प्रतिबन्ध यह है कि राज्य सरकार किसी भी समय आदेश देकर इस अनर्हता को हटा सकती है।

श्री अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि खंड २३१ के उपखंड (१) की मद (ग) में शब्द "किसी पूर्ववर्ती" के स्थान पर शब्द "पांच वर्ष के भीतर की किसी पूर्ववर्ती" रख दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि खंड २३१ के उपखंड (३) में शब्द "यथास्थिति, नगरपालिका बोर्ड के प्रमुख या अध्यक्ष" के स्थान पर शब्द "यथास्थिति प्रमुख या नगरपालिका बोर्ड के प्रेसीडेंट" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि संशोधित खंड २३१ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड २३२–२३३

राज्य सरकार को परिषद् को विघटित अथवा अवक्रान्त करने का अधिकार

२३२—यदि किसी भी समय, अभ्यावेदन किये जाने पर अथवा अन्यथा राज्य सरकार को यह प्रतीत हो कि परिषद् इस अधिनियम या किसी अन्य अधिनियमित द्वारा या उसके अधीन अपने पर आरोपित ,कसी कर्त्तव्य का संपादन करने में चूक करती है अथवा अपने अधिकारों का अतिक्रमण या दुरुपयोग करती है तो राज्य सरकार, परिषद् से स्पष्टीकरण मांगने तथा इस धारा के अधीन कार्यवाही की जाने के विरुद्ध उसके द्वारा की गयी किसी आपत्ति पर विचार करने के पश्चात् और अपना यह समाधान होने पर कि उक्त कार्यवाही वांछनीय है, गजट में प्रकाशित आदेश द्वारा जिसमें उक्त कार्यवाही के कारण भी दिये होंगे या तो परिषद् को विघटित कर सकती है या आदेश में निर्दिष्ट अवधि के लिये उसे अवक्रांत कर सकती है।

परिषद् के विघटन का परिणाम

२३३—धारा २३२ के अधीन परिषद् के विघटित कर दिये जाने से निम्नलिखित परिणाम उत्पन्न होंगे—

(क) अध्यक्ष सहित परिषद् के समस्त सदस्य, आदेश में निर्दिष्ट दिनांक पर अपने पदों को रिक्त कर देंगे; किन्तु इसके कारण उनके निर्वाचन में खड़े होने के अधिकार पर, यदि वे इस आधनियम के अधीन अन्यथा पात्र हो, कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(ख) तत्पश्चात् यथाशक्य शीघ्र सदस्यों तथा अध्यक्ष का निर्वाचन उसी प्रकार किया जायगा मानों धारा २२ के अधीन साधारण निर्वाचन करणीय due हो गया हो।

(ग) ऐसे एक या अधिक व्यक्ति, जिन्हें राज्य सरकार, तदर्थ नियुक्त करे, उस समय तक जब तक कि परिषद् पुनः संघटित न हो जाय, यथासंभव परिषद् के अधिकारों का प्रयोग तथा कर्त्तव्यों का संपादन करेंगे तथा सभी प्रयोजनों के लिये उसे या उन्हें परिषद् समझा जायगा।

श्री अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि खंड २३२ और २३३ इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड २३४

परिषद् के अवक्रमण का परिणाम

२३४—जब परिषद् धारा २३२ के अधीन दिये गये आदेश द्वारा अवक्रांत कर दी जाय तो—

(क) परिषद् के समस्त सदस्य, आदेश में निर्दिष्ट दिनांक पर सदस्य के रूप में अपने पदों को रिक्त कर देंगे, किन्तु इसके कारण खंड (ग) के अधीन निर्वाचन के लिये उनकी पात्रता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा,

(ख) परिषद् के अवक्रमण की अवधि में ऐसा व्यक्ति या समिति जिसे राज्य सरकार तदर्थ नियुक्त करे, यथासंभव परिषद् के अधिकारों का प्रयोग कर सकती है तथा कर्त्तव्यों का पालन करेगी तथा सभी प्रयोजनों के लिये उसे परिषद् समझा जायगा।

(ग) अवक्रमण की अवधि के व्यतीत हो जाने के पूर्व, परिषद् को पुनः संघटित करने के लिये अपेक्षित निर्वाचन कराये जायेंगे।

श्री अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि खंड २३४ का उपखंड (ख) निकाल दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि खंड २३४ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड २३५

जिला परिषद् के सम्बन्ध में जिला मैजिस्ट्रेट के कतिपय अन्य अधिकार।

२३५—(१) मंडल आयुक्त अथवा यदि वह अपना अधिकार जिला मैजिस्ट्रेट को प्रतिनिहित करे तो जिला मजिस्ट्रेट—

(क) जिला परिषद् को अपने अधिकारों का प्रयोग अथवा अपने कर्त्तव्यों तथा कृत्यों का संपादन करने के लिये निर्देश दे सकता है,

(ख) जिला परिषद् की चर्चाओं में भाग ले सकता है किन्तु उसे मतदान का अधिकार न होगा।

(ग) जिला परिषद् को कोई सूचना;

उसकी बैठक में पढ़े जाने तथा उस पर चर्चा करने के लिये भेज सकता है।

(२) जिला परिषद् का यह कर्त्तव्य होगा कि वह निदेशों का पालन करे तथा यह व्यवस्था करे कि बैठक में संसूचना पढ़ी जाय और उस पर चर्चा हो;

(३) खंड (क) के अधीन जारी किये गये प्रत्येक निदेश तथा उपधारा (१) के खंड (ग) के अधीन जारी की गयी प्रत्येक संसूचना की एक प्रति मंडल आयुक्त या जिला मजिस्ट्रेट द्वारा तुरन्त राज्य सरकार को भेजी जायगी जो, यदि उचित समझे तो निदेश को रद्द या परिष्कृत कर सकती है अथवा उसका अतिक्रमण करके स्वयं निदेश दे सकती है।

श्री अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि खंड २३५ के उपखंड (३) की पहली दो पंक्तियों के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :

"उपधारा (१) के खंड (क) के अधीन जारी किया गया प्रत्येक निदेश तथा उक्त उपधारा के खंड (ग) के अधीन जारी की गई प्रत्येक संसूचना की एक प्रति मंडल"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि संशोधित खंड २३५ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड २३६

क्षेत्र समितियों का बाह्य नियंत्रण।

२३६—(१) धारा २२५ से २३० तक के उपबन्ध यथाशक्य क्षेत्र समितियों पर लागू होंगे मानों पदावलि "जिला परिषद्", "अध्यक्ष", "मुख्य कार्याधिकारी" तथा "जिला निधि" को पदावलि "क्षेत्र समिति", "प्रमुख", "क्षेत्र संचालक" तथा "क्षेत्र निधि" द्वारा प्रतिस्थापित किया गया हो :

प्रतिबन्ध यह है कि उक्त धाराओं के अधीन जिला मैजिस्ट्रेट अपने किन्हीं या सभी अधिकारों का सम्पूर्ण क्षेत्र या उसके किसी भाग पर क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने वाले परगना अधिकारी (सब डिवीजनल आफिसर) को प्रतिनिहित कर सकता है।

(२) (क) मंडल-आयुक्त क्षेत्र समिति के किसी सदस्य को निम्नलिखित में से किसी भी अधिकार पर हटा सकता है—

(१) उसने किसी ऐसे विषय पर, जिसमें प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः उसका कोई निजी हित हो अथवा जिसमें वह किसी वादार्थी (client) प्रति नियोक्ता (Principal) अथवा अन्य किसी व्यक्ति की ओर से व्यावसायिक हित रखता हो मत देकर अथवा उसकी चर्चा में भाग लेकर क्षेत्र समिति के सदस्य या किसी समिति के सदस्य के रूप में कार्य किया हो;

(२) वह ऐसे सदस्य के रूप में अपने कर्त्तव्यों का संपादन करने में शारीरिक या मानसिक दृष्टि से असमर्थ हो गया हो;

(३) वह उक्त सदस्य के रूप में अपने कर्त्तव्य संपादन में, अपनी वर्तमान या किसी पूर्ववर्ती पदावधि में अनाचार का दोषी हो या उसने इस अधिनियम के किसी उपबन्ध का उल्लंघन किया हो या क्षत्र समिति की निधि या संपत्ति को हानि या क्षति पहुंचाई हो और मंडल आयुक्त की राय में ऐसे अनाचार उल्लंघन अथवा हानि या क्षति पहुंचाने के कारण वह सदस्य के रूप में बने रहने के लिये अनुपयुक्त हो गया हो :

प्रतिबन्ध यह है कि इस धारा के अधीन हटाये जाने का आदेश मंडल आयुक्त द्वारा तब तक न दिया जायगा जब तक कि संबद्ध सदस्य को इस बात का कारण प्रकट करने का उचित अवसर न दे दिया गया हो कि उसके विरुद्ध ऐसा आदेश क्यों न दिया जाय।

(ख) यह हटाया जाना गजट में विज्ञप्ति द्वारा संपन्न होगा तथा उस विज्ञप्ति के प्रकाशन के दिनांक से प्रभावी होगा।

(ग) किसी अन्य अधिनियम में किसी बात के होते हुये भी, यदि धारा ६ की उपधारा (१) के खंड(१) या खंड (२) या खंड (५) में निर्दिष्ट कोई सदस्य इस धारा के अधीन सदस्यता से हटा दिया जाय तो वह इस उपधारा के खंड (ख) के अधीन हटाये जाने की विज्ञप्ति के प्रकाशन के दिनांक से यथा-स्थिति, प्रधान या टाउन एरिया कमेटी के चेयरमैन या नोटीफाइड एरिया कमेटी के प्रेसीडेंट या जिला परिषद् के सदस्य के पद पर रहेगा और यह समझा जायगा कि उसका पद रिक्त हो गया है।

(घ) मंडल आयुक्त किसी सदस्य को जिसके विरुद्ध इस उपधारा के खंड (क) के अधीन कार्यवाही आरम्भ की जा चुकी हो, जांच के आधार पर कोई निर्णय लिये जाने तक के लिये निलम्बित कर सकता है, तथा इस प्रकार निलम्बित कोई सदस्य, जब तक कि निलम्बन की आज्ञा प्रभावी रहे, तब तक न तो क्षेत्र समिति या उसकी किसी समिति अथवा संयुक्त समिति की अथवा किसी उप-समिति की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकारी होगा और न सदस्य के कर्त्तव्यों का अन्यथा संपादन करेगा।

(ङ) कोई व्यक्ति, जो खंड (क) के उपखंड (१) या उपखंड (३) के अधीन क्षेत्र समिति की सदस्यता से हटाया गया हो, अपने हटाये जाने के दिनांक से पांच वर्ष तक क्षेत्र समिति के प्रमुख, नगरपालिका बोर्ड के प्रेसीडेंट अथवा जिला परिषद् के सदस्य के रूप में निर्वाचित होने के लिये अनर्हित होगा :

प्रतिबन्ध यह है कि राज्य सरकार किसी भी समय आदेश देकर इस अनर्हता को हटा सकती है।

(च) राज्य सरकार मंडल आयुक्त को इस धारा के अधीन क्षेत्र समिति के किसी सदस्य के संबंध में कार्यवाही प्रारम्भ करने के लिये निदेश दे सकती है, किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि उस दशा में राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना इस उपधारा के अधीन कोई भी अंतिम आदेश न दिया जायगा।

(३) धारा २३५ के उपबन्ध क्षेत्र समितियों के मामले में उसी प्रकार प्रवृत्त होंगे मानों पदावलि "जिला परिषद्", "मंडल-आयुक्त" तथा "जिला मजिस्ट्रेट" को क्रमशः पदावलि "क्षेत्र समिति", "जिला मजिस्ट्रेट" तथा "खंड में क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने वाले परगना अधिकारी" द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया हो।

(४) (क) यदि किसी भी समय अभ्यावेदन किये जाने पर अथवा अन्यथा, राज्य सरकार या मंडल आयुक्त को यह प्रतीत हो कि क्षेत्र समिति इस या किसी अन्य अधिनियमिति द्वारा या उसके अधीन अपने पर आरोपित किसी कर्त्तव्य का पालन करने में बराबर चूक कर रही है अथवा अपने अधिकारों का बराबर अतिक्रमण या दुरुपयोग कर रही है तो राज्य सरकार या मंडल आयुक्त क्षेत्र समिति से स्पष्टीकरण मांगने तथा इस धारा के अधीन कार्यवाही की जाने के विरुद्ध उसके द्वारा की गयी किसी आपत्ति पर विचार करने के पश्चात् गजट में प्रकाशित आदेश द्वारा, जिसमें उस आदेश के कारण भी उल्लिखित होंगे, क्षेत्र समिति को आदेश में निर्दिष्ट अवधि के लिये अवक्रांत कर सकता है और तत्पश्चात् क्षेत्र समिति के समस्त सदस्य आदेश में निर्दिष्ट दिनांक से अपना पद रिक्त कर देंगे।

(ख) क्षेत्र समिति उक्त अवक्रमण की समाप्ति पर कार्यभार ग्रहण करने के लिये पुनस्संगठित की जायगी।

(ग) क्षेत्र समिति के अवक्रमण की अवधि में ऐसा व्यक्ति जिसे यथा-स्थिति राज्य सरकार या मंडल आयुक्त तदर्थ नियुक्त करे, यथासंभव क्षेत्र समिति तथा उसकी समितियों के अधिकारों तथा कर्त्तव्यों का प्रयोग तथा संपादन कर सकती है और करेगी तथा सभी प्रयोजनों के लिये उसे क्षेत्र समिति समझा जायगा।

(घ) इस उपधारा के अधीन दिये गये मंडल आयुक्त के आदेश की एक प्रति तुरन्त राज्य सरकार को भेजी जायगी जो यदि वह उचित समझे उक्त आदेश को रद्द या परिष्कृत कर सकती है।

श्री अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि खंड २३६ के उपखंड २ के भाग (ङ) में शब्द "नगरपालिका बोर्ड के प्रेसीडेंट" के स्थान पर शब्द "टाउन एरिया कमेटी के चेयरमैन या नोटीफाइड एरिया कमेटी के प्रेसीडेंट" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता——प्रश्न यह है कि संशोधित खंड २३६ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड २३७

राज्य सरकार का नियम बनाने का अधिकार।

२३७—(१) राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों की सिद्धि के लिये, और विशेषतः किसी ऐसे विषय के संबंध में जिसके लिये नियम बनाने का अधिकार इस अधिनियम द्वारा स्पष्टतः या उपलक्षित रूप में प्रदान किया गया है, इस अधिनियम से सुसंगत नियम बना सकती है।

(२) उपधारा (१) के अधीन बनाया गया कोई नियम सामान्य रूप से समस्त जिला परिषदों या समस्त क्षेत्र-समितियों के लिये अथवा निर्दिष्ट किये जाने वाली किसी एक या अधिक जिला परिषदों या क्षेत्र समितियों के लिये विशेष रूप से हो सकता है। ऐसा कोई नियम पूर्व प्रकाशन के बाद ही बनाया जायगा और तब तक प्रभावी नहीं होगा जब तक कि वह गजट में प्रकाशित न हो जाय।

(३) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये समस्त नियम बन जाने पर यथा-शीघ्र राज्य विधान मंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष चौदह दिन तक रखे जायेंगे और ऐसे परिष्कारों के अधीन रहेंगे जो विधान मंडल उनमें करे।

श्री अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि खंड २३७ के उपखंड (१) में से शब्द "इस अधिनियम के प्रयोजनों की सिद्धि के लिये और विशेषत:" निकाल दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि संशोधित खंड २३७ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड २३८

कार्य-संचालन आदि के लिये विनियम बनाने का अधिकार।

२३८—(१) परिषद्, विशेष संकल्प द्वारा, इस अधिनियम तथा किसी नियम और राज्य सरकार द्वारा उपधारा (२) के अधीन बनाये गये किसी विनियम से सुसंगत निम्नलिखित विषयों में सभी या किसी के लिये विनियम बना सकती है—

(क) उसकी बैठकों का समय तथा स्थान ;

(ख) बैठकें बुलाने तथा उनके संबंध में नोटिस देने की रीति ;

(ग) कार्यवाहियों का संचालन, जिसके अन्तर्गत बैठकों में सदस्यों द्वारा प्रश्नों का पूछा जाना भी है, तथा बैठकों का स्थगन;

(घ) किसी भी प्रयोजन के लिये मंत्रणा समितियों से भिन्न समितियों की स्थापना, तथा ऐसी समितियों के संघटन तथा उनकी प्रक्रिया से संबद्ध समस्त विषयों का अवधारण ;

(ङ) निम्नलिखित को अधिकारों, कर्त्तव्यों या कृत्यों का प्रतिनिधान—

(१) परिषद् का अध्यक्ष या क्षेत्र समिति का प्रमुख;

(२) खंड (घ) के अधीन संघटित समिति;

(३) उक्त समिति का सभापति;

(४) मुख्य कार्याधिकारी या परिषद् का अन्य कोई सेवक;

(च) परिषद् द्वारा नियोजित सेवकों के जिनके अन्तर्गत क्षेत्र-समितियों के अधिकार में रखे गये सेवक भी हैं, अनुपस्थिति के भत्ते या अन्य भत्ते;

(छ) परिषद् के ऐसे सेवक द्वारा जिसके अन्तर्गत किसी क्षेत्र समिति के अधिकार में रखा गया कोई सेवक भी है, जिससे प्रतिभूति की अपेक्षा करना इष्टकर समझा जाय, दी जाने वाली प्रतिभूति की धनराशि तथा उसका प्रकार;

(ज) परिषद् के सेवकों को छुट्टी स्वीकृत करना तथा उनके छुट्टी पर रहने की अवधि में उनके स्थान पर कार्य करने के लिये नियुक्त व्यक्तियों को, यदि कोई हों, दिया जाने वाला पारिश्रमिक;

(झ) परिषद् के समस्त सेवकों को—तथा जिनके अन्तर्गत किसी क्षेत्र समिति के अधिकार में रखे गये क्षेत्र समिति के सेवक भी हैं, सेवा की शर्तें—जिनके अन्तर्गत सेवा की अवधि भी है तथा जिनके अधीन उक्त सेवकों को या उनमें से किसी को सेवानिवृत्त होने पर या अपने कर्त्तव्य का पालन करने के कारण असमर्थ हो जाने पर उपदान, वार्षिकी या कारुण्य आधदेय दिया जायगा तथा उक्त उपदान, वार्षिकी या कारुण्य अधिदेय की धनराशि, और शर्तें जिनके अधीन कोई उपदान, वार्षिकी या कारुण्य अधिदेय उक्त किन्हीं ऐसे सेवकों के, जिनकी मृत्यु अपने कर्त्तव्यों का पालन करने में हुई हो, उत्तरजीवी संबंधियों को दिया जा सकता हो,

(ञ) परिषद् द्वारा या परिषद् के अनुमोदन से उक्त सेवकों द्वारा स्थापित पेंशन निधि या भविष्य निधि में ऐसी दरों तथा ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुये जो उक्त विनियमों में नियत की जायं, अंशदान देना;

(ट) परिषद् के सेवकों की—जिनके अन्तर्गत किसी क्षेत्र समिति के अधिकार में रखे गये सेवक भी हैं—भरती के सिद्धांत तथा रीति;

(ठ) लेखा परीक्षा के निमित्त वित्त अधिकारी को कागज-पत्र प्राप्य कराने में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया तथा उसके द्वारा की गयी आलोचनाओं के संबंध में की जाने वाली कार्यवाही;

(ड) अधिकारियों तथा सेवकों के आकस्मिक रिक्तियों की पूर्ति करने में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया;

(ढ) रीति जिसके अनुसार धारा ३१ (२) के अधीन परिषद् को सौंपे गये कृत्यों का संपादन किया जायेगा :

प्रतिबन्ध यह है कि इस खंड के अधीन बनाये गये विनियम राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये किन्हीं सामान्य या विशेष आदेशों अथवा अनुदेशों के समनुरूप होंगे ।

(ण) शर्तें जिनके अधीन परिषद् या क्षेत्र समिति को देय धनराशियां अप्राप्य धनराशियों के रूप में बट्टेखाते डाली जा सकें, और शर्तें जिनके अधीन अभिहरण के निमित्त लिये जाने वाले संपूर्ण शुल्क या उसके किसी भी भाग में छूट दी जा सके,

(त) खंड (ड) से (ण) तक वर्णित विषयों के सदृश्य समस्त विषय या ऐसे विषय जिनके संबंध में विनियम बनाने का अधिकार इस अधिनियम में स्पष्टतः या उपलक्षित रूप से प्रदान किया गया है, पर जिनके लिये इस उपधारा में अन्यथा व्यवस्था नहीं की गयी है; और

(थ) खंड (क) से (घ) तक वर्णित विषयों के सदृश्य ऐसे समस्त विषय जिनके लिये इस उपधारा में अन्यथा व्यवस्था नहीं की गई है ।

(२) यदि राज्य सरकार, उचित समझे, तो वह उपधारा (१) के खंड (ङ) से (ड) तथा (ण) से (थ) तक निर्दिष्ट विषयों में से किसी के संबंध में इस अधिनियम से सुसंगत विनियम बना सकती है; और इस प्रकार बनाये गये विनियम का प्रभाव यह होगा कि उससे परिषद् द्वारा उक्त उपधारा के अधीन उसी विषय पर बनाया गया कोई विनियम या कोई ऐसा विनियम जो उससे असंगत हो, रद्द हो जायगा।

श्री अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि खंड २३८ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड २३९

परिषद् का उपविधियां बनाने का अधिकार

२३९—(१) परिषद्, अपने प्रयोजनों के लिये और क्षेत्र-समितियों के प्रयोजनों के लिये इस अधिनियम द्वारा अपेक्षित विषयों के सम्बन्ध में जो उपविधियों द्वारा शासित होंगे तथा जिले के ग्राम्य क्षेत्र के निवासियों के स्वास्थ्य, सुरक्षा तथा सुविधा की समुन्नति या अनुरक्षण के प्रयोजन से और क्षेत्र तथा जिले में इस अधिनियम के प्रशासन को आगे बढ़ाने के निमित्त, इस अधिनियम और किसी नियम से सुसंगत, उपविधियां बना सकती हैं जो जिले के सम्पूर्ण ग्राम्य क्षेत्र या उसके किसी भाग पर प्रवृत्त होंगी और राज्य सरकार द्वारा अपेक्षा की जाने पर वह अवश्य ऐसी उपविधियां बनायेगी।

(२) विशेषतः तथा उपधारा (१) द्वारा प्राप्त अधिकार की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, परिषद् उक्त अधिकार का प्रयोग करके निम्नांकित सूची में वर्णित कोई उपविधियां बना सकती है:—

(क) धारा १६४ की उपधारा (२) के खंड (घ) के सम्बन्ध में किसी विशिष्ट प्रकार के परिवर्तन को "महत्वपूर्ण परिवर्तन" घोषित करना;

(ख) यह नियत करना कि तदर्थ निर्दिष्ट की गई दर से शुल्क देने पर, क्षेत्र समिति से नक्शे तथा विनिर्देशन (specifications) प्राप्त किये जा सकेंगे;

(ग) धारा १६६ के सम्बन्ध में वह अवधि निश्चित करना जिसमें स्वीकृति मान्य रहेगी;

(घ) नियंत्रित ग्राम्य क्षेत्र के भीतर किसी नियत क्षेत्र या क्षेत्रों में उन इमारतों के, जो बनाई या न बनाई जा सकती हों, प्रकार और विवरण, तथा वे प्रयोजन, जिनके लिये कोई इमारत बनाई या न बनाई जा सके, नियत करना;

(ङ) वे परिस्थितियां नियत करना जिनमें नियंत्रित ग्राम्य क्षेत्र में कोई मन्दिर, मस्जिद, गिरजा या अन्य पवित्र इमारत निर्मित, पुनर्निर्मित या परिवर्तित की जा सके या न की जा सके;

(च) इमारतों के या उनके किसी वर्ग के निर्माण, पुनर्निर्माण या परिवर्तन के सम्बन्ध में निम्नांकित विषयों में सब या कोई नियत करना—

(१) बाहरी और विभाजक दीवारों, छतों तथा फर्श के निर्माण में प्रयुक्त किया जाने वाला सामान और उनके निर्माण की रीति;

(२) अग्नि-स्थानों, चिमनियों, नालियों, शौचालयों, संडासों, मूत्रालयों और मलकूपों की स्थिति तथा उनके निर्माण में प्रयुक्त किया जाने वाला सामान और उनके निर्माण की रीति;

(३) ऐसी सबसे ऊपरी मंजिल की, जो मनुष्य के रहने या भोजन पकाने के कामों के लिये अभिप्रेत हो, छत की ऊंचाई तथा ढाल;

(४) संवातन (Ventilation) तथा स्थान जो इमारत के चारों ओर वायु के निर्बाध संचालन तथा घर की सफाई को सुकर बनाने तथा आग लगने की रोकथाम के निमित्त छोड़ा जायगा;

(५) नींव की सतह तथा उसकी चौड़ाई, सबसे निचली मंजिल की सतह और निर्माण का स्थायित्व;

(६) इमारत में बनाई जाने वाली मंजिलों की संख्या और ऊंचाई;

(७) आग लग जाने पर इमारत से बाहर निकलने के साधनों की व्यवस्था;

(८) कोई ऐसा अन्य विषय जिसका इमारत के संवातन या स्वच्छता पर प्रभाव पड़े; और

(९) जल को कलुषित होने से बचाने या कुयें का उपयोग करने वाले किसी व्यक्ति के लिये पैदा होने वाले संकट का निराकरण करने के उद्देश्य से ऐसी शर्तें, जिनके अधीन रहते हुये किसी कुयें के निर्माण या उसमें परिवर्तन करने के लिये स्वीकृति दी जा सके, या न दी जा सके।

(छ) जिले के नियंत्रित ग्राम्य क्षेत्र के भीतर किसी भूमि पर किसी घेरे, दीवार, मेड़, तम्बू, तिरपाल या अन्य संरचना का, चाहे वह किसी भी प्रकार या स्वरूप की हो, निर्माण किसी ऐसी रीति से विनियमित करना जिसकी इस अधिनियम में विशेष रूप से व्यवस्था न की गयी हो।

(क) किसी ऐसी रीति से जिसकी इस अधिनियम में विशेष रूप से व्यवस्था नहीं की गई है, नालियों, संवातन (ventilation) की नलिकाओं (shafts) तथा पाइपों, संडासों, जल प्रक्षालित तथा अन्य शौचालयों, मूत्रालयों, मलकूपों तथा अन्य जलोत्सारण-कार्यों के निर्माण, परिवर्तन, अनुरक्षण, परिरक्षण। सफाई और मरम्मत का विनियमन;

अन्य दुर्गन्धयुक्त या अवरोधक पदार्थों के फेंके जाने का विनिमय या निषेध।

(क) धारा १७६ के अधीन क्षेत्र समिति को दी जाने वाली सूचना तथा योजनाओं को अवधारित करना;

(ख) फेरी लगाने वाले विक्रेताओं या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा वस्तुयें बेचने या कोई व्यापार करने अथवा कोई कपड़े या लकड़ी की बनाई हुयी दूकान (booth) या कोई स्टाल स्थापित करने के लिये किसी या समस्त सार्वजनिक सड़कों या स्थानों के प्रयोग या अध्यासन की अनुमति देना उसका निषेध या उसका विनियमन तथा ऐसे प्रयोग या अध्यासन के निमित्त शुल्क उद्ग्रहीत करने की व्यवस्था करना;

(ग) वे शर्तें विनियमित करना जिस पर धारा १८१ के अधीन क्षेत्र समिति द्वारा सड़कों और नालियों के ऊपर प्रक्षेप बनाने तथा धारा २०९ के अधीन जिला परिषद् द्वारा अस्थायी रूप से सड़कों के अध्यासन की अनुमति दी जा सके।

(क) क्षेत्र समिति द्वारा स्वीकृत लाइसेंस के बिना या इस प्रकार स्वीकृत लाइसेंस की शर्तों से अन्यथा किसी स्थान को बधशाला के रूप में अथवा मानव भोजन के लिये अभिप्रेत पशुओं या मांस या मछली के विक्रय के लिये बाजार या दूकान के रूप में प्रयोग करने का निषेध;

(ख) शर्तें नियत करना जिनके अधीन तथा परिस्थितियां जिनमें और क्षेत्र या स्थान जिनके सम्बंध में ऐसे प्रयोग के लिये लाइसेंस स्वीकृत, अस्वीकृत या निलम्बित किये जा सकते हैं या वापस लिये जा सकते हैं ;

(ग) पूर्वोक्त रूप में प्रयोग किये जाने वाले स्थान के निरीक्षण तथा उसमें व्यापार के संचालन के विनियमन की व्यवस्था करना, जिससे उसमें स्वच्छता बनी रहे या कोई ऐसा हानिप्रद, क्षोभकर या भयप्रद प्रभाव जो वहां से उत्पन्न होता हो या जिसके वहां से उत्पन्न होने की संभावना हो, कम हो जाय;

(घ) बाजारों तथा बधशालाओं, अश्वशालाओं, शिविर-भूमियों, सरायों, आटा-चक्कियों, नानबाई की दूकानों, निर्दिष्ट खाद्य या पेय पदार्थों की तैयारी या विक्रय के लिये स्थानों अथवा विक्रय या किराये के लिये अभिप्रेत पशुओं को अथवा ऐसे पशुओं को जिनसे प्राप्त पदार्थ बेचे जाते हों, रखने या प्रदर्शित करने के लिये प्रयुक्त किये जाने वाले स्थानों की तथा सार्वजनिक मनोरंजन या समागम के स्थानों की स्थापना के लिये और [सिवाय उस आयति के जिस तक उपशीर्षक (ग) के अधीन उप-विधियों द्वारा व्यवस्था की जा सकती हो] उनके विनियमन तथा निरीक्षण के लिये तथा उनमें समुचित रूप से तथा स्वच्छता से व्यापार के संचालन के लिये व्यवस्था करना; और

(ङ) शर्तें, जिनके अधीन तथा परिस्थितियां जिनमें और क्षेत्र तथा स्थान जिनके संबंध में उपशीर्षक (घ) के प्रयोजनों के लिये लाइसेंस स्वीकृत, अस्वीकृत या निलम्बित किये जा सकें या वापस लिये जा सकते हैं, नियत करना तथा ऐसे लाइसेंसों के लिये देय शुल्क निश्चित करना तथा क्षेत्र समिति द्वारा स्वीकृत लाइसेंस के बिना या इस प्रकार स्वीकृत लाइसेंस की शर्तों से अन्यथा, उपशीर्षक (घ) में उल्लिखित व्यापार के स्थानों की स्थापना का निषेध करना।

ऐक्ट संख्या ३०, १९३४

(क) सिवाय जब और जहां तक कोई बात पेट्रोलियम ऐक्ट, १९३४ तथा तदधीन बनाये गये नियमों की किसी बात से असंगत हो, परिषद् द्वारा स्वीकृत लाइसेंस के बिना या इस प्रकार स्वीकृत लाइसेंस की शर्तों से अन्यथा किसी स्थान को निम्नलिखित प्रयोजनों के लिये फैक्ट्री के या व्यापार के अन्य स्थान के रूप में प्रयोग करने का निषेध करना—

(१) मांसोच्छिष्ट (Offal), रक्त, हड्डियों, अंतड़ियों या चिथड़ों को उबालना या संग्रह करना,

(२) चमड़ा या चमड़े की वस्तुओं का निर्माण,

(३) चरबी या गंधक पिघलाना,

(४) ईंट, खपरैल, मिट्टी के बर्तन या चूना जलाना या पकाना,

(५) साबुन बनाना,

(६) तेल उबालना,

(७) सूखी घास, भूसा, पुआल, लकड़ी, कोयला या अन्य भयानक रूप से ज्वलनशील वस्तुओं का संग्रह रखना,

(८) पेट्रोलियम या किसी अन्य ज्वलनशील तेल या स्प्रिट का संग्रह रखना,

(९) रूई या रूई के क्षेप्प (refuse) का संग्रह रखना या उसे दबाना,

(१०) कोई अन्य प्रयोजन यदि ऐसे प्रयोग से लोक-कंटक पैदा होने या आग लगने का भय हो,

(ख) वे परिस्थितियां, जिनमें और क्षेत्र या स्थान जिनके संबंध में लाइसेंस स्वीकृत, अस्वीकृत या निलम्बित किये जा सकें या वापस लिये जा सकें, नियत करना (किन्तु इस प्रकार नहीं कि उससे धारा २०२ द्वारा परिषद् को प्राप्त किसी अधिकार का अल्पीकरण हो जाय), और

(ग) पूर्वोक्त रूप में प्रयोग किये जाने वाले स्थान में व्यापार के संचालन के निरीक्षण तथा विनियमन की व्यवस्था करना जिससे उसमें स्वच्छता बनी रहे या कोई ऐसा हानिप्रद, क्षोभ कर या भयप्रद प्रभाव, जो वहां से उत्पन्न होता हो या जिसके वहां से उत्पन्न होने की संभावना हो, कम हो जाय।

(क) सड़कों पर किसी प्रकार के यातायात के विनियमन या निषेध की व्यवस्था करना, जहां ऐसा विनियमन या निषेध परिषद् को आवश्यक प्रतीत हो,

(ख) जिले के ग्राम्य क्षेत्र की सीमाओं के भीतर किराये के लिये रखे गये अथवा किराये पर चलने वाले वाहनों (मोटर गाड़ियों को छोड़कर), नावों या पशुओं के स्वामियों या चालकों पर अथवा बोझा ले जाने की मजदूरी करने वाले व्यक्तियों पर लाइसेंस लेने का आभार आरोपित करना तथा ऐसे लाइसेंसों के लिये देय शुल्क और वे शर्तें निश्चित करना जिन पर वे स्वीकृत किये जायं और वापस लिये जायं ;

(ग) ऐसे स्थान निश्चित करना जहां पर नावें बांधी या लादी जा सकें, या उनसे माल उतारा जा सके, और उसके प्रयोग को विनियमित करना, और ऐसे स्थानों को छोड़ कर, जो परिषद् द्वारा नियत किये जायं, और कहीं नाव बांधने या लादने या उनसे माल उतारने का निषेध करना,

(घ) जिले के ग्राम्य क्षेत्र की सीमाओं के भीतर घूमने वाले लावारिस पशुओं को पकड़ने और उनके जब्त किये जाने की व्यवस्था करना,

(ङ) सार्वजनिक सुरक्षा या सुविधा की वृद्धि के उद्देश्य से किसी ऐसे कार्य का निषेध या विनियमन, जिससे लोक-कंटक पैदा होता हो या पैदा होने की संभावना हो, और जिसके निषेध या विनियमन के लिये इस शीर्षक के अधीन कोई व्यवस्था न की गई हो।

(क) कब्रिस्तानों तथा श्मशानों के प्रयोग तथा प्रबन्ध का नियंत्रण तथा विनियमन और यदि ऐसे स्थानों की व्यवस्था परिषद् ने की हो तो उनके निमित्त लिये जाने वाले शुल्क निश्चित करना, और शवों को कब्रिस्तान या श्मशान ले जाने के लिये मार्ग नियत या निषिद्ध करना;

(ख) स्वच्छता तथा स्वच्छता-संरक्षण का विनियमन :

(ग) पूर्वगामी उप-शीर्षक के अधीन तदर्थ कोई उपविधि न बनायी जाने की दशा में, वास-गृहों की रजिस्ट्री तथा उनके निरीक्षण और अति भीड़ होने की रोकथाम की व्यवस्था करना, उनमें किसी संक्रामक या सांसर्गिक रोग फैलने की दशा में दिये जाने वाले नोटिस नियत करना तथा सामान्यतया वास-गृहों के समुचित विनियमन की व्यवस्था करना;

(घ) रोगों की रोकथाम या स्वच्छता के उद्देश्य से किसी ऐसे कार्य का निषेध या विनियमन जिससे लोक-कंटक पैदा हो या होने की संभावना हो, और जिसके निषेध या विनियमन के लिये इस शीर्षक के अधीन कोई व्यवस्था न की गई हो।

(क) किसी ऐसे कार्य का निषेध या विनियमन जिससे लोक-कंटक पैदा हो या होने की सम्भावना हो और जिसके निषेध या विनियमन के लिये इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन अन्यत्र कोई व्यवस्था न की गई हो;

(ख) ग्राम्य क्षेत्र के भीतर जन्म, मरण तथा विवाहों की रजिस्ट्री, और जन-गणना करने और ऐसी सूचना से उक्त रजिस्ट्री या जन-गणना को प्रभावी बनाने के लिये आवश्यक हो, अनिवार्यतः दिये जाने की व्यवस्था करना;

(ग) ग्राम्य क्षेत्र के भीतर, किसी भी वस्तु को, जो सरकारी हो या परिषद् या क्षेत्र समिति की हो अथवा परिषद् या क्षेत्र समिति के नियन्त्रण में हो, क्षति या हस्तक्षेप से बचाना;

(घ) जिले के ग्राम्य क्षेत्र के भीतर तथा परिषद् या क्षेत्र समिति के नियंत्रण में मेलों और औद्योगिक प्रदर्शनियों के आयोजन की व्यवस्था करना तथा उनमें उद्ग्रहीत किये जाने वाले शुल्क निश्चित करना;

(ङ) जिले के ग्राम्य क्षेत्र में इमारतों और भूमियों के स्वामियों द्वारा, इस अधिनियम या किसी नियम अथवा उपविधि सभी या किसी प्रयोजन के लिये, उनके अभिकर्ता के रूप में काम करने के निमित्त ऐसे व्यक्तियों की जो उक्त क्षेत्र में या उसके निकट रहते हों, नियुक्ति की अपेक्षा करना तथा उसका विनियमन;

(च) परिषद् या क्षेत्र समिति के या परिषद् या क्षेत्र समिति के कब्जे के ऐसे अभिलेखों तथा लेख्यों को निर्दिष्ट करना जिनका निरीक्षण किया जा सकता हो या जिनकी प्रतिलिपियां दी जा सकती हो, तथा ऐसे अभिलेखों अथवा लेख्यों के निरीक्षण या प्रतिलिपियों के निमित्त लिये जाने वाले शुल्क निर्दिष्ट करना तथा निरीक्षण और प्रतिलिपियों का दिया जाना विनियमित करना;

(छ) औषधीय भेषजों के विक्रय तथा औषधयोजन (dispensing) के लिये लाइसेंस देने की व्यवस्था करना;

(ज) सार्वजनिक रूप से अपना व्यवसाय करने वाली दाइयों की रजिस्ट्री तथा उनके नियंत्रण की व्यवस्था करना;

(झ) प्रसूति-केन्द्रों तथा शिशु-कल्याण गृहों की स्थापना तथा उनके अनुरक्षण के लिये व्यवस्था करना;

(ञ) शरीर-संवर्धन संस्थाओं की स्थापना, तथा उनके अनुरक्षण तथा सहायक अनुदान की व्यवस्था करना;

(ट) निर्धन-गृह, अनाथालय, पुस्तकालय, शरणालय, पशुचिकित्सालय, बाजार, निरीक्षण गृह, सार्वजनिक पार्क और उद्यान तथा अन्य सार्वजनिक संस्थायें विनियमित करना;

(ठ) परिषद् या क्षेत्र समिति के प्राधिकार के अधीन या अन्यथा लगने वाले ऐसे मेले, पशु बाजार, कृषि प्रदर्शन तथा औद्योगिक प्रदर्शनियां, जिनमें सर्वसाधारण को प्रवेश करने का अधिकार हो, विनियमित करना;

(ड) परिषद् या क्षेत्र समिति के नियंत्रणाधीन किन्हीं सोतों, जल-मार्ग या नालियों के अवरोध का निषेध करना तथा किसी ऐसे अवरोध को हटाने की व्यवस्था करना;

(ढ) खतरनाक इमारतों, पेड़ों या स्थानों को गिराना, हटाना या उन्हें निरापद बनाना;

(ण) लावारिस, रोगग्रस्त या पागल कुत्तों तथा हानिकर पशुओं के विनाश की व्यवस्था करना;

(त) परिषद् या क्षेत्र समिति की वृत्त-पुस्तिका तथा परिषद् की निर्धारण-सूचियों के निरीक्षण के लिये शर्तें नियत करना;

(थ) किसी गन्दे पानी के गड्ढे, नाली, स्टीम इंजिन या ब्वायलर के पानी के अथवा किसी गन्दे, क्षोभकर अथवा हानिप्रद पदार्थ के किसी नदी, तालाब या जल-संभरण के अन्य स्रोत या उसके किसी ऐसे निर्दिष्ट भाग में, जिसका पानी साधारणतया पीने या स्नान करने के प्रयोजनों के लिये उपयोग में लाया जाता हो, फेंके जाने का निषेध करना।

श्री अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि खंड २३९ के उपखंड (१) में शब्द "इस अधिनियम द्वारा अपेक्षित विषय के संबंध में जो उपविधियों द्वारा शासित होंगे" के स्थान पर शब्द "ऐसे विषयों के संबंध में जिनका उपविधियों द्वारा शासित होना इस अधिनियम द्वारा अपेक्षित है" रख दिये जायं, तथा चौथी पंक्ति में आने वाले शब्द "क्षेत्र" के स्थान पर शब्द "खंड" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि खंड २३९ के उपखंड (२) के शीर्षक "ख" की मद (क) के बाद में आने वाले शब्द "अन्य दुर्गन्धयुक्त या अवरोधक पदार्थों के फेंके जाने का विनिमय या निषेध" के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

"(ख) नालियों में मल, कूड़ा-करकट, गन्दा पानी तथा अन्य क्षोभकर या अवरोधक पदार्थों के फेंके या जमा किये जाने का विनियमन या निषेध"।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि खंड २३९ के उपखंड (२) के शीर्षक (ङ) के भाग (क) की मद (४) में शब्द "खपरैल" के स्थान पर शब्द "खपरैल या चौके" रख दिये जायं तथा इसी खंड के उपखंड (२) के शीर्षक "च" की मद (ग) में शब्द—

"बांधी या लादी जा सकें या उनसे माल उतारा जा सके" के स्थान पर शब्द "बांधी जा सकें या भारयुक्त तथा भारमुक्त की जा सकें" रख दिये जायं, तथा

शब्द "लादने या उनसे माल उतारने" के स्थान पर शब्द "भारयुक्त या भारमुक्त करने" रख दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि संशोधित खंड २३९ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड २४०–२४१

नियमों तथा उप-विधियों का उल्लंघन

२४०—नियम बनाने में राज्य सरकार, तथा उपविधि बनाने में नियत प्राधिकारी की स्वीकृति से परिषद्, निदेश दे सकती है उसका उल्लंघन अर्थ-दंड से दंड्य होगा जो दो सौ पचास रुपया तक हो सकेगा और जब ऐसा उल्लंघन जारी रहे तो अतिरिक्त अर्थ-दंड से दंड्य होगा जो प्रथम दोष -सिद्धि के पश्चात् ऐसे प्रत्येक दिन के लिये, जिसके बारे में यह सिद्ध हो जाय कि उसमें अपराधी अपराध करता रहा है, दस रुपये तक हो सकेगा, अथवा यदि अर्थदंड का भुगतान न किया जाय तो कारावास से दंड्य होगा जो तीन मास तक का हो सकेगा।

राज्य सरकार द्वारा बनाये गये विनियमों का पूर्व-प्रकाशन आदि

२४१—(१) राज्य सरकार का इस अध्याय के अधीन विनियमन बनाने का अधिकार इस शर्त के अधीन रहते हुये है कि विनियमन पूर्व-प्रकाशन के पश्चात् ही बनाये जायं और वे तब तक प्रभावी न हों जब तक कि वे गजट में प्रकाशित न हो जायं।

(२) राज्य सरकार द्वारा बनाया गया कोई विनियम समस्त मंडलों या जिलों के लिये अथवा ऐसे समस्त मंडलों या जिलों के लिये, जिन्हें स्पष्ट रूप से उसके प्रवर्त्तन से अपवर्जित न किया गया हो, सामान्य रूप से हो सकता है, अथवा किसी एक या अधिक मंडलों या जिलों के संपूर्ण क्षेत्र या किसी एक भाग के लिये विशेष रूप से हो सकता है, जैसा भी राज्य सरकार निदेश दे।

श्री अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि खंड २४० और २४१ विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड २४२

परिषद् द्वारा बनाये गये विनियमों तथा उपविधियों की पुष्टि आदि

२४२—(१) परिषद् की धारा २३८ की उपधारा (१) के खंड (ङ) से (द) तक के अधीन विनियम बनाने का अधिकार इस शर्त के अधीन होगा कि ऐसे विनियम तब तक प्रभावी न होंगे जब तक कि राज्य सरकार द्वारा उनकी पुष्टि न हो जाय।

(२) परिषद् का उपविधि बनाने का अधिकार इन शर्तों के अधीन होगा कि ऐसी उपविधियां पूर्व-प्रकाशन के पश्चात् ही बनायी जायेंगी और वे तब तक प्रभावी न होंगी जब तक कि नियत प्राधिकारी द्वारा उनकी पुष्टि न हो जाय और वे गजट में प्रकाशित न हो जायं।

(३) उपविधि की पुष्टि करने में नियत प्राधिकारी अथवा विनियम की पुष्टि करने में राज्य सरकार उसके स्वरूप में कोई ऐसा परिवर्तन कर सकती है जो उसे आवश्यक प्रतीत हो।

(४) धारा २३८ की उपधारा (१) के खंड (ङ) से (द) तक के अधीन बनाये गये विनियमों में किया गया कोई परिवर्तन या उसका रद्द किया जाना तब तक प्रभावी न होगा जब तक कि राज्य सरकार द्वारा उसकी पुष्टि न हो जाय और इसी प्रकार से परिषद् द्वारा बनायी गयी उपविधि में कोई परिवर्तन या उसका रद्द किया जाना तब तक प्रभावी न होगा जब तक कि नियत प्राधिकारी द्वारा उसकी पुष्टि न हो जाय।

(५) राज्य सरकार, अपने आशय के पूर्व-प्रकाशन के पश्चात्, किसी ऐसे विनियम को जिसकी उसने पुष्टि न की हो, अथवा उसी प्रकार नियत प्राधिकारी किसी ऐसी उपविधि को जिसकी उसने पुष्टि की हो, रद्द कर सकता है, और तदुपरान्त वह विनियम या उपविधि प्रभावी न रह जायेगी।

श्री अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि खंड २४२ के उपखंड (५) की दूसरी पंक्ति में से शब्द "न" निकाल दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि संशोधित खंड २४२ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड २४३–२४८

अनुपालन के लिये उचित समय का निश्चित किया जाना

२४३—जब इस अधिनियम की किसी धारा के अधीन अथवा किसी नियम या उपविधि के अधीन जारी किये गये किसी नोटिस द्वारा कोई ऐसा कार्य किया जाना अपेक्षित हो, जिसके लिये उस धारा, नियम या उपविधि में कोई समय निश्चित न हो, तो वह कार्य करने के लिये उस नोटिस में उचित समय निर्दिष्ट कर दिया जायगा, और यह निर्णय करना न्यायालय के हाथ में होगा कि इस प्रकार निर्दिष्ट किया गया समय इस धारा के अर्थ में उचित समय है या नहीं।

नोटिस की तामील

२४४—(१) इस अधिनियम की किसी धारा के अधीन अथवा किसी नियम या उपविधि के अधीन जारी या तैयार किया गया प्रत्येक नोटिस या बिल जब तक कि उस धारा, नियम या उपविधि में स्पष्टतया अन्यथा व्यवस्थित न हो निम्नलिखित प्रकार से तामील या प्रस्तुत किया जायगा—

(क) ऐसा नोटिस या बिल उस व्यक्ति को, जिसे वह सम्बोधित हो, देकर या प्रस्तुत करके, या उसके पास डाक द्वारा भेजकर, अथवा

(ख) यदि ऐसा व्यक्ति न मिले तो नोटिस या बिल उसके अंतिम ज्ञात निवास-स्थान पर यदि वह परिषद् या संबद्ध क्षेत्र समिति, जैसी भी दशा हो, के अधिकार-क्षेत्र के भीतर हो, छोड़कर या उसके कुटुम्ब के किसी वयस्क पुरुष सदस्य या सेवक को देकर या प्रस्तुत करके, अथवा नोटिस या बिल को उस इमारत या भूमि के, यदि कोई हो, जिससे उस नोटिस या बिल का सम्बन्ध हो, किसी प्रमुख भाग पर लगवा कर।

(२) जब इस अधिनियम के अधीन अथवा किसी नियम या उपविधि के अधीन किसी नोटिस या किसी इमारत या भूमि के स्वामी या अध्यासी पर तामील किया जाना, इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अथवा किसी नियम या उपविधि के अधीन अपेक्षित या अनुज्ञात हो, तो उस की तामील उन दशाओं में जिनके लिये इस अधिनियम में अन्यथा विशेष रूप से व्यवस्था न की गयी हो—

(क) नोटिस स्वामी या अध्यासी को देकर या प्रस्तुत करके या उसके पास डाक द्वारा भेजकर, अथवा यदि एक से अधिक स्वामी या अध्यासी हों तो, उसमें से किसी एक को देकर या प्रस्तुत करके या उसके पास डाक द्वारा भेजकर, या

(ख) यदि ऐसा स्वामी या अध्यासी न मिले तो उसके कुटुम्ब के किसी वयस्क पुरुष सदस्य या सेवक को देकर या प्रस्तुत करके या नोटिस को उस इमारत या भूमि के, जिससे उसका सम्बन्ध हो, किसी प्रमुख भाग पर लगवा कर, की जायगी।

(३) यदि वह व्यक्ति, जिस पर नोटिस या बिल तामील किया जाना है, अवयस्क हो तो उसके कुटुम्ब के किसी वयस्क पुरुष सदस्य या सेवक पर उसका तामील किया जाना उस अवयस्क पर उसकी तामील समझी जायेगी।

दोषपूर्ण आकार

२४५—कोई नोटिस या बिल आकार में दोष होने के कारण अमान्य नहीं होगा।

व्यक्ति विशेष को जारी किये गये नोटिस की अवज्ञा

२४६—यदि इस अधिनियम में उपबन्धों के अधीन अथवा किसी नियम या उपनियम के अधीन किसी व्यक्ति को ऐसा नोटिस दिया गया हो जिसके द्वारा उससे, किसी सम्पत्ति के सम्बन्ध में, चाहे वह चल हो या अचल, सार्वजनिक हो या निजी, नोटिस में निर्दिष्ट समय के भीतर, किसी कार्य के निष्पादन की, अथवा किसी वस्तु की व्यवस्था करने की या कोई कार्य करने या न करने की अपेक्षा की गयी हो, और यदि वह व्यक्ति उस नोटिस का अनुपालन न करे तो—

(क) परिषद् या संबद्ध क्षेत्र समिति, जैसी भी दशा हो, ऐसे कार्य को निष्पादित करवा सकती है या ऐसी वस्तु की व्यवस्था कर सकती है या उस कार्य को करवा सकती है और इस मध्ये अपने द्वारा किये गये समस्त व्यय को उक्त व्यक्ति से अध्याय ८ में व्यवस्थित रीति से वसूल कर सकती है, तथा इसके अतिरिक्त—

(ख) उक्त व्यक्ति, मैजिस्ट्रेट के समक्ष दोषी पाये जाने पर अर्थ-दंड का भागी होगा जो एक सौ रुपये तक हो सकता है, और उल्लंघन जारी रखे जाने की दशा में, अतिरिक्त अर्थ-दंड का भागी होगा जो प्रथम दोष-सिद्धि के दिनांक के पश्चात् ऐसे प्रत्येक दिन के लिये, जिसके बारे में यह सिद्ध हो जाय कि उसमें अपराधी अपराध करता रहा है, पांच रुपये तक हो सकता है।

अभियोजन के लिये प्राधिकार

२४७—जब तक अन्यथा स्पष्ट रूप से व्यवस्थित न हो, कोई न्यायालय इस अधिनियम के अधीन अथवा किसी नियम या उपविधि के अधीन दंडनीय अपराधों में से किसी अपराध का तब तक संज्ञान न करेगा जब तक कि परिषद् या संबद्ध क्षेत्र समिति या परिषद् अथवा संबद्ध क्षेत्र समिति द्वारा तदर्थ सामान्य या विशेष आदेश द्वारा प्राधिकृत कोई व्यक्ति अभियोग प्रस्तुत न करे या परिषद् या उक्त व्यक्ति से कोई सूचना प्राप्त न हो।

अपराधों में समझौता का अधिकार

२४८—(१) परिषद् का मुख्य कार्याधिकारी या क्षेत्र समिति का क्षेत्र संचालक कार्यवाहियों के प्रारम्भ के पहले या पीछे, इस अधिनियम या किसी नियम या उपविधि के विरुद्ध किये गये किसी अपराध में समझौता कर सकता है, किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि किसी ऐसे अपराध में जो परिषद् या क्षेत्र समिति द्वारा या परिषद् या क्षेत्रसमिति की ओर से जारी किये गये लिखित नोटिस का अनुपालन न करने के कारण हुआ हो, तब तक समझौता न किया जायगा जब तक कि उस नोटिस का, यथासंभव अनुपालन न कर दिया गया हो।

(२) जब किसी अपराध में समझौता हो चुका हो तो अपराधी को, यदि वह अभिरक्षा में हो, छोड़ दिया जायगा तथा इस प्रकार समझौता किये गये अपराध के संबंध में उसके विरुद्ध आगे कोई कार्यवाही न की जायगी।

(३) इस धारा के अधीन समझौते के रूप में दी गई धनराशियां, जिला निधि या क्षेत्र निधि, जैसी भी दशा हो, में जमा की जायंगी।

श्री अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि खंड २४३ से २४८ तक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड २४९

परिषद् में निहित सम्पत्ति की क्षति के लिये प्रतिकर

२४९—यदि किसी ऐसे कार्य, उपेक्षा या चूक से, जिसके कारण कोई व्यक्ति इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन आरोपित शास्ति का भागी हो गया हो, परिषद् या किसी क्षेत्र समिति की किसी सम्पत्ति को कोई क्षति पहुंची हो तो ऐसी शास्ति या भागी व्यक्ति उस क्षति को पूरा करने का तथा उस शास्ति के भुगतान करने का उत्तरदायी होगा, और विवाद की दशा में, क्षतिपूरक की मात्रा उस मैजिस्ट्रेट द्वारा अवधारित की जायगी जिसके द्वारा उक्त शास्ति का भागी व्यक्ति दंडित किया जाय तथा मांग की जाने पर ऐसी धनराशि का भुगतान किये जाने पर वह अभिहरण द्वारा वसूल की जायगी तथा उक्त मैजिस्ट्रेट तदर्थ अपना अधिपत्र जारी करेगा।

श्री अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि खंड २४९ में शब्द "भुगतान किये जाने" के स्थान पर शब्द "भुगतान न किये जाने" रख दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि संशोधित खंड २४९ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड २५०—२५६

अपराधों के तथा परिषद् के अधिकारियों को सहायता के सम्बन्ध में पुलिस के अधिकार तथा कर्तव्य

२५०—प्रत्येक पुलिस अधिकारी अपनी जानकारी में आने वाले किसी ऐसे अपराध की, जो इस अधिनियम के विरुद्ध या किसी ऐसे अधिनियम के विरुद्ध किया गया हो जिसमें या जिसके अधीन अर्थदण्ड के जिला निधि या क्षेत्र निधि में जमा किये जाने की व्यवस्था हो, या उक्त अधिनियमों में से किसी के अधीन बनाये गये किसी नियम के विरुद्ध किया गया हो, सूचना तुरन्त परिषद् या संबद्ध क्षेत्र समिति, जैसी भी दशा हो, को देगा तथा प्रत्येक पुलिस अधिकारी परिषद् के या किसी क्षेत्र समिति के समस्त सदस्यों, अधिकारियों और सेवकों को उनके विधि-संगत अधिकार के प्रयोग में सहायता देने के लिये बाध्य होगा।

परिषद् के आदेश के विरुद्ध अपील

२५१—(१) कोई व्यक्ति, जो परिषद् या क्षेत्र समिति, जैसी भी दशा हो की धारा १६५ (१), १७१, १८४, १९१ (६), १९३, २०२, २१६, २१८, २२१ के अधीन या धारा २३९ की उपधारा (२) के शीर्षक (घ) के उपशीर्षक (क) तथा शीर्षक (ङ) के अधीन बनाई गई उपविधि के अन्तर्गत प्राप्त अधिकारों के अधीन उसके द्वारा जारी किये गये किसी आदेश या निदेश के दिनांक से तीस दिन के भीतर, जिसमें से वह समय निकाल दिया जायगा जो उसकी प्रतिलिपि प्राप्त करने के लिये अपेक्षित हो, ऐसे अधिकारों को, जिन्हें राज्य सरकार ऐसी अपीलें या उसमें से किसी अपील को सुनने के प्रयोजनार्थ नियुक्त करे, अथवा यदि ऐसे कोई पदाधिकारी नियुक्त न किये जायं तो जिला मैजिस्ट्रेट को, अपील कर सकता है।

(२) यदि अपीलीय प्राधिकारी उचित समझे तो वह अपील करने के लिये उपधारा (१) द्वारा अनुज्ञात अवधि को बढ़ा सकता है।

(३) कोई अपील तब तक पूर्णतः या अंशतः खारिज या स्वीकृत न की जायगी जब तक कि संबद्ध पक्षों को कारण बताने या सुने जाने का उचित अवसर न दे दिया गया हो।

व्यय

२५२—(१) अपील का निर्णय करने वाले न्यायालय को स्वमति से व्यय दिलाने का अधिकार होगा।

(२) इस धारा के अधीन परिषद् या क्षेत्र समिति को दिलाया गया व्यय परिषद् या क्षेत्र समिति द्वारा इस प्रकार वसूल किया जा सकेगा मानों वह अपीलकर्ता प्राप्य किसी कर का बकाया हो।

(३) यदि परिषद् या क्षेत्र समिति इस धारा के अधीन किसी अपीलकर्ता को दिलाये गये किसी व्यय का भुगतान उस दिनांक के, जिस पर उनके भुगतान करने के लिये दिये गये आदेश की उसे सूचना की गयी हो, दस दिन के भीतर न करे तो व्यय दिलाने वाले न्यायालय, जिला निधि या क्षेत्र निधि, जैसी भी दशा हो, की अवशिष्ट धनराशि को अभिरक्षा में रखने वाले व्यक्ति को उक्त व्यय की धनराशि का भुगतान करने का आदेश दे सकता है।

अपीलीय अधिकारी के आदेश का अन्तिम होना

२५३—(१) धारा २५१ में उल्लिखित किसी आदेश या निदेश पर, उसमें व्यवस्थित रीति या अधिकारी से अन्यथा आपत्ति न की जायगी।

(२) अपीलीय प्राधिकारी का ऐसा आदेश, जिसके द्वारा वह उक्त आदेश या निदेश की पुष्टि करे, उसे रद्द करे या उसका परिष्कार करे, अंतिम होगा :

प्रथम प्रतिबन्ध यह है कि अपीलीय प्राधिकारी के लिये यह बंध होगा कि प्रार्थना-पत्र दिये जाने पर तथा दूसरे पक्ष को नोटिस देने के बाद, वह अपने द्वारा अपील में दिये गये किसी आदेश का पुनर्विलोकन एक ऐसे अतिरिक्त आदेश द्वारा करे जो उसके मूल आदेश के दिनांक से तीन महीने के भीतर दिया जाय,

द्वितीय प्रतिबन्ध यह है कि यदि धारा २५१ में उल्लिखित कोई आदेश या निदेश किसी व्यक्ति के नागरिक अधिकार (civil rights) का अतिलंघन करता हो तो उसे तद् विषयक क्षेत्राधिकारयुक्त किसी दीवानी न्यायालय में उक्त आदेश या निदेश या आपत्ति करने का अधिकार होगा।

कुछ मामलों में निलम्बन या अभियोजन

२५४—यदि धारा २५१ में निर्दिष्ट प्रकार के किसी आदेश या निदेश के विरुद्ध अपील की जा सकती हो और उसके विरुद्ध अपील की गयी हो, या धारा २५१ के अधीन दिये गये किसी आदेश या निदेश की विषय-वस्तु के सम्बन्ध में दीवानी वाद प्रस्तुत किया गया हो तो ऐसे आदेश या निदेश को प्रवर्तित करने की समस्त कार्यवाहियां तथा उनके उल्लंघन के लिये किये गये समस्त अभियोजन, अपीलीय प्राधिकारी के अथवा दीवानी न्यायालय के, जैसी भी दशा हो, आदेश द्वारा, अपील या वाद का निर्णय होने तक के लिये निलम्बित किये जा सकते हैं, और यदि अपील में या दीवानी न्यायालय के निर्णय द्वारा ऐसा आदेश या निदेश रद्द कर दिया जाय तो उसका उल्लंघन कोई अपराध नहीं समझा जायगा।

परिषद् या क्षेत्र समिति द्वारा देय प्रतिकर के सम्बन्ध में विवाद

२५५—(१) यदि प्रतिकर की उस धनराशि के सम्बन्ध में, जिनका भुगतान करना इस अधिनियम द्वारा परिषद् द्वारा क्षेत्र समिति से अपेक्षित है, कोई विवाद उत्पन्न हो तो निबटारा ऐसी रीति से किया जायगा जिसके विषय में संबद्ध पक्ष सहमत हों, या, यदि कोई सहमत न हो सके तो, परिषद् या क्षेत्र समिति द्वारा या प्रतिकर पाने का दावा करने वाले व्यक्ति द्वारा कलेक्टर को प्रार्थना-पत्र दिये जाने पर उसके द्वारा उसका निबटारा किया जायगा।

(२) कलेक्टर का प्रतिकर दिलाने का कोई निर्णय, प्रतिकर पाने का दावा करने वाले व्यक्ति के इस अधिकार के अधीन होगा कि वह उसे लैंड एक्वीजीशन ऐक्ट, १८९४ की धारा १८ में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार जिला न्यायाधीश को अभिदिष्ट करवाये । ऐक्ट संख्या १ १८९४

(३) ऐसे मामलों में, जिनमें भूमि के सम्बन्ध में प्रतिकर का दावा किया जाय, कलेक्टर तथा जिला न्यायाधीश, यथासंभव उस प्रक्रिया का अनुसरण करेंगे जो उक्त अधिनियम द्वारा सार्वजनिक प्रयोजनों के निमित्त अर्जित की जाने वाली भूमि के अर्जन के लिये प्रतिकर देने के सम्बन्ध में की जाने वाली कार्यवाहियों के लिये नियत की गयी है।

२५६—(१) यदि परिषद् या क्षेत्र समिति तथा किसी अन्य स्थानीय प्राधिकारी के बीच किसी ऐसे मामले में जिसमें वे संयुक्त रूप से हित रखते हों, विवाद उत्पन्न हो तो विवाद राज्य सरकार को अभिदिष्ट कर दिया जायगा और उसका निर्णय अन्तिम होगा । स्थानीय प्राधिकारियों के बीच विवादों का निर्णय

(२) राज्य सरकार, परिषदों तथा क्षेत्र समितियों और अन्य स्थानीय प्राधिकारियों के बीच किसी ऐसे मामले में जिसमें वे संयुक्त रूप से स्वत्व रखते हों, स्थापित रहने वाले सम्बन्धों को नियम द्वारा विनियमित कर सकती है ।

श्री अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि खंड २५० से २५६ तक इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड २५७

२५७—(१) किसी परिषद् या क्षेत्र समिति द्वारा या परिषद् या क्षेत्र समिति के किसी सदस्य, अधिकारी या सेवक के विरुद्ध कोई वाद उसके द्वारा अधिकारिक स्थिति से किये गये या किया गया प्रगट होने वाले किसी कार्य के सम्बन्ध में तब तक प्रस्तुत नहीं किया जायगा जब तक कि एक लिखित नोटिस, परिषद् या क्षेत्र समिति की दशा में, उसके कार्यालय में और सदस्य, अधिकारी या सेवक की दशा में, उसे या उसके कार्यालय या निवास-स्थान में दिये जाने के पश्चात् दो महीने की अवधि व्यतीत न हो गयी हो । उक्त नोटिस में वाद के कारण, प्रार्थित उपशम का स्वरूप अभ्यर्थित प्रतिकर की धनराशि, वादेच्छवादी (intending plaintiff) के नाम तथा निवास-स्थान का स्पष्ट रूप से उल्लेख होगा तथा वाद-पत्र में यह प्रकथन भी होगा कि ऐसा नोटिस दे दिया गया है या छोड़ दिया गया है । परिषद् या क्षेत्र समिति या उसके अधिकारी आदि के विरुद्ध वाद

(२) यदि परिषद् या क्षेत्र समिति या उक्त सदस्य, अधिकारी या सेवक ने कार्यवाही आरम्भ की जाने के पूर्व वादी को मूलसुधार स्वरूप पर्याप्त धनराशि प्रस्तुत कर दी हो तो वादी इस प्रकार प्रस्तुत की गयी धनराशि से अधिक कोई धनराशि वसूल नहीं करेगा तथा ऐसी धनराशि प्रस्तुत करने के पश्चात् प्रतिवादी द्वारा किये गये समस्त व्ययों का भी भुगतान करेगा ।

(३) उपधारा (१) में वर्णित प्रकार की कोई कार्यवाही, जब तक कि वह अचल सम्पत्ति की वसूली या उसके आगम की घोषणा के लिये की गयी कार्यवाही हो, वाद-कारण उत्पन्न होने के ६ महीने के पश्चात् प्रारम्भ न की जायगी :

> प्रतिबन्ध यह है कि उपधारा (१) की किसी बात का यह अर्थ न लगाया जायगा कि वह किसी ऐसे वाद पर लागू होती है जिसमें प्रार्थित उपशम केवल व्यादेश (injunction) हो जिसका उद्देश्य ही नोटिस के या वाद या कार्यवाही का प्रारम्भ स्थगित कर देने से विफल हो जायगा ।

श्री अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि खंड २५७ के उपखंड (१) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :—

"किसी परिषद् या क्षेत्र समिति के विरुद्ध या परिषद् या क्षेत्र समिति के किसी सदस्य, अधिकारी या सेवक के विरुद्ध कोई वाद, जो उसके द्वारा आधिकारिक स्थिति से किये गये अथवा किये गये भावित होने वाले किसी कार्य के सम्बन्ध में हो, तब तक प्रस्तुत नहीं किया जायगा जब तक कि एक लिखित नोटिस, परिषद् या क्षेत्र समति की दशा में उसके कार्यालय में छोड़े जाने, और सदस्य अधिकारी या सेवक की दशा में उसे या उसके कार्यालय या निवास स्थान में दिये जाने के पश्चात् दो महीने की अवधि व्यतीत न हो गई हो और उक्त नोटिस में वाद के कारण, प्रार्थित अनुतोष के स्वरूप अध्यर्थित प्रतिकर की धनराशि तथा वादेच्छुवादी के नाम और निवास स्थान का स्पष्ट रूप से उल्लेख होगा तथा वादपत्र में यह प्रक्कथन भी होगा कि ऐसा नोटिस दे दिया या कार्यालय में छोड़ दिया गया है।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि खंड २५७ के उपखंड (३) तथा प्रतिबन्धात्मक खंड के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :—

"(३) उपधारा (१) में वर्णित प्रकार की कोई कार्यवाही, जब तक कि वह अचल सम्पत्ति की प्राप्ति या उसके आगम की घोषणा के लिये की गयी कार्यवाही न हो, वाद कारण उत्पन्न होने के ६ महीने के पश्चात् प्रारम्भ न की जायगी;

प्रतिबन्ध यह है कि उपधारा (१) की किसी बात का यह अर्थ न लगाया जायगा कि वह किसी ऐसे वाद पर प्रवृत्त होती है जिसमें प्रार्थित अनुतोष केवल व्यादेश (injunction) हो जिसका कि उद्देश्य नोटिस दिये जाने से या वाद अथवा कार्यवाही का प्रारम्भ स्थगित किये जाने से विफल हो जायगा।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि संशोधित खंड २५७ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड २५८

दीवानी न्यायालयों द्वारा परिषद्, क्षेत्र समिति, या उनके अधिकारियों के विरुद्ध अस्थायी व्यादेश का निषेध

२५८—किसी वाद के दौरान में कोई दीवानी न्यायालय—

(क) किसी व्यक्ति को, परिषद् या परिषद् की किसी समिति या उप-समिति के सदस्य, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, अधिकारी या सेवक के अधिकारों का प्रयोग करने या कृत्यों या कर्तव्यों का पालन करने से इस आधार पर रोकने के लिये कि वह व्यक्ति यथोचित रूप में ऐसे सदस्य, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, अधिकारी या सेवक के रूप में निर्वाचित, अनुमेलित या नियुक्त नहीं हुआ है, या

(ख) किसी व्यक्ति को, क्षेत्र समति या क्षेत्र समिति की किसी समिति या उप-समिति के सदस्य, प्रमुख, उपप्रमुख, अधिकारी या सेवक के कृत्यों तथा कर्त्तव्यों का पालन करने से इस आधार पर रोकने के लिये कि वह व्यक्ति यथोचित रूप में ऐसे सदस्य, प्रमुख, उप-प्रमुख, अधिकारी या सेवक के रूप में निर्वाचित, अनुमेलित या नियुक्त नहीं हुआ है, या

(ग) किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को, या किसी परिषद् या क्षेत्र समिति या परिषद् या क्षेत्र समिति की किसी समिति या उप-समिति को कोई निर्वाचन करने या किसी विशेष रीति से कोई निर्वाचन करने से रोकने के लिये।

कोई अस्थायी व्यादेश या अन्तरिम आदेश न देगा।

श्री अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि खंड २५८ के भाग (ख) में शब्द "कृत्यों तथा कर्तव्यों का पालन" के स्थान पर शब्द "अधिकारों का प्रयोग या कृत्यों तथा कर्तव्यों का सम्पादन" रख दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि संशोधित खंड २५८ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड २५९–२६१

राज्य सरकार द्वारा अधिकारों का प्रतिनिधान

२५९—राज्य सरकार गजट में विज्ञप्ति द्वारा नियत प्राधिकारी को, किसी निर्दिष्ट परिषद् या परिषदों अथवा क्षेत्र समिति या क्षेत्र समितियों के सम्बन्ध में इस अधिनियम द्वारा अपने में निहित, किसी एक या अधिक अधिकारों को प्रतिनिहित कर सकती है।

२६०—परिषद् या प्रत्येक क्षेत्र समिति की वृत्त-पुस्तिकाओं तथा कर निर्धारण-सूचियों का निरीक्षण किसी भी कर-दाता या निर्वाचक द्वारा, तदर्थ उपविधि द्वारा नियत शर्तों के अधीन निःशुल्क किया जा सकेगा।

नियमों, विनियमों तथा उपविधियों के प्रचार की व्यवस्था

२६१—पुस्तकें, जिनमें प्रत्येक नियम, विनियम तथा उपविधि हो, परिषद् या क्षेत्र समिति, जैसी भी दशा हो, के कार्यालय में रखी जायंगी तथा कार्य के साधारण घंटों में किसी भी व्यक्ति द्वारा उनका निःशुल्क निरीक्षण किया जा सकेगा तथा वे तदर्थ उपविधि द्वारा निर्दिष्ट उचित मूल्य पर जनसाधारण के हाथ विक्रय के लिये ऐसे कार्यालयों में रखी रहेंगी।

श्री अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि खंड २५९ से २६१ तक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड २६२

परिषद् या क्षेत्र समिति के अभिलेखों के सिद्धि की रीति

२६२—परिषद् या क्षेत्र समिति के कब्जे की कोई रसीद, प्रार्थना-पत्र, नक्शा, नोटिस, आदेश, रजिस्टर की प्रविष्टि या अन्य लेख्य की प्रतिलिपि, यदि वह उसके विधिक पालक या तदर्थ प्राधिकृत अन्य व्यक्ति द्वारा यथावत् प्रमाणित की गयी हो, ऐसी प्रविष्टि या लेख्य के विद्यमान होने के प्रथमदृष्टया (*prima facie*) साक्ष्य के रूप में ग्रहण की जायगी और उसमें अभिलिखित विषयों तथा व्यवहारों के लिये प्रत्येक वाद में उसी आकार तथा उसी आयति तक साक्ष्य के रूप में ग्रहण की जायगी जिस आकार और जहां तक मूल प्रविष्टि या लेख्य, यदि वह प्रस्तुत किया गया होता, ऐसे विषयों को प्रमाणित करने के लिये ग्राह्य होता।

श्री अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि खंड २६२ में शब्द "प्रत्येक वाद म उसी आकार तथा उसी आयति तक साक्ष्य के रूप में ग्रहण को जायगी जिस आकार" के स्थान पर शब्द "ऐसे प्रत्येक वाद में तथा उस आयति तक साक्ष्य के रूप में ग्रहण की जायगी जिसमें" रख दिये जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि संशोधित खंड २६२ इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड २६३–२६८

परिषद् के कर्मचारियों को लेख्य प्रस्तुत करने के लिये बुलाये जाने पर निर्बन्धन

२६३—परिषद् या क्षेत्र समिति के किसी अधिकारी या कर्मचारी से, किसी ऐसी विधिक कार्यवाही में जिसमें परिषद् या क्षेत्र समिति एक पक्ष न हो, कोई ऐसा रजिस्टर या लेख्य प्रस्तुत करने को जिसकी अन्तर्वस्तु पूर्वगामी धारा के अधीन प्रमाणित प्रतिलिपि द्वारा सिद्ध की जा सकती हो, अथवा उसमें अभिलिखित विषयों तथा व्यवहारों को सिद्ध करने के लिये साक्षी के रूप में उपस्थित होने की, तब तक अपेक्षा नहीं की जायगी जब तक कि विशेष कारण से न्यायालय ने ऐसा आदेश न दिया हो ।

सदस्यों द्वारा परिषदों या क्षेत्र समितियों के निर्माण-कार्यों तथा रजिस्टरों का निरीक्षण

२६४—परिषद् या क्षेत्र समिति का कोई सदस्य किसी ऐसे निर्माण-कार्य या संस्था का, जो पूर्णतः या अंशतः परिषद् या क्षेत्र समिति, जैसी भी दशा हो, के व्यय से निर्मित या अनुरक्षित हो तथा अध्यक्ष की पूर्व स्वीकृति से परिषद् या क्षेत्र समिति, जैसी भी दशा हो, के कार्यालय के किसी रजिस्टर, पुस्तक लेखे या अन्य लेख्यों का निरीक्षण कर सकता है ।

इंडियन रेलवेज ऐक्ट, १८९० तथा यूनाइटेड प्राविंसेज विलेज सेनीटेशन ऐक्ट, १८९२ के सम्बन्ध में व्यावृत्ति

२६५—इस अधिनियम की कोई बात इंडियन रेलवेज ऐक्ट, १८९० के, या युनाइटेड प्राविन्सेज विलेज सेनीटेशन ऐक्ट, १८९२ के किसी उपबन्ध पर अथवा उन ऐक्टों के अधीन बनाये गये किसी नियम पर प्रभाव नहीं डालेगी ।

अन्य अधिनियमितियों में उल्लेख का अर्थ

२६६—(१) यू० पी० डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स ऐक्ट, १९२२ या उत्तर प्रदेश अन्तरिम जिला परिषद् अधिनियम, १९५८ से भिन्न किसी अधिनियमिति में, जो किसी जिले में निश्चित दिन से ठीक पूर्व दिनांक पर प्रवृत्त हो, या तद्धीन निर्मित या जारी किये गये किसी नियम, आदेश या विज्ञप्ति में, जो ऐसे दिनांक पर उक्त जिले में प्रवृत्त हो, जब तक कि अन्य आशय प्रतीत न हों—

(क) यू० पी० डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स ऐक्ट, १९२२ के अधीन संघटित किसी जिले के डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के उल्लेख का यह अर्थ किया जायगा कि वह जिले की परिषद् का उल्लेख है और ऐसी अधिनियमिति नियम, आदेश अथवा विज्ञप्ति तदनुसार उक्त परिषद् के संबंध में लागू होगी ;

(ख) यू० पी० डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स ऐक्ट, १९२२ के अधीन संघटित डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के प्रेसीडेंट अथवा वाइस प्रेसीडेंट के उल्लेख का अर्थ यह किया जायगा कि वे इस अधिनियम के अधीन नियुक्त अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के उल्लेख हैं ;

(ग) यू० पी० डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स ऐक्ट, १९२२ के अधीन संघटित किसी जिले के डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के सदस्यों के उल्लेख का यह अर्थ किया जायगा कि वह इस अधिनियम के अधीन उस जिले के लिये संघटित परिषद् का उल्लेख है ;

(घ) यू० पी० डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स ऐक्ट, १९२२ में किसी अध्याय या किसी धारा के प्रति उल्लेख का यथासम्भव यह अर्थ किया जायगा कि वह इस अधिनियम या इसके तत्संस्थानीय अध्याय या धारा का उल्लेख है ।

कुछ दशाओं में सम्पत्ति, आस्तियों अधिकारों, दायित्वों तथा आभारों का उत्तराधिकार

२६७—(१) निश्चित दिन से और धारा १०२ के उपबन्धों के अधीन रहते हुये—

(क) समस्त संपत्ति, संपत्ति में हित तथा आस्तियां (assets) जिनके अन्तर्गत रोकड़ बाकी भी हैं जहां कहीं वे स्थित हों जो उक्त दिन के ठीक पहले बोर्ड या अन्तरिम जिला परिषद् में निहित थीं इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये जिले के परिषद् में निहित हो जांयगी और उसके अधिकार में रहेंगी ; तथा

(ख) पूर्वोक्त बोर्ड या अन्तरिम जिला परिषद् के ऐसे समस्त अधिकार दायित्व तथा आधार चाहे वे किसी संविदे से उत्पन्न हुये हों या अन्यथा जो उक्त दिन से ठीक पहले विद्यमान हों ऐसी परिषद् के अधिकार, दायित्व तथा आभार हो जायेंगे ।

(२) यदि कोई संदेह या विवाद उत्पन्न हो कि कोई सम्पत्ति, हित या आस्ति उपधारा (१) के अधीन परिषद् में निहित हो गयी है या नहीं, अथवा कोई अधिकार, दायित्व या आभार परिषद् का अधिकार, दायित्व या आभार हो गया है या नहीं, तो ऐसा सन्देह या विवाद मुख्य-कार्याधिकारी द्वारा राज्य सरकार को अभिदिष्ट किया जायगा जिसका निर्णय, जब तक कि वह किसी विधि न्यायालय के किसी निर्णय से अवक्रांत न हो जाय, अन्तिम होगा ।

देय धनराशियां

२६८—किसी जिले के बोर्ड या अन्तरिम जिला परिषद् को देय समस्त धन-राशियां, चाहे वह किसी कर के मध्य देय हों या किसी अन्य खाते में उस जिले की परिषद् द्वारा वसूल की जांयगी और वह ऐसी वसूली के प्रयोजनार्थ कोई ऐसा कार्य करने के लिये सक्षम होगी अथवा कोई ऐसी कार्यवाही आरम्भ करने के लिये सक्षम होगी, जिसे इस अधिनियम के प्रवृत्त न होने की दशा में उक्त बोर्ड करने या प्रारम्भ करने का अधिकारी होता ।

के अंग माने जायं ।

श्री अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि खंड २६३ से २६८ तक इस विधेयक

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड २६९

ऋण आभार, संविदे तथा विचाराधीन कार्य-वाहियां

२६९—(१) किसी जिले के बोर्ड या अन्तरिम जिला परिषद् द्वारा या उसकी ओर से नियत दिन के पूर्व उपागत सभी ऋणों तथा आभारों और किये गये सभी संविदों के सम्बन्ध में, जो उक्त दिन पर विद्यमान हों, यह समझा जायगा कि वे इस अधिनियम द्वारा उसे प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करके जिले की परिषद् द्वारा हुये अथवा किये गये और तदनुसार वे प्रवर्तन में बने रहेंगे ।

(२) उक्त बोर्ड या अन्तरिम जिला परिषद् के किसी प्राधिकारी के समक्ष उक्त दिन विचाराधीन ऐसी समस्त कार्यवाहियां, जिनका इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन परिषद् के समक्ष प्रारम्भ किया जाना अथवा उसके द्वारा

सम्पन्न किया जाना अपेक्षित हो, परिषद् को संक्रमित कर दी जायगी, और उसके द्वारा जारी रखी जायंगी, और ऐसी अन्य समस्त कार्यवाहियां भी, यथासंभव प्राधिकारी को संक्रमित कर दी जायंगी और उसके द्वारा जारी रखी जायंगी, जिसके समक्ष अथवा जिसके द्वारा वे इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन प्रारम्भ अथवा सम्पन्न की जाती ।

(३) इस बोर्ड या अन्तरिम जिला परिषद् के प्राधिकारी के समक्ष उक्त दिन विचाराधीन समक्ष अपीलें यथा व्यवहार्य इस प्रकार निस्तारित की जायंगी मानों उनके प्रारम्भ किये जाने के समय परिषद् विद्यमान थी ।

(४) उक्त बोर्ड या अन्तरिम जिला परिषद् द्वारा अथवा उसकी ओर से चलाये गये सभी अभियोजन तथा उक्त बोर्ड या अन्तरिम जिला परिषद् द्वारा या उसके विरुद्ध या उक्त बोर्ड या अन्तरिम जिला परिषद् के किसी अधिकारी द्वारा, अथवा उसके विरुद्ध चलाये गये सभी वाद तथा अन्य विधिक कार्यवाहियां जो उक्त दिन विचारधीन हों, परिषद् द्वारा अथवा उसके विरुद्ध उसी प्रकार जारी रहेंगी मानों ऐसे अभियोजन वाद अथवा कार्यवाही चलाये जाने के समय परिषद् संघटित की जा चुकी हो ।

श्री अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि खंड २६९ में शब्द "नियत दिन" के स्थान पर "निश्चित दिनांक" रख दिये जांय तथा जहां भी शब्द "उक्त दिन" आये हों उनके स्थान पर शब्द "उक्त दिनांक" रख दिये जांय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि खंड २६९ के उप खंड (४) की पांचवीं पंक्ति में शब्द "परिषद्" के स्थान पर शब्द "यथा स्थिति, जिला परिषद् या अधिकारी" रख दिये जांय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि संशोधित खंड २६९ इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड २७०—२७३

नियुक्तियों, करों, बजट के तखमीनों तथा निर्धारणों का जारी रहना

२७०—इस अध्याय के उपबन्धों द्वारा की गई स्पष्ट व्यवस्था के अधीन रहते हुये—

(क) निश्चित दिन से ठीक पूर्व यू० पी० डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स ऐक्ट, १९२२ या उत्तर प्रदेश अन्तरिम जिला परिषद् अधिनियम, १९५८ अथवा किसी स्थानीय क्षेत्र में प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन बनायी गयी, जारी की गई, आरोपित या स्वीकृत कोई नियुक्ति, प्रतिनिधान, विज्ञप्ति, नोटिस, कर, आदेश, निदेश, योजना, लाइसेंस, अनुज्ञा, रजिस्ट्री, नियम उपविधि, विनियम तथा प्रपत्र, जहां तक वह इस अधिनियम के उपबन्धों, से असंगत न हों, तब तक प्रवृत्त बना रहेगा जब तक कि वह, यथास्थिति, इस अधिनियम अथवा पूर्वोक्त किसी विधि के अधीन बनाई गई, जारी की गयी-आरोपित अथवा स्वीकृत किसी नियुक्ति प्रतिनिधान, विज्ञप्ति, नोटिस, कर, आदेश, निदेश, योजना, लाइसेंस अनुज्ञा, रजिस्ट्री, नियम, उप-विधि, विनियम या प्रपत्र द्वारा अवक्रांत न कर दिया जाय, तथा

(ख) यू० पी० डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स ऐक्ट, १९२२ या उत्तर प्रदेश अन्तरिम जिला परिषद् अधिनियम, १९५८, के अधीन निश्चित दिन से पहले

तैयार किये गये बजट के समस्त तखमीने, निर्धारण, मूल्यांकन, माप तथा विभाजन जहां तक वे इस अधिनियम के उपबन्धों से सुसंगत हों, इस अधिनियम के अधीन तैयार किये गये समझे जायेंगे ।

कठिनाइयां दूर करने का अधिकार

२७१--(१) यदि इस अधिनियम के उपबन्धों को, या इस अधिनियम में किसी बात के होने के कारण, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य अधिनियमिति को प्रभावी बनाने में कोई कठिनाई उत्पन्न हो, तो राज्य सरकार, जैसा अवसर विशेष पर अपेक्षित हो, आदेश द्वारा यह निदेश दे सकती है कि यह अधिनियम निश्चित दिन के पश्चात् बारह महीने की अवधि तक ऐसे अनुकूलनों के अधीन रहते हुये, चाहे वे परिष्कार, परिवर्धन, या लोप के रूप में हों, प्रभावी होगा जिन्हें वह आवश्यक तथा इष्टकर समझे ।

(२) उपधारा (१) के अधीन किया गया आदेश यथासम्भव शीघ्र विधान मंडल के दोनों सदनों के समक्ष रखा जायगा ।

संशोधन

२७२--अनुसूची ८ में दी गई अधिनियमितियों का संशोधन उक्त अनुसूची में उल्लिखित रूप से तथा सीमा तक किया जायगा :

प्रतिबन्ध यह है कि यू० पी० पंचायत राज्य ऐक्ट, १९४७ की धारा ३७ का संशोधन उस दिनांक से प्रभावी होगा जो राज्य सरकार गजट में विज्ञप्ति द्वारा निर्दिष्ट करे तथा विभिन्न जिलों के लिए विभिन्न दिनांक निर्दिष्ट किये जा सकते हैं ।

निरसन यू० पी० ऐक्ट संख्या १०, १९२२ उ० प्र० अधिनियम संख्या २२, १९५८ यू० पी० ऐक्ट संख्या १, १९१४

२७३--निश्चित दिन से डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स ऐक्ट, १९२२, उत्तर प्रदेश अन्तरिम जिला परिषद् अधिनियम, १९५८ तथा यूनाइटेड प्राविंसेज लोकल रेट्स ऐक्ट, १९१४ सम्बद्ध जिले के सम्बन्ध में निरसित कर दिये जायेंगे तथा हो जायेंगे ।

श्री अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि खंड २७० से २७३ तक इस विधेयक के अंग माने जांय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड ७९--(क्रमागत)

श्री अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि खंड ७९ के उपखंड (१) के आखिरी कोलन और शब्द "अन्यथा नहीं" निकाल दिये जायं ।

खंड ७९ के उपखण्ड (३) की तीसरी पंक्ति से "अन्यथा नहीं" के पश्चात् "कामः" निकाल दिया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि खंड ७९ इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुसूची १

(धारा ३२ देखिये)

क्षेत्र समितियों के अधिकार तथा कृत्य

(१) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, प्रसूति एवं शिशु उपचार-गृहों (Clinics), औषधालयों तथा सार्वजनिक रूप से टीका लगाने, स्वच्छता का प्रबन्ध करने और रोग की रोकथाम सम्बन्धी कार्य व्यवस्था की स्थापना, प्रबन्ध तथा अनुरक्षण ;

(२) महामारी नियन्त्रण के लिये निवारक उपाय करना ;

(३) पशु-चिकित्सालयों की स्थापना, प्रबन्ध तथा अनुरक्षण और मवेशियों तथा पशुओं की नस्ल सुधार के उपाय करना ;

(४) प्राथमिक स्कूलों और समस्त अनुबद्ध भवनों तथा शारीरिक संवर्धन केन्द्रों का, या तो पूर्णतया, अपने व्यय से अथवा सहायक अनुदान से, स्थापना, प्रबन्ध तथा अनुरक्षण ;

(५) तालाबों, नहरों, बांधों तथा जलोत्सारण कार्यों का निर्माण और मरम्मत तथा उनसे और अन्य स्रोतों से, क्षेत्र समिति के लिये नियत वित्तीय सीमाओं के अधीन रहते हुये, जल संभरण करना ;

(६) कांजी-हौजों की स्थापना तथा उनका प्रबन्ध, जिसके अन्तर्गत, जहां कैटिल ट्रेसपास ऐक्ट, १८७१ लागू हो, वहां उक्त ऐक्ट के अधीन राज्य सरकार तथा जिला मजिस्ट्रेट के ऐसे कृत्य भी हैं जो राज्य सरकार द्वारा क्षेत्र समिति को संक्रामित किये जायं ;

(७) सार्वजनिक पार्कों तथा उद्यानों और वृक्षारोपण तथा वनरोपण सम्बन्धी कार्यों की स्थापना, अनुरक्षण एवं प्रबन्ध ;

(८) अभिहस्तांकन के अनुसार मेलों, कृषि प्रदर्शनों एवं औद्योगिक प्रदर्शनियों की स्थापना, संचालन और प्रबन्ध ;

(९) ऐसे सार्वजनिक तथा निजी पूर्तों या न्यासों का प्रबन्ध जो राज्य सरकार के आदेश या सम्मति से क्षेत्र समिति के अधिकार में दे दिये गये हों ;

(१०) सम्पत्ति का धारण, प्रबन्ध, अर्जन और निस्तारण और क्षेत्र समिति में निहित या उसके प्रबन्ध में सौंपी गयी सम्पत्ति के मूल्य में विकास करना ;

(११) ऐसी विवरणियां, विवरण और प्रतिवेदन तैयार करना जिन्हें प्रस्तुत करने की अपेक्षा राज्य सरकार और या जिला परिषद्, क्षेत्र समिति से करे ;

(१२) रोग, स्वास्थ्य-रक्षा (hygiene), स्वच्छता, कृषि, उद्योग और पशु-अभिजनन जैसे विषयों के सम्बन्ध में ज्ञान का प्रसार करना ;

(१३) जब विद्यमान जल-संभरण की अपर्याप्ति या अस्वास्थ्यप्रदता के कारण निवासियों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता हो तो स्वच्छ तथा स्वास्थ्यप्रद जल के पर्याप्त संभरण की व्यवस्था करना मनुष्य के उपयोग में आने वाले जल को कलुषित होने से बचाना और कलुषित जल का इस प्रकार प्रयोग किये जाने से रोकना ;

(१४) स्कूलों की स्थापना तथा अनुरक्षण से भिन्न उपायों द्वारा शैक्षिक उद्देश्यों को आगे बढ़ाना ;

(१५) सिंचाई के लघु कार्यों का निर्माण तथा अनुरक्षण ;

(१६) विकास क्षेत्र के लिये योजनायें तैयार करना और ग्राम पंचायतों को उनकी योजनायें तैयार करने में मदद देना ;

(१७) गांव सभाओं द्वारा निर्मित योजनाओं का पुनर्विलोकन ;

(१८) क्षेत्र तथा पंचायत विकास योजनाओं के निष्पादन को सुनिश्चित करना ;

(१९) सफलताओं और लक्ष्यों का नियतकालिक पुनर्विलोकन ;

(२०) सरकारी कर्मचारियों तथा गैर सरकारी कर्मचारियों के कैम्पों, अधिवेशनों, गोष्ठियों तथा प्रशिक्षण कार्य-क्रमों का आयोजन ।

(२१) कृषि का विकास जिसके अंतर्गत अधिक उत्पादन के निमित्त परिवार योजनायें तैयार करना तथा उनका निष्पादन करना, बीज गोदामों और अन्य संभरण डिपों की स्थापना, उन्नत प्रविधियों को लोकप्रिय बनाना, भूमि संरक्षण तथा भूमि का पुनरुद्धार, पौधों की रक्षा, सिंचाई तथा कृषि के विकास के लिये ऋण वितरण और अन्य सुविधायें तथा लघु सिंचाई कार्य;

(२२) विशेषकर सहकारी शिक्षा में सहायता देकर सहयोग बढ़ाना तथा सहकारी समितियों का संघटन और संचालन ;

(२३) सर्वेक्षण करना तथा उन्नत प्रविधियों का प्रयोग आरम्भ करके शिल्पकारों को प्रशिक्षण देकर और अग्रिम ऋण तथा अनुदान देकर कुटीर उद्योगों की उन्नति करना ;

(२४) अभिजनन के अनुरक्षण, सांड़, पशुओं के नस्ल सुधार और चारे की फसल, मत्स्य संवर्धन, कुक्कुटादि सुधार द्वारा पशुपालन का विकास ;

(२५) सामाजिक शिक्षा तथा महिलाओं एवं युवकों के कल्याण के लिये कार्य करना ;

(२६) हरिजनों के कल्याण के लिये कार्य करना ;

(२७) सरकार तथा जिला परिषद् को उन योजनाओं को कार्यान्वित करना जो क्षेत्र समिति को सौंपी जायं ;

(२८) गांव पंचायतों के बजट प्रस्तावों का परीक्षण ;

(२९) नियत प्रक्रिया के अनुसार गांव सभाओं में अनुदानों का वितरण ;

(३०) गांव पंचायतों के कार्य-कलापों का सामान्यतया और नियमों के अनुसार पर्यवेक्षण :

(३१) खंड योजना को कार्यान्विति से सम्बद्ध समस्त विषयों के आंकड़े एकत्र करना तथा उन्हें रखना ।

श्री अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि अनुसूची १ की मद (७) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

"(१) सार्वजनकि पार्कों तथा उद्यानों के स्थापना, अनुरक्षण तथा प्रबंध, वृक्षारोपण तथा वनरोपण ।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि अनुसूची १ की मद (१३) में शब्द "की अपर्याप्त तथा अस्वास्थ्यप्रदत्ता के कारण निवासियों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता हो" के स्थान पर शब्द "के अपर्याप्त या अस्वास्थ्यकर होने के कारण निवासियों के स्वास्थ्य के लिये खतरा हो" रख दिये जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि अनुसूची १ की मद (१६) में "विकास क्षेत्र" के स्थान पर शब्द "खंड" रख दिया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि अनुसूची १ की मद (२०) में शब्द "सरकारी कर्मचारियों तथा गैर सरकारी कर्मचारियों" के स्थान पर शब्द "पद धारियों (officials) तथा अन्य व्यक्तियों" रख दिये जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि अनुसूची १ की मद (२२) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

"(२२) सहकारिता की वृद्धि करना विशेषकर सहकारिता संबंधी शिक्षा में सहायता देकर तथा सहकारी समितियों को संगठित करके और उन्हें चलाकर, "

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि अनुसूची १ की मद (२३) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

"(२३) कुटीर उद्योगों का सर्वेक्षण तथा उन्नत प्रविधियों के प्रयोग द्वारा और शिल्पकारों को प्रशिक्षण देकर तथा ऋण और अनुदान देकर उनकी उन्नति करना",

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि अनुसूची १ की मद (२४) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

"(२४) अभिजननोपयोगी सांडों का अनुरक्षण, पशुओं की नस्ल का सुधार और चारे की फसल, मत्स्य संवर्धन आदि तथा कुक्कट आदि में सुधार द्वारा पशुपालन का विकास, "

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि संशोधित अनुसूची १ इस विधेयक का अंग मानी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुसूची २

(धारा ३३ देखिये)

जिला परिषदों के अधिकार तथा कृत्य

भाग—क

(१) सार्वजनिक मार्गों तथा पुलों का निर्माण, मरम्मत तथा अनुरक्षण और सामान्यतया संचार-साधनों का सुधार ;

(२) महामारी नियंत्रण के लिये निवारक उपाय करना जिसके अन्तर्गत सार्वजनिक रूप से टीका लगाना भी है ;

(३) सार्वजनिक मार्गों के दोनों ओर तथा जिला परिषद् में निहित अन्य सार्वजनिक स्थानों पर वृक्ष लगाना और उनका पाररक्षण ;

(४) निर्धन-गृहों, शरणालयों, अनाथालयों, बाजारों, नाट्यशालाओं, निरीक्षण-गृहों तथा अन्य सार्वजनिक संस्थाओं की स्थापना, प्रबन्ध, अनुरक्षण और निरीक्षण तथा इन संस्थाओं से सम्बद्ध समस्त इमारतों के निर्माणों का करना तथा उनकी मरम्मत ;

(५) मनुष्यों अथवा पशुओं के चिकित्सालयों, औषधालयों तथा उपचार-गृहों की स्थापना, प्रबन्ध और अनुरक्षण ;

(६) प्राइमरी स्तर से ऊपर तथा जूनियर हाई स्कूल स्तर तक के स्कूलों, और पुस्तकालयों की पूर्णतया अपने व्यय से या सहायक अनुदानों से स्थापना तथा उनका प्रबन्ध और अनुरक्षण, स्कूलों, पुस्तकालयों तथा शरीर संवर्द्धन केन्द्रों का निरीक्षण, अध्यापकों का प्रशिक्षण, छात्र-वृत्तियों की स्थापना तथा स्वयं सेवक दल की स्थापना और उसको सहायता ;

(७) तालाबों, जलकल (water works) नहरों, बांधों तथा जलोत्सारण कार्यों का निर्माण और उनकी मरम्मत तथा उनसे एवं अन्य स्रोतों से जल-संभरण ;

(८) खतरनाक निर्माणों या स्थानों को निरापद बनाना या हटाना ;

(९) दुर्भिक्ष निवारणार्थ निर्माण-कार्य का सम्पादन, उनकी मरम्मत तथा उनका अनुरक्षण, सहायता-कार्यों तथा सहायता-गृहों की स्थापना और उनका अनुरक्षण तथा दुर्भिक्ष और दुष्प्राप्यता के समय ऐसी सहायता की व्यवस्था करना जो आवश्यक समझी जाय ;

(१०) ऐसे सार्वजनिक घाटों (public ferries) का प्रबन्ध जो नार्दर्न इंडिया फेरीज ऐक्ट, १८७८ की धारा ७–ए के अधीन परिषद् के अवधान में सौंपे जायं;

(११) पड़ाव डालने के मैदानों का विनियमन और जहां सरायज ऐक्ट, १८६७ प्रवृत्त हों वहां सरायों और पड़ावों का विनियमन, जिसके अन्तर्गत उस ऐक्ट के अधीन जिला मजिस्ट्रेट के ऐसे कृत्य भी सम्मिलित हैं, जिनके लिये राज्य सरकार निदेश दे ;

(१२) मेलों, कृषि-प्रदर्शनों एवं औद्योगिक प्रदर्शनियों की स्थापना, संचालन और प्रबन्ध ;

(१३) ऐसे सार्वजनिक या निजी पूर्तों या न्यासों का प्रबन्ध जो राज्य सरकार के आदेश या सम्मति से परिषद् के अधिकार में दे दिये गये हों ;

(१४) परिषद् में निहित या उसके प्रबन्ध में सौंपी गयी संपत्ति का मूल्य बनाये रखना और उसमें विकास करना ;

(१५) जब विद्यमान जल-संभरण की अपर्याप्ति या अस्वास्थ्यप्रदता के कारण निवासियों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता हो, तो स्वच्छ तथा स्वास्थ्यप्रद जल के पर्याप्त संभरण की व्यवस्था करना, मनुष्य के उपयोग में आने वाले जल को कलुषित होने से बचाना और कलुषित जल का इस प्रकार प्रयोग किये जाने से रोकना ;

(१६) ऐसी विवरणियां, विवरण और प्रतिवेदन तैयार करना जिन्हें प्रस्तुत करने की अपेक्षा राज्य सरकार परिषद् से करे ;

(१७) क्षोभकर, खतरनाक या घृणित व्यापारों, व्यवसायों या कार्यों का विनियमन;

(१८) राज्य सरकार द्वारा तदर्थ बनाये गये किन्हीं नियमों के अधीन रहते हुए जिले के ग्राम्य-क्षेत्र में या ऐसी निजी या सार्वजनिक भूमि पर जो गांव सभा के स्वामित्व या नियंत्रण में न हो, लगने वाले पशु-बाजारों तथा मेलों का नियंत्रण और विनियमन;

(१९) जिला योजना की रूप रेखा तैयार करना ;

(२०) क्षेत्र समितियों द्वारा निर्मित योजनाओं का पुनर्विलोकन, उनका समन्वय एवं एकीकरण ;

(२१) जिला योजनाओं के निष्पादन के संबंध में निदेश जारी करना ;

(२२) समस्त कृषि और उत्पादन कार्यक्रम, निर्माण कार्यक्रम, नियोजन, स्थिति आदि पर निगरानी करना और यह सुनिश्चित करना कि विभिन्न कार्यक्रम योजनानुसार उचित रूप से कार्यान्वित किये जा रहे हैं।

(२३) सफलताओं तथा लक्ष्यों का अर्द्धवार्षिक पुनर्विलोकन ;

(२४) सरकारी कर्मचारियों तथा गैर-सरकारी कर्मचारियों के कैम्पों, अधिवेशनों, गोष्ठियों तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन ;

(२५) ग्राम तथा कुटीर उद्योगों में प्रशिक्षण के लिये जिला केन्द्र की स्थापना ;

(२६) सरकार तथा अन्य अखिल भारतीय या राज्य बोर्डों, आयोग इत्यादि द्वारा जिले के लिये प्रदिष्ट तदर्थ अनुदानों का वितरण ;

(२७) करों का आरोपण ;

(२८) जिले के भीतर योजना की कार्यान्विति के संबंध में समस्त विषयों पर आंकड़ एकत्र करना तथा उन्हें रखना ;

(२९) प्रक्रम वाहनों (Stage Carriages) जिसके अन्तर्गत रिक्शा (मशीन द्वारा चालित रिक्शों से भिन्न) भी है, का विनियमन और उनके लिये लाइसेंस जारी करना।

भाग—ख

(१) पूर्व-निर्मित अथवा अनिर्मित क्षेत्रों में नये सार्वजनिक मार्गों का विन्यास तथा एतदर्थ एवं उक्त मार्गों से लगे हुए भवनों और उनके अहातों के निर्माणार्थ भूमि अर्जित करना ;

(२) जन्म तथा मृत्यु के आंकड़े ;

(३) अस्वास्थ्यकर क्षेत्रों का पुनरुद्धार;

(४) स्कूलों की स्थापना तथा अनुरक्षण से भिन्न उपायों द्वारा शैक्षिक उद्देश्यों को आगे बढ़ाना ;

(५) जन-गणना करना और ऐसी सूचना के लिए पारितोषक देना जिससे महत्वपूर्ण आंकड़ों की ठीक-ठीक प्रविष्टि हो सके;

(६) ट्रामपथों, हवाई रज्जुपथों तथा यातायात के अन्य साधनों का निर्माण, जिन्हें आर्थिक सहायता देना या उनके विषय में प्रत्याभूति देना ;

(७) कोई क्षोभकर, खतरनाक या घृणित व्यापार, व्यवसाय या कार्य करने के लिए उपयुक्त स्थान प्राप्त करना अथवा प्राप्त करने में सहायता देना ;

(८) अपने क्षेत्राधिकार के भीतर नदियों और जल-संभरण के अन्य स्रोतों का संरक्षण तथा उन्हें क्षति पहुंचाये जाने, या दूषित अथवा कलुषित होने, से बचाना ;

(९) जिले के भीतर अथवा बाहर कोई ऐसा कार्य करना जिस पर होने वाला व्यय, राज्य सरकार या राज्य सरकार की स्वीकृति से जिलापरिषद् द्वारा, जिला निधि पर उपयुक्त रीति से भारित व्यय घोषित किया गया हो।

श्री अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि अनुसूची २ के भाग (क) की मद (४) में शब्द "नाट्य-शालाओं" के स्थान पर शब्द "विश्रामगृहों" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि अनुसूची २ के भाग (क) की मद (२४) में शब्द "सरकारी कर्मचारियों" तथा "गैर सरकारी कर्मचारियों" के स्थान पर "पदधारियों तथा अन्य व्यक्तियों" रख दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि अनुसूची २ के भाग (ख) की मद (५) में शब्द "महत्वपूर्ण" के स्थान पर शब्द "जन्म-मरण" रख दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि संशोधित अनुसूची २ इस विधेयक का अंग मानी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुसूची ३

(धारा ३५ देखिये)

समस्त टाउन एरिया कमेटियों तथा गांव-सभाओं के सम्बन्ध में अधिकार, कर्तव्य तथा कृत्य जो जिला परिषद् द्वारा सम्पन्न किये जायेंगे—

धारा	यूनाइटेड प्रांविसेज टाउन एरियाज ऐक्ट, १९१४
६ (४)	किसी टाउन एरिया कमेटी के किसी सदस्य का त्याग-पत्र स्वीकार करना।
७ (१)	किसी सदस्य या चेयरमैन को हटाना ।
७–ए (१-ए)	टाउन एरिया कमेटी के चेयरमैन या सदस्य के निलम्बन के लिये सिफारिश करना ।
९ (२)	कमेटी से धारा ९ की उपधारा (१) के अधीन तैयार की गई अधिष्ठान-सूचियों (establishment list) को पुनरीक्षित करने की अपेक्षा करना ।
१५–ए (५)	करारोपण के लिये प्रस्ताव प्राप्त करना तथा उससे सम्बन्धित नियमों का प्रारूप तैयार करना ।
१५-बी (१)	टाउन एरिया कमेटी द्वारा करारोपण संबंधी प्रस्तावों को परिष्कार सहित अथवा बिना परिष्कार के स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करना ।
१५-बी (२)	टाउन एरिया कमेटी द्वारा करारोपण सम्बन्धी नियमों के प्रारूप की एक प्रति राज्य सरकार को भेजना ।
१५-बी (३)	टाउन एरिया कमेटी द्वारा करारोपण सम्बन्धी नियमों की, जैसा कि वह सरकार द्वारा तैयार किये गये हों, प्रति प्राप्त करना तथा जिस दिनांक से कर आरोपित किया जायगा उस दिनांक के बारे में कमेटी द्वारा पारित संकल्प की प्रति प्राप्त करना तथा उसे नियत रीति से विज्ञापित करना ।
१७	यूनाइटेड प्रांविसेज टाउन एरियाज ऐक्ट की धारा १५ के अधीन निर्मित या पुनरीक्षित प्रत्येक कर-निर्धारण सूची की प्रति की पुष्टि करना तथा वह स्थान जहां और वह रीति जिससे कर-निर्धारण रजिस्टर रखा जायगा, नियत करना ।
२६	यूनाइटेड प्रांविसेज टाउन एरियाज ऐक्ट की धारा २६ में उल्लिखित किसी बात को व्यवस्था करने के लिये टाउन-एरिया कमेटी को परामर्श देना ।
३५	यदि कोई कमेटी कोई नियत कर्त्तव्य करने से इनकार करे या उसे करने में चूक जाये तो उस कर्त्तव्य को करना ।
३६ (२) (बी)	किसी कमेटी के अवक्रमण की अवधि में उसके समस्त अधिकारों तथा कर्तव्यों का प्रयोग तथा पालन करना ।
३८ (३)	किसी अधिनियमित का टाउन एरिया में प्रसार किये जाने पर म्यूनिसिपल बोर्ड के कृत्यों का निर्वहन करना, यदि राज्य सरकार द्वारा ऐसा अधिकार दिया जाय ।
३९–ए (१) और (२)	टाउन एरिया कमेटी या उसके किसी अधिकारी या सेवक द्वारा, यूनाइटेड प्रांविसेज टाउन एरियाज ऐक्ट या तद्अधीन निर्मित नियमों के अधीन पारित किये गये या दिये गये किसी निर्णय, संकल्प अथवा आदेश का जिले की सीमाओं के भीतर निष्पादन या आगे निष्पादन का लिखित आदेश द्वारा निषेध करना, यदि उसकी राय में ऐसा निर्णय, संकल्प या आदेश इस प्रकार का हो कि उससे जन साधारण या वैधरूप से नियोजित व्यक्तियों के किसी वर्ग या संस्था के

लिये अवरोध, क्लेश या क्षति उत्पन्न हो या होने की संभावना हो अथवा उससे मानव जीवन, स्वास्थ्य या सुरक्षा को खतरा हो या होने की संभावना हो या उससे दंगा या हंगामा उत्पन्न हो या उत्पन्न होने की संभावना हो, और इस प्रकार के निर्णय, संकल्प या आदेश के अनुसरण में या उसका आश्रय लेकर किसी व्यक्ति द्वारा कसी कार्य के लिये किये जाने या जारी रखे जाने का निषेध करना।

यूनाइटेड प्रांविसेज पंचायत राज ऐक्ट, १९१४

६ (ए) किसी व्यक्ति के निम्नलिखित में से किसी के लिये कोई अनिर्हित हो जाने से सम्बन्धित विवादों को तय करना—

(क) गांव सभा या न्याय पंचायत के अधीन कोई पद धारण करने, या

(ख) प्रधान होने।

९ गांव सभा के सदस्यों का रजिस्टर तैयार करवाना।

११ (१) गांव सभा की बैठक बुलाई जाने की अपेक्षा करना।

१२ (५) निर्वाचन-क्षेत्रों का परिसीमन।

१२ (८) गांव पंचायत में किसी ऐसे रिक्त स्थान के लिये, जिसके लिये किसी सदस्य को निर्वाचित करने में गांव सभा दो बार असफल रही हो, किसी व्यक्ति को नाम-निर्देशित करना।

१२–ई गांव पंचायत के प्रधान, उपप्रधान और सदस्यों तथा न्याय पंचायतों के पंचों, सरपंचों और सहायक सरपंचों के पद की शपथ दिलाना।

१२–एफ गांव पंचायतों के प्रधान, उप-प्रधान तथा सदस्यों क त्याग-पत्रों को ग्रहण करना।

१७ (ई) सिंचाई की छोटी योजनाओं को हाथ में लेने के लिये गांव पंचायतों के प्रस्तावों को स्वीकृत करना।

२० प्राइमरी स्कूल अथवा आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक अथवा यूनानी अस्पताल या औषधालय स्थापित तथा अनुरक्षित करने के लिये पास पड़ोस की गांव सभाओं के समूह को परस्पर सम्मिलित होने का निदेश देना।

२५ (१) पंचायत द्वारा किसी ऐसे पद के सृजन का अनुमोदन करना जिसके लिये उसके बजट में व्यवस्था नहीं है।

२५ (४) पंचायत कर्मचारियों का स्थानान्तरण करना।

२५ (५) न्याय पंचायत के अधीन सेवकों की नियुक्तियां स्वीकृत करना तथा उनके सम्बन्ध में स्थानान्तरण, दंड, पदमुक्ति तथा पदच्युति के अधिकारों का प्रयोग करना।

२५ ए पंचायत सेक्रेटरियों की नियुक्ति करना, तथा उन पर प्रशासकीय नियंत्रण रखना (छुट्टी, पदोन्नति, स्थानान्तरण, पदच्युति, हटाया जाना तथा अनुशासन सम्बन्धी अन्य कार्यवाही)।

२७ (१) गांव पंचायत के किसी धन अथवा सम्पत्ति की क्षति, बरबादी अथवा दुरुपयोग के लिये गांव पंचायत, संयुक्त समिति या अन्य समिति के किसी सदस्य के विरुद्ध व्यवहार वाद चलाने की स्वीकृति देना।

३० (२) संयुक्त समिति की संघटक इकाइयों के बीच विवादों को तय करना।

३६ एक गांव सभा को दूसरी गांव सभा से ऋण लेने की स्वीकृति देना।

३७–ए (२)	गलती से छोड़े गये किसी व्यक्ति पर कर या उप-शुल्क लगाने के लिये गांव-सभा को निदेश देना ।
३७–बी	यदि गांव-सभा अपने आदेशों को मालगुजारी के बकाया के रूप में वसूल करने के लिये तीन महीने के भीतर संकल्प पारित न करे तो पंचायत-करों को माल-गुजारी के बकाया के रूप में वसूल किये जाने के लिये प्राधिकृत करना ।
३७–सी (२)	सरकार द्वारा नियत की गई परिस्थितियों में किसी कर या उपशुल्क की पूर्णतः या अंशतः छूट देना ।
३७–सी (३)	किसी कर या उपशुल्क में पूर्णतः या अंशतः छूट देने के गांव-सभा के निर्णय को अनुमोदित करना ।
३९ (१)	उस अनुपात को निर्धारित करना जिसमें न्याय पंचायत के व्यय सर्किल में सम्मिलित गांव-सभाओं की गांव निधियों (Gaon Fund) पर भारित होंगे ।
४१ (३)	गांव सभा के वार्षिक तखमीनों (बजट) को अनुमोदित करना तथा वार्षिक तखमीनों में पहले ही से अनुमोदित विषय पर बजट में प्रविष्ट राशि के भीतर गांव पंचायत द्वारा व्यय किये जाने का अनुमोदन करना ।
४१ (४)	यदि गांव सभा द्वारा बजट पास न किया गया हो तो उस का बजट तैयार करना तथा उसे पारित करवाने के लिये गांव सभा को भेजना ।
४१ (५)	गांव सभा के बजट में किसी भी समय संशोधन, परिष्कार अथवा परिवर्तन करना ।
९६	किसी गांव सभा, गांव पंचायत या संयुक्त समिति या उसके किसी अधिकारी या सेवक द्वारा पारित संकल्प या दिये गये आदेश के निष्पादन या आगे निष्पादन का निषेध करना, यदि उसकी (नियत प्राधिकारी की) राय में ऐसा संकल्प अथवा आदेश इस प्रकार का हो कि उससे जन-साधारण या विधितः नियोजित व्यक्तियों के किसी वर्ग या समुदाय के लिये अवरोध, क्लेश अथवा क्षति उत्पन्न हो अथवा होने की सम्भावना हो अथवा उससे मानव जीवन, स्वास्थ्य या सुरक्षा के लिये खतरा हो या होने की संभावना हो अथवा दंगा या हंगामा उत्पन्न हो या उत्पन्न होने की सम्भावना हो ।
९८	पंचायत उपविधियों के शास्ति-खंड की स्वीकृति देना ।
१११	गांव पंचायत के अधिकार-क्षेत्र के भीतर रहने वाले व्यक्तियों के स्वास्थ्य, सुरक्षा और सुविधा की अभिवृद्धि और अनुरक्षण के प्रयोजन के लिये तथा पंचायत राज ऐक्ट के अधीन गांव पंचायतों के प्रशासन को आगे बढ़ाने के निमित्त किसी गांव पंचायत के लिये उपविधियां बनाना ।
११२ (१)	गांव सभा द्वारा कोई अन्य कर्त्तव्य या कृत्य किये जाने का निदेश देना ।
११४	पंचायत राज ऐक्ट के अधीन संघटित किसी निकाय में हुई किसी रिक्ति को, यदि वह ६ मास से अधिक के लिये न हो, न भरने का निदेश देना ।

श्री अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि अनुसूची ३ में शीर्षक "यूनाइटेड प्राविंसेज पंचायत राज ऐक्ट" के अधीन धारा ६–ए के सामने की वर्तमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

"इस धारा के अधीन अभिविष्ट विवादों का निर्णय करना ।"

धारा ११ (१) के सामने प्रविष्टि के अन्त में शब्द "तथा उसकी बैठक बुलाने" बढ़ा दिये जायं ।

धारा १२ (८) के सामने की प्रविष्टि निकाल दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि अनुसूची ३ में शीर्षक "यूनाइटेड प्राविन्सेज टाउन एरियाज ऐक्ट १९१४" के अधीन धारा १५-ए(५)के सामने की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

"करारोपण के लिये प्रस्ताव तथा तत्संबंधी नियमों का प्रालेख प्राप्त करना।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि संशोधित अनुसूची ३ इस विधेयक का अंग मानी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुसूची ४

(धारा ५६ देखिये)

जिला परिषद् के अधिकार, कर्त्तव्य तथा कृत्य

धारा	अधिकार अथवा कर्त्तव्य	अभ्युक्ति
१६ (१)	प्रमुख या उप-प्रमुख के विरुद्ध आरोपों तथा उन पर उसके स्पष्टीकरण के सम्बन्ध में राय व्यक्त करना।	कार्य समिति द्वारा प्रयुक्त किया जायेगा।
२९ (१)	अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के विरुद्ध आरोपों तथा उन पर उसके स्पष्टीकरण के सम्बन्ध में राय व्यक्त करना।	
३४ (१)	इस अधिनियम के अधीन अपने किन्हीं अधिकारों या कृत्यों को जिले के भीतर किसी गांव सभा, गांव पंचायत, भूमि प्रबन्धक समिति, टाउन एरिया कमेटी या नोटीफाइड एरिया कमेटी को प्रतिनिहित करना या इस प्रकार प्रतिनिहित किये गये किसी अधिकार को वापस लेना।	
३४ (२)	इस अधिनियम के अधीन अपने किन्हीं अधिकारों या कृत्यों को क्षेत्र समिति को प्रतिनिहित करना अथवा क्षेत्र समिति द्वारा किसी अधिकार या कृत्य को परिषद् को प्रतिनिहित किये जाने के संबंध में सम्मति देना।	
३५ (१)	अधिकारों, कर्त्तव्यों और कृत्यों का टाउन एरियाओं तथा गांव सभाओं के सम्बन्ध में प्रयोग तथा पालन करना;	कार्यसमिति, अध्यक्ष, या मुख्य कार्याधिकारी को, पूर्णतः अथवा अंशतः एक को और अंशतः प्रत्येक को प्रतिनिहित किया जा सकता है।

धारा	अधिकार या कर्त्तव्य	अभ्युक्ति
३५ (३)	जिले की किसी गांव सभा से अपेक्षा करना कि वह अपनी कार्यवाहियों में से किसी का भी समन्वय क्षेत्र समिति की उसी प्रकार की कार्यवाहियों से करे।	प्रतिनिहित किया जा सकता है।
३६ (क)	किसी कर अथवा उप-शुल्क (rate) को आरोपित करने के किसी गांव सभा के प्रस्ताव को अनुमोदित करना या और उसे स्वीकृत करना तथा किसी गांव सभा के निमित्त उप-विधियां बनाना और उन्हें स्वीकृत करना।	कार्य समिति को प्रतिनिहित किया जा सकता है।
३६ (ख)	गांव सभा से यह अपेक्षा करना कि वह अपने द्वारा यू० पी० पंचायत राज ऐक्ट के अधीन आरोपित करों और उप-शुल्कों से प्रतिवर्ष प्राप्त आय का तथा उक्त ऐक्ट के अधीन निर्मित उपविधियों के लागू किये जाने के फलस्वरूप प्राप्त आय का अंश जिला परिषद् को दे।	
३८ (क)	यह निर्णय करना कि किसी अन्य जिला परिषद् या अन्य स्थानीय प्राधिकारी के साथ ऐसे कार्यों या उपक्रमों (undertakings) में सम्मिलित हुआ जाय या नहीं जिनसे उसके द्वारा तथा ऐसे प्राधिकारी द्वारा नियंत्रित समस्त क्षेत्रों को लाभ पहुंचता हो।	
३८ (ख)	यह निर्णय करना कि ऐसे किसी कार्य में या संस्था को अंशदान दिया जाय या नहीं जिससे जिले को लाभ पहुंचता हो भले ही वह कार्य जिले के बाहर किया जाय या संस्था जिले के बाहर अनुरक्षित हो या वे किसी नगर महापालिका, नगरपालिका, कैन्टोन्मेन्ट नोटीफाइड एरिया या टाउन एरिया के क्षेत्र में हों।	
३९ (२)	धारा ३९ (१) में निर्दिष्ट अधिकारियों के पदों से भिन्न पदों का सृजन करना या ऐसे पद का सृजन करना जिसके सृजन का आदेश राज्य सरकार द्वारा दिया गया हो।	
३९ (२) प्रतिबन्धात्मक खंड	राज्य सरकार के विशिष्ट आदेश पर सृजित पद को समाप्त करने के लिये सरकार की स्वीकृति लेना।	अध्यक्ष द्वारा प्रयुक्त किया जायेगा।
३९ (२) प्रतिबन्धात्मक खंड	राज्य सरकार के विशिष्ट निदेश पर सृजित पद को समाप्त करना किसी ऐसे जिसके समापन के लिये राज्य सरकार की स्वीकृति प्राप्त कर ली गयी हो।	

धारा	अधिकार और कर्तव्य	अभ्युक्ति
४१ (१) (क)	राज्य सरकार से प्रार्थना करना कि वह अपने किन्हीं कर्मचारियों की सेवाएं परिषद् के अधिकार में रख दे ।	
४३ (१)	ऐसे पदों पर नियुक्तियां करना जिसका प्रारम्भिक वेतन २०० रु० प्रतिमास या उससे अधिक हो ।	
४३ (४) (ख)	राज्य सरकार के उन आदेशों को कार्यान्वित करना जिनमें परिषद् से अपेक्षा की गयी हो कि वह अपने अधीन किसी रिक्त पद पर (जिसका वेतन २०० रु० प्रतिमास या उससे अधिक हो) राज्य सरकार के किसी ऐसे कर्मचारी को जिसने परिषद् की सेवा में स्थानान्तरित किये जाने के लिये अपनी सहमति प्रदान कर दी हो और जो पद के लिये अर्ह हो, नियोजित करें ।	
४६ (२) (घ)	किसी अधिकारी या सेवक को सेवा समाप्त करना ।	कार्यसमिति द्वारा प्रयुक्त किया जायेगा ।
४८ (२) प्रतिबन्धात्मक खंड	सरकार द्वारा निदेश दिये जाने पर क्षेत्रसमितियों के नियोजित सेवकों के किसी वर्ग के संबंध में जिला संवर्ग संघटित करना ।	कार्य समिति द्वारा प्रयुक्त किया जायेगा ।
४८ (३)	प्रत्येक क्षेत्र समिति के लिये कर्मचारियों की व्यवस्था करना ।	कार्यसमिति को प्रतिनिहित किया जा सकता है ।
५१ (१)	मुख्य कार्याधिकारी पर सामान्य नियंत्रण रखना ।	परिषद् के सामान्य पथ प्रदर्शन के अधीन अध्यक्ष द्वारा प्रयुक्त किया जायेगा ।
५१ (३)	वित्त अधिकारी पर सामान्य नियंत्रण रखना ।	
५७ (१)	परिषद् के किन्हीं अधिकारों, कर्तव्यों तथा कृत्यों को प्रतिनिहित करना ।	
५७ (३)	परिषद् द्वारा प्रतिनिहित किये गये अधिकार का प्रयोग करके किसी प्राधिकारी द्वारा दिये गये आदेश के विरुद्ध अपील का निर्णय या पुनरीक्षण करना ।	
६४ (१)	समितियां नियुक्त करना ।	
६५ (१)	विनियम द्वारा अन्य समितियां नियुक्त करना ।	
६५ (२)	संकल्प द्वारा परामर्श समितियां नियुक्त करना ।	
७७	योजना को नियोजन समिति की सिफारिशों के साथ क्षेत्र समिति को लौटाना ।	

धारा	अधिकार या कर्त्तव्य	अभ्युक्ति
८३ (७)	नियोजन समिति की सिफारिशों, तथा ऐसी सिफारिशों के संबंध में क्षेत्र समिति के दृष्टिकोण पर, विचार करना तथा निर्णय करना ।	
९३	समिति की कार्यवाहियों का प्रतिवेदन या उनके उद्धरण मांगना ।	अध्यक्ष को प्रतिनिहित किया जा सकता है ।
९४ (१)	अध्यक्ष अथवा मुख्य कार्याधिकारी से कोई विवरणियां आदि देने या प्रस्तुत करने की अपेक्षा करना ।	
९५	कतिपय सरकारी कर्मचारियों से सहायता तथा परामर्श देने की अपेक्षा करना ।	प्रतिनिहित किया जा सकता है ।
१००	खुले बाजार में ऋण लेना ।	
१०१	जिला निधि से धनराशि को कतिपय प्रतिभूतियों में लगाना अथवा निधियों को सावधि निक्षेप (fixed deposit) में रखना ।	मुख्य कार्याधिकारी को प्रतिनिहित किया जा सकता है ।
१०५ (१)	अपने प्रयोजनों के निमित्त भूमि का अर्जन करने के लिये राज्य सरकार से प्रार्थना करना ।	प्रतिनिहित किया जा सकता है ।
१०७ (१)	परिषद् में निहित किसी संपत्ति को संक्रामित करना ।	कार्य समिति को प्रतिनिहित किया जा सकता है ।
१०८	जिला निधि से प्रतिकर देना	कार्य समिति को प्रतिनिहित किया जा सकता है ।
१११० (५)	बजट में परिवर्तन करना ।	
११५ (३)	क्षेत्र समिति के बजट को नियोजन समिति के समक्ष करना ।	अध्यक्ष द्वारा प्रयुक्त किया जायेगा ।
११५ (६)	बजट के बारे में क्षेत्र समिति तथा नियोजन समिति के बीच मतभेद पर निर्णय करना ।	
१२० (१)	कर की वसूली गांव सभा को सौंपना ।	
१२४ (२)	किसी प्रस्ताव पर निर्णय करना या उसे परिष्कृत करना ।	
१३१	कर के भुगतान से विमुक्त करना ।	
१३२	राज्य सरकार द्वारा अपेक्षा किये जाने पर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करना और कर के दोष को दूर करना ।	
१४१	गांव सभा की निधियों में अंशदान देना ।	

धारा	अधिकार या कर्त्तव्य	अभ्युक्ति
१४२	परिषद् में निहित या उसके प्रबन्ध में सौंपी गयी किसी अचल संपत्ति के प्रयोग या अध्यासन के लिये शुल्क लेना तथा ऐसे शुल्कों को उदगृहीत या वसूल करना ।	
१४३	लाइसेंसों, स्वीकृतियों या अनुमतियों के लिये शुल्क लेना ।	
१४४	इस धारा में वर्णित शुल्क तथा पथकर निश्चित करना तथा उदगृहीत करना ।	
१४५	जिला परिषद् द्वारा स्थापित, अनुरक्षित या प्रतिबन्धित बाजारों में शुल्क या पथकर आरोपित करना ।	
१८९	नई सार्वजनिक सड़कों का विन्यास तथा निर्माण करना और किसी वर्तमान सार्वजनिक सड़क को चौड़ी तथा लम्बी आदि करना तथा उनसे संलग्न निर्माण स्थलों की व्यवस्था करना ।	प्रतिनिहित किया जा सकता है ।
१९० (३)	किसी सड़क को सार्वजनिक सड़क के रूप में अंगीकृत करना ।	प्रतिनिहित किया जा सकता है ।
१९१ (१) से (३) तक	आशय को विज्ञापित करने तथा आपत्तियों को तय करने के पश्चात् सार्वजनिक सड़क के दोनों ओर इमारतों के लिये सामान्य निर्माण-रेखा परिभाषित करना ।	सार्वजनिक निर्माण समिति को प्रतिनिहित किया जा सकता है ।
१९१ (४)	किसी ऐसी इमारत के निर्माण की स्वीकृति देना जो सड़क की नियमित निर्माण-रेखा के समनुरूप न हो ।	सार्वजनिक निर्माण समिति द्वारा प्रयुक्त किया जायेगा ।
१९१ (५)	किसी सड़क की नियमित निर्माण रेखा से किसी निजी भूमि के अपवर्जन के लिये प्रतिकर के भुगतान की स्वीकृति देना ।	सार्वजनिक निर्माण समिति द्वारा प्रयुक्त किया जायेगा ।
१९१ (६)	किसी ऐसी इमारत आदि में परिवर्तन करने या उसे गिरा देने की अपेक्षा करना जो किसी सड़क की नियमित निर्माण-रेखा का उल्लंघन करती हो ।	सार्वजनिक निर्माण समिति द्वारा प्रयुक्त किया जायेगा ।
१९२ (२)	किसी व्यक्ति को कोई ऐसी बात करने की अनुमति देना जो अन्यथा धारा १९२ की उप-धारा (१) के अधीन परिषद् द्वारा निर्माण के संबंध में किये गये प्रबन्ध में हस्तक्षेप करना हो ।	प्रतिनिहित किया जा सकता है ।
१९५	नाली, संडास आदि को हटाने या उसे साफ करने की अपेक्षा करना ।	प्रतिनिहित किया जा सकता है ।

धारा	अधिकार या कर्त्तव्य	अभ्युक्ति
१९६	परिषद् में निहित किसी सार्वजनिक नाली, पुलिया या जल-कल के ऊपर किसी इमारत, दीवार या अन्य संरचना के निर्माण या पेड़ लगाने की अनुमति देना तथा उसे हटाने का आदेश देना, और ऐसा न करने पर स्वयं किसी अनधिकृत संरचना या पेड़ को हटाना तथा संबंधित व्यक्ति से व्यय वसूल करना ।	प्रतिनिहित किया जा सकता है ।
२०२	क्षोभकर व्यापारों को विनियमित करना ।	प्रतिनिहित किया जा सकता है ।
२११	धारा २११ के अधीन आदेशित जलोत्सारण करवाने के प्रयोजनों के लिये आवश्यक कोई भूमि या भूम्यधिकार अर्जित करना या अन्यथा उसकी व्यवस्था करना ।	प्रतिनिहित किया जा सकता है ।
२१३ (१) (क) तथा (ख)	किसी नियंत्रित ग्राम्य क्षेत्र में क्षोभकर पदार्थों को अस्थायी रूप से जमा करने के लिये पात्रों तथा स्थानों की व्यवस्था करना ।	जन स्वास्थ्य समिति द्वारा प्रयुक्त किया जायेगा ।
२१३ (१) (ग)	किसी नियंत्रित ग्राम्य क्षेत्र में क्षोभकर पदार्थों को हटाने के समय, रीति तथा शर्तों के सम्बन्ध में निदेश जारी करना ।	जन स्वास्थ्य समिति द्वारा प्रयुक्त किया जायेगा ।
२१६	किसी नियंत्रित क्षेत्र में मनुष्यों के रहने के लिये अनुपयुक्त किसी इमारत के उपयोग का तब तक के लिये निषेध करना जब तक कि उसमें उपयुक्त परिवर्तन न कर दिये जायं और इसका अनुपालन न करने पर उसके गिराये जाने की अपेक्षा करना ।	कार्य समिति को प्रतिनिहित किया जा सकता है ।
२१८	स्वास्थ्य के लिये हानिकर किसी प्रकार की फसल की खेती या किसी प्रकार की खाद का प्रयोग या सिंचाई की किसी रीति का निषेध करना ।	
२२१	किसी निर्दिष्ट कब्रिस्तान या श्मशान को बन्द करने का आदेश देना और यदि समुचित दूरी के भीतर कोई उपयुक्त स्थान न हो तो इस प्रयोजन के लिये उपयुक्त स्थान की व्यवस्था करना, किसी सार्वजनिक नोटिस की व्याप्ति से निजी कब्रिस्तान को मुक्त करना तथा अनभिज्ञात कब्रिस्तानों या श्मशान के उपयोग की अनुमति देना ।	जन स्वास्थ्य समिति को प्रतिनिहित किया जा सकता है ।
२२८ (२)	नियत प्राधिकारी के किसी ऐसे आदेश के सम्बन्ध में जिसमें किसी संकल्प या आदेश के निष्पादन या आगे निष्पादन का निषेध किया गया हो, स्पष्टीकरण देना ।	

धारा	अधिकार और कर्त्तव्य	अभ्युक्ति
२३२	परिषद् के विरुद्ध लगाये गये आरोपों का स्पष्टीकरण देना ।	
२३९	उपविधियां बनाना ।	
२४६	यदि परिषद् के नोटिस की अवहेलना करके किसी कार्य का निष्पादन, अथवा किसी वस्तु की व्यवस्था अथवा कोई कार्य न किया गया हो तो ऐसे कार्य को निष्पादित करवाना या उस वस्तु की व्यवस्था करना या वह कार्य करवाना, और इस सम्बन्ध में किया गया कुल व्यय वसूल करना ।	प्रतिनिहित किया जा सकता है ।
सामान्य	कोई अधिकार, कर्त्तव्य या कृत्य जो परिषद् द्वारा प्रयोग, पालन या निर्वहन के निमित्त किसी नियम द्वारा अपेक्षित हो ।	

श्री प्रतापसिंह—माननीय, संशोधन संख्या ४०१ में जो गवर्नमेंट ने खुद संशोधन रखा है, उसमें है—"धारा १५–ए (५)" तो १५–ए (५) तो कहीं है नहीं, २५–ए(५) है।

श्री अधिष्ठाता—वह तो अडाप्ट हो गया।

श्री जयराम वर्मा—श्रीमन्, इसको तो आप दुरुस्त कर देंगे।

श्री अधिष्ठाता—यह तो बर्बल है। यह दुरुस्त हो सकता है।

प्रश्न यह है कि अनुसूची ४ की धारा ४३(४) (ख) के सामने की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

"राज्य सरकार के अपेक्षानुसार किसी सरकारी कर्मचारी को परिषद् की सेवा में कर लेना।"

अनुसूची ४ में धारा ७७ से संबंधित प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

"७७(१) संयुक्त समिति नियुक्त करने के लिये सहमति देने वाले एक या अधिक स्थानीय प्राधिकारी के साथ संयुक्त होना।"

अनुसूची ४ में धारा "९३" के स्थान पर धारा "९३ (१)" रख दी जाय तथा उससे सम्बद्ध प्रविष्टि में शब्द "मांगना" के स्थान पर शब्द "या कोई विवरण मांगना" रख दिया जाय।

अनुसूची ४ में धारा "१२४(२)" के स्थान पर "१२४" कर दी जाय तथा उससे संबंधित प्रविष्टि के प्रारम्भ में शब्द "कर संबंधी" बढ़ा दिये जायं।

अनुसूची ४ में धारा "१९०(३)" के स्थान पर धारा "१९०" कर दी जाय तथा उससे सम्बद्ध प्रविष्टि में शब्द "के रूप में अंगीकृत" के स्थान पर शब्द "घोषित" रख दिया जाय।

अनुसूची ४ में धारा १९१(५) से सम्बद्ध द्वितीय स्तम्भ को प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

"किसी व्यक्ति को निर्माण आदि करने से रोके जाने से होने वाली क्षति के लिये प्रतिकर देना।"

अनुसूची ४ में धारा १९५ से सम्बद्ध प्रविष्टि में शब्द "साफ" के स्थान पर शब्द "बन्द" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि संशोधित अनुसूची ४ इस विधेयक का अंग मानी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुसूची ५

(धारा ५६ देखिये)

मुख्य-कार्याधिकारी के अनुसूचित अधिकार

धारा	अधिकार या कर्त्तव्य	अभ्युक्ति
३४ (१)	जिला परिषद् द्वारा गांव सभा, गांव पंचायत, भूमि प्रबंधक समिति, टाउन एरिया कमेटी या नोटीफाइड एरिया कमेटी में से किसी को अपने कोई अधिकार या कृत्य प्रतिनिहित करने के लिये सम्बद्ध निकाय की सम्मति प्राप्त करना।	
३४ (२)	क्षेत्र समिति की सम्मति वह अधिकार या कृत्य ग्रहण करने के लिये प्राप्त करना जिसे जिला परिषद् द्वारा उसे प्रतिनिहित करने का प्रस्ताव है।	
४३ (१)	ऐसे पदों पर, जिनका प्रारम्भिक वेतन दो सौ रुपये प्रतिमास या उससे अधिक हो, नियुक्ति के संबंध में परामर्श के लिये आयोग को लिखना।	
८६ (४)	क्षेत्र की योजना का प्रारूप प्राप्त करना।	
८६ (५)	नियोजन समिति की सिफारिशों के साथ क्षेत्र समिति की योजना लौटा देना।	
१०१ (३)	कतिपय प्रतिभूतियों में जिला निधि की धनराशि लगाने के लिये सरकार की स्वीकृति प्राप्त करना।	
१०२ (२)	जिले की सीमाओं के बाहर भूमि अर्जित करने या किराये पर लेने के लिये सरकार की स्वीकृति प्राप्त करना।	
११३	अंतिम रूप से पारित बजट की एक प्रतिलिपि मंडल आयुक्त तथा राज्य सरकार को भेजना।	
११५ (४)	क्षेत्र समिति के बजट के संबंध में नियोजन समिति का अनुमोदन या सिफारिशें क्षेत्र समिति को संसूचित करना।	

धारा	अधिकार या कर्तव्य	अभ्युक्ति
१२३ (३)	कर संबंधी प्रस्तावों तथा नियमों के प्रारूप को नोटिस सहित प्रकाशित करना।	
१२४ (२)	कर संबंधी परिष्कृत प्रस्तावों और नियमों के पुनरीक्षित प्रारूप को नोटिस सहित प्रकाशित करना।	
१२८	उस संकल्प की प्रतिलिपि प्रस्तुत करना जिसमें करारोपण का निदेश दिया गया हो।	
१४८	मांग का बिल जारी करना।	
१५०	मांग का नोटिस जारी करना।	
१५५	जिला मजिस्ट्रेट को इस आशय का प्रार्थना-पत्र देना कि वह ग्राम्य क्षेत्र के बाहर या अन्य मजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत स्थित सम्पत्ति के अभिग्रहण के लिये किसी अन्य मजिस्ट्रेट को अभिपत्र जारी करे।	
१५८	परिषद् को देय धनराशियों की वसूली के लिये वाद प्रस्तुत करना।	
१५९	लगान या किराये के किसी बकाये को मालगुजारी के बकाये के रूप में वसूल करने की अपेक्षा करना।	
२०६	परिषद् के खड्डे, गंदी मोरी आदि के किसी व्यक्ति द्वारा स्थानच्युत या परिवर्तित किये जाने के लिये लिखित स्वीकृति देना तथा जिला परिषद् द्वारा किये गये व्यय को अपराधियों से वसूल करना।	
२०८	किसी ऐसी इमारत, कुयें, तालाब या अन्य संरचना को गिराने या उसकी मरम्मत कराने का आदेश देना तथा किसी व्यक्ति के ऐसे पेड़ को हटाना जो ध्वस्त दशा में हो या व्यक्तियों अथवा संपत्ति के लिये खतरनाक प्रतीत हो और तुरन्त आवश्यकता की दशा में स्वयं ऐसा करना।	अपील की जा सकती है।
२०९	ऐसी वस्तुओं के संबंध में अनुमति देना जिनसे अन्यथा किसी नियंत्रित ग्राम्य-क्षेत्र की किसी सार्वजनिक सड़क में अवरोध पैदा होता हो, किसी अवरोध को हटाना और उस पर होने वाला व्यय वसूल करना।	
२१०	फैक्टरियों, स्कूलों आदि में शौचालयों और मूत्रालयों की व्यवस्था की अपेक्षा करना।	

धारा	अधिकार या कर्तव्य	अभ्युक्ति
२११	किसी निजी कुयें, तालाब आदि को साफ कराने, उसकी मरम्मत कराने, उसे ढकने, भरवाने या जलोत्सारित कराने की अपेक्षा करना।	अपील की जा सकती है।
२१२	किसी गन्दी भूमि या इमारत को साफ कराने तथा उसे उचित दशा में करने की अपेक्षा करना।	अपील की जा सकती है।
२१५	किसी गन्दे पानी की मोरी या गड्ढे या मल के नाले या मलकूप (cesspool) या अन्य किसी क्षोभकर पदार्थ को किसी सार्वजनिक सड़क या स्थान पर बहने देने, जलोत्सारित करने या रखे जाने की स्वीकृति देना तथा उसके संबंध में कोई शर्त आरोपित करना।	
२१९	हानिकर वनस्पति को साफ करने का आदेश देना।	अपील की जा सकती है
२२०	खोदे गये स्थान (excavations) आदि को भरने या जलोत्सारित करने की अपेक्षा करना।	अपील की जा सकती है।

श्री अधिष्ठाता--प्रश्न यह है कि अनुसूची ५ में धारा ३४ (२) से सम्बद्ध प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय--

"ऐसा अधिकार या कृत्य ग्रहण करने के लिये क्षेत्र समिति की सम्मति प्राप्त करना जिसे क्षेत्र समिति को प्रतिनिहित करने का जिला परिषद् का प्रस्ताव हो।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता--प्रश्न यह है कि अनुसूची ५ में धारा २०८ से सम्बद्ध स्तम्भ २ की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय--

"कोई इमारत, कुआं आदि गिराने या हटाने आदि की अपेक्षा करना तथा आवश्यक कार्यवाही करना।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता--प्रश्न यह है कि संशोधित अनुसूची ५ इस विधेयक का अंग मानी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुसूची

क्षेत्र समिति के अधिकार तथा कृत्य

धारा	अधिकार अथवा कर्तव्य	अभ्युक्ति
११ (१)	प्रमुख या सदस्य से त्याग-पत्र का नोटिस लेना।	क्षेत्र संचालक या उसके किसी नामांकिती द्वारा पालन किया जायगा।

धारा	अधिकार अथवा कर्त्तव्य	अभ्युक्ति
३४ (१)	इस अधिनियम के अधीन अपने किन्हीं अधिकारों या कृत्यों को गांव सभा, गांव पंचायत, भूमि प्रबन्धक समिति, टाउन एरिया कमेटी या नोटीफाइड एरिया कमेटी को प्रतिनिहित करना या उनसे इस प्रकार प्रतिनिहित किये गये किसी अधिकार आदि को वापस लेना।	
३४ (२)	इस अधिनियम के अधीन किसी अधिकार या कृत्य को जिला परिषद् को प्रतिनिहित करना अथवा जिला परिषद् द्वारा किसी अधिकार या कृत्य को क्षेत्र समिति को प्रतिनिहित करने की सम्मति देना।	
३८ (क)	यह निर्णय करना कि किसी अन्य क्षेत्र समिति या अन्य स्थानीय प्राधिकारी के साथ ऐसे कार्यों या उपक्रमों में सम्मिलित हुआ जाय या नहीं जिनसे क्षेत्र द्वारा नियंत्रित समस्त क्षेत्रों को लाभ पहुंचता हो।	
३८ (ख)	यह निर्णय करना कि ऐसे किसी कार्य में या संस्था को अंशदान दिया जाय या नहीं जिससे जिले को लाभ पहुंचता हो, भले ही वह कार्य जिले के बाहर किया जाय या संस्था जिले के बाहर अनुरक्षित हो या किसी नगर महापालिका, नगरपालिका, कैन्टोनमेंट, नोटीफाइड एरिया या टाउन एरिया के क्षेत्र में हों।	
५२ (१)	संचालक पर सामान्य नियंत्रण रखना।	
८६	क्षेत्र की योजना के प्रारूप पर विचार करना तथा उसे अनुमोदित करना।	
८७ (२)	समितियां नियुक्त करना।	
८७ (३)	परामर्श समितियां नियुक्त करना।	
९३ (१)	समिति की कार्यवाहियों का प्रतिवेदन या उनके उद्धरण मांगना	प्रतिनिहित किया जा सकता है।
१०१ (३)	क्षेत्र निधि से धनराशि को कतिपय प्रतिभूतियों में लगाना या सावधि निक्षेप (fixed deposit) में रखना।	क्षेत्र संचालक को प्रतिनिहित किया जा सकता है।
१०५ (१)	अपने प्रयोजनों के निमित्त भूमि का अर्जन करने के लिये राज्य सरकार से प्रार्थना करना।	प्रतिनिहित किया जा सकता है।
१०७ (१)	क्षेत्र समिति में निहित किसी संपत्ति को संक्रामित करना।	कार्यकारिणी को प्रतिनिहित किया जा सकता है।

धारा	अधिकार अथवा कर्त्तव्य	अभ्युक्ति
१०८	क्षेत्र निधि से प्रतिकर देना।	कार्यकारिणी को प्रतिनिहित किया जा सकता है।
११५ (५)	क्षेत्र समिति के बजट के संबंध में नियोजन समिति की सिफारिशों पर विचार करना और उन्हें स्वीकार या अस्वीकार करना।	
१४२	क्षेत्र समिति में निहित या उसके प्रबन्ध में सौंपी गई किसी अचल संपत्ति के प्रयोग या अध्यासन के लिये शुल्क लेना तथा प्रभारों (charges) को उद्गृहीत या वसूल करना।	
१४३	लाइसेंसों, स्वीकृतियों या अनुभूतियों के लिये शुल्क लेना।	
१४४	इस धारा में वर्णित कुछ अन्य शुल्क तथा पथकर निश्चित करना तथा उद्गृहीत करना।	
१४५	क्षेत्र समिति द्वारा स्थापित, अनुरक्षित या प्रबंधित बाजारों में शुल्क या पथकर आरोपित करना।	
१६५ (१)	किसी सार्वजनिक सड़क या स्थान या सरकार, परिषद्, या क्षेत्र समिति में निहित संपत्ति से लगी हुई या उसके पार्श्वस्थ किसी भवन निर्माण अथवा खुदाई आदि की स्वीकृति देना या देने से इनकार करना इत्यादि।	क्षेत्र संचालक को प्रतिनिहित किया जा सकता है।
१७१	किसी भूमि के स्वामी या अध्यासी को (किसी सार्वजनिक सड़क या स्थान या सरकार, परिषद् या क्षेत्र समिति में निहित संपत्ति के पार्श्वस्थ) किसी इमारत के निर्माण आदि या कोई कुआं बनाने आदि से रोकने के लिये निदेश देना तथा किसी इमारत या कुएं में परिवर्तन करने या उसे गिरा देने के लिये भी निदेश देना।	प्रतिनिहित किया जा सकता है।
१७३	किसी सार्वजनिक नाली में परिवर्तन करना, उसे रोकना, बंद करना या हटाना।	प्रतिनिहित किया जा सकता है।
१८४ (१) तथा (२)	किसी नियंत्रित ग्राम्य क्षेत्र में किसी निजी सड़क को समतल करने, उसमें खड़ंजा लगाने, उसे पक्का करने या उसमें पत्थर लगाने आदि की अपेक्षा करना तथा ऐसा न होने पर उस कार्य को सम्पादित करवाना और संबद्ध व्यक्ति से उसका व्यय वसूल करना।	क्षेत्र संचालक को प्रतिनिहित किया जा सकता है।
१८४(३)	किसी नियंत्रित ग्राम्य क्षेत्र में किसी निजी सड़क को सार्वजनिक सड़क घोषित करना।	

धारा	अधिकार अथवा कर्त्तव्य	अभ्युक्ति
१८९	नई सार्वजनिक सड़कों का विन्यास करना तथा उनका निर्माण करना और किसी वर्तमान सार्वजनिक सड़क को चौड़ा, लम्बा आदि करना तथा उनसे संलग्न निर्माण-स्थलों की व्यवस्था करना।	प्रतिनिहित किया जा सकता है।
१९०	किसी निजी सड़क को सार्वजनिक सड़क के रूप में अंगीकार करना।	
१९१(१) से (३) तक	आशय को विज्ञापित करने तथा आपत्तियों को तय करने के पश्चात् सार्वजनिक सड़क के दोनों ओर इमारतों के लिये सामान्य निर्माण-रेखा परिभाषित करना।	प्रतिनिहित किया जा सकता है।
१९१ (४)	किसी ऐसी इमारत के निर्माण को स्वीकृति देना जो सड़क की नियमित निर्माण रेखा के समनुरूप न हो।	कार्यकारिणी द्वारा प्रयुक्त किया जाय।
१९१ (५)	किसी सड़क की नियमित निर्माण रेखा से किसी निजी भूमि के अपवर्जन के लिये प्रतिकर के भुगतान की स्वीकृति देना।	कार्यकारिणी द्वारा प्रयुक्त किया जायगा।
१९१ (६)	किसी ऐसी इमारत आदि में परिवर्तन करने या उसे गिरा देने की अपेक्षा करना, जो किसी सड़क की नियमित निर्माण-रेखा का उल्लंघन करती हो।	कार्यकारिणी द्वारा प्रयुक्त किया जायगा।
१९२ (२)	किसी व्यक्ति को कोई ऐसी बात करने की अनुमति देना जो अन्यथा धारा १९२ की उपधारा (१) के अधीन परिषद् द्वारा निर्माण के संबंध में किये गये प्रबन्ध में हस्तक्षेप हो।	प्रतिनिहित किया जा सकता है।
१९३	किसी जलमार्ग की सफाई करने तथा उसे अच्छी हालत में बनाये रखने की अपेक्षा करना, और पानी पीने के प्रयोजन के लिये किसी जलमार्ग के उपयोग का निषेध करना या उसे बंद करने का आदेश देना।	प्रतिनिहित किया जा सकता है।
१९५	नाली, संडास आदि को हटाने या बन्द करने की अपेक्षा करना।	कार्यकारिणी या क्षेत्र संचालक को प्रतिनिहित किया जायगा।
१९६	क्षेत्र समिति में निहित किसी सार्वजनिक नाली, पुलिया या जलकल के ऊपर किसी इमारत, दीवार या अन्य संरचना के निर्माण या पेड़ लगाने की अनुमति देना तथा उसे हटाने का आदेश देना, और ऐसा न किये जाने पर किसी अनधिकृत संरचना या पेड़ को स्वयं हटाना तथा संबंधित व्यक्ति से व्यय वसूल करना।	

धारा	अधिकार अथवा कर्तव्य	अभ्युक्ति
२२८ (२) (धारा २३६ के साथ पठित)	नियत प्राधिकारी के उस आदेश के संबंध में स्पष्टीकरण प्रस्तुत करना जिसमें उसने संकल्प या आदेश के निष्पादन या आगे निष्पादन का निषेध किया हो।	
२३६(४)(क)	क्षेत्र समिति के विरुद्ध लगाये गये आरोपों के संबंध में स्पष्टीकरण प्रस्तुत करना।	
२४६	यदि क्षेत्र समिति के नोटिस की अवहेलना करके कार्य का निष्पादन अथवा किसी वस्तु की व्यवस्था अथवा कोई कार्य न किया गया हो तो ऐसे कार्य को निष्पादित करवाना या उस वस्तु की व्यवस्था या वह कार्य करवाना और इस संबंध में किया गया कुल व्यय वसूल करना।	प्रतिनिहित किया जा सकता है।
सामान्य	कोई अधिकार, कर्त्तव्य या कृत्य, जिसका क्षेत्र समिति द्वारा प्रयोग या पालन किसी नियम द्वारा अपेक्षित हो।	

श्री अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि अनुसूची ६ में धारा ३८ (ख) से सम्बद्ध प्रविष्टि में शब्द "जिले" के स्थान पर शब्द "खंड" तथा शब्द "कैन्टूनमेंट" के स्थान पर शब्द "छावनी" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि संशोधित अनुसूची ६ इस विधेयक का अंग मानी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुसूची ७

[देखिये धारा ७९ (३)]

क्षेत्र संचालक के अनुसूचित अधिकार

धारा	अधिकार अथवा कर्तव्य	अभ्युक्ति
३४ (१)	अधिनियम के अधीन क्षेत्र समिति के किन्हीं अधिकारों या कृत्यों को गांव सभा, गांव पंचायत, भूमि प्रबन्धक समिति, टाउन एरिया कमेटी या नोटीफाइड एरिया कमेटी को संक्रमण करने के लिये उसकी सम्मति प्राप्त करना।	
३४ (२)	क्षेत्र समिति का कोई अधिकार या कृत्य जिला परिषद् को प्रतिनिहित करने के लिये उसकी (जिला परिषद् की) सम्मति प्राप्त करना।	

धारा	अधिकार अथवा कर्त्तव्य	अभ्युक्ति
१०१ (३)	क्षेत्र निधि से कतिपय प्रतिभूतियों में रुपया लगाने के लिये सरकार की स्वीकृति प्राप्त करना।	
१०२ (२)	क्षेत्र की सीमाओं के बाहर भूमि अर्जित करने या लगान या किराये पर लेने के लिये व्यय करने के निमित्त सरकार की स्वीकृति प्राप्त करना।	
१४८(धारा १६१ के साथ पठित)	मांग का बिल जारी करना।	
१५०(धारा १६१ के साथ पठित)	मांग का नोटिस जारी करना।	
१६५(धारा १६१ के साथ पठित)	जिला मैजिस्ट्रेट को इस आशय का प्रार्थना-पत्र देना कि वह क्षेत्र के बाहर या अन्य मैजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत स्थित संपत्ति के अभिहरण के लिये किसी अन्य मैजिस्ट्रेट को अधिपत्र जारी करे।	
१५८(धारा १६१ के साथ पठित)	क्षेत्र समिति को प्राप्य धनराशियों की वसूली के लिये वाद प्रस्तुत करना।	
१५९(धारा१६१ के साथ पठित)	लगान या किराये के किसी बकाये को मालगुजारी के बकाये के रूप में वसूल करने की अपेक्षा करना।	
१७२	किसी नियंत्रित ग्राम्य क्षेत्र में किसी भूमि या इमारत के स्वामी या अध्यासी को इस आशय का नोटिस देना कि क्षेत्र समिति की नाली ऐसी इमारत या भूमि में, या उसमें होकर, या उसके नीचे से निकाली जायेगी।	अपील की जा सकती है।
१७४(१)	किसी निजी नाली को क्षेत्र समिति की नाली में गिराने की स्वीकृति देना।	
१७४(२)	किसी व्यक्ति से यह अपेक्षा करना कि वह क्षेत्र समिति की नाली से अपनी या किसी अन्य व्यक्ति की नाली के जोड़ को बंद करे, तोड़ दे आदि।	अपील की जा सकती है।
१७६	किसी नियंत्रित ग्राम्य-क्षेत्र में निजी सड़क के विन्यास की स्वीकृति देना।	अपील की जा सकती है।
१८०	दोषी व्यक्ति से कारण बताने या उपस्थित होने की अपेक्षा करना तथा किसी अस्वीकृत निजी सड़क को परिवर्तित करने या तोड़ देने का निदेश देना।	अपील की जा सकती है।

धारा	अधिकार अथवा कर्तव्य	अभ्युक्ति
१८१	किसी नियंत्रित ग्राम्य-क्षेत्र में सड़कों तथा नालियों के ऊपर प्रक्षेपों (projections) के निर्माण की स्वीकृति देना।	अपील की जा सकती है।
१८३	सड़कों तथा नालियों के ऊपर अतिक्रमण करने वाले भागों (encroachments) तथा प्रक्षेपों (projections) को हटाने की अपेक्षा करना।	अपील की जा सकती है।
१८५	किसी पेड़ को काटने या किसी इमारत आदि के निर्माण या उसके गिराये जाने की अनुमति देना, यदि वह सड़क का उपयोग करने वाले किसी व्यक्ति के लिये अवरोध, खतरा या क्लेश पैदा करता हो।	अपील की जा सकती है।
१८६	किसी नियंत्रित ग्राम्य-क्षेत्र में सड़क के किनारे की भूमि में उगी हुई झाड़ियों के काटने या छांटने की अपेक्षा करना।	अपील की जा सकती है।
१८७	किसी मकान या पेड़ के गिरने से सड़क पर आकस्मिक अवरोध उत्पन्न हो जाने पर उसे हटाना तथा स्वामी से उसका व्यय वसूल करना।	
१८८	सड़क से लगी हुई इमारतों या भूमियों के स्वामियों अथवा अध्यासियों से यह अपेक्षा करना कि वे नाली का पानी निकालने के लिये पाइप और उपयुक्त नांदें (troughs) लगावें और उन्हें अच्छी दशा में रखें।	अपील की जा सकती है।
१९५	किसी कुएं, तालाब आदि के पचास फीट के भीतर स्थित किसी मलपात्र को हटाने या बन्द करने की अपेक्षा करना।	अपील की जा सकती है।
१९७	नियंत्रित ग्राम्य-क्षेत्र में पशुओं के वध के लिये भूगृहादि निश्चित करना तथा ऐसे भूगृहादि के प्रयोग के लिये लाइसेंस देना तथा वापस लेना।	
२०१	किसी भोज्य या पेय पदार्थ या किसी पशु को जो मानव उपभोग के लिये अभिप्रेत हो परन्तु जो ऐसे उपभोग के लिये अनुपयुक्त हो, अभिग्रहीत करना तथा हटाना या नष्ट करना और इसी प्रकार कोई गत प्रभाव भेषज मैजिस्ट्रेट के सम्मुख प्रस्तुत करना।	
२०६	क्षेत्र समिति के खड़ंजे, गंदी मोरी आदि के किसी व्यक्ति द्वारा स्थान च्युत या परिवर्तित किये जाने के लिये लिखित स्वीकृति देना तथा क्षेत्र समिति द्वारा किये गए व्यय को अपराधियों से वसूल करना।	

श्री अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि अनुसूची ७ इस विधेयक का अंग मानी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुसूची ८

[धारा २७२ देखिये]

कतिपय अधिनियमितियों का संशोधन

संशोधन

१—यूनाइटेड प्राविसेज टाउन एरियाज ऐक्ट, १९१४

धारा २, खंड (६-ए) — वर्तमान खण्ड के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :—

"(6-*a*) 'prescribed authority' means—

(i) for the purposes of the provisions of this Act mentioned in Schedule III of the U. P. Kshettra Samitis and Zila Parishads Adhiniyam, 1960, the Zila Parishad;

(ii) for the purposes of section 10, the Adhyaksha of the Zila Parishad; and

(iii) in respect of any other provision of the Act, the authority notified as such by the State Government".

खंड (१६) के पश्चात् — नए खण्ड (१७) के रूप में निम्नलिखित बढ़ा दिया जाय—

"(17) 'Zila Parishad' means a Zila Parishad constituted under the U. P. Kshettra Samitis and Zila Parishads Adhiniyam, 1960.

धारा ७-ए उपधारा (१) — खंड (बी) के पश्चात् नये खंड (सी) के रूप में बढ़ा दिया जाय :—

"(*c*) has become disqualified for being a member under section 6 K."

धारा ८-ए — वर्तमान उपधारा (६) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :—

"Notwithstanding anything in the preceding sub-sections the District Magistrate or any officer nominated by him in this behalf shall, till a committee is elected, perform the functions of the committee and be the chairman thereof and shall for all purposes be deemed to be the committee or the chairman as the case may be."

२—यू० पी० पंचायत राज ऐक्ट १९४७

धारा २, खंड (एफ) — वर्तमान खंड के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :—

"(*f*) 'Zila Parishad' and 'Parishad' shall have the meanings assigned to them under clause(41) of section 2 of the Kshettra Samitis and Zila Parishads Adhiniyam, 1960."

वर्तमान खंड के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :—

"(*q*) 'prescribed authority' means—

(i) for the purposes of the provisions of this Act mentioned in Schedule III of the U. P. Kshettra Samitis and Zila Parishads Adhiniyam, 1960, the Zila Parshad; and

(ii) in respect of any other provision of this Act, the authority notified as such by the State Government whether generally or for any particular purpose."

खंड (डब्लू) के पश्चात् नये खंड (एक्स) के रूप में निम्नलिखित बढ़ा दिया जाय :—

"(*x*) 'Bhumi Prabandhak Samiti' (Land Management Committee) means a Bhumi Prabandhak Samiti established or deemed to be established under section 28-A".

धारा २८ के पश्चात् नई धारा २८-ए, २८-बी और २८-सी के रूप में निम्नलिखित बढ़ा दिया जाय—

"**28-A.** (1) The Gaon Panchayat of every Gaon Sabha shall establish a committee to be known as the Bhumi Prabandhak Samiti (Land Management Committee) to assist in the discharge of its duties of upkeep, protection and supervision of all property vested in the Gaon Sabha under section 117 of the U. P. Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1950 and all other property vesting or coming into its possession under any other provision of that Act :

Bhumi Prabandhak Samiti.

Provided that where the State Government so directs, the Gaon Panchayat shall constitute a Bhumi Prabandhak Samiti for each such portion of the area of the Gaon Sabha as may be specified by the State Government.

(2) The number of members of a Gaon Panchayat who shall constitute the Bhumi Prabandhak Samiti and the manner of their election shall be as may be prescribed :

Provided that the Pradhan and the Up-Pradhan shall respectively be the Chairman and the Vice-Chairman of the Bhumi Prabandhak Samiti :

Provided further that where the whole or part of the *abadi* of any village included in the area of the Gaon Sabha lies within the limits of another local authority the Collector may in the manner prescribed nominate from amongst residents of such *abadi* such number of members not exceeding five for the purpose of due representation of such village on the said Samiti and these members shall be members in addition to the number otherwise fixed for the Samiti.

(3) The Lekhpal of the area of the Gaon Sabha shall be the Secretary of the Bhumi Prabandhak Samiti.

(4) Until the Bhumi Prabandhak Samiti for a Gaon Sabha has been constituted under this section the corresponding committee constituted under the U. P. Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1950 and functioning for the area of the Gaon Sabha immediately before the commencement of the U. P. Kshettra Samitis and Zila Parishads Adhiniyam, 1960, shall continue to exercise the powers and perform the duties conferred by this Act upon the Bhumi Prabandhak Samiti and shall be deemed to be Bhumi Prabandhak Samiti established under this Act.

28-B. (1) The Bhumi Prabandhak Samiti shall for and on behalf of the Gaon Panchayat establishing it be charged with the general management, preservation and control of all property referred to in section 28-A,

Functions of the Bhumi Prabandhak Samiti.

including—

(*a*) the settling and management of land;

(*b*) the preservation, maintenance and development of forests and trees ;

(*c*) the maintenance and development of *abadi* sites and village communications ;

(*d*) the management of *hats*, *bazars* and *melas* ;

(*e*) the maintenance and development of fisheries and tanks ;

(*f*) the rendering of assistance in the consolidation of holdings ;

(*g*) the conduct and prosecution of suits and proceedings by or against the Gaon Sabha relating to or arising out of the functions of the Samiti ;

(*h*) performance of functions, specifically assigned to the Bhumi Prabandhak Samiti under the U. P. Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1950 or any other enactment ; and

(*i*) any other matter relating to such management, preservation and control as may be prescribed ;

and may exercise all powers of the Gaon Panchayat necessary for or incidental to the discharge of such duties.

(2) The Bhumi Prabandhak Samiti shall function subject to the provisions of the U. P. Zamindari Abolition Land and Reforms Act, 1950.

28-C. (1) No member or office-bearer of a Gaon Panchayat or Bhumi Prabandhak Samiti shall, otherwise than with the permission in writing of the Collector, knowingly acquire or attempt to acquire or stipulate for or agree to receive or continue to have himself or through a partner or otherwise any share or interest in any licence, lease, sale, exchange, contract or employment with, by, or on behalf of the Samiti concerned :

Members and officers not to acquire interest in contracts, etc. with Bhumi Prabandhak Samiti.

Provided that a person shall not be deemed to acquire or attempt to acquire or continue to have or stipulate for or agree to receive any share or interest in any contract or employment by reason only of his—

(*a*) having acquired any interest before he became a member or office-bearer,

(*b*) having a share in a joint stock company which makes the contract,

(c) having a share or interest in the occasional sale through the Samiti concerned of an article in which he regularly trades up to a value not exceeding Rs. 50 in any one year.

(2) No court or other authority shall enforce at the instance of any person a claim based upon a transaction in contravention of the provisions of sub-section (1)."

शब्द 'specified duty' के पहले शब्द 'other' बढ़ा दिया जाय । — धारा २९

अन्त में फुलस्टाप के स्थान पर कोलन रख दिया जाय और उपधारा में प्रतिबन्धात्मक खंडों के रूप में निम्नलिखित बढ़ा दिया जाय :— — धारा ३२, उपधारा (१)

"Provided that such amount up to the total of all sums credited to the Gaon Fund under the Uttar Pradesh Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1950 *minus* the amount credited to the Consolidated Gaon Fund under section 125-A of that Act, as may be required by the Bhumi Prabandhak Samiti for being utilized in carrying out its duties or obligations shall be made available out of the Gaon Fund to the Bhumi Prabandhak Samiti every year ;

Provided further that in the event of any difference between the Bhumi Prabandhak Samiti on the one hand and the Gaon Panchayat or Gaon Sabha on the other about the requirements of funds by the Bhumi Prabandhak Samiti the matter shall be referred by the Pradhan to the prescribed authority whose decision shall be binding.

खंड (डी) में शब्द 'court' और 'to be' के बीच में शब्द or required under any law' रख दिये जायं । — उपधारा (२)

वर्तमान खंड के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :— — धारा ३७, उपधारा (१), खंड (सी)

"a tax on theatre, cinema or similar entertainment temporarily stationed in the area of the Gaon Sabha not exceeding five rupees per diem."

निकाल दिया जाय । — खंड (जे)

(१) खंड (एफ) में जहां कहीं भी शब्द "Joint Committee" और "or Nyaya Panchayat" आये हों उनके बीच में कामा और उसके पश्चात् शब्द "*Bhumi Prabandhak Samiti*" रख दिये जांय । — धारा ९५, उपधारा (१)

(२) खंड 'जी' में शब्द "Joint Committee' के पश्चात् और उसके बाद आने वाले कामा के पूर्व शब्द "or Bhumi Prabandhak Samiti' रख दिये जायं ।

शब्द "Gaon Panchayat or Joint Committee" के स्थान पर शब्द "Gaon Panchayat Joint Committee or Bhumi Prabandhak Samiti" रख दिये जायं । — उपधारा (४)

शब्द "or against a member thereof or against an officer or servant of a Gaon Sabha, Gaon Panchayat or Nyaya Panchayat" के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :— — धारा १०६

"or *Bhumi Prabandhak Samiti* or against a member or officer or servant thereof or of Nyaya Panchayat."

सामान्य — इस अधिनियम में जहां कहीं भी पद "District Board" आया हो उसके स्थान पर पद "Zila Parishad" रख दिया जाय ।

३—१९५० उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम

धारा ३, खंड (३) के पश्चात् — नये खंड (३–क) के रूप में निम्नलिखित बढ़ा दिया जाय :—

(३–क) 'मंडल' (Circle) का तात्पर्य किसी ऐसे क्षेत्र से है जिसके लिये यू० पी० पंचायत राज ऐक्ट, १९४७ के अधीन कोई गांव सभा स्थापित हो गई हो ।

धारा ३, खंड (६-ख) — जहां कहीं भी शब्द "संचित गांव समाज कोष" (Consolidated Gaon Samaj Fund) आये हों उनके स्थान पर शब्द "संचित गांव-कोष" (Consolidated Gaon Fund) रख दिये जाय ।

धारा ३, खंड (९) — वर्तमान खंड के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

"(९) 'गांव कोष' (Gaon Fund), 'गांव पंचायत', 'गांव सभा' तथा 'भूमि प्रबंधक समिति' (Land Management Committee) के वही अर्थ होंगे जो उनके यूनाइटेड प्राविन्सेज पंचायत राज ऐक्ट, १९४७ में किये गये हैं ।

धारा ३, खंड (१०), (१०-क) तथा (१४-क) — निकाल दी जायं ।

धारायें ११३ से ११६ तक — निकाल दी जायं ।

धारा ११७ — वर्तमान धारा ११७ की संख्या बदल कर उपधारा (१) कर दी जाय और उसमें निम्नलिखित उपधारायें (२), (३), (४) तथा (५) बढ़ा दी जायं :—

"(२) उप-धारा (१) में किसी बात के होते हुए भी राज्य सरकार सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा प्रख्यापित कर सकती है कि निर्दिष्ट किये जाने वाले दिनांक से उक्त उप-धारा के खंड (१) से (७) तक में उल्लिखित सभी या कोई वस्तुयें जो गांव के किसी ऐसे भाग के सम्बन्ध में जो ७ जुलाई, १९४९ ई० के बाद उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, १९५९, यूनाइटेड प्राविन्सेज म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट, १९१६, यूनाइटेड प्राविन्सेज टाउन एरियाज ऐक्ट, १९१४ अथवा कैन्टोनमेंट ऐक्ट, १९२४ के अधीन किसी नगर, नगरपालिका, नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया या छावनी में जैसी भी दशा हो सम्मिलित हो गया हो, इस अधिनियम के अधीन राज्य में निहित हुई हो, उस गांव सभा में निहित होंगी जो ऐसे गांव के शेष भाग के लिये स्थापित की गई हो ।

(३) उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम, १९६० द्वारा संशोधित होने के पूर्व इस अधिनियम के अधीन संगठित समस्त गांव समाज समाप्त हो जायेंगे और तत्समय प्रचलित किसी अन्य विधि में या इस अधिनियम या उक्त विधि के अधीन जारी की गई किसी विज्ञप्ति, नियम या आज्ञा में अथवा किसी संविदा या अन्य लेख्य में किसी गांव समाज का निर्देश, यथासंभव ऐसे गांव सभा का निर्देश समझा जायगा ।

(४) इस अधिनियम के अधीन या किसी अन्य अधिनियमिति के अधीन या किसी संविदा के अधीन किसी गांव समाज में निहित या उसकी किसी प्रकार की भी सभी संपत्ति, कोष तथा अधिकार तथा उस पर आरोपित समस्त दायित्व उनसे संबंधित सभी शर्तें और प्रसंगों (incidents) के अधीन रहते हुए उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम, १९६० के प्रारम्भ से गांव समाज के क्षेत्र के लिये संघटित गांव सभा की संपत्ति, कोष, अधिकार तथा दायित्व हो जायेंगे ।

(५) सभी वादों तथा व्यवहारों में जिसमें गांव समाज एक पक्ष हो, उक्त गांव समाज के क्षेत्र के लिये संघटित गांव सभा एक पक्ष के रूप में गांव समाज के स्थान पर रखी जायगी और रखी गई समझी जायगी और वह ऐसी सभी कार्यवाही करने की हकदार होगी जिसे करने की हकदार वह उस दशा में होती यदि वह प्रारम्भ से ही वाद या कार्यवाही का एक पक्ष होती ।"

वर्तमान उपधारा (२) के स्थान पर निम्नलिखित रखिये :— धारा ११७-क

"(२) जब धारा ११७ में उल्लिखित प्रकार की कोई भूमि किसी अन्य स्थानीय प्राधिकारी में उपधारा (१) के अधीन अथवा किसी अन्य विधि के अधीन निहित हो जाय तो ऐसा स्थानीय प्राधिकारी ऐसे क्षेत्र के सम्बन्ध में या, यदि ऐसे क्षेत्र में पूरा गांव आ जाता है तो पूरे गांव के सम्बन्ध में ऐसे कार्यों को करेगी, कर्त्तव्यों का पालन करेगी और अधिकारों को प्रयोग में लायेगी जो इस अधिनियम के अन्तर्गत या द्वारा किसी गांव सभा अथवा भूमि प्रबन्धक समिति को ऐसी भूमि और ऐसे क्षेत्र में स्थित जोतों और ऐसे क्षेत्रों में स्थित अन्य भूमि जो इस अधिनियम के अधीन ऐसे स्थानीय प्राधिकारी में निहित हो अथवा उसके कब्जे में आने वाली कोई अन्य भूमि के सम्बन्ध में अभ्यर्पित किए जायं, उस पर लगाये जायें अथवा दिए जायं ।"

निकाल दी जायं । धारा १२२, १२२-क तथा १२३-ख

वर्तमान धारा के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय— धारा १२४

"१२४—(१) इस अधिनियम के अधीन गांव सभा, गांव पंचायत या भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा प्राप्त समस्त धनराशियां गांव-कोष में जमा की जायंगी ।

(२) वह कुल धन जो उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम, १९६० के प्रारम्भ के तुरन्त पूर्व गांव समाज कोष के नाम में था चाहे वह ऐसे प्रारम्भ के पूर्व उसमें वास्तव में जमा कर दिया गया हो या न किया गया हो गांव-कोष को संक्रमित हो जायगा और उसमें जमा हो जायगा ।"

वर्तमान धारा के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :— धारा १२५

"१२५—गांव पंचायत द्वारा भूमि प्रबंधक समिति के अधिकार में इस अधिनियम के अधीन अपने कर्त्तव्यों का पालन अथवा अपने कृत्यों के निर्वहन से सम्बद्ध व्ययों की पूर्ति के निमित्त रखा गया कोष नियत रीति से उपयोग में लाया जायगा ।"

धारा १२५-क वर्तमान धारा के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

"१२५-क—(१) प्रत्येक जिले के निमित्त एक संचित गांव कोष संघटित किया जायगा जिसमें उपधारा (२) के अधीन देय सभी अंशदान जमा किये जायेंगे ।

(२) जिले की प्रत्येक गांव पंचायत कलेक्टर को प्रति वर्ष अपनी वार्षिक आय का ऐसा अंश देगी जो कलेक्टर द्वारा नियत रीति से निश्चित किया जायगा और जो धारा १२४ की उपधारा (१) के अधीन गांव कोष (Gaon Fund) में जमा की गयी कुल धनराशि के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक न होगा ।

(३) उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम, १९६० द्वारा संशोधित होने के पूर्व इस धारा के अधीन संचित गांव समाज कोष में रखे गये या रखे जाने के लिये अपेक्षित समस्त धन संचित गांव-कोष में संक्रमित हो जायगा तथा उसमें जमा किया जायगा ।

(४) कोष का उपयोग निम्नलिखित में किया जायगा :—

(क) धारा १२७-ख के अधीन नियुक्त पैनल के वकीलों के शुल्क और भत्तों का भुगतान ;

(ख) इस अधिनियम के अधीन गांव सभा अथवा भूमि प्रबंधक समिति द्वारा अथवा उसके विरुद्ध वादों, प्रार्थना-पत्रों अथवा अन्य व्यवहारों के संचालन तथा अभियोजन के सम्बन्ध में किये गये व्ययों का भुगतान ;

(ग) सार्वजनिक उपयोगिता की भूमियों के विकास पर किये गये व्ययों का भुगतान; और

(घ) अन्य किसी ऐसी धनराशि का भुगतान जिसे राज्य सरकार सामान्य अथवा विशेष आज्ञा द्वारा कोष पर उचित रूप से भारित व्यय प्रख्यापित करे ।"

धारा १२७-क निकाल दी जाय ।

धारा १२७-ख (१) उपधारा (१) में "गांव समाज अथवा उसके विरुद्ध" के स्थान पर शब्द "इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों के सम्बन्ध में गांव सभाओं द्वारा अथवा उनके विरुद्ध" रख दिये जायं ।

(२) उपधारा (२) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :—

"(२) पेनल का वकील जिले की ऐसी गांव सभाओं के सम्बन्ध में जो नियत की जायं, इस अधिनियम के अधीन उनके कृत्यों के सम्बन्ध में किसी न्यायालय अथवा अधिकारिकी द्वारा उनके विरुद्ध जारी किये गये प्रसरों को लेने के लिये उनका अभिकर्त्ता होगा और ऐसा अभिज्ञात अभिकर्त्ता समझा जायगा जिसके द्वारा ऐसी गांव सभाओं की ओर से इस अधिनियम अथवा यूनाइटेड प्राविन्सेज लैन्ड रेवेन्यू ऐक्ट, १९०१ अथवा भूमि प्रबन्ध से सम्बद्ध अन्य किसी विधि के अधीन उपस्थित की जा सकेगी कार्य तथा प्रार्थना-पत्र दिये जा सकेंगे ।

धारा १२८ (१) खंड (क), (ग), (ङ) तथा (झ) निकाल दिये जायं ।

(२) खंड (कक) में शब्द "धारा ११७" तथा " के द्वितीय प्रतिबन्धात्मक खंड" के बीच में शब्द " की उपधारा (१)" रख दिये जायं ।

"गांव सभा" के स्थान पर " भूमि प्रबन्धक समिति" रख दिया जाय । धारा १९७

पूर्वोक्त संशोधनों के अतिरिक्त जहां कहीं भी इस अधिनियम में शब्द "गांव समाज", "गांव समाज कोष" और "संचित गांव समाज कोष" आये हों, उनके स्थान पर क्रमशः शब्द "गांव सभा", "गांव-कोष" और "संचित गांव-कोष" रख दिये जायं । सामान्य—

४—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, १९५३

(१) उपधारा (१) और (२) में शब्द "गांव समाज" के स्थान पर "गांव सभा" रख दिया जाय ; तथा धारा २९—(ग)

(२) नई उपधारा (३) के रूप में निम्नलिखित बढ़ा दिया जाय :—

"(३) उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम, १९६० के प्रारम्भ पर इस अधिनियम के अधीन प्रत्येक गांव सभा में निहित समस्त भूमि, उससे सम्बद्ध सभी शर्तों तथा प्रसंगों के अधीन रहते हुये, गांव समाज के मंडल के लिये संघटित गांव-सभा में निहित हो जायगी ।"

श्री अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि अनुसूची ८ में धाराओं तथा खंडों की संख्याय संशोधनों के पहले कर दी जायं तथा भाग २ को दूसरी प्रविष्टि के पूर्व शब्द " खंड (क्यू)" बढ़ा दिये जायं;

अनुसूची ८ के भाग (२) में दी हुई पंचायतराज ऐक्ट की धारा २८—ए में शब्द "vesting" के स्थान पर शब्द "vesting in it" रख दिये जायं तथा उपधारा (२) के द्वितीय प्रतिबन्धात्मक खंड में शब्द " residents" के स्थान पर शब्द "the residents" रख दिये जायं;

अनुसूची ८ के भाग (३) में धारा ११७ में बढ़ाई जाने वाली प्रस्तावित उपधारा (२) में शब्द " उपधारा (१) में " के स्थान पर शब्द " इस अधिनियम अथवा तत्समय प्रचलित किसी अन्य विधि में" रख दिये जायं,

अनुसूची ८ के भाग (३) में धारा ११७—क में प्रस्तावित संशोधन के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

"वर्तमान धारा ११७—क के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

(१) धारा ११७ में किसी बात के होते हुये भी राज्य सरकार गजट म विज्ञप्ति द्वारा प्रख्यापित कर सकती है कि ऐसे दिनांक से जो निर्दिष्ट किया जाय किसी गांव में स्थित उक्त धारा की उपधारा (१) के खंड (१) से (७) तक में निर्दिष्ट प्रकार की भूमि या वस्तु जो इस अधिनियम के अन्तर्गत राज्य सरकार में निहित हुई थी ऐसे कुल गांव के लिये स्थापित किसी स्थानीय अधिकारिकी (local authority) में निहित होगी;

(२) जब धारा ११७ की उपधारा (१) के खंड (१) से (७) तक में निर्दिष्ट प्रकार की कोई भूमि या वस्तु किसी गांव सभा में उक्त धारा की उपधारा (२) के अधीन अथवा किसी अन्य स्थानीय अधिकारिकी में इस धारा की उपधारा (१) या उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, १९५९ की धारा १२६ के अधीन निहित की गई हो तो ऐसी गांव सभा या अन्य स्थानीय अधिकारिकी

[श्री अधिष्ठाता]

यथास्थिति गांव के भाग अथवा कुल गांव के सम्बन्ध में उन कृत्यों का संपादन, कर्तव्यों का पालन तथा अधिकारों का प्रयोग करेगी जो इस अधिनियम द्वारा अथवा उसके अधीन किसी गांव सभा या भूमि प्रबन्धक समिति को गांव के भाग अथवा कुल गांव, जैसी भी स्थिति हो, के भीतर स्थित ऐसी भूमि या वस्तु और खातों की भूमि के सम्बन्ध में अभ्यर्पित किये गये, आरोपित किये गये अथवा दिये गये हैं ।"

अनुसूची ८ के भाग (३) में प्रस्तावित धारा १२७–ख की उपधारा (२) में शब्द "उपस्थिति की जा सकेगी, कार्य तथा प्रार्थना-पत्र दिये जा सकेंगे" के स्थान पर शब्द " उपस्थिति हो सकेगी, कार्य किये जा सकेंगे तथा प्रार्थना-पत्र दिये जा सकेंगे" रख दिये जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि संशोधित अनुसूची ८ इस विधेयक का अंग मानी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

सामान्य संशोधन

श्री जयराम वर्मा—श्रीमान् जी, मेरा एक सामान्य संशोधन है । मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक में शब्द " निर्वाचन संचालक" जहां आये हों उनके स्थान पर शब्द " निर्वाचन निदेशक" रख दिये जायं ।

श्री बलदेवसिंह (जिला गोंडा)—श्रीमन्, यह संशोधन बड़ा भ्रमात्मक है । जरा उसको स्पष्ट तो करा दीजिए । सारे बिल में यह आवेगा इसलिये मेरी प्रार्थना है कि मंत्री जी जरा इसे बता दें कि यह क्या है ।

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री विचित्रनारायण शर्मा)—श्रीमन्, मैं साफ कर दूं । यह अब तक जो शब्द संचालक था उसकी जगह निदेशक हो गया है । अब सारे हिन्दुस्तान भर में संचालक के लिये निदेशक शब्द स्वीकार कर लिया गया है । इसलिये यूनिफार्मिटी लाने के लिये यह रखा गया है ।

श्री मोतीलाल अवस्थी—मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । जब विधेयक की सब धारायें पास हो गईं तो उसके बाद सब के लिये एक साथ जो यह संशोधन किया जा रहा है यह किस व्यवस्था के अन्तर्गत आता है ?

श्री अधिष्ठाता—आप कृपा करके बैठें । यह तो जनरल नेचर का एक अमेंडमेंट है और ऐसा हो सकता है । कोई सबस्टेंशियल चेंज नहीं हो रहा है ।

आचार्य दीपंकर (जिला मेरठ)—मैं यह कहना चाहता हूं कि असल में निर्देशक शब्द के लिये अंग्रेजी में गाइड शब्द है और डाइरेक्टर या सुपरवाइजरी काम के लिये शब्द संचालक आता है जो कि डाइरेक्टली उसमें इन्वाल्व्ड हो ।

श्री विचित्रनारायण शर्मा—वह निर्देशक नहीं निदेशक है ।

श्री अमरनाथ (जिला गोरखपुर)—मैं एक व्यवस्था चाहता हूं । विधेयक की सारी धारायें पास हो चुकीं और जिस रूप में विधेयक है संशोधन के साथ पास हुआ या उसी रूप में पास हो गया, तो जब वह सारी धारायें पास हो गईं तो फिर उनमें संशोधन कैसे लिया जा सकता है ?

श्री अधिष्ठाता—ऐसे संशोधन जिनसे कि सबस्टेंशियल चेंज होता हो नहीं लिये जा सकते, लेकिन जनरल नेचर के अमेंडमेंट लिये जा सकते हैं। अब आप कृपा करके बैठें।

प्रश्न यह है कि शब्द "निर्वाचन संचालक" जहां आये हों उनके स्थान पर शब्द "निर्वाचन निदेशक" रख दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

शीर्षक, प्रस्तावना तथा खंड १

उत्तर प्रदेश में क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् विधेयक, १९६०

उत्तर प्रदेश में क्षेत्र समितियों तथा जिला परिषदों की स्थापना की व्यवस्था करने के लिये

विधेयक

यह इष्टकर है कि शासकीय कृत्यों के लोकतंत्रात्मक विकेन्द्रीकरण के सिद्धान्त को आगे बढ़ाने, ग्राम्य क्षेत्रों में सम्यक् स्थानीय शासन सुनिश्चित करने और युनाइटेड प्राविंसेज पंचायत राज ऐक्ट, १९४७ के अधीन स्थापित गांव सभाओं के अधिकारों तथा कृत्यों का क्षेत्र समितियों तथा जिला परिषदों से समन्वय करने के लिये क्रमशः खंड तथा जिला स्तरों पर कुछ शासकीय कृत्यों के सम्पादनार्थ उत्तर प्रदेश के जिलों में क्षेत्र समितियों तथा जिला परिषदों की स्थापना की व्यवस्था की जाय ;

अतएव भारतीय गणतंत्र के ग्यारहवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त शीर्षनाम, प्रसार तथा प्रारम्भ

१—(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम, १९६० कहलायेगा।

(२) इसका प्रसार समस्त उत्तर प्रदेश में होगा।

(३) यह अध्याय तुरन्त प्रचलित होगा तथा इस अधिनियम के शेष उपबंध किसी जिले के सम्बन्ध में उस दिनांक से प्रचलित होंगे जो राज्य सरकार गजट में विज्ञप्ति द्वारा तदर्थ निश्चित करे :

प्रतिबन्ध यह है कि किसी जिले में जिसमें राज्य सरकार क्षेत्र समितियां तथा जिला परिषद् संघटित करने की कार्यवाही आरम्भ करे क्षेत्र-समितियों तथा जिला परिषद् का संघटन करने के सीमित प्रयोजन के लिये द्वितीय अध्याय और किन्हीं अन्य अध्यायों के उपबन्ध जो इस संघटन के लिये आवश्यक या आनुषंगिक हों, इस अध्याय के प्रचलित होने के दिनांक से प्रचलित हुये समझे जायेंगे और किसी अन्य अधिनियमिति में किसी बात के होते हुये भी क्षेत्र समितियों तथा जिला परिषदों के सम्यक संघटन के लिये आवश्यक सब कार्य तथा कार्यवाहियां, पूर्वोक्त अध्यायों तथा उनके अधीन बनाये गये नियमों अथवा आदेशों के उपबन्धों के अनुसार की जा सकती हैं।

प्रतिबन्ध यह भी है कि राज्य सरकार, अपना यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना राष्ट्रीय आपात अथवा देश या उसके किसी भाग की क्षेम या सुरक्षा के लिये वांछनीय है, गजट में विज्ञप्ति द्वारा उत्तर प्रदेश के किसी जिले अथवा किसी जिले के भाग के सम्बन्ध में इस अधिनियम का प्रवर्तन निलम्बित या प्रतिसंहृत कर सकती है या निदेश दे सकती है कि अधिनियम के उपबन्ध परिवर्द्धनों, लोपों या परिवर्तनों के रूप में ऐसे परिष्कारों के साथ उस क्षेत्र पर प्रवृत्त होंगे, जो

राज्य सरकार निर्दिष्ट करे और तदुपरान्त जब तक कि विज्ञप्ति निरस्त न कर दी जाय यथास्थिति ऐसे जिले या उसके किसी भाग पर अधिनियम का प्रवर्तन निलम्बित या प्रतिसंहृत रहेगा अथवा अधिनियम के उपबन्ध उक्त प्रकार से निर्दिष्ट परिष्कारों के साथ प्रवृत्त रहेंगे ।

श्री अधिष्ठाता--प्रश्न यह है कि खंड १ के उपखंड (३) की प्रथम पंक्ति में शब्द "होगा" के बाद का वाक्यांश निकाल दिया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अधिष्ठाता--प्रश्न यह है कि खंड १ के उपखंड (३) के पश्चात् का प्रथम प्रतिबन्ध निकाल दिया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अधिष्ठाता--प्रश्न यह है कि खंड १ के उपखंड (३) के द्वितीय प्रतिबन्ध की दूसरी पंक्ति में शब्द " आपात" तथा शब्द "अथवा" के बीच निम्नलिखित शब्द जोड़ दिया जावे--

"के कारण"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अधिष्ठाता--प्रश्न यह है कि खंड १ के उपखंड (३) का अंतिम दूसरा प्रतिबन्ध निकाल दिया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अधिष्ठाता--प्रश्न यह है कि खंड १ का उपखंड (३) निकाल दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठा कर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार अस्वीकृत हुआ--

पक्ष में--१८,

विपक्ष में--६० ।)

श्री अधिष्ठाता--प्रश्न यह है कि संशोधित खंड १, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री जयराम वर्मा--अधिष्ठाता महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् विधेयक, १९६० जैसा कि इस सदन ने संशोधित किया है, पारित किया जाय। मैं सभी माननीय सदस्यों को जिन्होंने इस विधेयक पर विचार करते समय अपना सहयोग दिया है, धन्यवाद देना चाहता हूं और उनके सहयोग के लिये मैं बहुत आभारी हूं और आशा है इसी तरह का सहयोग हमें आगे भी मिलता रहेगा ।

***श्री प्रतापसिंह** (जिला नैनीताल)--अधिष्ठाता महोदय, जिस तानाशाही तरीके से इस विधेयक को पास किया गया है उसका मैं विरोध करता हूं । मान्यवर, इसके पहले कि मैं अन्य कारणों पर जाऊं, इतना अवश्य कहना चाहता हूं कि जो संशोधन माननीय ब्रजनारायण तिवारी जी ने प्रजा सोशलिस्ट पार्टी की ओर से पेश किया वह बहुत ही महत्वपूर्ण संशोधन था। मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं क्योंकि इस विधेयक में जो व्यवस्था

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

की गयी है कि किसी भी समय सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा का प्रश्न सामने रख कर इस ऐक्ट को सस्पेन्ड कर सकती है और इमरजेन्सी के नाम पर मनमानी कर सकती है। श्रीमन्, संविधान के अन्तर्गत इमरजेन्सी के समय जहां देश की सुरक्षा को खतरा हो, इस तरह की पावर्स केन्द्रीय सरकार को ही हैं और वही सत्ता को अपने हाथ में ले सकती है। मैं समझ ही नहीं पा रहा हूं कि आज १३ वर्षों के बाद जब यह विधेयक लाया गया और यह आश्वासन दिया गया कि जनता के प्रतिनिधियों के हाथ में इसका शासन दिया जायेगा, तो आज क्यों इतने अधिकार सरकार ने अपने हाथों में रखे हैं। यह संविधान में दिया हुआ है कि राष्ट्रपति का शासन कब घोषित किया जायेगा। हमारी समझ में नहीं आता कि आप एक हाथ से अधिकार देते हैं और दूसरे हाथ से ही उसको ले लेते हैं। जिस समय यह विधेयक आने वाला था, उस समय सारी जनता यह समझती थी कि सारे अधिकार एक गैरसरकारी व्यक्ति के हाथ में रहेंगे। आप देखें कि इस विधेयक में खंड २२५ और २२६ ऐसे हैं कि जिनके द्वारा जिलाधीश को यह अधिकार दिया गया है कि वह अपनी मर्जी से जब चाहे जिला परिषद् की बैठक को बुला सकता है।

(इस समय २ बज कर २४ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री रामनारायण त्रिपाठी, पीठासीन हुए।)

एक ओर माननीय मंत्री जी का स्पष्ट कहना है कि हम जनता को ही सब अधिकार देना चाहते हैं और दूसरी ओर जिलाधीश को धारा २२५ और २२६ में उस बैठक को बुलाने का अधिकार देते हैं। वह जब चाहे बैठक को बुला सकता है। फिर इस बात की भी व्यवस्था की गयी है कि जब कभी खतरा हो तो इस ऐक्ट को सस्पेन्ड किया जा सकता है। दूसरी ओर जिलाधीश के पास जो सेन्ट्रलाइज्ड पावर्स हैं उनको उसके हाथ से लेने के लिये ही यह डिमोक्रेटिक डिसेन्ट्रलाइजेशन का विधेयक लाया जा रहा था, लेकिन आज फिर उसी के हाथ में अधिकार देकर एक बहुत बड़ा अन्याय जनतांत्रिक विकेन्द्रीकरण के साथ किया जा रहा है।

दूसरी खामी इसमें यह है कि इसमें प्रत्यक्ष चुनाव का पता नहीं है। कोई कोआपरेटिव बैंक का प्रतिनिधि, कोई कोआपरेटिव सोसाइटी का प्रतिनिधि होगा, यानी मतलब यह है कि सतारूढ़ दल ने यह सोच लिया है कि हमारा सब जगह बहुमत है लिहाजा ऐसा प्रतिबन्ध रखा जाय जिससे इन्हीं के प्रतिनिधि केवल जिला परिषद् में जावें और दूसरों के न जाने पावें।

इसी तरह से अविश्वास के प्रस्ताव वाली बात है। इस असेम्बली में भी १/५ से हस्ताक्षर होने पर अगर कोई प्रस्ताव आवे तो आ सकता है, हमने १।३ का रखा था कि उतने आदमियों के हस्ताक्षर हो जावें तो अविश्वास का प्रस्ताव आ सकता है। लेकिन ताज्जुब है कि सरकार ने ट्रेजरी बेंचेज का यह संशोधन स्वीकार किया कि १।२ से ज्यादा सदस्य अविश्वास का प्रस्ताव पास करें तो पास हो सकता है। मान्यवर, किसी डेमोक्रेटिक डिसेन्ट्रलाइजेशन को जिन्दा रखने के लिये आवश्यक है कि कम संख्या वालों की भी आवाज सुनी जाय। मान्यवर, आप तो राजनीति के विद्वान हैं कि रशिया में यह मान्य है कि कलेक्टिव विल जनरल विल नहीं भी हो सकती है और जनरल बिल कोकलेक्टिव विल होना है। जान स्टुअर्ट मिल ने कहा था कि १ आदमी जो बात कहता है वह सही हो सकती है और ९९ आदमी जो बात कहते हैं वह गलत भी हो सकती है। इसलिये अविश्वास के प्रस्ताव में उस बात का खयाल न करके सरकार ने बहुत बड़ी गलती की है।

इसके साथ-साथ अध्यक्ष या उपाध्यक्ष अगर काम ठीक से नहीं करता है तो उसके खिलाफ भी अविश्वास का प्रस्ताव आ सकता है। इसमें क्या है? अगर कोई अध्यक्ष या उपाध्यक्ष माननीय मंत्री जी के हुक्म के मुताबिक चलता है और अगर कोई सदस्य अविश्वास का प्रस्ताव लाना चाहे तो उसमें तोड़-मरोड़ की जायगी और कभी अविश्वास का प्रस्ताव आ नहीं सकता। इस तरह का प्राविजन जो इसमें है वह बहुत खराब है। सरकार जब चाहे तो उनको हटाया जा सकता है। सरकार का मतलब क्या है, जिलाधीश। माननीय स्वशासन मंत्री कभी हटाने नहीं जायेंगे या लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के सेक्रेटरी उसको हटाने नहीं जायगे। तो इसमें जिलाधीश आफिशियल वर्सेस नान-आफिशियल का सवाल पैदा करेगा। वह तो यह देखेगा कि कैसे ये नान-आफिशियल्स--डिमोक्रेटिक डिसेन्ट्रलाइजेशन का कार्यरूप में परिणत कर सकते हैं। हम जानते हैं कि आफिशियल्स की मेंटलिटी क्या है। हम डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को दूसरी तरफ

[श्री प्रतापसिंह]

से यह भी अधिकार दे रहे हैं कि वह जब चाहे किसी अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को हटा सकता है। तो फिर आप किस तरह से विकेन्द्रीकरण कर रहे हैं यह समझ में नहीं आता। हमने देखा है कि जिला बोर्ड जब तक थे तब तक बड़ी आसानी से काम होता था। लेकिन तजुर्बा पिछले साल का यह है कि जिला अन्तरिम परिषद् में कितने ही मामले पड़े हुये हैं जिनको जिलाधीश तय नहीं कर सके हैं। वे एक ओर कांग्रेस को भी खुश करना चाहते हैं और दूसरी ओर विरोधी दल को भी खुश रखना चाहते हैं और इस कारण आज जनता के हित के जितने कार्य हैं वे सब विकृत दशा में पड़े हुये हैं। आप ने इसी प्रस्ताव में लिख रखा है कि डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस का डेवलपमेंट उन की ओर से हो, लेकिन वह इस तरीके से हो नहीं सकता है।

इसके बाद, चुनाव का क्या तरीका होगा, कौन चुनेगा ? हमारा पिछले १२ साल का तजुर्बा तो बताता है, हम किसी की नीयत पर शक नहीं करते, लेकिन ४८ से चुनाव नहीं कराया गया। आपको याद होगा श्रीमन्, कि सन् १९४८ में विधेयक लाया गया। इस आदरणीय सदन ने उसमें संशोधन किया। उसके बाद फिर बिना इस हाउस को कान्फीडेंश में लिये हुये आर्डिनेंस जारी किया गया। हमारे लेजिस्लेचर ने कैबिनेट को एक कार्य सौंपा था कि तुम इसको कार्यान्वित करोगे। "Cabinet is after all nothing but a committee of the House to execute its orders and directions." लेकिन यह कैबिनेट कल को कह सकती है कि चूंकि चीन का खतरा है इसलिये चुनाव नहीं होंगे यद्यपि वह खतरा जनता से ही होगा। यह जानते हैं कि अगले चुनावों में हम हारने वाले हैं, इसमें दो रायें नहीं हैं इसलिये ये फिर आर्डिनेंस इसके मातहत लायेंगे और चुनाव ये करायेंगे नहीं। इनका पिछला इतिहास बताता है और जो इनके काले कारनामे पिछले १४ सालों के हैं उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। १३ साल के बाद जिस डिमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन को आपको २५ साल आगे ले जाना चाहिये था, आप फिर १२ साल पीछे ले गये हैं, फिर किस तरह से जनता अपने हाथ में अपना राज्य ले सकती है और अपना काम चला सकती है ? फिर कल को आर्डिनेंस लायेंगे, इसलिये मैंने प्रस्ताव रखा था कि एक निर्वाचन आयोग की प्रस्तावना हो। किसी भी विधेयक को देखिये, जो असेम्बली, लोक सभा और विधान परिषद् के मेम्बर हैं वह नान-वोटिंग मेम्बर होते हैं। मंसूर का उदाहरण देना चाहता हूं, ऐसा राइट नहीं देना चाहिये कि वह वोट भी दे सकें। एक आदमी जो एम० एल० ए० या एम० पी० है वह जिला परिषद् पर अपना कब्जा कर सकता है, कल को प्रेसीडेंट बन सकता है, इसलिये नान वोटिंग मेम्बर ही होना चाहिये। आप गांव के नेताओं का विकास करना चाहते हैं, लेकिन अगर एक मिनिस्टर कहीं जाता है तो पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी खुद ही नहीं बोलता। तो जहां एम० एल० ए० होगा, भले ही वह वोटिंग में हिस्सा न ले, लेकिन वहां दूसरे मेम्बरों में कम्पलेक्स पैदा हो जाता है। इसलिये यह विधेयक धरा रह जायगा। मैं इस सम्बन्ध में श्री अम्बेदकर को कोट करना चाहता हूं जबकि यह प्रश्न था कि इमजेन्सी की जो धाराएं हैं उसमें कोई भी प्रेसीडेंट जो देश द्रोही हो सकता है, डिक्टेटर हो सकता है। तब उन्होंने कहा था—

"How bad or good a constitution may be ? It depends on the working and how it works."

ठीक यही सवाल है। इस विधेयक की धाराओं को कितना ही अच्छा कहें और उनको चलाने वाले हैं एम० पीज० और एम० एल० एज० जो रोजाना गंदी राजनीति में पड़ा करते हैं, उनसे उम्मीद करते हैं कि वह जनतांत्रिक विकेन्द्रीकरण की स्थापना कर सकेंगे। इसलिये इधर भी ध्यान दें।

लोकल बाडीज आफिसर्स की कान्फ्रेंस हुई। खासतौर से एग्जिक्युटिव आफिसर्स ने मांग की कि एक जिले में रह कर हमारी फैकल्टीज डेवलप नहीं हो पाती हैं, इसलिये हमारा ट्रांस्फर दूसरे अफसरों की तरह होना चाहिये। इसीलिये जिला परिषद् के अधिकारियों का भी ट्रांस्फर होना चाहिये। आप अध्यक्ष हैं, आप कितना ही अच्छी तरह कार्य करना चाहें, अगर

स्टाफ नहीं चाहेगा तो एक फाइल एक कमरे से दूसरे कमरे में नहीं जा सकती। इन अधिकारियों का जीवन पालिटिक्स में बीतता है और क्लिक्स में भाग लेते हैं, अगर उनका ट्रांस्फर नहीं होता तो जनता की उम्मीदों पर सरकार कुठाराघात करेगी। इसलिये मेरी मांग है कि इनका प्रान्तीयकरण होना चाहिये और एक जिले से दूसरे जिले में ट्रांस्फर होना चाहिये।

आखिर में यह कहना है कि इसमें लिखा है कि जब सरकार गजट में घोषणा करे,उस दिन जिला परिषद् कायम होगी। तो हमें ठीक तरह से बतायें कि कब चुनाव होगा, क्योंकि तभी क्षेत्र कमेटी होंगी। मैं सभी विरोधी दलों की तरफ से यह चाहता हूं कि वह अपनी नीति की स्पष्ट घोषणा करें कि किस महीने की किस तारीख को घोषणा करना चाहते हैं। सरकार कहती है कि बहुत जल्दी करना चाहते हैं, जल्दी का मतलब तो १२ साल होता है। अगर यही है तो जनता आपको बतलायेगी, उसके सामने आपको जवाब देना पड़ेगा। आज तक सरकार का इतिहास बतलाता है, मैं विरोधी दल के एक जिम्मेदार सदस्य के नाते कहता हूं कि सरकार चुनावों को हमेशा टालती रही है, जल्दी के माने एक युग होता है, इसलिये ठीक तिथि घोषित करे कि कब चुनाव कराने जा रहे हैं।

इन शब्दों के साथ मैं कहूंगा कि इस विधेयक पर पुनर्विचार किया जाय।

आचार्य दीपंकर—उपाध्यक्ष महोदय, माननीय उप-मंत्री जी ने जो प्रस्ताव उपस्थित किया है मैं उसका विरोध करता हूं। इस विधेयक पर पिछले दस दिनों से जो बहस हुई है और शुरू में पूरे सदन की इसके सम्बन्ध में जो धारणा थी और माननीय सदस्यों ने इसमें तरमीम करने के लिये जो संशोधन उपस्थित किये उनके सम्बन्ध में माननीय मंत्री जी और सरकार का जो दृष्टिकोण रहा, उसको देखते हुए यह नजर आता है कि इस विधेयक में इतने दोष हैं जोकि जनता को अधिकार देने से रोकते हैं। कहा यह गया था कि जनता को अधिकार दिये जायंगे, नीचे तक विकेन्द्रीकरण होगा, लेकिन जिस प्रकार से इस विधेयक में इन अधिकारों को जकड़ने की कोशिश की गई है उसको देखते हुये यह आशा नहीं है कि जनता उनका उपयोग कर सकेगी।

इसके अतिरिक्त जो इसमें कार्य की प्रणाली है वह भी इतनी दोषपूर्ण रखी गयी है कि जो सदस्य अविश्वास लाना चाहें उनकी संख्या दो तिहाई होनी चाहिये तब वह प्रस्ताव आ सकेगा। पास कराने के लिये भी इसी प्रकार की संख्या रखी गयी है जो आसानी से नहीं मिल सकती। नतीजा यह होगा कि इन क्षेत्रीय समितियों में और जिला परिषदों में आमतौर पर जो अविश्वास के प्रस्ताव आयेंगे उनको पास कराने में इतनी दौड़-धूप करनी पड़ेगी और इतना समय व्यतीत हो जायगा कि जिन कार्यों को करने के लिये इस संस्था की स्थापना की गई है वह कार्य रखे रह जायंगे।

इसके अलावा मैंने पहले भी निवेदन किया था, शायद आप को याद भी होगा, कि अगर किसी मंजिल पर चला जाय तो पूरा रास्ता चलना पड़ता है, लेकिन यदि बीच ही में कोई रुक जाय तो बिल्कुल न चलने और अधूरा रास्ता चलने में कोई फर्क नहीं होता। सरकार यह तो चाहती है कि जनता को अधिकार दे लेकिन उसको जनता पर विश्वास नहीं है कि आया वह उन अधिकारों का सही इस्तेमाल भी कर सकेगी या नहीं। इसी वजह से जब सरकार अधिकार देने लगती है तो उसका हाथ कांपने लगता है और इसी कारण वह कुछ न कुछ ऐसे बन्धन लगाने की कोशिश करती है जनता के ऊपर जिससे जनता को वह दिये हुये अधिकार बिल्कुल खत्म हो जाते हैं। इसी वजह से मैं यह निवेदन करना चाहता हूं आपके जरिये सरकार से कि इस विधेयक में जिस तरह से माननीय सदस्यों ने संशोधन रखे उनकी मंशा यही थी कि स्थानीय तरीके से लोग अपने बन्दोबस्त को अच्छे तरीके से कर सकें। क्षेत्रीय समितियों और जिला परिषद् में जनता के हाथों में ज्यादा अधिकार देने के लिये कोई विरोधी पक्ष के ही लोगों ने कहा हो, ऐसी बात नहीं है बल्कि कांग्रेस पार्टी के भी अनेकानेक सदस्यों ने इस प्रकार के संशोधन रखे जिनसे जनता को ज्यादा अधिकार हासिल हों और नौकरशाही के हाथ में जो इसकी सारी बागडोर पकड़ा दी गई है वह बागडोर जरा ढीली हो, लेकिन मुझे ऐसा मालूम पड़ता है कि माननीय मन्त्रियों और कैबिनेट के ऊपर नौकरशाही का भूत इस प्रकार से छाया हुआ है और जनता से वह इतनी ज्यादा भयभीत होती है कि विरोधी पक्ष के माननीय सदस्यों की राय को ठकराना तो उनकी एक आदत ही हो गई है

[आचार्य दीपंकर]

बल्कि स्वयं अपने कोलीग्ज और अपने साथियों पर भी उनको विश्वास नहीं रह गया है। जनता का तो उनको विश्वास है ही नहीं, लेकिन नौकरशाही पर उनको विश्वास है। नौकरशाही जो कुछ भी नीति निर्धारित कर दे वह ब्रह्मा की रेखा बन जाती है और उसमें इधर या उधर हट सकना मंत्रियों के लिये असम्भव हो जाता है।

मैं केवल विरोध करने के लिये ही विरोध नहीं कर रहा हूं प्रत्युत मैं और मेरी तरह से सोचने वाले बहुत से माननीय सदस्य जो इस विधेयक के आने से पूर्व आशा करते थे वह इस विधेयक के आने के बाद खंडित हो गयी। इन दस दिनों के विवाद में हम जो आशा करते थे कि कम से कम हमारे रीजनेबिल संशोधनों को सरकार जरूर स्वीकार करेगी लेकिन उनके प्रति सरकार ने जो रिजिडिटी, कठोरता और निरंकुशता दिखाई उस को देखते हुये इस विधेयक के पक्ष में और जो प्रस्ताव माननीय उप-मन्त्री जी ने रखा है उसके समर्थन में किसी प्रकार का नैतिक योगदान नहीं किया जा सकता। इस कारण से मैं प्रस्तुत प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

श्री नवलकिशोर (जिला बरेली)—उपाध्यक्ष महोदय, क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् विधेयक पास हो गया और माननीय मंत्री जी ने इस बात की प्रार्थना की है कि सदन उसको पारित करे। मान्यवर, इस सम्बन्ध में सभी ने अपने-अपने विचार रखे हैं। मुझे इस बात की खुशी है कि जिस रूप में यह विधेयक पेश हुआ था उसमें कुछ संशोधन हुए और मैं यह समझता हूं कि जो संशोधन स्वीकार किये गये हैं उनसे इस विधेयक की शक्ल काफी अच्छी हो गयी है। यद्यपि मैं इस बात का दावा तो नहीं करता और मुझे आशा है कि माननीय मंत्री जी भी इस बात का दावा नहीं करेंगे कि वह उससे अच्छा और नहीं आ सकता था। इसके अन्दर जो संशोधन हुए, और खास तौर से वह संशोधन जिसके अन्तर्गत सरकार ने यह माना है कि जो लोग इन्डायरेक्टली चुन कर आयेंगे, क्षेत्र समितियों के प्रमुख और क्षेत्र समिति से १ या २ सदस्य, उनकी जो संख्या होगी, उससे कम संख्या चुने हुए सदस्यों की नहीं होगी। इससे इतना तो अवश्य हुआ कि जो तादाद पहले तिहाई या तिहाई से कम थी वह करीब-करीब धारा १८ के एक और दो खंडों के अन्तर्गत जो होगी उसके बराबर जरूर पहुंच जायगी, अगर ज्यादा नहीं पहुंची तो। इससे विरोधी पक्ष के लोगों को कुछ संतुष्टि अवश्य होनी चाहिये थी।

इसके अतिरिक्त इसमें कोई शक नहीं कि इसमें कर्मचारियों को काफी अधिकार दिये गये हैं, इसमें कोई दो रायें नहीं हो सकतीं। कुछ कठिनाई भी है, जैसा कि स्वयं मंत्री जी ने बताया कि पुराने डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स को नियोजन के अधिकार नहीं थे और चूंकि अभी इन इकाइयों को नियोजन का काफी अनुभव नहीं हो पाया है और पहली बार ही इतने अधिकार जिला परिषद् को दिये जा रहे हैं इसलिये कर्मचारियों की अधिक संख्या रखी गयी है। इसलिये इसमें शक नहीं कि इसमें कर्मचारियों की संख्या भी अधिक है और उनको अधिकार भी अधिक हैं। लेकिन फिर भी जो संशोधन इसमें सरकार ने स्वीकार किया है उसके द्वारा चुने हुये अध्यक्ष को कर्मचारियों के ऊपर काफी नियन्त्रण का अधिकार हो जायगा। मिसाल के तौर पर जो सब से बड़ा कर्मचारी —मुख्याधिकारी है, जो ए० डी० एम० (पी०) होगा वह प्लानिंग विभाग का अफसर होगा। इस सम्बन्ध में सरकार ने इस बात को माना है कि अध्यक्ष को यह अधिकार होगा कि हर साल उसके कामों का असेसमेंट करके अपने रिमार्क्स संबंधित अधिकारी को जिसकी उसकी सर्विस बुक में एंट्री करने का अधिकार होगा, भेजा देगा और उसका फर्ज होगा कि एन्ट्री करते समय अध्यक्ष की टिप्पणी का ध्यान रखे। अगर उसको कुछ शक हो तो वह स्टेट गवर्नमेंट को उसे रिफर करेगा। उपाध्यक्ष महोदय, आप भी इस बात को जानते हैं कि हरएक सरकारी कर्मचारी को इस बात की बहुत फ़िक्र रहती है कि उसके करेक्टर रोल में क्या एन्ट्री होती है। इसलिये जो संशोधन सरकार ने माना है उससे एक अंकुश चीफ एक्जीक्यटिव आफिसर के ऊपर लग जाता है।

कमिश्नर के लिये बजट के सिलसिले म बहुत बड़ी ताकत है और उसकी तरफ मेरे मित्र और साथी दीपंकर जी ने संकेत किया। लेकिन उसमें भी जो संशोधन सरकार ने माना है उसमें इतना है कि कमिश्नर उन आइटम्स के लिये जो कि नियोजन से सम्बन्धित होंगे,

और जिनके लिये राज्य सरकार ने खासतौर से अनुदान दिया है, उसके सम्बन्ध में इस बात का अधिकार उसे दिया गया है कि वह देखे कि जिस नीति के आधार पर और जिस आइटम के लिये ग्रांट दी गई है, उसी पर जिला परिषद् खर्च करती है या नहीं। इस तरह के उसमें शब्द बढ़ा दिये गये हैं। इससे मैं समझता हूं कि चाहे शक्ति कम न की गयी हो लेकिन कुछ स्पष्टीकरण सा हो गया है शक्ति का भी। ऐसी मेरी अपनी धारणा है।

विकेन्द्रीकरण की भी बात कही गयी है। मुझे याद है कि शुरू में जब माननीय मंत्री जी बोल रहे थे तो उन्होंने इस बात को कहा था कि हमारी मंशा यह नहीं है कि हम कतई जिला स्तर पर पूर्णरूपेण राजकीय सत्ता का विकेन्द्रीकरण करना चाहते हैं। इसलिये मैंने शुरू में ही कहा था कि यह एक एक्सपेरिमेंट है, हमारी सरकार एक्सपेरिमेंट करना चाहती है कि कुछ चीजों का विकेन्द्रीकरण करके और इसके अन्दर जनरल क्लाज किया गया है कि सरकार अपने ऊपर इस बात की जिम्मेदारी ले रही है कि ज्यों ज्यों जिस समय ठीक समझेगी जिला स्तर पर और भी नये विभागों का संचालन जिला परिषद् को हस्तान्तरित करती जायगी। यह पहला कदम है विकेन्द्रीकरण की तरफ। मान्यवर, मैं उन लोगों में हूं जो सौ फीसदी इस बात के हामी हैं कि विकेन्द्रीकरण होना चाहिये। लेकिन साथ ही साथ जिस तरह का अनुभव हम लोगों को हुआ और जिनका संकेत कि हमारे बहुत से साथियों ने, जो इधर के बैठने वाले हैं और उधर के भी बैठने वाले हैं, किया कि हमें थोड़ा-सा सतर्क भी होना पड़ेगा और मैं समझता हूं कि जितने काम जिला परिषद् को दिये गये हैं या जो काम जिला परिषदें करती हैं, मैं आशा करता हूं कि उनको अंजाम देने में वे कामयाब होंगी तो कोई वजह नहीं कि सरकार की नीति जो विकेन्द्रीकरण करने की है, वह तेजी के साथ आगे क्यों न बढ़े।

एक बात जरूर ताज्जुब की है और वह यह कि १० दिन का जो हमें समय दिया गया था, करीब ४० खंड उसके अन्दर हमने पास किये और आज श्रीमन्, आपकी उदारता कहिये या समय के कारण कहिये २३३ खंड, मैं समझता हूं कि मुश्किल से ढाई-तीन घंटे के अन्दर हमने पास कर दिये हैं। तो मैं आपका ध्यान इस तरफ आकर्षित करना चाहता हूं कि यह तो एक बड़े कमाल की बात है जनतांत्रिक प्रणाली की कि ४० खंड तो पास हुए १० दिनों में और २३३ खंड पास हो गये ढाई घंटे के ही अन्दर। अब कितना हम लोगों ने उसको समझा, यह मैं नहीं जानता और इसकी जिम्मेदारी हम लोगों की भी है और जो उधर बैठने वाले हैं उनकी भी है।

मेरे मित्र श्री प्रताप सिंह जो कि कांस्टीट्यूशन के एक एक्सपर्ट हैं, उन्होंने फरमाया कि टाइम तो मंत्री महोदय ने तय किया है, लेकिन उनको मालूम होना चाहिये कि टाइम बिजनेस कमेटी ने तय किया जिसमें विरोधी दल के भी साथी शामिल थे। मैंने इस सम्बन्ध में पहले भी कहा था कि १० दिन का समय इसके लिये कम है लेकिन जो समय दिया गया था, उसका इस्तेमाल हम लोग चाहते तो बेहतर कर सकते थे। बहरहाल यह बात जरूरी है कि आयन्दा के लिये मैं माननीय मंत्री जी से और उनसे अधिक जो हमारे विरोधी दल के नेतागण मौजूद हैं, उनसे दरख्वास्त करूं कि जब कोई ऐसा महत्वपूर्ण विधेयक आया करे तो वे कम से कम बिजनेस कमेटी से ज्यादा टाइम देने के लिये कहें और टाइम देने के अलावा आपस में भी बैठ कर तय कर लिया करें कि किन-किन बातों पर बहस करनी है। मैं अधिक समय न लेकर केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि इसमें शक नहीं और मैं इस बात को फिर मानने के लिये तैयार हूं कि और भी इसमें बहुत अच्छी बातें आ सकती थीं। लेकिन जो शक्ल विधेयक की हमारे सामने आई और जो संशोधन पास हुए, उससे मेरा जरूर निश्चित मत है कि उसके अन्दर काफी अच्छाई हुई है और सुधार हुआ है।

*श्री मोतीलाल अवस्थी—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्तावित तृतीय वाचन के प्रस्ताव का विरोध करता हूं। श्रीमन्, मैं आपके द्वारा कुछ बातें विशेष रूप से सदन के सामने रखना चाहता हूं। यह विधेयक जिसमें २७३ धाराएं और ८ अनुसूची हैं, उसकी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री मोतीलाल अवस्थी]

केवल ४० धाराएं तो विवाद के बाद पास हुई हैं और बाकी, जैसा कि हमारे नवल किशोर जी ने कहा, ढाई घंटे में एक-दम पास कर दी गईं। वह संख्यासुर के बल पर पास हो गईं और जिसमें सदन के सदस्यों की राय किसी रूप में नहीं ली जा सकी। श्रीमन्, यह दुःखजनक बात है कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में बहुत-सी बातें येन-केन-प्रकारेण पास कर ली जाती हैं। वहां भी विरोधी पक्ष का अल्पमत रहता है। कभी भी विरोधी पार्टी के व्हिप की राय से काम नहीं होता है। यह जो ८-१० दिन का समय दिया गया वह इतना कम था कि रुपये में दो आने हिस्सा विवाद के बाद पास हुआ और बाकी १४ आने एक सांस में सरकार के बहुमत से पास हो गया। तो यह विधेयक प्रजातांत्रिक तरीके से पास नहीं हुआ है। यह संख्यासुर के खिंचाव से पास हुआ है, जो सरकार हमेशा किया करती है। आज जिस रूप में इसे पास किया गया है उसे जनता कभी स्वीकार नहीं करेगी। यह न प्रजातांत्रिक तरीके पर बना है और न इससे विकेन्द्रीकरण होने जा रहा है। जो कुछ अधिकार पहले जिला परिषदों के हाथ में थे अब वह भी छिन जायेंगे। अब जनता को प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा अपने सदस्यों को जिले का स्वायत्त शासन सम्हालने के लिये भेजने का मौका नहीं रहेगा। अब अप्रत्यक्ष रूप से चुने गये लोगों का ही बहुमत होगा।

कहा जाता है कि क्षेत्र समितियों का निर्माण करके बीच में एक कड़ी हम पैदा करेंगे। लेकिन यह जो कड़ी बनाई गई है इसमें भी जनता के सीधे चुने हुए प्रतिनिधियों का हाथ नहीं रहेगा। वहां भी अप्रत्यक्ष रूप से आये हुए लोगों का ही बहुमत रहेगा। केवल ग्राम-पंचायत ही ऐसी कड़ी है जहां पर जनता के प्रत्यक्ष चुने हुए सदस्यों का बहुमत होगा। बाकी ये दोनों संस्थाएं अप्रत्यक्ष वालों की ही होंगी। तो हम कैसे कह सकते हैं कि यह जो नया कदम उठाया जा रहा है, यह प्रगतिशील है ? यह अप्रगतिशील है, यह रिऐक्शनरी है।

चाहे क्षेत्र समिति को देखें, चाहे जिला परिषद् को देखें, दोनों में ही चुनावों को इस प्रकार से रखा गया है जिससे मालूम होता है कि तीन-चार गुट बन जायेंगे। एक तो उन लोगों का जो अप्रत्यक्ष चुन कर आयेंगे, एक उनका जो किसी न किसी रूप में ब्लाक्स से आयेंगे, और एक उनका जो विधान मंडल के सदस्य होंगे, कुछ ऐसे भी होंगे जो किन्हीं संस्थाओं से बुला लिये गये हैं। यह विधान मंडल के सदस्य हमेशा एक बैलेंशिंग फैक्टर हो जायेंगे। पहले जिला बोर्डों के निर्माण में सरकार के नामजद लोग हुआ करते थे। विधान मंडल में भी जो पहले की विधान सभाएं थीं उनमें नामजद लोगों का बहुमत होता था।

हिन्दुस्तान के १९३५ के ऐक्ट या १९२१ के ऐक्ट के मुताबिक जो परिषदें बनी थीं उनकी मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं। उनमें नामजद लोगों की संख्या ज्यादा होती थी। आज जिला परिषद् में भी यही बात लाई गई है कि विधान मंडल के सदस्यों को सरकार नामजद कर रही है जो कि जिधर झुक जायेंगे बहुमत बना सकते हैं। यों तो क्षेत्र समितियों तथा जिला परिषद् के सदस्यों को प्रस्ताव देने, सवाल करने का अधिकार दिया गया है लेकिन जो वास्तविक अधिकार अपने अर्थ की व्यवस्था करने का है कि उसको किन्हीं विकास के कामों में लगा सकें इसकी पकड़ सरकार ने अपने हाथ में रखी है। आप देखें, क्षेत्र समिति में जो अधीक्षक होंगे, बी० डी० ओ०, ए० डी० ओ०, वह छाये रहेंगे। ठीक इसी प्रकार से कार्याधिकारी, ए० डी० एम० प्लानिंग जिला परिषद् में होंगे जो पूरे अधिकार युक्त रहेंगे। अभी तक इन जिला बोर्डों में जो सेक्रेटरी होते थे उन पर बोर्ड का पूरा अधिकार रहता था। लेकिन अब नवीनता यह लायी गई है कि उनको भी सरकार अपने द्वारा नियुक्त करेगी। तो हम देखेंगे क्षेत्र समिति के सदस्य, जिला परिषद् के सदस्य अपनी एक निरंकुशता की भावना से बैठ कर सलाह मशविरा करने वाली संस्था बन जायेंगे लेकिन मुख्य अधिकार कार्याधिकारी और अधीक्षकों के पास रहेंगे। कभी-कभी तीन महीने में एक मजमा जोड़ेंगे यानी साल में ४ दफा और ५ घंटे के अन्दर कुछ थोड़ी सी

बातें ला करके और बाकी समय विवाद में यों ही बिता करक अपना उल्लू सीधा किया करेंगे और शेष दिन कार्याधिकारी और अधीक्षक अपना शासन करेंगे। इस प्रकार का ढांचा बना रहे हैं मंत्री जी ।

विशेषतः जब हम चाहते हैं विकेन्द्रीकरण हो तब हमारा तात्पर्य यह होता है कि उसक जितने भी अधिकारी हों वे हमारे हों जिनको हम कह सकें कि वह हमारे हैं। बिना इसके विकेन्द्रीकरण कहां होता है ? विकेन्द्रीकरण क्या इसी रूप में होता है--विवाद का अधिकार हो और हमारे निश्चयों को कार्यान्वित करने वालों पर हमारा अधिकार न हो ? क्षेत्र समिति में जितने अधिकार होंगे उन सब को अपने ही द्वारा नियुक्त, अपने ही आदमियों को रखना, उनकी अर्हतायें, उपलब्धियां, सेवा के नियम यह सब सरकार बनायेगी और सरकार के कर्मचारी होंगे जिनका ट्रांसफर, प्रोमोशन अपनी इच्छा के मुताबिक सरकार करेगी। यह विकेन्द्रीकरण नये तरीके का हमारे सामने लाया जा रहा है और हमको समझाया जाता है कि आप विकेन्द्रीकरण की ओर बढ़ रहे हैं। इन जिला परिषदों के लिये, हमारी तरफ से तो नहीं वरन् सरकार की ओर से एक शब्द इस्तेमाल किया गया "चूं-चूं का मुरब्बा" जो बिलकुल फिट बैठता है....

श्री उपाध्यक्ष—यह आफिशियल वर्ड है (हंसी) ।

श्री मोतीलाल अवस्थी—जी हां, आफिशियल साइड से आया है इसी को मैंने ग्रहण कर लिया है और सरकार को वापस कर रहा हूं। एक डिबेटिंग सोसायटी बनायी है जो साल में चार दफा बैठकर उठ जाया करेगी, शेष दिन अधीक्षक और कार्याधिकारी शासन करेंगे। विशेष बात यह है कि जब जिला परिषदों का विचार होने लगा तो हमारे मुख्य मंत्री जी की तरफ से बड़ा सुन्दर आश्वासन दिया गया था। उनसे पूछा गया कि जिला बोर्डों के बारे में सरकार क्या सोच रही है ? तो उन्होंने कहा कि अब तो जिला बोर्डों की आवश्यकता ही नहीं रह गई, इनको बिलकुल समाप्त कर दिया जाय ऐसा सरकार सोच रही है। हां, उसकी जगह पर नियोजन की संस्था की तरह की कोई चीज रखने की सोच रहे हैं। लेकिन इतने दिन के बाद स्वायत्त शासन विभाग द्वारा प्रस्तुत तथा श्री विचित्रनारायण शर्मा की विचित्रता हमारे सामने दिखाई पड़ रही है। इनको देख कर क्या हम कह सकते हैं कि जिला बोर्डों से छुटकारा पा गये ? बिलकुल नहीं। अब जिला बोर्ड इस रूप में हमारे सामने आयेंगे। जिस किसी को सभापति या प्रमुख सरकार की मर्जी से बना दिया जायगा वह हटाये नहीं हटेगा। वे हटाये नहीं जायेंगे। कहीं भी प्रजातांत्रिक संस्थाओं में यह दिखाई नहीं देता जहां अध्यक्ष का हटाया जाना बहुमत से संभव न हो। जितनी भी विधान सभायें या विधान परिषदें हैं उनमें बहुमत के द्वारा अध्यक्ष को हटाया जा सकता है लेकिन एक नयी प्रकार की जिला परिषदें तथा क्षेत्रीय समितियां बनायी गयी हैं जिनके अध्यक्षों को हटाया नहीं जा सकता। होगा यह कि पहले जिला बोर्डों में बहुमत के द्वारा कार्य करने की क्षमता थी लेकिन पदासीन बैठे हुये प्रमुख और अध्यक्ष ऐसे होंगे जो सरकार के जिलाधीशों से ज्यादा वफादार होंगे। इन जिला बोर्डों की जगह जिला परिषदें बड़ी ही प्रतिक्रियावादी रूप में सामने आई हैं।

अब नियोजन के सम्बन्ध में क्या प्रगति की गयी ? अभी तक नियोजन का कार्य सरकारी अधिकारियों द्वारा किया जाता था। गांवों में ए० डी० ओ०,बी० डी० ओ० जाते थे और मोटरों के द्वारा चहलकदमी कर लेते थे। लेकिन अब जिला परिषद् तथा क्षेत्र समिति में बैठ कर वे शासन करेंगे। लाखों और करोड़ों रुपया नियोजन के लिये दिया जाता है उसका सारा व्यय उनके द्वारा होगा। सरकार ने यह बहुत पापमय कर्म किया है जिसको हम सोच नहीं सकते।

इन ग्राम सभाओं को एक यूनिट माना गया है और उनको अधिकार मिला है कि प्रत्यक्ष चुनाव के जरिये निर्माण करें लेकिन उन पर भी हाथ डाल दिया गया है जिला परिषदों द्वारा ग्राम सभाओं को हड़पना और क्षेत्र समितियों द्वारा अधिकार ले लेना। तो ग्राम पंचायतों को जो अधिकार दिये गये हैं वे इस विधेयक के जरिये छीन लिये गये हैं। उनके प्रस्तावों को हर

[श्री मोतीलाल अवस्थी]

वक्त आप अमान्य कर सकते हैं और उनका अंकुश आप अपने हाथ में लेना चाहते हैं। आप कहते हैं कि तीनों का आप समन्वय कर रहे हैं लेकिन यह एक प्रकार का सेंट्रलाइजेशन है और ग्राम सभायें अब स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं कर सकेंगी। हम ऐसा विकेन्द्रीकरण नहीं चाहते। हम चाहते थे कि वास्तविक अधिकार हमारे हाथ में हों। ला ऐंड आर्डर, व्यवस्था तथा कानून का अधिकार हमारी ग्राम सभाओं को दिया जाय। लेकिन इस विधेयक के पास होने पर क्या यह संभव हो सकेगा? बहुत-सी बातें हमारे मंत्री महोदय सोते हुये कहा करते हैं। उनका कहना है कि लैन्ड रेवेन्यू में भी उनको हिस्सा मिलेगा। वह हिस्सा उनको आप यहां बैठे होंगे तब देंगे या उन दिनों देंगे जब आप कहीं दूसरी जगह दिखायी देंगे? हम चौखम्भा राज्य की पुकार करते करते इस सरकार के कानों में गूंज देते हैं कि चौखम्भा राज्य के माने हैं कि पूर्ण सत्ता देहात के लोगों में हो। क्या हमने यह कोई ऐसी बात मांगी है जो अग्राह्य है? क्या उसका एक भी अंश मात्र इस बिल में है? न्याय शासन-व्यवस्था करने का एक भी हिस्सा क्षेत्र समितियों को मिल रहा है? न तो उनको अर्थ-व्यवस्था के लिये कहीं सत्ता मिल रही है, न न्याय व्यवस्था करने में कोई अधिकार मिल रहा है। केवल मात्र एक खिचड़ी पकाई गयी है।

श्री उपाध्यक्ष—समय कम है, और भी माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं।

श्री मोतीलाल अवस्थी—मैं थोड़ा ही समय लूंगा।

मैं कहूंगा कि नियोजन को जो बलात् जिला बोर्डों के साथ जोड़ने की चेष्टा की गयी है वह सरकार जोड़ नहीं पायी और अनमेल जोड़ की जो कोशिश की उससे एक ऐसी चीज निकली जिसको हम नपुंसक कहें तो बेजा न होगा। उस नपुंसक खिलौने को लेकर हम क्या करें? यहां सरकार ने अपना नग्न रूप दिखलाया। संस्थायें बनायीं, प्रत्यक्ष चुनाव न दिया। सदस्य आये लेकिन उनको बहुमत द्वारा कार्य करने की विधि न दी। हमको बैठने का अधिकार दे दिया लेकिन कर्मचारियों पर अधिकार न दिया। इसमें जो दफायें हमारे सामने आयीं उन पर हमको अपनी राय तक देने का मौका नहीं दिया गया। कहा गया कि जल्दी पास कर दिया जाय ताकि फरवरी में चुनाव करा दें। फरवरी में चुनाव कराने की बात अब भी हमारे दिलों में खटक रही है कि सरकार नहीं करायेगी। जब नियम, उपनियम बनाने का समय आयेगा तो सरकार कोई बहाना ढूंढ़ेगी कि कोई कहता हुआ मिल जाय कि गर्मी ज्यादा पड़ने लगी है या किसी दफ्तर से टेलीफोन आ जाय, तो ये कह दें कि फलां आदमी कहता है, फलां जगह से टेलीफोन आ गया इसलिये फरवरी में चुनाव नहीं करा पायेंगे। मुझे यह कहने में जरा भी हिचक नहीं है कि इनके कर्मचारी आज अकर्मण्य हो गये हैं और साथ-साथ इस सरकार की बुद्धि भी भ्रष्ट हो गयी है। ऐसी हालत में ये फरवरी में चुनाव नहीं करा पायेंगे और जैसे टूटे-फूटे जिला परिषद् आपने सोचे हैं उनका भी निर्माण नहीं हो पायेगा। इन जिला परिषदों का निर्माण हमारे बीच में एक कलंक के रूप में हो रहा है। यह विधेयक इतना लचर है कि इसमें बहुत से संशोधन आयेंगे और इस सरकार के द्वारा भी सन् ६२ के पहले-पहले दो-चार संशोधन आ जायेंगे। मैं विशेष रूप से सरकार से प्रार्थना करूंगा कि अगर सरकार चाहती है कि विरोधी पक्ष को विश्वास में ले तो मूलभूत दो तीन बातें काम में लाये। पहले तो वह यह कह दे कि विकेन्द्रीकरण करने की जो हमारी मन्शा है उसको हम इस विधेयक के द्वारा ही न करके कुछ और बातें सोचते हैं। इन बातों का सरकार एलान करे और सरकार इस बात का भी ऐलान करे कि इन संस्थाओं का जो निर्माण होगा उनकी हम आर्थिक सहायता करेंगे यानी अर्थ की सुविधा देंगे। अभी तक तो यह हुआ कि बजट वगैरह के पेश करने में काफी अड़चनें हैं। नवलकिशोर जी ने भी कहा है कि आयुक्त दखल देगा और खाली आयुक्त ही नहीं बल्कि जिलाधीश दखल देगा और सरकार दखल देगी। इसका बजट बनाने का समिति को अधिकार है और सदस्यों के केवल राय देने की बात रखी गई है।

दूसरे सरकार इस बात का एलान करे कि हम आर्थिक सहायता देना चाहते हैं और जब तक सरकार भूमिकर में से कुछ हिस्सा क्षेत्र समितियों, जिला परिषदों, गांव पंचायतों को नहीं देगी तब तक इस समस्या का हल नहीं हो सकेगा। यह आज जो हमारे अध्यापक रो रहे हैं कि तीन-तीन मास तक तनख्वाह नहीं मिलती है। वह अब भी रोते रहेंगे और सरकार उनकी तरफ नहीं देखेगी। श्रीमन्, मुझे यह कहना पड़ेगा कि इस नई व्यवस्था में इनको हमें अधिकार देने पड़ेंगे और बिना अधिकारों के दिये यह कारगर नहीं हो सकते हैं और जनता का कल्याण नहीं कर सकते हैं।

तीसरी बात यह है कि इस तरह से हमारा नियोजन का काम कभी भी चलने वाला नहीं है और इम्प्रैक्टीकेबिल होगा। लाखों और करोड़ों रुपये चन्द लोगों के हाथ में दे देने से जनता का विश्वास प्राप्त नहीं कर सकते हैं और जब तक आप जनता का विश्वास प्राप्त नहीं करेंगे तब तक आपको जनता का सहयोग नहीं मिलेगा और जब जनता का सहयोग नहीं मिलेगा तो नियोजन का काम भी सफल नहीं हो सकता है। अतः आपका करोड़ों रुपया बेकार जायगा और कोई मतलब नहीं हल होगा। मैं चाहता हूं कि सरकार अपने मन्तव्य की घोषणा करे अन्यथा यह अधिनियम निर्मूल सिद्ध होगा। जब जनता पढ़ेगी तो कहेगी कि यह विकेन्द्रीकरण का नमूना है या केन्द्रीकरण है, यह प्रगतिशील होने का नमूना है या अप्रतिक्रियावादिता का नमूना है और यह अधिकारों को घटाने वाला है या बढ़ाने वाला है। इन प्रश्नों से सरकार परेशान हो जायगी। इसलिये श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि इसका तृतीय वाचन किसी भी हालत में पास न किया जाय।

***श्री गेंदासिंह**—श्रीमन्, जो प्रस्ताव इस समय माननीय सदन के सामने है मैं उसका स्पष्ट विरोध करता हूं और मैं समझता हूं कि यह विधेयक इसलिये लाया गया है कि शासनतंत्र का विकेन्द्रीकरण होगा। श्रीमन्, मैं समझता हूं कि ऐसा उपहास अब तक कभी नहीं हुआ था जो इस समय किया जा रहा है इस विधेयक के द्वारा। यह बड़ी स्पष्ट बात है और इसी को अगर शासन का विकेन्द्रीकरण कहा जा सकता है तो इससे अच्छा तो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ऐक्ट था और मैं नहीं समझता कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ऐक्ट का क्या सुधार इस विधेयक द्वारा किया जा रहा है। हां, यह सही है कि उसमें क्षेत्र समितियां नहीं थीं और इनडायरेक्ट सदस्यों के चुनाव होने की व्यवस्था नहीं थी। लेकिन श्रीमन्, जब असेम्बली और बड़ी कौंसिल के चुनाव हुआ करते थे तो इसी के साथ-साथ डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स के वोटरों की बात थी, जो साधारण जमीन पर रहने वाले लोग थे उनमें से चुनकर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स में पहुंचा करते थे। मैं समझता हूं कि माननीय वर्मा जी को इस बात की याद होगी। मेरी समझ में यह बात नहीं आई कि किन मानों में जिला परिषदों को प्रगतिशील बनाया जा रहा है और जनता को रिप्रेजेंट करने का अधिकार किस तरह से हो सकेगा इस बात को मैं नहीं समझ पा रहा हूं।

श्रीमन्, सरकार उस समय घबड़ाती हुई मालूम पड़ी जिस समय यह विधेयक पहले सिलेक्ट कमेटी में था। श्रीमन्, मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि सिलेक्ट कमेटी में सरकार ने हार खाई और बुरी तरह से सरकार हारी। तब सरकार ने इस बिल को वापस लिया और सरकार किस माने में हारी? मैं श्रीमन्, कह दूं कि सरकार कई माने में हारी.....

श्री विचित्रनारायण शर्मा—यह बिलकुल गलत बात है कि हारने की वजह से सरकार ने इसको वापस लिया।

श्री गेंदासिंह—श्रीमन्, हारी और बिलकुल हारी और जो सरकार चाहती थी, वह नहीं हुआ। इस वजह से सरकार को उस बिल को वापस करना पड़ा और नहीं तो वह कारण बतला देंगे कि किस वजह से वापस लेना पड़ा। मैं कहता हूं कि सरकार को हार खानी पड़ी। जहां तक जनता के अधिकारों के रक्षा करने का सवाल था सेलेक्ट कमेटी ने सरकार को कुछ जकं दिया, तो सरकार को नापसन्द हुआ और सरकार ने उस बिल को वापस लेकर आज इस तरह का प्रतिक्रियावादी बिल जनता के अधिकारों को छीनने के लिये ला कर रख दिया।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री गेंदासिंह]

हम तो डेमोक्रेसी में सद्भावना, टालरेंस और गुडविल का स्थान समझते हैं और इस बात को समझने थे कि इस बिल को अगर हम जल्दी से पास करेंगे तो जनता के हितों की कुछ रक्षा हो सकेगी और शासन के विकेन्द्रीकरण की जो भावना है उसका कुछ फल मिलेगा। पुराने डिस्ट्रिक्ट बोर्डों का चुनाव १९४८ में हुआ था। १२ वर्ष तक कोई चुनाव नहीं हो सका। तो यह हमारी कमजोरी थी। हम सोच रहे थे कि जनता के उस अधिकार को जल्द से जल्द उसके पास पहुंचना चाहिये कि परिषद् को बना कर उनके जिले के छोटे-मोटे कामों में उसका प्रतिनिधित्व कर सके। इस मानो में हमने ज्वाइंट सेलेक्ट कमेटी में जाने का रास्ता नहीं लिया था। यह जरूर आशा की थी कि एक सद्भावना का वातावरण सदन में उत्पन्न होगा और विरोधी दल जो अमेंडमेंट रखेगा, उनके भी ऐसे अमेंडमेंट कम से कम मंजूर किये जायेंगे जो बिल को इम्प्रूव करने में मददगार हो सकें। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि क्या सारी दुनिया की अक्ल सरकार के हिस्से में पड़ गयी है और सारी दुनिया की बेवकूफी हम लोगों के हिस्से में पड़ गयी है? डेमोक्रेसी में इस तरह की भावना रखना बिलकुल खतरनाक है।

४२७ अमेंडमेंट्स पेश हुये, उनमें से कुछ अमेंडमेंट्स ऐसे हैं जो सरकारी पेश हुये। उनके अलावा जरा आप पूछें माननीय मंत्री जी से कि विरोधी दल के एक भी अमेंडमेंट को उन्होंने स्वीकार करने की गलती की? एक-आध अमेंडमेंट मंजूर हुआ लेकिन ऐसा कोई अमेंडमेन्ट नहीं मंजूर हुआ जिससे सचमुच जनता के अधिकारों की रक्षा कर सकें। अब मैं उनके एक अमेंडमेंट की चर्चा कर दूं जो मंजूर हुआ। डेमोक्रेसी की हिफाजत यह हुई कि अगर किसी को अविश्वास का प्रस्ताव लाना है तो वह बहुमत का विश्वास प्राप्त कर ले। यह शासन के विकेन्द्रीकरण और प्रजातंत्र की रक्षा का नमूना है कि जब तक बहुमत न पसन्द करे तब तक किसी अविश्वास के प्रस्ताव पर विचार भी नहीं हो सकता। श्रीमन्, आपकी कुर्सी से ज्यादा पवित्र कुर्सी जिला परिषद् के अध्यक्ष या क्षेत्र समिति के अध्यक्ष की नहीं है। मैं माननीय वर्मा जी और शर्मा जी से कहूंगा कि विधान सभा के अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव लाया जा सकता है छोटी संख्या से लेकिन क्षेत्र समिति और जिला परिषद् के अध्यक्ष के खिलाफ अगर अविश्वास का प्रस्ताव लाना हो तो आधे या आधे से ज्यादा संख्या दस्तखत करे तब मीटिंग बुलायी जायगी। बुलाने का है श्रीमन्, हम लोग चाहते थे कि एक चौथाई कर दिया जाय। सरकार के मूल विधेयक में जो था वह एक तिहाई था। एक तिहाई के दस्तखत से ऐसे अविश्वास के प्रस्ताव पर विचार करने के लिये समिति की बैठक बुलायी जा सकेगी। लेकिन सरकार ने उसमें अमेंडमेंट मंजूर यह किया कि आधे से अधिक या आधे लोगों के दस्तखत हों तब बुलाया जा सकेगा।

श्रीमन्, माननीय रामेश्वर प्रसाद जी जब कोई अमेंडमेंट मूव करते हैं और इधर से जोर से हम लोग उस पर "नहीं" कहते हैं तो उनको एक बड़ी हैरत होती है कि आखिर वह तो बड़े कुचले हुये वर्ग के हैं और उनके अमेंडमेंट का विरोध हम लोग क्यों करते हैं? लेकिन हम तो समझते हैं कि कुचले हुये वर्ग से हैं लेकिन कुचलने के लिये वह हैं। जो चुनकर भेजते हैं उनको कुचलना वह चाहते हैं। इसलिये जब वह ऐसी बात करते हैं तो हम उसका विरोध करते हैं। मैं पूछता हूं कि आखिर यह क्या है? एक-तिहाई लिखा हुआ था कि एक-तिहाई अगर मेम्बर उस पर दस्तखत कर दें तो प्रस्ताव आ जायगा। लेकिन माननीय रामेश्वर प्रसाद जी का अमेंडमेंट यह मंजूर हो गया कि आधे या आधे से अधिक हों तब अविश्वास का प्रस्ताव आ सकेगा। श्रीमन्, मैं आपसे कहना चाहता हूं और मैं फिर दुहाई यह देना चाहता हूं इस सदन में कि अपोजीशन का हमेशा यह धर्म है, उसका कर्त्तव्य है कि उसकी बात सुनी जा सके। लेकिन अब उनको अपनी बात कहने का भी मौका मिल सकेगा? फिर उसके बाद छः महीने पर मंत्रि-मंडल पर अविश्वास का प्रस्ताव आ सकता है। आपके विरुद्ध छः महीने के बाद प्रस्ताव आ सकता है। लेकिन उनके विरुद्ध एक बार अविश्वास का प्रस्ताव आ जाने के बाद एक वर्ष तक दुबारा प्रस्ताव नहीं आ सकता। यह हमारा विधेयक है।

अब और एक-दो बातों की तरफ आपका ध्यान दिलाऊं। जहां हमारा अधिकार सभापतियों के खिलाफ एक बात कहने का नहीं है वहां सरकार यह अधिकार जरूर ले रही है कि जब चाहे तब उनके कान पकड़ कर दुरुस्त कर दे। हम दुहाई दे देकर मर गये कि जनता को तो अधिकार आप नहीं दे रहे हैं लेकिन जनता के ऊपर और सभापतियों में से झगड़ा जिनका रहेगा उनके हाथ में तो उनका कान मत पकड़वा दीजिये। लेकिन उसको सरकार ने नहीं माना। उसकी चर्चा बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। जिन लोगों ने विधेयक देखा होगा मैं समझता हूं कि वह इस बात से ऐग्री करेंगे।

इसके बाद जिन नौकरों को रखना है उनके बारे में हमारे कुछ अमेंडमेंट्स थे कि जिला परिषद् की स्वीकृति से रखे जायं या जिला परिषद् की रेकमेंडेशन से ही रख दें। लेकिन उसको भी स्वीकार नहीं किया। कहा उसमें झगड़ा होगा। श्रीमन्, सारी दुनिया का ठेका ले लिया है सरकार ने कि जो झगड़ा छुड़ाने का काम है वह सारे झगड़े सरकार छुड़ा सकती है और दुनिया में जो सार्वजनिक लोग हैं, जो नीचे के लोग हैं, जनता जो है वह तो झगड़ालू है। उनका तो झगड़ा ही करने में सारा समय बीतता है। इसलिये सरकार को जब तक सारे अधिकार न दे देंगे तब तक काम नहीं चलेगा। और वेतन के सम्बन्ध में श्रीमन्, अवस्थी जी ने ठीक चर्चा की। मैं आपसे कहता हूं कि अन्तरिम जिला परिषद् आयी। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में जो प्रबंध था अध्यापकों के वेतन के मिलने का वह चाहे दस रुपया मिले चाहे १५ रुपया मिले, मिल तो जाता था हर महीने। लेकिन अन्तरिम जिला परिषद् के आने के बाद वह तनख्वाह तीन-तीन, चार-चार, पांच-पांच महीने तक बकाया रही। इसकी तो चर्चा सरकार ने कभी नहीं की।

मैं आपसे कहता हूं कि इस विधेयक का दूसरे स्टेट्स से भी मुकाबला किया गया। दूसरे स्टेट्स से इसको बड़ा प्रगतिशील समझा जाता है। लेकिन आप यह तो कहीं इसमें बता दें कि गवर्नमेन्ट मालगुजारी या किसी भी कर में से क्या मदद करेगी इन जिला परिषदों या क्षेत्रीय समितियों को? कहीं आप इस तरह की कोई बात बतावें तो? कर लगाने का अधिकार तो आपने दिया। टैक्स वलेविटंग बाडी जरूर बनाना चाहते हैं ताकि मार खायं गांवों में, अनपापुलर बनें। लेकिन आप क्या दे रहे हैं? सरकार क्या दे रही है? श्रीमन्, आन्ध्र की बात कही जाती है, राजस्थान की बात कही जाती है। क्या राजस्थान ने इस बात की व्यवस्था नहीं की है कि सरकारी मालगुजारी में से भी इनको कुछ दिया जाय? अब आप बतावें कि आपने कहां यह रखा है? तो श्रीमन्, मैं समझता हूं कि सिवाय इसके कि हम मार खायं, गांवों में अशांति हो, उपद्रव हो, इसके अलावा हमको इस विधेयक से कुछ मिलने वाला नहीं है। क्या है इस विधेयक में? यह तो ग्राम का चित्र है विधेयक। इसमें कहां है रक्षा की व्यवस्था? किस शरीफ आदमी के कहने से कलेक्टर आदि पर असर पड़ सकेगा और कैसे वह समझेंगे कि बंदूक आगे से चलती है अथवा पीछे से। आज गांवों में लाखों नौजवान ऐसे हैं कि जिनको अगर बंदूक दे दी जाय तो वे अपनी रक्षा नहीं कर सकते, अपने को उससे मार सकते हैं, चोट खा सकते हैं। तो श्रीमन्, इससे रक्षा की व्यवस्था नहीं हुई, अरक्षा की भावना बढ़ गयी है।

श्रीमन्, मैं जल्दी में दो एक-बातें और कह कर समाप्त कर दूंगा। अगर इस विधेयक में मैं यह समझूं कि सारे अधिकारों को केन्द्रीयकरण करने का प्रयास है, तो मैं समझता हूं, ठीक होगा। इसके लिये मैं कोई दूसरी बात नहीं कहना चाहता हूं। सभी तरफ से खींच-खींच कर के सरकार की तरफ अधिकार लिये गये हैं। मैं फिर दोहराना चाहता हूं कि सरकार के माने बहुत व्यापक हैं। किस स्टेज पर किस को सरकार कहा जाय, यह समझना बहुत कठिन है। चौकीदार को तो हम सरकार नहीं कहते हैं क्योंकि वह पांच रुपया पाता है, लेकिन वह ५ रुपये वाला चौकीदार भी मौके पर जहर का काम करता है जब वह समझता है कि हमारे सिर पर लाल पगड़ी बंधी है। लेखपाल से लेकर कमिश्नर तक का सम्बन्ध तो अच्छा रहेगा और उनका सम्बन्ध उनसे अच्छा रहेगा जो चुन कर आयेंगे क्योंकि उनकी चुटिया उनके पैर के नीचे रहेगी और वह जिस तरह से चाहेंगे उनको अपनी उंगली पर नचायेंगे और अगर वे नहीं नाचेंगे, तो निकालेंगे, बरखास्त कर दिये जायेंगे और तरह-तरह से अपमानित किये जायेंगे, उनको हर तरह

[श्री गेंदासिंह]

से हैरेस और परेशान किया जायगा और इस विधेयक में इसकी पूरी-पूरी गुंजायश है और मैं समझता हूं कि अगर छाती पर हाथ रख कर हमारे मंत्रिगण ईमानदारी से सोचें तो रात में कहेंगे कि उसने सही कहा था.....

श्री विचित्रनारायण शर्मा---ईमानदारी तो सारी उधर ही है ।

श्री गेंदासिंह---नहीं, मैं जानता हूं कि उधर भी है । इस समय उसके अर्थ रिलेटिव सेंस में हैं । आप ईमानदार हैं अपनी पावर के लिये और उसके लिये इतने ईमानदार हैं कि आपने विकेन्द्रीकरण के नाम पर इस तरह शक्ति का दुरुपयोग किया है । ऐसा नहीं करना चाहिये था, लेकिन किया गया । मैं समझता हूं कि यह भ्रम है .....

श्री उपाध्यक्ष---मैंने कुछ नहीं किया । यह सरकार ने किया होगा ।

श्री गेंदासिंह---क्षमा चाहता हूं । सरकार की तरफ ही मेरा इशारा था और उसे ऐसा नहीं करना चाहिये था । अगर इधर के लोग उस तरफ बैठे होते तो हिम्मत नहीं पड़ती इनको इस तरह का विधेयक, इतना रद्दी और प्रतिक्रियावादी विधेयक यहां लाकर पास करने की, लेकिन पास हुआ । मैं जानता हूं कि फरवरी में आप चुनाव कराना चाहते हैं, आप चुनाव करावें अथवा न करावें, लेकिन हम समझते हैं कि उससे देश का कुछ लाभ होने वाला नहीं है । आप ऐसा करके कुछ ब्यूरोक्रेट लोगों का फायदा जरूर करेंगे जो जनता को सतायेंगे, तकलीफ देंगे और जनता पर हावी हो जायेंगे । इन बातों को कहते हुये मैं समझता हूं कि अगर यह बिल न पास हो तो मुझे बड़ी खुशी होगी ।

कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)---आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं और माननीय मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकार का प्रतिक्रियावादी विधेयक वे वापस ले लें । श्रीमन्, अपनी बात के समर्थन में मैं सबसे पहले एक चीज यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस विधेयक को आद्योपांत पढ़ने के बाद और ८ दिन तक देखने के बाद यह बिलकुल स्पष्ट हो गया कि यह विधेयक इतनी जल्दी में बनाया गया था कि शब्दों तक के ऊपर विचार नहीं किया गया कि किस स्थान पर कौन-सा शब्द रखा जाय । श्रीमन्, यह ठीक उसी ढंग से बनाया जा रहा है, जिस प्रकार से चित्रकार का कोई चंचल बालक हो, वह जब उसका पिता शौचालय चला जाय, जल्दी-जल्दी जितनी देर में वह वापस आये, उतनी ही देर में कोई चित्र बनाना शुरू कर दे और स्वयं उसको यह न मालूम हो कि वह कौन-सा चित्र बनाना चाहता है, कौन-सी लकीर खींचना चाहता है ?

श्री उपाध्यक्ष---तो चित्रकार कौन है ? (हँसी)

कुंवर श्रीपालसिंह---असल में उधर के बैठने वाले ही चित्रकार हैं और यह चित्रकार के बालक हैं ।

तो मैं कह रहा था कि इस विधेयक को बिलकुल इसी ढंग से जल्दी जल्दी में बनाया गया है । इसके अनेकों प्रमाण श्रीमन् दिये जा सकते हैं । आपने देखा होगा कि शाब्दिक संशोधन तक माननीय मंत्री जी को लाना पड़ गये जो जल्दी जल्दी में छूट गये थे ।

एक चीज के लिये मैं जरूर माननीय मंत्री जी को बधाई देना चाहूंगा और उसमें वे जरूर सफल हुए हैं । वे और किसी चीज में सफल हुए हों या न हुए हों, मगर एक चीज में वे जरूर सफल हुए और वह यह कि इस २७३ धाराओं वाले बिल को उन्होंने इधर बैठने वाले सदस्यों को चुनाव की मृग मरीचिका दिखाकर इतनी जल्दी उसको पास करवा लिया । श्रीमन्, मैं जान-बूझ कर मृग मरीचिका का शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि मैं जानता हूं कि कथित समय पर

चुनाव नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा । अगर यह चुनाव होने को होता तो माननीय मंत्री जी जब विधेयक को प्रस्तुत कर रहे थे तो इस प्रकार के शब्द न कहते कि मैं प्रयत्न करूंगा । अगर उनकी मंशा चुनाव कराने की होती तो वे इसको स्पष्ट कहते ।

श्री विचित्रनारायण शर्मा—मैंने कहा था कि मैं पूरा प्रयत्न करूंगा ।

कुंवर श्रीपालसिंह—श्रीमन्, प्रयत्न शब्द तो कुछ छोटा था पर यह (पूरा प्रयत्न) शब्द तो और भी उससे बड़ा हो गया । पूरा प्रयत्न तो न जाने कहां-कहां होगा, उसके लिये क्या-क्या इकट्ठा करना पड़ेगा, यह कभी हो ही नहीं सकता ।

दूसरी बात और एक श्रीमन्,बड़े मजे की इसमें कही गयी । शुरू में भी कही गयी, बीच में भी कही गयी, बार-बार कही गयी और माननीय मंत्री तथा माननीय उपमंत्री जी ने भी कही कि वह बात कही गयी समाजवाद के प्रसारण तथा प्रचार की । कुछ लोगों ने कहा कि नौकरशाही बढ़ेगी और समाजवाद का ह्रास होगा । मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि समाजवाद के तो मानी ही नौकरशाही है । यह कौन-सी नयी बात हो गयी । राज्य नौकरों का ही समूह तो है और व्यक्ति का व्यक्तित्व राज्य में निष्ठ कर देना ही समाजवाद है ।

श्रीमन्, एक बात और कही गयी और वह यह कि गांवों में अगर व्यक्तिगत उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जायेगा तो उद्योगों का ह्रास होगा । फिर उन्हीं माननीय सदस्य ने आगे चलकर कहा कि लघु उद्योगों को जो सरकार अपने हाथ में लिये हुये है इसलिये वे पनप नहीं पाते । तो कौन सा तरीका है कि लघु उद्योगों को पनपाया जाय यह स्पष्ट नहीं हो पाया । कहा था कुछ लोगों ने, इसलिये मैंने नोट कर लिया कि व्यक्तिगत उद्योगों को समाप्त करने का दोष सरकार का है । वह तो सरकार का एक रास्ता बंध गया है उसी पर वह चलना चाहते हैं ।

श्रीमन्, बड़े मजे की चीजें इस विधेयक में आयी हैं, जहां जिला परिषद् के कार्यक्षेत्र का वर्णन किया गया है । सबसे मजे की बात यह है कि सरकार और क्षेत्र समितियों के बीच में जिला परिषद् पत्र-व्यवहार करने का जरिया होगा, यानी लेटर बक्स की जरूरत थी उसके लिये इतना बड़ा जिला परिषद् बनाया जायगा । काम क्या होगा ? सरकार और क्षेत्र समितियों के बीच पत्र-व्यवहार करने का रास्ता । अगर धारा २ की उपधारा (४) को देखा जाय तो बिलकुल स्पष्ट हो जाता है "तदर्थ बनाये गये नियमों को ध्यान में रखते हुए एक ओर राज्य सरकार और दूसरी ओर क्षेत्र समितियों और गांव पंचायतों के बीच पत्र-व्यवहार के लिये मुख्य माध्यम के रूप में कार्य करना ।" कितना उम्दा काम है ।

श्रीमन्, जब मंत्री जी इसको पुरःस्थापित कर रहे थे तब भी मैंने निवेदन किया था कि जो दूसरी बात मजे की है वह यह है । इसमें अनुसूची २ के (ख) में (७) को अगर देखा जाय तो सरकार क्षेत्रीय समिति तथा जिला परिषद् के जिम्मे कौन-सा काम लगा रही है कोई क्षोभकर कार्यों के लिये जमीन उपलब्ध करना या उपलब्ध करने में मदद करना, कोई खतरनाक काम करने के लिये जमीन दिलाने में मदद करना तथा घृणित कामों को करने के लिये जमीन दिलाने में मदद करना । क्या उम्दा कार्य दिया है जिला परिषद् को, सोच समझ कर दिया लेकिन क्या बढ़िया काम दिया, क्षोभकर शब्द का सी० आर० पी० सी० में और इस विधेयक में भी अंग्रेजी में "आफेंसिव" शब्द रखा है । "आफेंसिव" शब्द की जो व्याख्या सी० आर० पी० सी० में की गयी है उसमें कहा गया है कि वह काम जिसके करने या न करने की कानूनन मनाही की गयी हो । ये कहते हैं कि आफेंसिव काम करने के लिये जमीन दिलवायेंगे या जमीन दिलाने में मदद करेंगे यानी गैरकानूनी काम करने के लिये ये प्रोत्साहन देंगे । दूसरी चीज घृणित कार्य . . . .

श्री विचित्रनारायण शर्मा—वह आप करते हैं ।

कुंवर श्रीपालसिंह—यह विधेयक आपकी तरफ से आया है तो उसी से यह साबित है कि अगर हम करते होते तो न आता लेकिन आपकी तरफ से आया है तो यह साबित ही है कि वह आप ही करते हैं और दूसरों से कराना चाहते हैं ।

श्री उपाध्यक्ष—आपका मतलब सरकार से है ।

कुंवर श्रीपालसिंह—"घृणित" शब्द का प्रयोग जो किया गया है, जैसा मैंने पहले कहा, यह विधेयक बड़ी जल्दी में बनाया गया है, उसका अर्थ ठीक नहीं किया गया, अर्थ का अनर्थ कर दिया गया । चाहिये यह था कि इसके स्थान पर "कुदर्शनीय" शब्द होता । जैसे हड्डी का व्यापार है, वह कुदर्शनीय है, मगर घृणित नहीं है । जैसे गोश्त का व्यापार है, वह कुदर्शनीय है, मगर घृणित नहीं है । मगर वेश्यावृत्ति है, वह कुदर्शनीय नहीं है, घृणित है, जुआ खेलना कुदर्शनीय नहीं है, घृणित है । तो मंत्री जी ने "घृणित" जो रखा है वह क्या इन्हीं चीजों को प्रोत्साहन देने के लिए रखा है ? भारत सरकार तो एक तरफ से बन्द करती है, वह कहती है कि वेश्यावृत्ति और जुए पर प्रतिबन्ध लगाओ सी०आर०पी०सी० के द्वारा और हमारी सरकार कहती है कि हम इसके लिए जमीन दिलाने में मदद करेंगे । क्या है श्रीमन् ? वह सरकार जो पूज्य बापू के चेलों की बनी, वह घृणित कार्य करने के लिए जमीन दिलावे, तो यह मेरी समझ में आता नहीं श्रीमन् ।

एक चीज और थोड़ा-सा निवेदन करना चाहता हूं—धारा १८ की ४, ५ और ६ । इसके अनुसार जो सहकारी बैंक, सहकारी फेडरेशन और सहकारी क्रय-विक्रय समितियों के एक-एक प्रतिनिधि सरकार ने रखे हैं । आये दिन आप देखते होंगे कि जितने गबन के मामले सदन में उठाये जाते हैं, प्रश्न पूछे जाते हैं उनमें ७५ परसेंट से ज्यादा केवल इसी विभाग के होते हैं—कोआपरेटिव विभाग के । तो वह तो ऐसे सहकारी कामों में होता ही रहता है, गबन होना बिलकुल अनिवार्य है और उन लोगों को जब इसमें रख रहे हैं तो जिला परिषद् में भी वह गबन कराना चाहते हैं । तो मैं निवेदन करता हूं कि आज विरोधी दल का एक-एक मेम्बर यह कहता है कि वाकई हम लोगों से बड़ी भारी गलती हो गयी कि हमने यह स्वीकार कर लिया कि ८ दिन में पास कर देंगे जो कि इतना जरूरी विधेयक था । तो मैं निवेदन करूंगा कि थोड़ा-सा और टाल दें, और विवेचना हो जाय और हम समझ लें कि कोई हर्ज नहीं है, फिर ले आइयेगा ।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट (जिला अल्मोड़ा)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जो बिल हमने पास किया है, यह करीब-करीब पास होने को है । इसमें जिन जिला परिषदों और जिन क्षेत्र परिषदों का निर्माण होगा और उनको जो अधिकार सौंपे जायेंगे उनसे भी बहुत बड़ी आशा हमें पहले माननीय मंत्री जी के वक्तव्य से थी । हमने तो यह सोचा था कि माननीय मंत्री जो पहले जो जिला परिषद् विधेयक लाये थे उससे शायद ज्यादा लिबरल और शक्तिशाली विधेयक लायें जिसमें जनता को अधिक अधिकार दिये जायं लेकिन आज इसको देखकर विरोधी दल ही नहीं बल्कि सरकारी पक्ष के अनेक लोगों को सरकारी पक्षके लोग डिसिप्लिन के कारण चाहे विरोध न कर सकें, क्षोभ है । मैं तो यह कह सकता हूं कि इसमें यह कोशिश की गई है कि किसी तरह से इसमें कांग्रेस वाले रहें । अगर मैं यह कहूं कि यह जिला परिषदें नहीं बल्कि डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटियां और कांग्रेस मंडल कमेटियां बनने जा रही हैं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी । इस बिल में प्रजातंत्र के सिद्धान्तों की हत्या की गई है । अगर किसी संस्था में अनुमेलित सदस्यों की संख्या इलेक्टेड सदस्यों की संख्या से अगर ज्यादा नहीं करीब-करीब उनके बराबर भी रखी जाय तो इसके क्या मानी हैं ?

जिन विभिन्न संस्थाओं के प्रतिनिधियों को रखने की बात इस विधेयक में रखी गई है उनको माननीय मंत्री जी जनसाधारण की ओर से आम चुनाव द्वारा करा सकते थे । इस बिल के बहस के दौरान में माननीय मंत्री जी ने एक लंगड़ी दलील दी थी, उन्होंने कहा था कि अगर स्त्रियों को अनुमेलित करने की बात की गई है तो उसमें क्या एतराज हो सकता है ? वह अबला हैं इस पर उधर बैठने वाले कांग्रेसी सदस्यों ने उनकी लंगड़ी दलील को खत्म कर दिया, उन्होंने कहा कि हम अबला नहीं सबला हैं । जब चुनकर विधान सभा में आ सकती हैं तो परिषद तो छोटी चीज है । अगर माननीय मंत्री जी तर्क का जवाब तर्क से देते और समाधान करते तो मैं संशोधन वापिस ले लेता लेकिन सरकार बहुमत के आधार पर जो चाहती है करा लेती है । श्रीमन्, यह विधेयक

इतना अप्रजातांत्रिक है कि सरकार ने जिन-जिन संस्थाओं में देखा कि कांग्रेस मैन हैं उनके नाम इसमें लिख दिये । यहां पर कोआपरेटिव सोसाइटीज के बड़े गुण गाये गये । मंत्री जी जानते हैं कि कोआपरेटिव सोसाइटीज कांग्रेसमैनों द्वारा संगठित की गई हैं लिहाजा जब उनके नुमाइन्दे आयेंगे तो वह कांग्रेसमैन होंगे । लिहाजा दो-दो, चार-चार नुमाइन्दे विभिन्न नामों से जैसे कोआपरेटिव बैंक्स हैं, मल्टीपर्पज सोसाइटीज हैं, जिला सहकारी संस्थायें हैं, इन चोर दरवाजों से इस विधेयक में लाये गये हैं ।

हरिजन भाई चुनाव लड़ सकते हैं लेकिन उनके लिये भी अनुमोदित करने की बात रखी गई है । मैं समझता हूं उनके लिये यह तौहीन है । इस प्रकार से जिन हरिजन भाइयों पर सरकार की कृपा होगी वही आ पायेंगे । वास्तव में जो उनका सही प्रतिनिधित्व करने वाले हैं वह चुनाव के जरिये ही आ सकते हैं, माननीय मंत्री जी की कृपा के जरिये नहीं ।

श्रीमन्, इस विधेयक के अप्रजातांत्रिक होने के और भी बहुत से कारण हैं । इसमें एक चुनाव कमेटी बनाई गई है जो कि परिषद् के कर्मचारियों को छांटेगी । उसमें एक तो उसके अध्यक्ष होंगे और दो होंगे आफिसर्स. . .

श्री जयराम वर्मा—उपाध्यक्ष महोदय, तीन में दो नान-आफिशल्स होंगे और एक आफिशल होगा, विष्ट जी उल्टी बात कह रहे हैं । जब यहां पर सदन में विधेयक पर बहस होती है तब तो वह यहां रहते नहीं हैं ।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—श्रीमन्, यहां पर गिलोटीन होने वाला था यानी बिल को फांसी होने वाली थी क्योंकि गिलोटीन के अर्थ फांसी के ही होते हैं । श्रीमन्, इसमें इतने पाप के हम भी भागी हैं कि इस बात के लिये राजी हो गये माननीय मंत्री जी की भावनाओं से प्रेरित होकर, वह भावना जोकि वह सदन के बाहर व्यक्त किया करते हैं, वहां पर हम से कहा गया कि जो उचित सुझाव विरोधी पक्ष के आयेंगे उनको वह मान लेंगे, मैं माननीय मंत्री से पूछना चाहता हूं क्या उन्होंने हमारा एक भी संशोधन माना है ? कोई शाब्दिक संशोधन था, गेंदासिंह जी कह रहे थे, उसको माना गया. . .

श्री विचित्रनारायण शर्मा—कोई उचित सुझाव रखा भी ?

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—माननीय गेंदासिंह जी ने बिलकुल ठीक कहा कि सारा औचित्य और अनौचित्य मंत्री जी के सुपुर्द है और अक्ल का ठेका सरकार के पास है । इस बिल में एक जगह यह व्यवस्था की गई है कि नियत प्राधिकारी को अगर कोई प्रस्ताव अल्ट्रा वायरस लगे या जो राज्य सरकार के दिये गये आदेश से असंगत हो, उसका असर वह खत्म कर सकता है । आज तक यह ताकत जजों में थी लेकिन यहां प्राधिकारी को दे दी गई है । वह बिना दोनों पार्टियों के सुने हुये अवैध या वैध कह सकता है । आज ही हाईकोर्ट की एक रूलिंग आया हुई है । पंचायत राज्य ऐक्ट के लिये हाई कोर्ट ने कहा कि प्रादेशिक सरकार ऐसे नियम नहीं बना सकती है जो अधिनियम के विरुद्ध हों । पंचायतराज के नियम में व्यवस्था की गई थी कि कोई वोटर जिसका एलेक्टोरल रोल में नाम आ गया वोट देने का अधिकारी है । लेकिन उसके ऐक्ट में कहा है कि वह गांव सभा निवासी होना चाहिये उस गांव सभा के अन्दर । हाई कोर्ट ने माना है कि जब कोई निवासी नहीं है तो वह रजिस्टर भी रिवाइज हो सकता है । इस बात पर मंत्री जी को इस्तीफ़ा देना चाहिये । जिस मापदंड से मंत्री जी अपने को तोलने के लिये तैयार नहीं हैं उससे दूसरे को क्यों तोलना चाहते हैं ?

इस बिल में प्रजातंत्र की सबसे बड़ी हत्या इस बात से होती है कि निर्वाचित अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को सरकार द्वारा हटाये जाने का इसमें प्रावीजन है । क्या कोई ऐसा कानून है कि अगर सरकार चाहे तो विधायकों को वह हटा सके ? क्या माननीय राष्ट्रपति राजेन्द्र प्रसाद भी इस तरह हटा सकते हैं ? मैं समझता हूं कि कानून में ऐसा कोई प्रावीजन नहीं है । प्रजातंत्र में सबसे बड़ी चीज चुनाव गिना जाता है । अगर जनता द्वारा चुने हुए व्यक्ति को सरकार ठोकर मार कर निकाल सकती है तो इससे प्रगट है कि वह जनता को हेय समझती है, उसकी बेइज्जती करती है ।

[श्री गोविन्दसिंह बिष्ट]

एम० एल० ए० तो सारे प्रदेश के होते हैं लेकिन इन संस्थाओं में तो देहात के लोग ही आवेंगे । तो क्या देहात के लोगों के प्रतिनिधियों को सरकार प्रतिनिधि नहीं मानती है ? एक तरफ तो विकेन्द्रीकरण की बात कहते हैं और दूसरी तरफ जनता द्वारा चुने हुये व्यक्तियों को निकालने का अधिकार सरकार अपने हाथ में ले रही है । हमारा पिछला अनुभव यह रहा है कि जहां कांग्रेसवालों के हाथ में कोई नगरपालिका हुई और चाहे उन्होंने बड़ा से बड़ा गोलमाल किया लेकिन उनके विरुद्ध कुछ नहीं हुआ । आज ही झांसी नगरपालिका का प्रश्न था । उन पर बहुत गहरे आरोप थे और दो पर तो सरकार ने चार्जशीट भी लगा दी है । लेकिन उसे सुपरसीड इस बहाने से नहीं किया गया कि वह दो छपी पुस्तकों से सम्बन्धित एक मानहानि का मामला है जो सब-जूडिस है । उन्हीं पुस्तिकाओं के आधार पर एक डिफ़ेमेशन केस अधिकारियों के विरुद्ध चलाया गया था । मैंने आज सुबह यह पूछा था तो माननीय मंत्री जी ने कहा कि हां, चला तो है लेकिन वह केस खारिज हो गया । न्यायमूर्ति देसाई ने खारिज कर दिया था । लेकिन एक दूसरा डिफ़ेमेशन केस उन्हीं कारणों पर जिन पर पहले एक मुकदमा खारिज हो चुका है, सिर्फ़ इस पेशबन्दी के लिये लाया गया है और उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा एक बहुत ऊंचे व्यक्ति उदैनिया के सिर पर हाथ रक्खे हुये हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं ।

क्षेत्र समिति को और जिला परिषद् को टैक्स के अधिकार तो मंत्री जी ने दिये हैं लेकिन उसका सारा पैसा जिला परिषद् ले सकता है । अगर वह चाहे तो उस पैसे को और कहीं भी खर्च कर सकता है और उस गांव सभा को सजा दे सकता है कि तुमने विरोधियों को छांट कर रखा है, तुमको इसका सबक सिखायेंगे । एक दिन माननीय चन्द्रभानु गुप्त जी ने अल्मोड़ा में कहा था कि विरोधी दल वालों ने नगरपालिका बनाई है तो हम इसे भंग करेंगे । वह खुले आम कह देते थे, यह बात उनमें जरूर थी । लेकिन क्या यह बात उचित है ?

दूसरी चीज यह है कि हम सोचते थे कि शायद इस विधेयक में पुलिस की ताकत भी जिला परिषद् को दी जाय । इसके लिये हमने एक संशोधन भी रखा लेकिन माननीय मंत्री जी उसके लिये तैयार नहीं हैं । कहते हैं कि इसमें यह संशोधन फिट इन नहीं होता है । फिट वही बात होती है जिसे मंत्री जी चाहते हैं ।

इन शब्दों के साथ मैं मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि चाहे आज वह कैसा ही बिल यहां से पास करा लें लेकिन देश की जनता अब जाग्रत हो गई है और माननीय मंत्री जी ने जो वायदा किया है कि फरवरी में चुनाव अवश्य करा देंगे, तो आज उनकी कसौटी है कि वह कहां तक ऐसा करते हैं ।

श्री भीखालाल—मान्यवर, मुझे दुख है कि मैं माननीय मंत्री जी के प्रस्ताव का समर्थन नहीं कर सकता । इस विधेयक से ग्रामीण शासन का एक नया रूप खड़ा करने का उद्देश्य है और कहा गया है कि सत्ता को गांववालों द्वारा चुने हुये लोगों को देने की बात है, उसे विकेन्द्रीकरण करने का ढोल इसमें पीटा गया है । हम देखते हैं कि इस बिल के जरिये वह उद्देश्य पूरा नहीं होता है । माननीय मंत्री जी ने इस बिल को पेश करते समय हम विरोधी दल वालों से सहयोग की आकांक्षा भी की थी और हम लोगों को कानफिडेंस में लेने की कोशिश भी उन्होंने की । इस दौर में उन्होंने हमको कई आश्वासन भी दिये । लेकिन हमें दुख के साथ कहना पड़ता है कि उन आश्वासनों में से बहुत से टूटे । पहला आश्वासन जिसके बारे में कह भी चुका हूं, यह था कि जिला परिषदों में दो-तिहाई लोग डाइरेक्ट चुने हुये होंगे और एक-तिहाई लोग इनडाइरेक्ट चुने हुए होंगे । यह आश्वासन टूटा ।

(इस समय ४ बजे श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए ।)

दूसरा आश्वासन माननीय मंत्री जी ने यह दिया । हमसे यह अपेक्षा की गयी कि हम इस बात पर जोर न दें कि यह विधेयक प्रवर समिति को भेजा जाय बल्कि सदन में ही इस पर सीधा विचार हो जाय और विरोधी दल की ओर से जो सुझाव आयेंगे उनको मान लेंगे ।

लेकिन हम देखते हैं जैसा कि माननीय गेंदासिंह ने कहा कि विरोधीदल की ओर से ४०० संशोधन रखे गये लेकिन उनमें से एक भी संशोधन माननीय मंत्री जी ने मानने की कृपा नहीं की। हम लोगों से सहयोग की अपेक्षा की जाती है लेकिन उसको सहयोग की दृष्टि से देखा नहीं जाता है । हमको माननीय मंत्री जी की ईमानदारी पर तनिक भी संदेह नहीं है, हमको इसमें भी संदेह नहीं है कि माननीय मंत्री जी हमारा सहयोग चाहते हैं, इसमें भी सन्देह नहीं कि विकेन्द्रीकरण करना चाहते हैं लेकिन माननीय मंत्री जी के सामने मजबूरी है जिसकी वजह से वह यह कर नहीं पाते हैं । जो विकेन्द्रीकरण की बात करते हैं वे खुद केन्द्रीकरण के शिकार हैं । हमने पहले भी यह कहा था कि सूबे का जो सबसे पावरफुल अधिकारी है वह नहीं चाहता कि माननीय मंत्री जी ऐसा कार्य करें । लिहाजा माननीय मंत्री जी की जो भावनायें थीं वे समाप्त हो गयीं। जब माननीय मंत्री जी ऐसी हैसियत के आदमी उस पावरफुल आदमी के सामने अपनी पालिसीज को एक्जीक्यूट नहीं कर पाते हैं और पूरे कैबिनेट को उसके सामने झुकना पड़ता है तो जिला परिषद्, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र से लोग चुन कर आते हैं, ग्रामीण क्षेत्र से आये हुए लोग उसके मेम्बर होंगे और अध्यक्ष होंगे, और उनके ऊपर आप जिला मैजिस्ट्रेट को इतना पावरफुल बना कर बैठा देंगे तो किस प्रकार से जिला परिषद् काम कर पायेंगी, जरा इस बात को मंत्री जी समझें ।

माननीय मन्त्री जी ने मीटिंग के दौर में एक बात और कही थी कि हमको इस विधेयक को राजनीति से परे रखना है लेकिन हम देखते हैं कि यह विधेयक पूरा राजनीति से भरा हुआ है। जब हम पूरी गहराई में जाते हैं तो इसी नतीजे पर पहुंचते हैं कि सरकार एक, दो साल या अगले पांच साल को आगे रखकर कि किस प्रकार से उनकी पार्टी का राज्य जिला परिषदों में रहेगा, इस बिल को बनाया है। सरकार ने इस बात को ध्यान में रखकर इस विधेयक को नहीं बनाया कि जब तक यह सूबा कायम है तब तक जिला परिषदें रहेंगी। अगर इस बात को ध्यान में रखा गया होता तो ऐसे असीमित अधिकार सरकार अपने हाथ में न लेती कि जब चाहे सरकार जिला परिषद् के अध्यक्ष को हटा दे। अगर उसकी समझ में यह आ जाय कि किसी तरह से अध्यक्ष अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहा है तो उसको वह वहां से हटा सकती है। दूसरी ओर इस वजह से कि उसमें आसानी से अविश्वास न लाया जा सके यह रखा गया है कि दो-तिहाई वोटों से अविश्वास का प्रस्ताव पास हो तभी हटाया जा सकता है। एक तरफ तो आप चाहते हैं कि जिला परिषद् का अध्यक्ष ऐसा बरगद का पेड़ हो जाय कि कोई पेड़ उसकी छाया में न उग सके, यानी वह ऐसा हो जिसे गवर्नमेन्ट चाहती हो और दूसरी ओर रखा गया है कि जब चाहे सरकार उसे हटा सकती है। अगर कोई परिषद् का अध्यक्ष विरोधी पक्ष का हो गया तो आये दिन उसके खिलाफ शिकायत आया करेंगी और कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी लिख देंगे कि वह नियमों का पालन नहीं कर रहा है और फिर सरकार को उसके हटाने में कोई अड़चन न होगी और दूसरी तरफ जनता जिसको चाहेगी उसको नहीं हटा सकेगी। आज ही झांसी के चेयरमैन के विरुद्ध प्रश्न थे, बहुत दिनों से उसके खिलाफ शिकायतें हैं। इसी माननीय सदन के ५० सदस्यों ने और विरोधी दल के समस्त नेताओं ने सरकार को लिख कर दिया, उसके खिलाफ शिकायत भेजी, लेकिन सरकार की समझ में नहीं आया कि वह शिकायत सही भी है ।

क्यों नहीं समझ में आई, क्योंकि सरकार उसे नहीं हटाना चाहती। अगर वे कहीं विरोधी पक्ष के आदमी होते तो कब न जहन्नुम को भेज दिये गये होते। तो मैं समझता हूं कि यह विधेयक राजनीति से परे नहीं रखा गया है बल्कि राजनीति को सामने रखकर बनाया गया है और इस खयाल से बनाया गया है कि किसी तरह से सरकार प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से जिला परिषदों पर अपना कब्जा रखे क्योंकि जिला परिषद् एक ऐसी संस्था होगी जिसके जरिये जिले का ग्रामीण क्षेत्र शासित होगा। पूरे जिले की शिक्षा के अध्यापक, पूरे जिले के छोटे-छोटे अहलकार बिलकुल उसके जरिये से चलेंगे। तो जो पार्टी वहां पर होगी—अगर कांग्रेस पार्टी चाहती है और वहां पर उसका बहुमत है तो वह पूरी मशीनरी को जिधर घुमाना चाहेगी घुमायेगी और जिस तरह से चाहेगी उसका इस्तेमाल करेगी जैसा कि आजकल चुनावों के दौरान में होता है। तो बिलकुल राजनीति से भरा हुआ यह विधेयक है।

[श्री भीखालाल]

मान्यवर, हमें यह भी दुख है, जैसा कि माननीय कुंवर श्रीपाल सिंह जी ने कहा कि हमारे सामने एक मृग-मरीचिका रखी गई है चुनाव की ओर यह बिल जल्दी में पास करवाना चाहते हैं। तो मैं माननीय मन्त्री जी से कहता हूं कि दो आश्वासन तो आपने तोड़े हैं और यह तीसरा आश्वासन आपकी कसौटी पर है और हम देखते हैं कि किस तरह से वह सही होता है। आपने आश्वासन दिया है कि फरवरी में चुनाव होगा और अगर फरवरी में चुनाव नहीं होता है तो हम समझेंगे कि आप जनता की भावनाओं को अवहेलना कर रहे हैं, इस सदन की भावनाओं की अवहेलना कर रहे हैं और विरोधी पक्ष की भावनाओं की अवहेलना कर रहे हैं। दो आश्वासनों के बाद अगर आपका यही एक आश्वासन पूरा होता है तो हम समझेंगे कि आप ठीक रास्ते पर आकर जनता की भावनाओं की कद्र कर रहे हैं। जैसा कहा गया कि जल्दी में बिल पास कराया जा रहा है और उस पर पूरे तरीके से हम विचार नहीं कर पाये हैं, उसकी वजह से हम समझते हैं कि इस में बहुत सी खामियां रह गई हैं। और खामियां ऐसी हैं कि ४० धाराओं के पास होने में ही सरकार को इस बात की जरूरत पड़ गई कि कम से कम १०-१२ संशोधन उसकी तरफ से आये, सरकार को लाने पड़े और अगर कहीं पूरा विधेयक होता तो कम से कम १०० संशोधन और लाने पड़ते। तो मैं समझता हूं कि इतनी जल्दी में जो विधेयक बनाया गया है उसमें बहुत सी खामियां रह गई हैं जिन पर विचार होना चाहिये था लेकिन दुख है कि हम लोग नहीं कर पाये हैं।

श्रीमन, इसमें दूसरा एक प्राविजन यह रखा गया है कि एक कन्ट्रोल्ड एरिया होगी। मैं समझता हूं कि उस एरिया के रहने वाले ग्रामीण लोगों की जिन्दगी दूभर हो जायगी। अगर कोई सड़क के किनारे मकान बनाना चाहता है तो उसे गांव सभा से नहीं बल्कि क्षेत्रीय समिति से परमिशन लेना होगा। अगर क्षेत्रीय समिति की सड़क बनी होगी और उधर कोई अपने घर के सामने से नाली निकालना चाहे तो उसे गांव सभा से नहीं बल्कि क्षेत्रीय समिति से परमिशन लेना होगा, अगर कोई अपने दरवाजे पर के पेड़ की शाख को काटना चाहे तो उसके लिये क्षेत्रीय समिति से परमिशन लेना होगा। यह अधिकार जो गांव सभा में निहित होना चाहिये क्षेत्रीय समिति में डाल दिया गया है। इसके अलावा इसमें एक मजेदार प्राविजन यह है कि अगर परिषद् देखे कि कोई मकान वेंटिलेटेड नहीं है, उसमें रोशनी नहीं जाती, या गन्दा है तो वह उस मकान को हटा लेने के लिये नोटिस देगी और उस घर को गिरवा भी सकेगी। मैं माननीय मन्त्री जी से पूछना चाहता हूं कि जहां आपने इस विधेयक में इस तरह का प्राविजन रखा है वहां कोई इस तरह का भी प्राविजन है कि देहात के रहने वाले गरीब किसान जो अपने झोपड़ों में रहते हैं, जिनके मकान दीवारों से इस तरह घिरे हुये हैं कि उन में बाहर की रोशनी तक नहीं जाती और जो बहुत गन्दे हैं, उनको अपने मकान बनवाने के लिये मदद दी जायगी या परिषद् या सरकार उनको अपनी तरफ से बनवा देगी? श्रीमन, सभी जानते हैं कि देहातों में किस तरह के घर बने होते हैं और वहां किस तरह से लोग रहते हैं, इस तरह से मैं समझता हूं कि कन्ट्रोल्ड एरिया के रहने वाले लोगों की जिन्दगी दूभर हो जायगी। तो मैं समझता हूं कि इस पर बहुत गम्भीरता के साथ विचार होना चाहिये था। जल्दी में पास होने से इसमें खामियां बहुत सी हो सकती हैं, इसलिये माननीय मन्त्री जी इस विधेयक को वापस लें और फिर विचार करने के बाद कोई नया विधेयक सदन के सामने लाया जाय। इसलिये मैं इसका विरोध करता हूं।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री जी ने जो क्षेत्र समिति और जिला परिषद् विधेयक के तीसरे वाचन के पारित होने का प्रस्ताव रखा है, मैं उसका घोर विरोध करता हूं। ४० धाराओं पर हमने गत १० दिनों में विवाद किया और उसके अलावा सिर्फ ढाई घंटे में २३३ धारायें पास कर दी गईं। हमारे विरोधी दल के संशोधनों की जो छीछालेदर हुई उस पर हमारे सभी विरोधी दल के नेतागण जो बोले हैं, अफसोस ही जाहिर किया है।

श्रीमन, मुझे इस बात का गौरव हासिल था कि जो पहला जिला परिषद् विधेयक पेश हुआ था और एक प्रवर समिति बनी थी, उसमें मैं भी सदस्य चुना गया था। माननीय मन्त्री जी चार छः महीने बैठे और सम्भवतः ४०–५० हजार रुपया खर्च हुआ इस प्रदेश के राजस्व का, और जो संशोधनों पर बहस हुई उसमें बहुत सी बातों पर और बहुत से मौकों पर मन्त्री जी काफी हार खाये। यद्यपि वह कहते हैं कि वापस लिया यह उसका नतीजा नहीं था फिर श्रीमन, जब हमारे सामने यह प्रश्न आया कि इस विधेयक को प्रवर समिति में पुनः भेजा जाय या सदन में बहस की जाय तो मैंने सबसे ज्यादा कहा था कि प्रवर समिति में फिर भेजा जाय। अगर वही पुराना विधेयक रख दिया जाता तो इससे कुछ तो बेहतर ही होता।

श्रीमन्, आपकी ही अध्यक्षता में एक कमेटी बनी थी जिसे हम खेर कमेटी कहते हैं। उन्होंने जो सुझाव दिये उनके आधार पर पहला विधेयक बना। यदि उसी के हिसाब से यह बनता तो अच्छा होता। माननीय विष्ट जी बहुत व्यग्र थे कि यहीं पास कर दिया जाय। श्रीमन्, यह चुनाव वगैरह कुछ होने वाले नहीं हैं। गेंदासिंह जी ने ठीक कहा कि यह चुनाव न हों तो अच्छा है। माननीय मन्त्री जी यह चुनाव करा पायेंगे ही नहीं, हमारी राय का प्रश्न तो बाद में आयेगा।

श्रीमन्, ४६६ संशोधन रखे गये और एक भी नहीं माना गया। बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि यह बात कार्यवाही में लिखी जायगी। माननीय मन्त्री जी के बाद जो दूसरे मन्त्री जी आयेंगे वह क्या सोचेंगे? इतनी बड़ी सत्ता का विकेन्द्रीकरण प्रदेश की ४ करोड़ जनता जो गांव में रहती है उसके लिये हो रहा हो और उसके हक में इतने संशोधन आये तो क्या सब के सब नाकाबिल थे? मैं तो एक वाक्य में कहूंगा कि यह सत्ता का कोई विकेन्द्रीकरण नहीं है। यह तो विकेन्द्रीकरण की नौटंकी है, सिनेमा की शूटिंग है। बहुत से लोग बम्बई में शूटिंग देखने जाते हैं तो घबड़ा उठते हैं इस सम्बन्ध में कि कैसे इतने ऊंचे से कूद गया। वह नहीं समझते कि बीच में से काट दिया गया है। वह फिल्म एडिटिंग है। तो इसे तो फिल्म की एडिटिंग कहा जाय। यह तो सत्ता के विकेन्द्रीकरण की नौटंकी है, कोई विकेन्द्रीकरण नहीं है। सत्ता का विकेन्द्रीकरण हो गया, गांव में पहुंच गया, जिला स्तर पर पहुंच गया, क्षेत्र समितियों में पहुंच गया, और परिषद् का सारा कन्ट्रोल मण्डलायुक्त का बना रहा, जिलाधीश जो चाहे सो करे। जिलाधीश का पद समाप्त नहीं हुआ, श्रीमन्। कितने ही सालों से मांग है सोशलिस्ट पार्टी की कि जिलाधीश पद को समाप्त किया जाय तब सत्ता का विकेन्द्रीकरण होगा। पता नहीं कब समाप्त करेंगे। मैं याद दिलाना चाहता हूं, माननीय मुख्य मन्त्री जी ने इस आदरणीय सदन में कहा था कि जिलाधीश का पद रहना चाहिये या नहीं यह प्रश्न विचाराधीन है और वक्त आने पर विचार होगा। मन्त्री जी इस बात को भूल गये। इससे बढ़कर और कौन सा उपयुक्त समय होता कि उसके पद को समाप्त कर दिया जाता, उसके अधिकार समाप्त कर दिये जाते, और जिलाधीश के सारे अधिकार जिला परिषद् को स्थानान्तरित कर दिये जाते?

दूसरी बात, यह जो नीचे के निर्माण किये हैं इन्हें अगर मालगुजारी का हिस्सा नहीं देंगे–सोशलिस्ट पार्टी ने बार–बार कहा कि १/४ राजस्व का हिस्सा गांव में जिला परिषद् दें, उसकी कोई व्यवस्था नहीं है। आप अधिकार देंगे नहीं, पैसा देंगे नहीं और आप कहेंगे कि तुम काम काज चलाओ तो म्युनिसिपल बोर्ड से भी बदतर हालत होगी। फ्रेन्च रिवोल्यूशन से पहले एंशन्ट रिजीम थी। बैरन हुआ करते थे। उनको कुछ सुविधायें मिल गई थीं लेकिन अधिकार नहीं थे। नतीजा यह हुआ कि फ्रेंच क्रांति हुई लेकिन जब इससे भी काम नहीं चला तो फ्रेंच कम्यून आया। माननीय मन्त्री जी इस सत्ता के विकेन्द्रीकरण की नौटंकी से जो नीचे की सत्ता की खतौनी में डंक मार रहे हैं उससे जनता सजग होने जा रही है। जब उनकी महान क्रांति होगी तो सब भस्म हो जायेंगे और असली सत्ता के विकेन्द्रीकरण को आप रोक नहीं सकते, आप कुछ मोड़ भले ही दे दें।

[श्री उग्रसेन]

इसमें अध्यापकों के वेतन की कोई व्यवस्था नहीं की गई है कि वेतन उनको महीने के आखिर में मिलेगा और किस जरिये से मिलेगा। अभी परसों देवरिया में एक प्रधान जी १,९०० रुपये लेकर जा रहे थे, वे गायब हो गये। उनका घर बार बिक जावेगा। ये अध्यापक हम सब के गुरू हैं लेकिन जो उनकी दशा है वे गुरुजन ही जानते हैं। कोई इन्तजाम नहीं है किसी तरह का और तनख्वाह उनको चार महीने बाद मिलती है।

जो कर्मचारी जिला परिषदों के सेवक हैं उन्होंने बीसियों वर्ष सर्विस की है, वे सब एक आर्डर से स्थायी हो गये। चुनाव समिति के सामने वे जायेंगे कि ठीक से उन्होंने काम किया है या नहीं। फिर उनके करेक्टर रोल देखे जायेंगे तो स्थायी किये जायेंगे। उनकी पुरानी सेवाओं का कोई मूल्यांकन नहीं किया गया है। २०० से नीचे के जितने कर्मचारी हैं उनके लिये प्रान्तीय स्तर पर वेतन आयोग बनता निम्न कर्मचारियों के लिये लेकिन ऐसी कोई व्यवस्था इसमें नहीं की गई है।

इसमें अनेकों ऐसी बातें हैं जिन पर माननीय मन्त्री जी को कम से कम सोचना चाहिये। श्रीमन्, वारेन हेस्टिंग्ज का जब ब्रिटिश पार्लियामेन्ट में "इम्पीचमेन्ट" हुआ और लखनऊ की बेगमों पर आया और "बर्क" तथा "सेरीडन" के हमले हुये तो उसने अपनी डायरी में लिखा है, इतने हमले होने के बाद उसने सोचा—

"Then I began to doubt whether I did any wrong in India."

जरा सा तब उसको शुबहा हुआ कि मैंने हिन्दुस्तान में कोई गल्ती तो नहीं की। माननीय मन्त्री जी की मनःस्थिति वारेन हेस्टिंग्ज जैसी हो गई है। उसी तरह माननीय मन्त्री जी के ऊपर विरोधी पक्ष के हम लोगों का कोई असर नहीं है। दूसरे समाजवाद को भी लोग गलत समझते हैं। माननीय सदस्य जौनपुर इसे व्यक्तिवाद की संज्ञा देते हैं।

समाजवाद यह बिलकुल नहीं है। उत्पादन और वितरण के सभी साधनों पर समाज का जब एकाधिपत्य होगा उसको समाजवाद कहते हैं। यह माननीय विचित्रनारायण शर्मा का समाजवाद हो सकता है। तो कम से कम वारेन हेस्टिंग्ज की नीति आप छोड़ दें। रामेश्वरजी बैठे हुये हैं। उनके बड़े संशोधन माने गये, शाम को इस खुशी में वे मिठाई खायेंगे। मैं पूछना चाहता हूं कि संविधान में शेड्यूल बना हुआ है कि हरिजनों की १८ फीसदी जगहें सुरक्षित रहेंगी। कहां है इसमें वह सुरक्षा? रामेश्वर जी बगल में ही बैठे हुये हैं, मन्त्री जी के कान में ही कह देते। हरिजन सेवा में लेख लिखने वाले, हमसे ज्यादा मन्त्री जी ने हरिजनों की सेवा की है यह मैं मानता हूं, पर कहते यह हैं कि ५ तक हरिजन होंगे। अगर नहीं होंगे तो ५ कर देंगे। केन्द्रीय सरकार तो हरिजनों के संरक्षण की अवधि बढ़ाने जा रही है क्योंकि अभी हरिजन लोग ठाकुर, ब्राह्मण, मुन्शी, लाला के बराबर नहीं आ पाये हैं, और माननीय मन्त्री जी न मालूम क्या सोचते हैं। श्रीमन्, हमारे क्षेत्र में इसी पैटर्न पर क्षेत्र समिति के अध्यक्ष और उपाध्यक्षों का चुनाव हुआ। एक ठाकुर साहब बड़े जोर से जाति–पांति का नारा लगाने लगे। वे कहने लगे कि इज्जत का सवाल है। उन्होंने कहा कि आप जानते नहीं हैं, जो क्षेत्रसमिति का सभापति होगा जीप उसी के अधिकार में होगी। माननीय गेन्दा सिंह ने कहा कि ज्यादातर दलाल आ जायेंगे, जो बचे खुचे चूसने वाले लोग हैं वे भी बाहर आ जायेंगे और हरिजनों को पीट–पीट कर ठीक कर देंगे क्योंकि अफसर भी वही और अन्य लोग भी वही। अभी तो माननीय मन्त्री जी को संशोधन लाना ही पड़ेगा इसलिये ऐसे अवसर पर तो हरिजनों के लिये कुछ सोच कर करें।

समय श्रीमन् कम है, एक बात और कहना चाहता हूं कि माननीय मन्त्री जी इतने बड़े विधेयक को तो पास करा रहे हैं मगर जो उनकी कर नीति इस विधेयक में है वह बिलकुल प्रतिक्रियावादी है। मन्त्री जी को याद होगा कि उन्होंने सब जिला बोर्डों से पूछा था कि

किस तरह का कर लगाया जाय। अभी आप किसी नतीजे पर पहुंचे नहीं मगर दूसरे विधेयक में आपने दूसरी ही टांग अड़ा दी। फिर गांव सभाओं और जिला परिषदों की आमदनी कहां से आये? इसका नतीजा यह होगा कि दोनों में बड़ी कशमकश होगी और मुकदमेबाजी शुरू हो जायगी। तो इसकी कर नीति बिलकुल अव्यावहारिक और प्रतिक्रियावादी है और यही होगा कि जिसके पास कुछ नहीं होगा उसको दस गुना देना पड़ेगा और राजे महाराजे जिनके पास ज्यादा होगा उनको ही ज्यादा मुआवजा दिया जायगा। मैं मन्त्री जी से निवेदन करता हूं कि अब भी इसको वापस ले लें। इससे सत्ता का विकेन्द्रीकरण नहीं हो सकता। अगर आप सत्ता का विकेन्द्रीकरण नहीं करेंगे तो एक महती क्रान्ति होगी क्योंकि सच्ची सत्ता को आपने एड़ मारी है और उस क्रान्ति को आप दबा नहीं सकते, दुनियां का इतिहास नहीं रोक सका है। इन शब्दों के साथ मैं इसका विरोध करता हूं।

श्री विचित्रनारायण शर्मा—अध्यक्ष महोदय, जब मैंने यह प्रस्ताव किया कि इस विधेयक को पारित किया जाय तो बड़ी विरोधी बातें इस सदन में कही गईं। दूसरे व्यक्ति कहते तो भी मुझे इतना आश्चर्य नहीं होता लेकिन उन्हीं महानुभाव ने जिन्होंने एक क्षण में कुछ कहा और दूसरे क्षण में उसके विरुद्ध कहा इससे मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। कुंवर श्रीपाल जी ने फरमाया कि फरवरी में एलेक्शन करा देंगे इस प्रलोभन में डाल कर हम सब को उल्लू बनाया। "उल्लू" शब्द का इस्तेमाल तो नहीं किया, हमको छका दिया। कुछ ऐसा ही कहा था। यानी एलेक्शन हो जाय। इतने बड़े प्रलोभन में सब बह गये। एक बात मैं साफ कर दूं कि जहां मैं विरोधी दल कहूं तो प्रायः सारे विरोधी दल मायनस सोशलिस्ट पार्टी से मेरा आशय है। क्योंकि कई जगह पर उनकी अनुमति हासिल नहीं हुई इसलिये बीच में मोतीलाल जी वगैरह कहते कि हमने नहीं कहा इसलिये मैंने उनको छोड़ कर कहा है। मैं साफ कह देना चाहता हूं कि किसी भली चीज का श्रेय आपको मिले ऐसी गलती मैं कभी नहीं कर सकता।

श्रीमन्, एक तरफ तो यह कहा जाता है और दूसरी तरफ से कहते हैं कि इस बिल को वापस ले लो। अरे अभी तो जिस लालच पर यह गुनाह किया तो पेट तो भर लें। अगर इसको वापस कर लेंगे तो पेट कैसे भरेंगे। कुछ तो खयाल रखना चाहिये। इसके अलावा यह भी कहा गया कि हमारा एक भी संशोधन स्वीकार नहीं किया गया। अगर कोई अक्ल की बात कहे तो उसको स्वीकार किया जाय। गेन्दासिंह जी ने एक समझ की बात कही थी। हमने उसको मान लिया। लेकिन कोई बात ही न कहे ऐसी जो अक्ल में आ सके तो उसके लिये हम क्या करें?

श्रीमन्, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मैं अपने मन में कोई दुराग्रह लेकर नहीं चला और मैंने कोशिश यही की कि हम चूंकि इसको सेलेक्ट कमेटी में नहीं ले गये इस लिये जितना उदार बना सकने की सोच सकते थे, सोचा और आखिर तक हम लोग संशोधन लाये। मगर माननीय सदस्यों ने इसको ध्यान से पढ़ा होता तो मालूम होता कि प्रायः सभी संशोधनों में उदारता का प्रयत्न किया गया है और जो इस विधेयक में सख्ती थी उस को कम किया गया है। लेकिन पढ़ने का कष्ट नहीं किया गया। विष्ट जी यहां उपस्थित नहीं हैं। पहले यह रखा गया था कि चुनाव समिति में दो आफिसर्स होंगे—इसमें एक आफिशियल और दूसरा नान-आफिशियल। लेकिन बाद में हम संशोधन लाये और हमने यह कर दिया कि दो नान-आफिशियल और एक आफिशियल सदस्य कर दिये।

श्रीमन्, सबसे बड़ी बात यह कही गई कि आठ दिनों में इस विधेयक के केवल ४० खंड ही पास किये गये और बाकी खंडों को एक दिन में पास किया गया। इस प्रकार से आठ दिन में केवल दो आने भर काम किया गया। श्रीमन्, जिस तरह ४० खंड पास किये थे यदि उसी तरह से काम होता तो १४ आने भर काम के लिये ७० दिन और कुछ के लिये ८० दिन होने चाहिये थे। इसके लिये इतने वर्किंग डेज रखे जायं और नान-आफिशियल डेज तथा छुट्टियों

[श्री विचित्रनारायण शर्मा]

को निकाल दिया जाय तो इस काम में करीब एक साल लग जायगा। इतना समय कैसे दिया जा सकता है। एक साहब ने कहा कि ५०–६० हजार रुपया इस विधेयक पर खर्च हो गया तब भी कुछ नहीं हुआ। अगर ऐसा करते तो लाखों रुपया खर्च होता। अगर समझबूझकर खास-खास चीजों पर ही बहस की जाती और छोटी-छोटी बातों पर ध्यान न दिया जाता तो बहुत काम हो सकता था। लेकिन छोटी-छोटी बातों में सब लोग लग गये और जिस किसी के नाम से कोई संशोधन आया तो वह मूव करने का लालच न छोड़ सके और मूव करके लेक्चर भी देना चाहिए कि अखबारों में नाम आ जाय। हमारे अख्बार नवीस दोस्त बड़े मेहरबान रहते हैं और कुछ नहीं तो किताबों के अन्दर छप जायगा। हमारा नाम छप भी जाय तो हमें खुशी होगी कि हिस्टरी के रेकार्ड्स में हमारा नाम चिरस्थायी हो जायगा। यह भी चाहेंगे कि यह विधेयक पास भी न हो। अगर ८० दिन इस विधेयक पर बहस होती तो साल भर के लिए यही एक बिल हो जाता। और लेजिस्लेशन गया। सोचना चाहिए कि हम क्या कहते हैं। एक सेंस आफ रेस्पांसिबिलिटी होनी चाहिए कि जो आप कहते हैं उसमें कुछ सेंस है या नहीं। लेकिन दोष हम को देते हैं। फिर यह कहा गया कि मनमाना अपने बहुमत से इसको पास कर लिया। डेमोक्रेसी के मानी यह हैं, कि समझाने की कोशिश की जाती है, खुशामद की जाती है। फिर भी अगर काम न चलता हो तो डिसीजन तो लेने ही होंगे। लेजिस्लेशन पास होगा। और सिवा बहुमत के कोई दूसरा तरीका मुझे तो मालूम नहीं। और अगर कोई दूसरा तरीका है तो डेमोक्रेसी खत्म हो गयी। विकेन्द्रीकरण नहीं है। सारी की सारी जबरदस्ती है। फिर ४०, ५०, ६० की संख्या को लेकर पांच-पांच, छः-छः पार्टियां हैं। यह डेमोक्रेसी है। वह भी एक मत के नहीं हो सकते। एक को खुश करते हैं तो दूसरा रूठ जाता है। दूसरे को खुश करते हैं तो तीसरा रूठ जाता है। तो आखिर किस किस को खुश करें? और दस पन्द्रह आदमियों को लेकर हर पार्टी बैठी हुई है और समझती है कि अगर उसकी बात न हुई तो डेमोक्रेसी खत्म हो गयी। हमारी बदकिस्मती यह है कि....

आचार्य दीपंकर—मैं एक व्यवस्था चाहता हूं। माननीय मंत्री जी आपस में घरेलू झगड़े को निपटाने का तरीका समझा रहे हैं या बिल के ऊपर जवाब दे रहे हैं?

श्री अध्यक्ष—जो कहा गया उसका जवाब है।

श्री विचित्रनारायण शर्मा—डेमोक्रेसी इस बिल की जड़ है। उसके कुछ सिद्धान्त हैं। डेमोक्रेसी में वास्तव में जंगल नहीं होता है। डेमोक्रेसी के अन्दर ओपीनियन्स क्रिस्टलाइज करती हैं। उन ओपीनियन्स के अन्दर मोटे मोटे सिद्धान्त होते हैं। दो तीन पार्टियां हों एक नेशन के अन्दर। कभी-कभी उन पार्टियों के अन्दर डिफरेंशिएट करना मुश्किल हो जाता है। अमेरिका में रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक पार्टियों में यह भी समझना मुश्किल हो जाता है कि उनमें क्या फर्क है। लेकिन जहां पर जंगल हो और इतने छोटे से हाउस के अन्दर इतनी पार्टियां हों वहां पर हर पार्टी को खुश करें और ऐसी भी पार्टी हैं जो सतत सत्याग्रह के अन्दर विश्वास करती हैं। धर्म है उनका विद्रोह करना। हम कैसे खुश रख सकें? यह भी हमारा गुनाह है। हमारा कुसूर यह है कि हम यहां काम करना चाहते हैं। एक सीमित समय के अन्दर बिल पास कराना चाहते हैं। अगर यह गुनाह है, तो हम गुनहगार हैं। अगर यह गुनाह नहीं है तो हमने कोई दूसरा गुनाह नहीं किया है।

माननीय गेंदासिंह ने कहा कि प्रवर समिति में हार गये। इसलिए वापस लिया। इसके पीछे यह वजह नहीं है। हम हारे कहीं नहीं। अक्ल की बात को अगर हम स्वीकार करते हैं तो हमारी हार नहीं जीत है। अगर सही बात को स्वीकार करने में हार होती है तो इस हार को हम अपना सौभाग्य और गौरव समझते हैं। प्रवर समिति में किस वजह से गया और क्यों वापस लिया गया, यह इस हाउस के अन्दर साफ बताया गया था और इस हाउस की कंसेंट लेकर बिल को वापस किया गया था और बताया गया था कि इसके अन्दर जो

क्षेत्र समितियां बनाने की बात है वह इसमें नहीं है। उसका परिवर्द्धन करना है और श्रीमन्, उसी को करने के लिए हमने इसको वापिस लिया था और जब वह हो गया तो जहां तक वह हुआ वहां तक ही उसको रखा और बाकी सब चीजें, जो प्रवर समिति से तय हुई थीं,उनको करीब-करीब वैसे ही रखने की कोशिश हमने की।

एक बड़ा भारी आक्षेप हमारे ऊपर यह लगाया गया कि जो हमने वादा किया था, जो कहा था कि जिला परिषद् में दो चुने हुए सदस्य होंगे और एक आदमी इन्डाइरेक्ट एलेक्शन से आयेगा फी खंड से, दो आदमी सीधे आयेंगे, वह बदल दिया। श्रीमन्, सही बात है कि हमने ऐसा वादा किया था। लेकिन मैंने इस सदन में अपनी बात बतायी थी कि जिस समय एम० एल० एज० और एम० पीज० की बात आयी तो यह एक रेस्पेक्टेबिल बाडी रहे, एक ऐसी बाडी रहे कि जो कुछ सोच सके, कुछ कर सके, एक भीड़ न हो जाय, एक मेला न हो जाय, एक तमाशा न हो जाय, इस वास्ते उसके मेम्बर्स को लिमिट करने के वास्ते हमें कोई दूसरा चारा न था सिवाय इसके कि हम उसमें दो की जगह एक कर देते। इसके अलावा जो वहां आयेंगे उनमें ओवर ह्वेल्मिंग मेजारिटी एलेक्टेड आदमियों की ही होगी। वह जो इस माननीय सदन के सदस्य होंगे, वह इन्डाइरेक्टली एलेक्टेड हैं? वह जनता को रेप्रेजेंट नहीं करते? वह सिर्फ एम० एल० ए० हैं इसलिए वहां पर जाकर खराबियां ही कर सकते हैं, कोई भली बात नहीं कर सकते? यह कंडेमनेशन अपना करना म नहीं चाहता था कि बड़ी भारी उसके अन्दर कोई आपत्तिजनक बात है। मैं चाहता था कि दूसरी लीडरशिप भी देश के अन्दर पैदा हो। मेरा फर्म कन्विक्शन था कि दूसरे को भी मौका दिया जाय और यह बड़े-बड़े दरख्त चले जायेंगे तो छोटे पौधे उग नहीं सकेंगे। इसी वास्ते उनके लिए यह रखा कि कम से कम कोई आफिस वह वहां न लें। यह मेरी ख्वाहिश थी लेकिन श्रीमन्, जैसा मैंने कहा था कि मैं कोई डिक्टेटर तो नहीं हूं कि मैं जो चाहूं वही इस सदन में हो। यह तो आदरणीय सदन की मर्जी पर है, इसकी कृपा पर है, जो बहुमत चाहेगा, जो अधिकतर एम०एल०एज० अपनी बुद्धि से ठीक समझें वही होना चाहिए। मैंने अगर उनको स्वीकार कर लिया, सरकार ने स्वीकार कर लिया तो क्या गुनाह कर लिया। यह अगर कोई दोष है तो अधिकतर हममें से उसके दोषी हैं। सिर्फ मेरे ही ऊपर उंगली दिखाने से क्या फायदा। अपनी तरफ ही वह देख लें। उधर के कितने ऐसे थे जो यह चाहते थे कि गाली हमको मिले और फायदा उनको मिले। इसलिए इन सब बातों को लेकर यह कहना कि मैंने बड़ा भारी धोखा किया, यह गलत है और मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इस बिल में अधिक से अधिक विरोधी दल की ख्वाहिशों को साथ लेकर हम चलना चाहते हैं।

बार बार कहा गया कि इसमें बड़े कंट्रोल्स आपने रखे। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड से भी कम आपने दिया। मैं मानता हूं कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड से कम दिया। लेकिन मेरा निवेदन यह है कि यह डिस्ट्रिक्ट बोर्ड है क्या? डिस्ट्रिक्ट बोर्ड इसके सामने खिलौना है। एक खिलौना लेकर आप खुश होना चाहते हैं, अधिकार लेना चाहते हैं कि एक खिलौने पर आपको पूरा अधिकार मिल जाय तो हम समझते हैं कि उसमें कोई बड़ी भारी बात नहीं थी। लेकिन यह वास्तव में एक गवर्नमेंट है, शासन है, प्रबन्ध है देश का जो कि जिला परिषदों के सदस्यों के हाथ में सौंपा जायगा। जो काम आज तक गवर्नमेंट करती थी वह काम आज जनता के आदमियों को दिया जा रहा है और अगर वह काम दिया जा रहा है एक दम से और सरकार अगर एकदम से खतरा नहीं उठा सकती कि सारे का सारा काम एकदम से बिना किसी कंडीशन के दे दे तो आप इस बात पर बहुत ज्यादा दोष हमको देंगे? किसने हमें कम्पेल किया था इसको लाने के लिए? डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का एलेक्शन हम करा देते और आज से आठ साल पहले करा देते या कम से कम ६ साल पहले करा देते क्योंकि, दस साल में से ४ साल तो वह अपना कोर्स रन करते ही, तो ६ साल पहले हम एलेक्शन डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का करा देते और गालियां भी नहीं मिलतीं। कौन हमको मारने आता? लेकिन हम आनेस्टली चाहते थे कि ज्यादा काम इनको दें और इस अटेम्प्ट में हम यह भी नहीं चाहते थे कि जो हमारी जिम्मेदारी है, जो हम सेंट्रल गवर्नमेंट

[श्री विचित्रनारायण शर्मा]

के प्रति वादे करके आये हैं, इस आदरणीय सदन के सामने जो वादे करते हैं, वह पूर न हों। यह हम कैसे कर सकते थे। इस वास्ते रखना पड़ा उसके अन्दर। मैंने उस दिन भी निवेदन किया था कि ट्रेनिंग और डेमोक्रेसी में थोड़ा कांसेप्शन का फंडामेंटल विरोध है। यह मानना चाहिए हमको। हम वास्तव में कन्ट्राडिक्टरी चीजों को एक साथ करने की कोशिश कर रहे हैं।

जहां तक हम प्लान की बात करते हैं तो प्लान में यह बात है कि उसके कुछ टारगेट्स हैं, कुछ एचीवमेंट्स हैं और वह हमें एक खास समय के अन्दर पूरा करना है। सीमित समय के अन्दर उनको होना है। उसमें एक खास स्पीड के साथ काम चलना चाहिए और वहां अगर आप यह कर दें कि इधर विरोधी दल बैठा है, उधर वह बैठे हैं और बातें हो रही हैं और महीनों तक बजट ही पास नहीं होता तो काम कैसे चलेगा। अभी ताजी मिसाल सामने है, कानपुर नगर-पालिका का बजट भी अभी पास नहीं हुआ है। तो अगर हम टाइम फैक्टर की उपेक्षा कर दें तो काम नहीं चलने वाला है इसलिये कि हमें देश में अधिक अन्न उपजाना है, देश की गरीबी को दूर करना है और इसलिये इस एक्सपेरीमेंट के लिये हम उस काम को सैक्रीफाइस नहीं कर सकते। हम तो यह नहीं कर सकते। तो कौन सा गुनाह हमने किया? दोषी हम किस बात के हैं?

हम ईमानदारी से इस काम को करना चाहते थे और व्यावहारिक दृष्टि से करना चाहते थे और इस गुनाह के लिये अगर हमको दोष दिया जाता है तो श्रीमन्, यह सदन और कम से कम इस तरफ बैठने वाले तो मुझे माफ करेंगे और अगर उधर के बैठने वाले सदस्य माफ भी न करें तो भविष्य में जो आने वाली पीढ़ियां हैं, जनता है, वह अवश्य इस विधेयक को स्वर्णाक्षरों में लिखा गया विधेयक समझेगी इसलिये कि उसके लिये एक रास्ता खोला गया है और मैं कहना चाहता हूं कि डेमोक्रेसी के इतिहास में यह आगे लिखा जायगा। आसान है बांध में मट्टी का एक थोड़ा सा रास्ता खोल देना, लेकिन उसमें से जब पानी का फोर्स जाता है तो अच्छी से अच्छी ताकत भी उसको रोक नहीं सकती। हम जनता के हाथ में जो ताकत देना चाहते हैं, जो ताकत दे रहे हैं, अगर उसने उसका सही उपयोग किया तो भले ही हम और ताकत न देना चाहें, फिर भी वह उस ताकत को हम से ले लेगी। और अगर ऐसा विश्वास डेमोक्रेसी में करने वाला आदमी कोई नहीं है तो उसे अधिकार नहीं है कि वह जनता की तरफ से बोले। अगर डरे हुए आदमी आयेंगे, यह समझने वाले आयेंगे कि कांग्रेस ने अपने आदमियों को जिताने के लिये ही यह जाल रच लिया है तो वह भावना ठीक नहीं है। एम० एल० ए० आयेंगे, जीत कर आयेंगे, मैदान में खड़े होकर आयेंगे और अगर आप में मुकाबला करने की हिम्मत नहीं है तो क्या उसके दोषी हम हैं? आप वहां से चुन कर नहीं आ सकते तो क्या उसके लिये दोषी हम हैं? अगर हम चुन कर आ जाते हैं और हमारा बहुमत हो जाता है तो क्या यह हमारा दोष है? गांव के सारे प्रधान उसमें आयेंगे और उनके चुने हुए लोग जिला परिषद् में आयेंगे। और उनके हाथ में हमने ताकत दी। अगर कोई खास वर्ग न आ सके तो अनुमोदन का प्राविजन किया। बहिनें नहीं आ सकेंगी इसलिये हम ने उनके लिये प्राविजन किया। उन्होंने कहा कि हम बड़ी बहादुर हैं और अगर वे बहादुर हुईं, वे आ गईं तो उनके लिये अनुमोदन की बात लागू न होगी। लेकिन अगर किसी वजह से वे न आ सकें तो कम से कम ५ आ सकें इसका प्राविजन किया गया है।

विष्ट जी एक वकील हैं लेकिन इतनी इंडिग्नेंस शो करते हैं बिना इस बात को सोचे हुए कि हम क्या कह रहे हैं और क्या कहना चाहते हैं। उन्होंने कोआप्शन को नामिनेशन समझ लिया कि कांग्रेस अपने आदमियों का नामिनेशन कर देगी। हरिजन सब कांग्रेस के पिट्ठू आयेंगे। क्यों आयेंगे? क्यों नहीं आयेंगे दूसरी पार्टियों के आदमी? इस चुनाव के अखाड़े में लोग पास होकर आयेंगे और जो जनता का विश्वास प्राप्त करते होंगे वे चुन कर आयेंगे। किसे रुकावट है?

और अगर कोई नहीं आ सकता है, निकम्मा है, तो उसे शिकायत करने का अधिकार क्या है? जो हिम्मत रखते हैं, अक्ल रखते हैं, तरीका जानते हैं तो शिकायत करने की क्या जरूरत है? डेमोक्रेसी को न इसमें इनएफीशियेन्सी है और न अयोग्यता, न कायरता है। सब के लिये खुला हुआ मैदान है, जनता जनार्दन का मैदान है। अगर दिलेरी के साथ आते हैं और बहुमत में आकर शासन चलाते हैं तो कोई गुनाह नहीं होता। डेमोक्रेसी के किसी भी सिद्धान्त के बरखिलाफ यह चीज नहीं जाती।

श्री गेंदासिंह—जो हारे हैं वे निकम्मे हैं, आप ठीक कहते हैं।

श्री विचित्रनारायण शर्मा—मेरा मतलब यह है कि जिनमें जनता को विश्वास नहीं है वे जनता की दृष्टि में निकम्मे जरूर हैं। अगर आप डेमोक्रेसी में विश्वास करते हैं तो आपको इस चीज को मानना पड़ेगा। आप कैसे यह समझते हैं कि जब चुनाव होगा तो उसमें कांग्रेस वाले ही आयेंगे, कोई दूसरे नहीं आयेंगे। इस बात को जो लोग कहते हैं, वे डेमोक्रेसी को नहीं समझते हैं। यह मेरे कहने का मतलब था।

श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)—श्रीमन्, माननीय मंत्री जी ने एक बेसिक बात कह दी है। डेमोक्रेसी और प्लानिंग यह दो कन्ट्राडिक्टरी बातें हैं। इसलिये मैं चाहता हूं कि मंत्री जी जरा स्पष्ट कर दें कि यह सरकार कैसे समझती है, क्या यह उनकी व्यक्तिगत राय है या कैबिनेट की राय है?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—श्रीमन्, सरकार भी इसको समझती है। इसकी डेलोक्रेसी को सरकार भी समझती है। हम भी समझते हैं। जहां तक प्लानिंग का ताल्लुक है, बड़ी-बड़ी स्कीमों का ताल्लुक है, उनमें एक तरह का कम्पलशन जरूर है। उस कम्पलशन को कोई रोक नहीं सकता। वहां तक आपकी लिबर्टी खत्म हो जाती है। अगर आज सरकार कोई कमिट कर ले और कोई मिल १०-१२ करोड़ रुपया लगा कर खड़ी कर दे तो आगे आने वाली सरकार के लिये यह मुमकिन नहीं होगा कि वह उस रुपये को यूं ही बरबाद होने दे। वह जरूर उसमें करोड़ दो करोड़ रुपया अगर जरूरत होगी तो लगायेगी और उसको बरबाद होने से रोकेगी। उनको उसे ठीक मार्ग पर चलाना ही होगा। यह कम्पलशन है और इसको कोई हटा नहीं सकता। यह कम्पलशन आफ सर्कम्सटान्सेज है। यह कोई हमारे आपके बस की बात नहीं है। एक सीमित समय होता है और उसके अन्दर ही काम करना होता है। इतना बड़ा मूवमेंट गांधी जी ने चलाया था और वह डेमोक्रेसी पर ही निर्भर था, किन्तु गांधी जी ने कहा था कि पहले मुझे डिक्टेटर बना दो। तो यह प्लानिंग कन्ट्राडिक्टरी नहीं है, लेकिन जो कम्पलशन है उसको समझ लेना चाहिये। यही डेमोक्रेसी का आइडियल है। अगर यह किसी की समझ में नहीं आता है तो इसमें मेरा दोष नहीं है। यह इतना प्रत्यक्ष है जितना की सूर्य। गुलामी को दूर करना था और उसके लिये महात्मा गांधी ने डिक्टेटर बनना पसन्द किया।

आज हमारा यह ध्येय है कि हमारे यहां बड़ी-बड़ी इन्डस्ट्रीज हों, पानी हम पैदा करें, कोयला हम पैदा करें, अपनी हर जरूरत की चीज हम पैदा करें, यह सब कम्पलशन है और साथ ही डेमोक्रेसी भी बढ़े और स्टेट भी फंक्शन करे, जिला परिषद् भी बने, यह भी जरूरी है। यह दोनों चीजें डिजायरेबिल हैं, लेकिन दोनों में आपस में भेद है।

अब उपसेन जी ने बहुत सी बातें कहीं जो सारहीन हैं और उनका जवाब देना उचित नहीं है। उन्होंने एक शंका पैदा कर दी यह कह कर कि जो हजारों लोग डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में हैं और जिला परिषद् में काम करेंगे उन सब नौकरियों को हमने अस्थायी बना दिया। अगर उन्होंने पढ़ने की मेहरबानी की होती, और पढ़ कर तजवीज की होती तो कष्ट

[श्री विचित्रनारायण शर्मा]

न होता। इसमें ऐसा है कि सारी की सारी सर्विसेज होंगी वहां उनका ट्रांसफर हो सकता है सिर्फ इतना किया है। सिर्फ थोड़ा सा गौर इतना होगा कि अगर कोई आदमी बहुत ज्यादा अयोग्य हो तो उसको दूसरा काम दिया जाय। इसमें कौन सी गुनाह की बात है। इसके साथ यह भी प्रोवाइड किया है कि अगर वह अपने को योग्य समझता है तो वह अपील कर सकता है। उस अपील में अगर इस बात का इत्मीनान हो जायगा तो वह आर्डर सेट एसाइड किया जा सकता है। तो कोई ऐसी बात नहीं है उसमें।

विष्ट जी ने कहा कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को हम ने इतनी ज्यादा ताकत दे दी है कि वह जनहित में पास हुये प्रस्तावों को भी चाहेगा तो खत्म कर देगा। डी० एम० को कहीं भी इसकी पावर नहीं है कि वह खत्म कर दे। उसको बस इतना अधिकार दिया गया है कि उसका एक्जीक्यूशन रोक दे और फौरन मामले को गवर्नमेंट को रेफर करे ताकि गवर्नमेंट उसको देख ले। अगर गवर्नमेंट समझे कि यह काम उसकी घोषित नीति के खिलाफ है तो उसको कह दे कि तुमने ठीक किया और अगर गवर्नमेंट समझती है कि उसने ठीक नहीं किया है तो उससे कह देगी कि उसे दस्तन्दाजी नहीं करना चाहिये। इसमें कौन सा दोष है?

श्रीमन्, मैंने जो जरूरी बातें थीं जिनका जवाब देना था या देना आवश्यक हो सकता था जवाब दे दिया। मैंने यह भी बताने की कोशिश की कि इस बिल में सरकार हमेशा इस बात का ख्याल करके चली कि विरोधी दल को अधिक से अधिक अपने साथ ले कर चलें उनकी राय से और उनके अनुभव से लाभ उठा सके। इतना ही नहीं, श्रीमन्, हम यह भी आशा करते हैं कि बिल ही पास करने में उनका सहयोग हमको नहीं मिलेगा बल्कि इस बिल को कार्यान्वित करने में, इसके सफल बनाने में और जिला परिषदों के संगठन, निर्माण और संचालन में वह कंधे से कंधा मिला कर हमारा सहयोग करेंगे। यह जनता का काम है, कांग्रेस का काम नहीं है। देश का काम है और अगर यह समझ कर कि इससे कांग्रेस का फायदा होता है, इसमें साथ नहीं देंगे तो वह उचित बात नहीं है। मैं दावत देता हूं यह देश सबका है। हमारा लड़का बीमार पड़ता है तो हम इस दृष्टि से नहीं देखते कि अमुक डाक्टर हमारा विरोधी है, दुश्मन है इससे हम चिकित्सा नहीं करायेंगे। हम देखते हैं कि हमारी रंजिश भी हो, हमारी बोलचाल न भी हो वह भी अगर हमारे लड़के को ठीक कर दे तो हम उसका स्वागत करते हैं। आशा है कि इस विधेयक में भी अगर देश से प्रेम है, इसको अगर अपना समझते हैं और कहते हैं कि इसके रहने वाले हमारे भाई-बहिन हैं या हमारे बच्चे हैं तो किसी एक हिस्से को भी फायदा हो तो भी उसका स्वागत करना चाहिये। इसलिये आइये हम सब मिलकर इस पवित्र काम में सहयोग दें, इस देश को किश्ती को आगे बढ़ायें और दूसरे के सामने उदाहरण पेश करें कि उत्तर प्रदेश वास्तव में हमेशा उत्तर प्रदेश रहा है जहां कि हमेशा सभ्यताओं और संस्कृतियों का समागम होता रहा है और सम्मिश्रण का नमूना हम संसार के सामने पेश करते रहे हैं। इन शब्दों के साथ मैं आशा करता हूं कि यह आदरणीय सदन इस विधेयक को पारित करेगा।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् विधेयक, १९६०, जैसा कि वह इस सदन द्वारा संशोधित हुआ है, पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठाकर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानसार स्वीकृत हुआ —

पक्ष में—८६,

विपक्ष में—३४।)

तृतीय पंचवर्षीय योजना पर चर्चा के सम्बन्ध में सूचना

श्री अध्यक्ष—कल के लिये यह सूचना मैंने दी थी कि कल, परसों और नरसों तीन रोज प्रादेशिक तृतीय पंचवर्षीय योजना, जो प्रस्तावित है, उसके ऊपर चर्चा होगी।

लखनऊ के ठाकुरगंज मुहाल के महिला रक्षागृह से तीन महिलाओं के भागने आदि से संबंधित ८ सितम्बर, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या १३ पर उठाये गये प्रश्न के विषय पर नियम ५० के अन्तर्गत विवाद

श्री अध्यक्ष—कौन इसको उपस्थित करेंगे ? आचार्य दीपंकर ? आप संक्षेप में ही कहेंगे, जिससे लोगों को प्रश्न पूछने का समय मिल जायगा।

आचार्य दीपंकर (जिला मेरठ)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि इस प्रश्न पर चर्चा करने का अवसर देकर हम सब को आपने अनुग्रहीत किया। बात यह है कि अनेक समाचार-पत्रों में यह समाचार प्रकाशित हुए हैं और माननीय कदम जी ने इस प्रश्न की तरफ जो सदन का ध्यान आकर्षित किया इससे प्रकट होता है कि यह कितना महत्वपूर्ण विषय है। इस आश्रम के संबंध में जो चर्चायें अखबारों में आई हैं, यदि आप आज्ञा देंगे तो उनके कुछ भाग पढ़कर सुना सकूंगा जिनमें यह लिखा हुआ है कि इस आश्रम में १७–१८ वर्ष या ३० वर्ष से नीचे की बहुत सी महिलाओं को विभिन्न प्रकार के बहानों से यह कहकर कि उनका समाज सुधार होगा, उनको वहां पर कार्य सिखाये जायंगे, वहां पर लाया जाता है। इस आश्रम को सरकार की तरफ से अनुदान भी मिलता रहा है लेकिन जब कभी कोई सरकारी अधिकारी उस आश्रम के संबंध में जानकारी प्राप्त करने वहां गया तो वह हमेशा बन्द मिला और जब कभी किसी अधिकारी ने वहां इन्तजार किया कि चाभी वाला आये और आश्रम को खोले तो समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचारों के अनुसार किसी ने वहां आश्रम में प्रवेश किया तो उसे वहां अजीब अजीब किस्म के दृश्य दिखाई दिये जो इतने कुत्सित और वीभत्स थे जिनकी यहां पर चर्चा करना शोभाजनक नहीं होगा। यह भी मालूम हुआ कि उस आश्रम में लड़कियों और औरतों को एक विशेष प्रकार की ट्रेनिंग दी जाती है कि तुम्हारा विवाह किससे किया जायगा और कैसे तुम वहां साल छः महीने रहोगी और किस तरीके से सब कुछ लेकर चली आवोगी और फिर तलाक दोगी और फिर दूसरे से तुम्हारी इस तरह से शादी व्याह किया जायगा। तो समाज सुधार के नाम पर वहां इस प्रकार का प्रशिक्षण होता है।

इसी बात को लेकर माननीय कदम जी ने यह प्रश्न पूछा था और उसमें उन्होंने यह बात कही थी कि तीन महिलाओं ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई कि कितना अभद्र व्यवहार उनके साथ हुआ। उस अभद्र व्यवहार के संबंध में यह बात भी आई कि सरकार ने उसकी जांच की प्रश्न किये जाने के बाद और सरकार ने सब जगह जांच करली लेकिन पुलिस में जाकर उन्होंने क्या शिकायत की उसके संबंध में सरकार ने कोई वक्तव्य देने की कोशिश नहीं की। पुलिस में उन्होंने जो बातें दी वह सारी चीजें ऐसी है जो समाज में अपमानजनक तो हैं ही लेकिन उससे बहुत बड़े उत्पीड़न और सामाजिक शोषण के अड्डे बने हैं और इस सबसे बड़ी बुरी बात यह है कि इस प्रकार के आश्रमों के खुलने से समाज कल्याण और समाज सुधार की जो पवित्र धारणायें हैं उनको भी धक्का लगता है और एक विष फैलता है। समाचार पत्रों में यहां तक लिखा है कि इस प्रकार के महिला रक्षा आश्रम राजनीतिज्ञों के चकले हैं जिसमें यह सब कारनामे होते हैं जो कि बुरी जगहों पर होते हैं। तो यह सारी बातें ऐसी हैं। इसलिये हमने आपसे प्रार्थना की थी और आपने उस पर चर्चा करने का हमें समय दिया। समाचार पत्रों को पढ़ने से मालूम होता है कि वह स्थान बहुत घृणित है, महिलाओं के उत्पीड़न और शोषण के अड्डे

[आचार्य दीपंकर]

हैं। खास तौर से इसम विशेष बात यह है कि इन महिलाओं के बारे में, जो प्रश्न पूछा गया था, उनकी पुलिस में क्या शिकायतें लिखाई गईं, उससे इस सदन को अवगत नहीं कराया गया। मैं अब ज्यादा समय न लेकर अपनी बात को समाप्त करता हूं।

समाज कल्याण मंत्री (श्री लक्ष्मीरमण आचार्य)—श्रीमन्, इस विषय पर आपने जो यहां समय दिया यह उचित ही था क्योंकि इससे कुछ चीजों के स्पष्ट हो जाने का अवसर प्रदान होगा। मुझे दुख है कि माननीय आचार्य दीपंकर जी को और सदन के कुछ अन्य सदस्यों को कदाचित कुछ भ्रान्ति हुई है। जिस प्रश्न के अन्तर्गत यह विवाद आज सदन के सामने है और जिस प्रश्न के सिलसिले में इस रक्षा सदन का प्रश्न यहां खड़ा हुआ है यदि माननीय दीपंकर जी को उसके संबंध में पूरा ज्ञान होगा तो वे इस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि इस सदन का कोई भी संबंध उन बातों से नहीं है जिनका जिक्र माननीय दीपंकर जी ने किया। हमारे प्रदेश में तीन ऐसे सदन हैं जो कि केन्द्रीय सोशल एन्ड मोरल हाईजीन के अन्तर्गत खोले गये हैं देहरादून, मेरठ और लखनऊ में। मेरठ में अशोधक संस्थाओं की महिलायें रखी जाती हैं। और लखनऊ में शोधक संस्थाओं की महिलायें। शोधक से मतलब है रिफारमेटरी। लखनऊ में १०० महिलाओं को रखने का स्थान है। इसका प्रबन्ध इस प्रकार से होता है कि केन्द्र की ओर से इसमें आधा व्यय वहन किया जाता है और आधा व्यय प्रादेशिक सरकार व्यय करती है। इसके अतिरिक्त जहां तक प्रशिक्षण का प्रश्न है औद्योगिक प्रशिक्षण का पूरा व्यय केन्द्रीय सरकार वहन करती है। राज्य सरकार की ओर से एक अधीक्षिका यहां रहती है। इसके अतिरिक्त एक समिति होती है जिसमें अधिकांश संख्या में अशासकीय सदस्य होते हैं तथा उसकी अध्यक्ष भी एक अशासकीय महिला होती है आजकल श्रीमती विद्याधरी जौहरी हैं।

यह जो घटना हुई है यह २७–२८ की घटना है। इस दिन वहां से ६ लड़कियां भागी थीं उनमें से तीन लड़कियां पुलिस थाना चौक गयीं। इत्तला मिलने पर अधीक्षिका उनको वहां से लिवा लायीं। एक लड़की और बाद को पकड़ी गयी और वह भी वहां आ गयी। इसके अतिरिक्त दो महिलायें भी सदन में आ गयीं। वे वाराणसी चली गयीं थीं। वे भी इसी सदन में आ गयी हैं। इस घटना के संबंध में जहां तक पुलिस की जांच का प्रश्न है पुलिस ने कोई जांच नहीं की। उसका एकमात्र कारण यह है कि पुलिस कभी भी उन प्रश्नों की जांच नहीं करती है जो उसके सामने जांच के लिये नहीं आते। महिलायें जो पकड़ी गयीं उनकी रिपोर्ट जनरल डायरी में लिखी गयी और बाद में अधीक्षिका गयीं और उनको ले गयीं। रिपोर्ट जो लिखी गयी उसके संबंध में यहां कुछ चर्चा हुई थी। मैंने उसके बारे में पता लगाया उसमें भी और जैसा कि माननीय दीपंकर जी ने जिक्र किया कि उनका ऐसा खयाल है कि उन्होंने ऐसे बयान दिये जो बहुत सनसनीखेज थे। कोई मौखिक बात भले ही हुई हो लेकिन कार्यवाही में इसका जिक्र नहीं है। सदन में अलबत्ता वे ले आयी गयीं। हमारे विभाग की ओर से भी कोई विशेष जांच नहीं हुई। इस घटना के संबंध में मैं इतना ही कह सकूंगा कि बाद में पायोनियर में ६ अगस्त को एक टिप्पणी छपी, उसमें कुछ घटनाओं का जिक्र किया गया। ७ अगस्त को संचालकके सामने वह टिप्पणी आयी: संचालक ने उसी समय पूरी जांच की आज्ञा दी। ८ अगस्त को जांच हुई। ८ अगस्त को जो महिलायें भागीं थीं उनके बयान भी लिये गये। बयान जो लिये गये उनकी पत्रावली विभाग में है। वह मेरे सामने भी आयी। इस संबंध में मैं इस सदन में इतना निवेदन अवश्य करूंगा कि यह उसकी बड़ी कृपा होगी और यह जनहित में भी न होगा कि उस सूचना में क्या क्या है, उसका जिक्र मैं यहां करूं। लेकिन इतना जरूर मैं विश्वास दिलाना चाहूंगा कि जो जांच की बात आपने कही है तो मेरे मन में भी ऐसा खयाल है कि जो लोग भी इसके अपराधी हों उनको जरूर सजा दी जाय।

श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)—माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जिस दिन वहां से लड़कियों के भागने की बात है, वे वहां से क्यों भागीं और वाराणसी क्यों गयीं ?

श्री अध्यक्ष—आप शायद लड़कियों के भागने का कारण जानना चाहते हैं।

श्री गौरीशंकर राय—जी हां। उन्होंने अपने बयान में भागने का कारण क्या दिया है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—मैंने अभी निवेदन किया था कि बहुत जनहित में न होगा कि मैं उनकी चर्चा यहां करूं। लेकिन मैं इतना निवेदन करना चाहता हूं कि उन्होंने कारण इस प्रकार के बतलाये हैं कि उनके साथ इस तरह के कुछ अत्याचार हुए, कुछ मारपीट की बात उन्होंने बतलायी है।

श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)—क्या माननीय समाज कल्याण मंत्री स्पष्ट रूप से बतलाने की कृपा करेंगे कि जो उन्होंने भ्रमात्मक बात फैलाने की बात कही, तो इस भ्रान्ति के फैलाने में इसी सदन की एक भूतपूर्व महिला अधिकारी मिस दत्ता का हाथ रहा जिसने वहां की अधीक्षिका की इच्छा के विपरीत वहां की एक महिला को लेकर उसी विभाग के एक बड़े अधिकारी के यहां नौकर रखवा दिया ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—मुझे इस संबंध में नितान्त अज्ञान है, मुझे बिलकुल नहीं मालूम है। केवल इतना तो मैं जिक्र कर देना चाहता हूं आपके द्वारा यहां पर माननीय सदस्यों के आश्वासन के लिये कि पिछले रविवार को मैं तो यहां पर नहीं था लेकिन मैंने इसी सदन की जांच के लिये अपने उपमंत्री जी को भी भेजा था वहां। उन्होंने भी इस बात की जांच की है और उनकी भी रिपोर्ट प्राप्त हो गयी है। एक बात और भी है श्रीमन्, कि जहां तक भ्रांति का प्रश्न है वह भ्रान्ति इस सदन के संबंध में नहीं है। वह तो दीपंकर जी ने जिन बातों का जिक्र किया था उस संबंध में मैंने कहा था कि उनको भ्रान्ति है। भ्रान्ति इस माने में कि उन्होंने उन गृहों का जिक्र किया जिनको कुछ अनुदान मिलता है। अनुदान पाने वाला गृह दूसरा है, यह नहीं है।

श्री प्रतापसिंह—क्या समाज कल्याण मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि इसी समाज कल्याण विभाग की एक अधिकारी मिस दत्ता, जिन्होंने वहां की एक लड़की को लेकर उसी विभाग के एक बड़े अधिकारी के यहां नौकर रखवा दिया, जांच करने के बाद उनको उस डिपार्टमेन्ट से निकाल दिया गया है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—जहां तक मुझे मालूम है मिस दत्ता को निकाला नहीं गया, बल्कि वे दिल्ली में मोरेल ऐन्ड सोशल हाइजिन स्कीम के अन्तर्गत कहीं मुलाजिम हैं।

श्री प्रतापसिंह—क्या माननीय मंत्री जी स्पष्ट करेंगे कि मिस दत्ता इस विभाग में किस पद पर आसीन थीं और क्या माननीय मंत्री जी के पास कुछ लोगों ने मिस दत्ता के खिलाफ दरख्वास्त दी है कि वहां की अधीक्षिका की इच्छा के बिना वे वहां से कुछ लड़कियों को बाहर ले गयीं ? यदि दरख्वास्तें दीं, तो सरकार की तरफ से उस पर क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—मिस दत्ता के खिलाफ मेरे पास कोई दरख्वास्त नहीं आयी।

श्री मदन पांडेय (जिला गोरखपुर)—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे जैसा कि अपने उत्तर में उन्होंने कहा है कि पिछले इतवार को उन्होंने अपने उपमंत्री को भी वहां भेजा था तो जांच के बाद इस संबंध में उनकी रिपोर्ट क्या है ?

श्री अध्यक्ष—इसके बारे में मैं इजाजत यों नहीं देता कि माननीय मंत्री जी ने यह कहा है कि इसकी इन्क्वायरी वे कर रहे हैं, जब वह पूरी हो जायगी तो जो उसका फल होगा वे बाद में बतला देंगे। तो बीच में उसके बारे में उनसे न पूछा जाय।

श्री मदन पांडेय—अभी माननीय मंत्री जी ने पहले उत्तर म बतलाया कि जो लड़कियां पकड़ कर आयीं शायद उन्होंने बयान दिया, तो क्या वे इसकी जांच करा रहे हैं कि जो मौखिक बातें हैं वे क्या हैं?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—श्रीमन्, मौखिक बातों के बारे में कुछ भी पता लगना प्रायः असंभव होता है। पता नहीं क्या-क्या बातें कीं। किसी रिकार्ड में हैं नहीं। न यह पता लगा कि किन पुलिस अधिकारियों से उन्होंने बातचीत की।

श्री अब्दुल रऊफ लारी (जिला गोरखपुर)—जो गैर सरकारी सदस्य हैं समिति के वह कौन-कौन हैं और पुलिस ने उन लड़कियों को क्यों पकड़ा?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—गैर सरकारी सदस्य ये हैं:—

१—श्रीमती विद्याधरी जौहरी,
२—डाक्टर श्रीमती टी० एस० अइयर
३—रानी रामकुमार भार्गव,
४—बेगम ऐजाज रसूल,
५—डाक्टर श्रीमती कमर जैदी,
६—श्री प्रेमनारायण भार्गव।

पुलिस वालों के पकड़ने की बात तो बिलकुल स्पष्ट है। वह यहां से रात्रि को दीवार तोड़ कर गई थीं। उन्हें भागते हुए देखा गया तो पुलिस वालों ने चौकी पर बुला लिया।

श्री देवनारायण भारतीय (जिला शाहजहांपुर)—जो २ कन्याएं लखनऊ से काशी तक गई, वे वहां किसके साथ गईं? कोई उनको ले गया अथवा अपनी मर्जी से वहां तक गईं? उनके पास क्या इतना पैसा था कि काशी तक पहुंच सकती थीं? और काशी से वापस कैसे उसी सदन में आ गईं?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—वह जब यहां से भागीं तो इसके बाद काशी पहुंचीं और काशी का जो सदन है स्वयं उसमें प्रविष्ट हुईं। जांच शुरू हुई तो उनको बुलाया गया और इसी सदन में हैं।

श्री देवनारायण भारतीय—मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं मिला, श्रीमन्, वह पहुंची कैसे काशी तक? कोई पुरुष ले गया, कोई बहका कर ले गया, अथवा उनके पास इतना पैसा था कि काशी तक पहुंच सकें, यह स्पष्ट नहीं हुआ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—मुझे तो यही मालूम है,श्रीमन्, कि जब वह यहां से भागी थीं तो काशी चली गईं। उनके पास पैसा शायद हो कुछ—

श्री अध्यक्ष—किसी के साथ गई, यह नहीं मालूम?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—कोई ज्ञान नहीं है इस संबंध में। ऐसा ही खयाल है कि कुछ पैसा होगा उनके पास।

श्री गौरीशंकर राय—क्या मंत्री जी को कभी यह शिकायत मिली है कि इस सदन में रहने वाली सुधार के लिये जो महिलाएं थीं उनमें से कुछ महिलाओं को कभी किसी के द्वारा इस मुहकमे के उच्च अधिकारियों के यहां या दूसरी जगह पर ले जाया गया?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—मुझे नहीं मिली है। यदि मेरे मित्र को कुछ ज्ञात हो और वह सूचित करें तो मैं कृतज्ञ होऊंगा ।

श्री भीखालाल (जिला उन्नाव)—इन सब बातों को देखते हुए कि जो कांड हुआ है इससे महिलाओं के ऊपर काफी बड़े कलंक की बात है, इस षडयंत्र के पीछे जो कोई भी दोषी हो उसको उचित सजा दिलाने के लिये मंत्री जी क्या गृहमंत्री जी से यह प्रार्थना करेंगे कि इसकी पूरी जांच सी आई० डी० के सुपुर्द की जाय ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया।)

श्रीमती राजेन्द्रकिशोरी (जिला बस्ती)—मान्यवर, मैं आपके द्वारा मंत्री जी से तथा अन्य भाइयों से कहना चाहती हूं कि समाज का स्तर इस तरह से सदन में महिलाओं का उपहास करने से नहीं उठ सकता । इसके लिये हर एक आदमी को ध्यान देना होगा । जैसा कि अभी हमारे एक भाई ने कहा कि किसी बड़े आदमी के यहां वह जाती है तो क्या. . .

श्री अध्यक्ष—आप तो भाषण दे रही हैं , इस वक्त भाषण देने का मौका नहीं है।

श्री गौरीशंकर राय—मेरा मतलब कभी उपहास करने से नहीं है। मेरी कभी ऐसी नीयत नहीं थी । लेकिन इतना अवश्य है कि भ्रष्टाचारी बातों को बढ़ाने से सम्मान नहीं मिल सकता है । मैं नहीं समझता कि माननीय सदस्या यह चाहेंगी कि ऐसी बातों को पर्दा दिया जाय और गलत बातों को छिपा कर इस तरह की बातों को प्रोत्साहन दिया जाय ।

श्रीमती राजेन्द्रकिशोरी—मैं कतई कहती हूं कि पर्दा न डाला जाय लेकिन समाज का सुधार इस तरह से नहीं हो सकेगा । हम आप मिल कर देख-रेख करें और जो गलतियां हों उनको सही रूप में मंत्री जी के सामने पेश करें ।

श्री मदन पांडेय—अभी कन्याओं ने बयान दिया है कि उनके साथ सदन में कुछ अत्याचार हुआ है, क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि उस अत्याचार को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री अध्यक्ष—उसका जवाब दे दिया है कि व इंक्वायरी कर रहे हैं और आरोप साबित होने पर सजा देंगे ।

श्री अब्दुल रऊफ लारी—क्या माननीय मंत्री जी बतलायगे कि इस सदन में महिलाओं की उपलब्धि कैसे होती है और उनकी भरती का क्या तरीका है ?

श्री अध्यक्ष—उन्होंने पहले बतला दिया कि रिफार्मेटरी संस्थाओं से वे आती हैं ।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—शोधक संस्थाओं से आती है ।

श्री अध्यक्ष—शोधक के अर्थ आप एक्सप्लेन कर दीजिये ।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—जैसे जेल से कोई स्त्री सजा काट चुकी है तो उसको इस सदन में स्थान मिल सकता है । किसी के ऊपर कोई मुकदमा चलता हो तो उसको स्थान मिल सकता है । सप्रेशन आफ इम्मारेल ट्रैफिक इन वीमेन एन्ड गर्ल्स के अन्तर्गत बालिकाओं को पकड़ा गया हो तो उनको स्थान मिल सकता है। कोई स्थान रह जाता है तो केन्द्रीय सरकार की सिफारिश से जो निराश्रित स्त्रियां हैं उनको भी स्थान मिल सकता है।

श्री देवनारायण भारतीय—जिन तीन कन्याओं को पुलिस के द्वारा पकड़ा गया उनको किसने मारा पीटा था जिससे वे दीवार तोड़ कर वहां से निकल गयीं ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—मुझ गलत न समझा जाय। मैंने यह निवेदन किया था कि भागने वाली महिलाओं का यह आरोप है कि उनके साथ मार-पीट हुई, मैंने यह नहीं कहा कि उनको मारा-पीटा गया और वह आरोप विशेषकर जो अधीक्षिका हैं उनके विरुद्ध है।

आचार्य दीपंकर—मुझे विशेष कुछ नहीं कहना है। माननीय समाज कल्याण मंत्री ने तमाम अपराधों की जांच करने तथा जिनका अपराध साबित होगा उनको सजा देने का जो आश्वासन दिया है वह स्वागत योग्य बात है लेकिन अभी भी मैं समझता हूं कि इसके संबंध में पूरी जानकारी हासिल करना चाहिये क्योंकि जैसी कि जांच अपेक्षित है वैसी नहीं हो रही है। मुझे अपनी सूचना के अनुसार ऐसा मालूम हुआ है, जिसे माननीय समाज कल्याण मंत्री इंकार करते हैं, बहुत से तथा कथित प्रतिष्ठित तथा जिम्मेदारी की जगहों पर रहने वाले व्यक्तियों का इस भ्रष्टाचार में हाथ है। उनकी अप्रत्यक्ष चर्चा की जा सकती है। जब वे जांच करेंगे तो जरूर वे सब चीजें सामने आ जायंगी।

श्री मदन पांडेय—जो अधीक्षक हैं और उनके विरुद्ध शिकायतें मिली हैं उन्हें ट्रान्सफर करके उनके विरुद्ध क्या माननीय मंत्री जी जांच कराने की कृपा करेंगे ?

श्री अध्यक्ष—मैं इस प्रश्न की इजाजत नहीं दे रहा हूं।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—अध्यक्ष महोदय, महिलाओं से संबंधित जब कभी वादविवाद होता है तो हमारे सबके सामने एक उत्तरदायित्व की भावना होती है और जब कभी महिलाओं से संबंधित संस्थाओं के संबंध में वादविवाद होता है तो हमारा उत्तरदायित्व कुछ और भी बढ़ जाता है। मैं माननीय दीपंकर जी को एक बात का आश्वासन देना चाहता हूं कि इसके संबंध में पूरी और मुकम्मल जांच कराने की मैंने चेष्टा की है, जांच मुकम्मल हुई है और जब उनको इस संबंध में यह ज्ञान हुआ कि मैंने इस संबंध में क्या किया तो कदाचित उनको और प्रसन्नता होगी। मैं समझता हूं कि ये कुछ ऐसे विषय हैं जिन पर हम सभी ओर के बैठने वाले एक हैं। बड़ी कठिनाइयां इन महिलाओं से संबंधित संस्थाओं में बहुत बार आती हैं जिनको देखते हुए उनके ऊपर उठने में बड़ी कठिनाई पड़ती है। माननीय दीपंकर जी ने फिर उस चीज का जिक्र किया और मैं फिर उनसे दोबारा यह निवेदन कर देना चाहता हूं कि जो संस्था उनके मस्तिष्क में है वह संस्था यह नहीं है। जिस संस्था के बारे में माननीय दीपंकर जी अपने मन में कुछ विचार किये हुए बैठे हैं वह संस्था यह निस्सन्देह नहीं है।

इसमें हम लोग कुछ और भी थोड़ी सी बातों को बरतते हैं जिनके संबंध में अगर आज इस सदन में मैं कुछ चर्चा करूं तो शायद बेजा न होगा। चिल्ड्रेन्स ऐंड वीमेन्स इंस्टीट्यूशन कंट्रोल ऐक्ट एक है। इसमें जितने अनाथालय, विधवाश्रम और इस प्रकार की जितनी सार्वजनिक संस्थायें हैं, उन पर नियंत्रण रखने के लिये वह ऐक्ट है। उसके अन्तर्गत एक बोर्ड है जिसकी अध्यक्षा हमारे दूसरे सदन की एक सदस्या हैं। उस बोर्ड का कार्य यह होता है कि ये जितनी संस्थायें हैं इनको लायसेन्स करें। जिस संस्था के संबंध में हमको कभी भी यह पता लगता है कि यह संस्था गलत है या उसमें कोई बुरा कार्य होता है तो उसके संबंध में हम कम से कम इतना जरूर करते हैं कि उसके लायसेन्स को छीन लेते हैं। जिस संस्था की बात माननीय दीपंकर जी के मस्तिष्क में है उसकी कुछ चर्चा मेरे सामने भी आयी है। आज उस संस्था का नाम न लेकर मैं ऐसा खयाल करता हूं कि दीपंकर जी को उसका नाम मालूम नहीं है। वह संस्था उन संस्थाओं में से है जिनको हम लाइसेन्स करते हैं और जिनको सरकार की ओर से कुछ अनुदान दिया जाता है। इन संस्थाओं के संबंध में भी कभी-कभी कुछ शिकायतें मेरे सामने आयी हैं।

एक संस्था के संबंध में मेरे सामने कुछ निश्चित शिकायतें आयी हैं और आजकल भी उसके बारे में मेरे सामने कुछ निश्चित शिकायतें हैं। जिस प्रकार की शिकायतें माननीय दीपंकर जी ने इस सदन में की है प्रायः उसी प्रकार की शिकायतें मेरे सामने आयीं और मैं

इस सदन को यह आश्वासन देना चाहता हूं कि उसके संबंध में मैं चुप नहीं बैठा रहा हूं। उसके संबंध में भी एक जांच करवा रहा हूं और उसके पूरे होने पर कम से कम इतना तो मैं कर ही सकूंगा कि यदि उसको हमारे यहां से लायसेन्स मिला हो तो उसको जब्त कर लूं चाहे वह बड़े लोगों से संबंधित हो, चाहे छोटे लोगों से संबंधित हो। किसी भी व्यक्ति से उसका संबंध क्यों न हो मैं उसको कभी भी किसी भी प्रकार से स्वीकार नहीं करूंगा और जो कड़ा से कड़ा कदम हो सकता है वह मैं जरूर उठाऊंगा और इस सदन के कुछ माननीय सदस्यों के ज्ञान में भी है कि मैंने उसके संबंध में कुछ कदम उठाये भी हैं। भविष्य के लिये केवल यही आश्वासन देना चाहता हूं और आपके द्वारा अपने मित्रों से यह निवेदन करना चाहता हूं कि यदि इसके संबंध में उनको कुछ ज्ञान हो सके और वे मुझे उससे अवगत करायें तो मैं उनका अत्यन्त अनुगृहीत होऊंगा। यह समाज के हित में होगा कि वह ज्ञान मुझे दें ताकि सरकार और मैं उसका उपयोग करके अपने कर्त्तव्य और उत्तरदायित्व को पूरा कर सकें।

(इसके बाद सदन ५ बजकर २७ मिनट पर अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ;
१४ सितम्बर, १९६०।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'क'

(देखिए तारांकित प्रश्न २८ का उत्तर पीछे पृष्ठ १८८ पर)

५३–ए, विधान भवन, लखनऊ ,

दिनांक १२ फरवरी, १९६०

आदरणीय विचित्र भाई,

आपको संभवतः सूचना होगी कि १९५८ से ही झांसी नगरपालिका के वर्तमान अध्यक्ष के कार्यकलापों के विरुद्ध उस नगरपालिका के सदस्य श्री लखपत राम शर्मा तथा झांसी के अन्य सम्भ्रान्त नागरिकों द्वारा लगाये गये आरोपों की विभाग के आदेशों के अनुसार जांच हुई थी। प्राप्त सूचना के अनुसार जांच करने वाले मैजिस्ट्रेट महोदय तथा गुप्तचर विभाग की रिपोर्ट सरकार को भेजी जा चुकी है, परन्तु अब तक कोई भी निर्णय नहीं हुआ है। अध्यक्ष महोदय अपने वर्तमान पद पर यथापूर्व मौजूद हैं।

अतः हम लोगों का आप से साग्रह निवेदन है कि आप इस मामले में अविलम्ब हस्तक्षेप करने की कृपा करें ताकि विधान के अनुसार अध्यक्ष महोदय को भविष्य में ऐसे कार्य-कलापों के लिये अपनी शक्ति के प्रयोग से अक्षम किया जा सके। आशा है इस संबंध में शीघ्र आदेश देने की कृपा करेंगे।

आपके,

सदस्य, विधान मंडल, उत्तर प्रदेश।

सेवा में

श्री विचित्रनारायण शर्मा,

मंत्री, स्वायत्त शासन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में,

प्रतिलिपि,

मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

LUCKNOW :
Dated April 1, 1960.

DEAR VICHITRE BHAI,

The undersigned along with other 48 members of the Legislature had sent you memorandum on February 12, 1960. In this memorandum we had drawn your attention towards various allegations made against Sri Babu Lal Udainia, President, Municipal Board, Jhansi, by Sri Lakhpat Ram Sharma, a member of Jhansi Municipality and other citizens of Jhansi. We had also invited your attention to the fact that in spite of a thorough inquiry by the Provincial C.I. D. and a Magistrate and in spite of these reports having been received by the Government, no action had been taken against Sri Babu Lal Udainia and continued to function as President of Board as before. We had requested you *vide* that memorandum to intervene in that matter and immediately suspend the President so that he may not further misuse his powers in the Board.

We have been informed that Sri Babu Lal Udainia still continues to function as President of the Board as before and it appears that the various inquiry reports sent by the Magistrate and Provincial C. I. D. are lying some where in cold storage. We are confident that if the reports had come to your notice, they would have received your immediate attention.

You will, we like, agree with us, that it is a matter of urgent public importance. Seldom have such serious allegations of corruption been

made against a person occupying the office of President of an important Municipality. Due inquiry has been made into the allegations and still action is being delayed. We have received further reports against the said President and we are satisfied that he continues to function in the Board in the same manner.

We, therefore, request you to kindly expedite action in the matter by placing the President immediately under suspension and not allow it to live in cold storage.

Yours sincerely,

Sadasya (Members) Vidhan Mandal, Uttar Pradesh.

(Sd.) HORI LAL YADAV,
Secretary, P. S. P., Legislative Party.

(Sd.) NARAIN DUTT TEWARI,
Deputy Leader Opposition, Vidhan Sabha.

(Sd.) JHARKHANDE RAI,
Leader, Communist Party (Assembly).

(Sd.) RAJ NARAIN,
Leader, Socialist Party (Assembly).

(Sd.) MAHARAJ SINGH BHARTI,
M. L. C., Socialist Group.

(Sd.) GOVIND SINGH BISHT,
Deputy Leader, Jan Sangh (Assembly).

(Sd.) BANWARI LAL, M. L. C.,
Deputy Leader, P. S. P. (Council).

(Sd.) S. K. D. PALIWAL,
Leader, Swatantra Pragati, Sheel Dal (Assembly).

(Sd.) MADAN PANDE,
Deputy Leader, Socialist Unity Party (Assembly).

(Sd.) ACHARYA DEEPANKAR,
Leader, Socialist United Party (Assembly).

Coyp TO—
DR. SAMPURNANAND,
Chief Minister, Uttar Pradesh, Lucknow.

विषय:—झांसी नगरपालिका के चेयरमैन श्री बाबू लाल उदैनियां के विरुद्ध संगीन व गंभीर कांडों पर खुला पत्र ।

माननीय विचित्र भाई, मंत्री, स्वायत्त शासन विभाग,

उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ ।

महोदय,

आपकी सेवा में हम विधान मंडल के ४८ सदस्यों ने दिनांक १२–२–६० को तथा दिनांक १–४–६० को विधान परिषद तथा विधान सभा के एसेम्बली पार्टी लीडर की हैसियत से भी आपको तथा माननीय मुख्य मंत्री को लिखित आरोप पत्र देकर श्री बाबू लाल उदैनियां, अध्यक्ष नगरपालिका झांसी को उनके पद से तुरन्त हटा देने तथा मुअत्तली की मांग संयुक्त रूप से की थी । यह बात आप भली भांति ही जानते हैं कि श्री उदैनियां के विरुद्ध जनवरी सन् ५८ से ही संगीन आरोप झांसी नगरपालिका के सदस्य श्री लखपत राम शर्मा एवं अन्य सदस्यों ने मय प्रमाणों के सरकार को दिये हैं । यहीं तक ही नहीं झांसी के हर एक वर्ग

के प्रतिष्ठित नागरिकों द्वारा भी, जिनमें झांसी बार एसोशिएशन के अध्यक्ष तक शामिल थे, दनांक १६-३-५९ को सरकार से लिखित मांग श्री उदैनियां जी की मुअत्तिली तथा उनके विरुद्ध लगे गंभीर आरोपों पर जुडीशियल जांच की मांग की जा चुकी है।

हम जनहित में फिर आप का तथा मुख्य मंत्री का ध्यान दिलाकर फिर मांग करते है कि श्री उदैनिया को तुरन्त मुअत्तिल कर उनके पद से उन्हें हटा दिया जावे और उनके विरुद्ध जो मामले उत्तर प्रदेश सी० आई० डी० की जांच में जो कि नम्बर ९६४४ यू० एस० जे० की खरीदारी में गोलमाल इत्यादि से संबंधित थी व जिसकी जांच भी श्रीमानों के आदेश पर हुई थी तथा बुक्लेट दिनांक २०-२-५९ तथा ३-९-५९ जो खुला अभियोग-पत्र शीर्षकों से आपके नाम पर ही थी जिनमें अनेकानेक संगीन अभियोग श्री उदैनियां के विरुद्ध नगरपालिका के ही सदस्य द्वारा लगाये गये थे जिस पर कि आप ने ही झांसी कमिश्नर तथा जिलाधीश झांसी के जांच के आदेश दिये थे जो जांच होकर समाप्त हो चुके है। उपरोक्त मामलों में हमें मालूम हुआ है कि पिक अप कांड तथा बुक्लेट दिनांक २०-२-५९ तथा ३-९-५९ की जांच में अनेकानेक गंभीर तथा संगीन कांडों के ठोस प्रमाण पेश हुए हैं। फिर भी अब तक न तो श्री उदैनियां इत्यादि के विरुद्ध कोई मामला न्याय के लिये न्यायालय में दिया गया और न श्री उदैनियां को मुअत्तिल कर उनके पद से उन्हें हटाया गया। यह सब न्याय तथा जनहित में जो अत्यन्त आवश्यक था। इस प्रकार उपरोक्त कांड वाद जांच के भी एक रहस्य ही बनते जा रहे हैं। इस प्रकार गुप्तचर विभाग तथा जिलाधीश व कमिश्नर जैसे उच्चाधिकारियों की जांच का महत्व कितना रह गया है, हमारे व आपके सामने है। इस प्रकार के मामलों में दया या न्याय में विलम्ब करना भ्रष्टाचार को प्रोत्साहन ही देना होगा। प्रजातन्त्र के युग में इस प्रकार की उचित और न्याय पूर्ण मांगों पर अब तक भी कोई कार्यवाही न होना जनतन्त्र का गला घोटना है। हमारे पास इससे अधिक और कौन सा वैधानिक तरीका है जो आप का ध्यान उपरोक्त कांडों की ओर खींच सके। अनेक बार एसेम्बली में भी आप का ध्यान आकर्षित किया जा चका है।

अतः न्याय के हित में उपरोक्त परिस्थितियों में अत्यन्त आवश्यक है कि श्री बाबू लाल उदैनियां, अध्यक्ष, नगरपालिका झांसी को शीघ्र ही उनके पद से मुअत्तिल करें और उचित कानूनी कार्यवाही भी करें जिससे न्याय की हत्या रुक कर भ्रष्टाचार के मामलों को दबाया न जा सके।

ह० गोविन्दसिंह बिष्ट,
सदस्य, विधान मंडल उ० प्र०,
लखनऊ।
६-५-६०।

प्रतिलिपि—
माननीय डा० संपूर्णानद जी,
मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ।
सेवा में,

आदरणीय,
डाक्टर संपूर्णानन्द जी,
मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश, सरकार, लखनऊ।

प्रतिलिपि—माननीय पं० विचित्र भाई, मंत्री, स्वायत्त शासन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
आदरणीय बाबू जी,

हम आपका ध्यान झांसी नगरपालिका के अध्यक्ष श्री बाबू लाल उदैनिया के कार्यों पर आकर्षित कर ये निवेदन करेंगे कि आप स्वयं मामलों की गंभीरताओं पर विचार करें या न्याय पूर्ण निर्णय करें। दिसम्बर, सन् ५७ में श्री उदैनियां ने झांसी नगरपालिका का चार्ज अध्यक्ष पद

का लिया जब कि वह एक वार्ड से नगरपालिका की सदस्यता तक के चुनाव में हार चुके थे इस प्रकार एक वार्ड की जनता का भी जो विश्वास प्राप्त न कर सका हो, श्री उदैनिया को झांसी नगरपालिका की चेयरमैनी के पद पर सुशोभित करा दिया गया। जनवरी सन् ५८ में ही पिक अप कान्ड हुआ जिसकी जांच झांसी के उच्च अधिकारियों से लगाकर उत्तर प्रदेश के गुप्तचर विभाग ने आपके आदेशों पर की। इसके अतिरिक्त लगभग दो दर्जन संगीन व गंभीर कान्डों पर, जिनका सम्बन्ध अध्यक्ष नगरपालिका के कार्यों से था, झांसी के कमिश्नर महोदय तक से जांच आदरणीय विचित्र भाई के आदेश पर हुई थी। गुप्तचर विभाग तथा कमिश्नर की जांच महीनो पूर्व समाप्त होकर न्याय व निर्णय के हेतु माननीय विचित्र भाई के समक्ष आ चुकी है। जब झांसी के प्रतिष्ठित नागरिकों की दिनांक १६-३-५९ की मांग जिसमें श्री उदैनियां को मुअत्तिल कर उनके विरुद्ध मामलों की जुडीशियल मांग की गयी थी। पर सरकार से कोई उचित कार्यवाही नहीं हुई तो उपरोक्त दशा में ही विधान मंडल के एक साथ ४८ माननीय सदस्यों ने, जिनमें विधान मंडल के विरोधी नेता वा उपनेता भी सम्मिलित थे, संयुक्त रूप से आपसे व विचित्र भाई से दिनांक १२-२-६० को लिखित रूप में यह कहा था कि जनहित में तुरन्त श्री उदैनियां, अध्यक्ष, नगरपालिका झांसी को उनके पद से हटाकर उचित कार्यवाही करें। इतना ही नहीं दिनांक १-४-६० तथा ६-५-६० में भी विरोधी विधानमंडल के नेता व उपनेताओं द्वारा भी आप लोगों को संयुक्त रूप में फिर से लिखा था कि श्री उदैनियां, अध्यक्ष, नगरपालिका झांसी को उनके पद से तुरन्त मुअत्तिल कर उनके विरुद्ध प्रमाणित मामलों को न्यायालय में दिया जाय या उचित कार्यवाही की जाय। हमें मालूम हुआ है कि अध्यक्ष नगरपालिका के विरुद्ध सिर्फ दो मामलों पर ही सरकार द्वारा चार्जशीट दी गयी है जिसमें लगभग १६,००० के पाईप मीटरों तथा बहुत रुपयों की चुगी संबंधी चार्ज बताया गया है जब कि सत्य यह कहा जाता है कि लगभग दो दर्जन गंभीर व संगीन कान्ड जिसकी जांच गुप्तचर विभाग तथा श्री कमिश्नर झांसी द्वारा माननीय विचित्र भाई के आदेश पर कई माह पूर्व पूरी हो चुकी है आज तक निर्णय के लिये पड़े है इस प्रकार कई माह जब कि जांच पूर्ण हो चुकी है निर्णय में विलम्ब करना कहां तक न्यायपूर्ण व उचित है? श्रीमान् जी स्वयं ही विचार करें। हम आप से विनम्र शब्दों में यह फिर से जनहित में मांग करते है कि अध्यक्ष नगरपालिका श्री बाबू लाल उदैनियां को तुरन्त मुअत्तिल कर (उनके पद से हटा कर) उनके विरुद्ध जो भी मामले जांच में साबित हुए हों, उन्हें तुरन्त बिला विलम्ब के न्यायालय में दिये जाने का आदेश दिया जाय।

इस प्रकार गंभीर कान्डों में विलम्ब से जनता तथा सदस्यों पर क्या प्रभाव पड़ रहा होगा आप स्वयं ही सोच सकते है। इसके अतिरिक्त गुप्तचर विभाग तथा झांसी कमिश्नर की जांच रिपोर्ट और माननीय सदस्यों की अपीलों का कितना महत्व या सम्मान किया जा रहा है। यही आपके सामने है। माननीय सदस्यों के समक्ष इसके सिवाय और कौन सा वैधानिक मार्ग रह जाता है यह भी आप ही बिचार कर सकते है।

आशा है आप बिला विलम्ब के मामले में हस्तक्षेप कर न्यायपूर्ण उचित कार्यवाही श्री उदैनियां को मुअत्तिल करने के लिये करेंगे।

आपकी जानकारी के लिये हम झांसी की जनता के प्रतिष्ठित वर्ग की मांग दिनांक १६-३-५९ तथा माननीय विधान मंडल के सदस्यों की मांग जो दिनांक १२-२-६० को एक साथ ४८ सदस्यों द्वारा की गयी थी तथा दिनांक १-४-६० व दिनांक ६-५-६० की अपीलों की सही नकलें आपके समक्ष इस पत्र के साथ रख रहे है ताकि आप विचार कर सकें और मामलों की गंभीरता जान सकें।

सदस्य, विधान मंडल उत्तर प्रदेश, लखनऊ
गोविन्द सिंह बिष्ट, उप नेता जन संघ।
ह० नेता स्वतंत्र दल, धारा सभा।

दिनांक २६-८-६०।

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न ४२ का उत्तर पीछे पृष्ठ १८९ पर)

तालिका

विवरण-पत्र जिसमें इस प्रदेश की ३९ चीनी मिलों के नाम, जिन्होंने १९५९-६० सीजन के फरवरी के महीने या उसके बाद से गन्ने का दाम १।।।) प्रति मन के हिसाब से दिया है, का उल्लेख है।

पश्चिमी उत्तर प्रदेश ।

क्रम-संख्या	चीनी मिल का नाम
१	इकबाल पुर
२	देवबन्द
३	लक्सर
४	सहारनपुर
५	मन्सूरपुर
६	खतौली
७	रोहाना कलां
८	शामली
९	सलोती टांडा
१०	दौराला
११	जसवन्त
१२	मोहीउद्दीनपुर
१३	बेगमाबाद
१४	सिम्भोली
१५	मवाना
१६	बुलन्दशहर
१७	अमरोहा
१८	बिलारी
१९	धामपुर
२०	बिजनौर
२१	रोसा
२२	महोली

पूर्वी उत्तर प्रदेश

क्रम संख्या	चीनी मिल का नाम
२३	बाराबंकी
२४	बुढ़वल
२५	मसोधा
२६	शाहगंज
२७	परतावपुर
२८	बैतालपुर
२९	गोरी बाजार
३०	कैंटनगंज
३१	खड्डा
३२	छितौनी
३३	लक्ष्मीगंज
३४	रामकोला (पो)
३५	राम कोला (के)
३६	पड़रौना
३७	कठकुइयां
३८	सेवराही
३९	सरदारनगर

उत्तर प्रदेश विधान सभा

पी० एस० यू० पी०—ए० पी०—१७० एस० ए०—१९६०—८४५।